(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 6] षष्ठम् विधान सभा के षष्ठम सत्र का तीसरा दिवस [संख्या 3

बुधवार

दिनांक 26 सितम्बर, 1979

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री गोपाल सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ।

नगरपालिका एवं पंचायत समिति क्षेत्रों में नये औषधालय

37. **श्री माणकलाल ठाकोर (नैनवा)** : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राज्य में नगरपालिका एवं पंचायत समिति के क्षेत्रों में नवीन औषधालय खोलने के क्या आधार है ?

राज्य मंत्री, आयुर्वेद (श्री भंवरलाल कालावावल) : नगरपालिका क्षेत्रों में नवीन औषधालय खोलने के निम्न आधार हैं:—

1. दस हजार से कम जनसंख्या वाली उन नगरपालिकाओं में जहां पूर्व में कोई आयुर्वेद औषधालय नहीं है, बिना शैय्याओं वाला (बी) श्रेणी का एक औषधालय ।

2. दस हजार से पचास हजार की जनसंख्या वाली उन नगरपालिकाओं में जहां पूर्व में कोई आयुर्वेदिक औषधालय नहीं है 5 शैय्याओं वाला (बी) श्रेणी का एक औषधालय ।

3. निःशुल्क भवन व्यवस्था उपलब्ध होने पर पंचायत समितियों में निम्न आधार पर नवीन औषधालय खोले जायेंगे ।

1. प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर एक औषधालय जहां पूर्व में नहीं है ।

2. प्रत्येक पंचायत समिति क्षेत्र में कम से कम दस औषधालयों की पूर्ति करना जहां पूर्व में औषधालयों की संख्या दस से कम है ।

श्री माणकलाल ठाकोर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि जहां पर दस से कम

(श्री माणकलाल ठाकोर)

हैं, वहां क्या इसी सत्र में कमी पूरी कर दी जायगी ?

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक प्रश्न है।

श्री भैरवलाल कालाबादल : एक का जवाब आ जाय, उसके बाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां अभी 10 औषधालय हैं वहां तो फिलहाल छठी योजना के अन्तर्गत और औषधालय नहीं खोले जायेंगे लेकिन जहां 10 से कम हैं वहां छठी योजना के अन्त तक 10 कर देंगे।

श्री माणकलाल ठाकोर : इस कमी को पूरा करने की इच्छा रखते हैं या नहीं ?

श्री भैरवलाल काला बादल : इच्छा क्यों नहीं रखते हैं, इच्छा तो रखते ही हैं। ऐसा किया भी जा रहा है कि जहां अभी दो हैं वहां दो और बढ़ाकर चार किये हैं और जहां चार हैं वहां दो और खोलकर 6 किये हैं। इस तरह दस तक आने पर बन्द कर देंगे।

श्री बाल कृष्ण थानवी (फलौदी) : अध्यक्ष महोदय, आयुर्वेद मंत्री जी द्वारा एक सर्क्यूलर भेजा गया था विधान सभा के सदस्यों को, जिसमें यह कहा गया था कि पंचायत समितियों में जहां दस से कम औषधालय हैं वहां इस साल यह संख्या पूरी कर दी जायगी। मैंने अपने क्षेत्र की सूची भी भेजी है। 30 जुलाई, 79 को मुझे एक पत्र मिला है जिसमें माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि हमने इस साल तो औषधालय खोल दिये हैं। अब आपके क्षेत्र में औषधालय खोलने बाबत आगामी साल विचार किया जाएगा। मेरा निवेदन है, पंचायत समिति बाप में केवल तीन ही औषधालय हैं। सात और औषधालय खोलने हैं। इसी तरह पंचायत समिति फलौदी में 9 औषधालय हैं। एक खोलने का और सुझाव है। लेकिन वहां आप नहीं खोल रहे हैं। आपने जो सर्क्यूलर भेजा है, उसका उल्लंघन आपने ही किया है, इसका जवाब मंत्री महोदय दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया मंत्री महोदय को जवाब देने दें।

श्री भैरवलाल कालाबादल : पहले जवाब तो सुन लो।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : मुख्य मंत्री जी आप जरा सपोर्ट कर दीजिये।

मुख्य मन्त्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : सपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। आपको उत्तर ऐसा मिलेगा कि आप बिल्कुल सन्तुष्ट हो जायेंगे।

(व्यवधान)

औषधालय में ऐसी गोलियां भी हैं जिससे बोली भी साफ हो सके और दिमाग भी साफ हो सके।

श्री भैरवलाल कालाबादल : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक एक पूछेंगे तो सबको जवाब दे दूंगा। चारों तरफ से पूछेंगे तो जवाब रह जायगा।

(श्री भैरवलाल कालाबादल)

मैं आपको यह बताना चाहता हूं किस पंचायत समिति में कितने औषधालय हैं–– अजमेर में–7....

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : यह कौन पूछ रहा है ?

(व्यवधान)

श्री ईश्वर चन्द्र (पिड़ावा) : मंत्री महोदय आपकी जनरल नालेज बढ़ा रहे हैं तो सुनते क्यों नहीं है ?

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत अहम् प्रश्न है, मुझे बोलने की आज्ञा दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय का पहले जवाब देने दीजिये ।

श्री भैरवलाल काला बादल : अध्यक्ष महोदय, जहां-जहां पंचायत समिति में दस औषधालय हैं वहां तो एक भी नहीं खुलेगा । आप अपने इलाके का पता लगा लो....

श्री बालकृष्ण थानवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पंचायत समिति फलौदी के बारे में बताया था कि 9 औषधालय खुले हुए हैं । वहां एक और औषधालय खोलना है । पंचायत समिति बाप में केवल तीन औषधालय खुले हुए हैं––7 औषधालय नहीं हैं, सात खोलने हैं । मैंने इसके लिये लिखित पत्र भी दिया था, मैंने तो पता लगा लिया । अब आप बतायें, आपने क्यों नहीं खोले ?

श्रीमती नारंगी देवी (किशनगंज) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं जब श्रीमती विद्या पाठक आयुर्वेद मंत्री थीं तो उन्होंने किशनगंज–कोटा क्षेत्र में औषधालय खोलने की घोषणा की थी किन्तु जब काला बादल जी मन्त्री बने तो आयुर्वेदिक औषधालय खोलने की न तो घोषणा की और न ही खोला गया । अब माननीय मंत्री महोदय ने कह दिया क्राइटेरिया नहीं है । मैं सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं कि क्या वहां अब आयुर्वेदिक औषधालय खुलवायेंगे ?

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय को याद दिलाऊं कि आपके द्वारा मकराना में औषधालय खोलने की हां भरी गई थी कि सरकार जल्दी ही खोलेगी । आप मुझे बतायें आपने उस वायदे को निभाया क्यों नहीं ? आपने इसी सदन में बताया था ।

श्री भैरवलाल काला बादल : अध्यक्ष महोदय, औषधालय तो स्वीकृत कर दिया लेकिन हकीम नहीं मिलने के कारण कोई जा नहीं सका ।

श्री अब्दुल अजीज : यह बिल्कुल गलत बात है । हकीम भी उपलब्ध हैं और वैद्य भी....

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : पंचायत समिति में दस अस्पताल खोलने का आधार जो आपने रखा है वह आधार जन संख्या का आधार होगा तो किसी पंचायत समिति में तो पन्द्रह हजार की जनसंख्या है, किसी में 17 हजार की जनसंख्या है

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

और किसी में डेढ़ लाख की जनसंख्या है तो यह क्या आधार है ?

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय खुद आपको सहयोग देने के लिए तैयार हैं, आप उनसे मिल लें ।

श्री मूलचंद डागा (पाली) : मंत्री महोदय को तो हमारा भी सहयोग है, लेकिन सवाल है उत्तर देने का ?

श्री अध्यक्ष : वे आपको कह चुके हैं ।

(व्यवधान)

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर) : मन्त्री महोदय ने कहा है कि छठी पंचवर्षीय योजना तक दस अस्पताल खोलेंगे लेकिन उन्होंने ट्राइबल एरिया में एक भी औषधालय अभी तक क्यों नहीं खोला ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त उत्तर आ गया है ।

श्री किशनसिंह भाटी : पर्याप्त उत्तर नहीं आया है । मेरा स्पेसिफिक प्रश्न था कि जिन डेजर्ट इलाकों में दस-दस औषधालय तो क्या, दो और तीन औषधालय भी नहीं हैं । मन्त्री महोदय के सबल कन्धों पर मुख्य मन्त्री महोदय ने यह भार सौंपा है तो वहां एक भी औषधालय नहीं खोलने का क्या कारण है ? इस प्रश्न का पर्याप्त उत्तर तो क्या, कतई उत्तर भी नहीं आया है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय का उत्तर आने दें ।

श्री भैरवलाल काला बादल : हमारी नीति यह बनी थी कि जहां दस औषधालय हैं वहां तो छठी पंचवर्षीय योजना के अंत तक औषधालय नहीं खोले जायेंगे और जहां पर दस से कम हैं वहां पर धीरे-धीरे खोल कर उनको दस तक लाने का प्रयास करेंगे ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उत्तर पर्याप्त आ चुका है ।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : यह पंचायत समिति में दस औषधालय खोलने का क्या आधार है ? सांचौर पंचायत समिति में 45 गांव हैं और किसी पंचायत समिति में दो चार गांव ही हैं तो यह आधार कैसे चल सकता है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, निवेदन मेरा यह है कि प्रश्नकाल का पूरा उपयोग और उसका पूरा फायदा सदन को मिले, मैं इसके लिए सभी के सहयोग का अनुरोध करूंगा । पूरक प्रश्नों में पहले मुख्य प्रश्नकर्ता कम से कम एक पूरक प्रश्न कर लें, उसके बाद में दूर-पूरक प्रश्न का जवाब देने के बाद में ही अगर आप प्रश्न करेंगे तो इस प्रश्नकाल का पूरा फायदा मिलेगा । मैं इसमें आपके सहयोग की अपेक्षा रखूंगा, यह मेरा निवेदन है ।

श्री मूलचंद डागा : आपने जो आदेश दिया वह तो शिरोधार्य है लेकिन हमारे प्रश्नों के उत्तर आये या नहीं आये यह तो

(श्री मूलचंद डागा)

अध्यक्ष महोदय, आप देखें। हमारे प्रश्न का जवाब आया या नहीं आया, यह आप देखें। हमारा प्रश्न यह था कि कुछ पंचायत समितियों की जनसंख्या तो बहुत बड़ी है....

श्री रतनाराम चौधरी : सांचोर में 45 गांव हैं।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : प्रश्न में साफ लिखा है कि पालिसी क्या है ? इतनी सी बात थी। मन्त्री महोदय ने स्पष्ट बता दिया। इसके बाद क्या चाहते हैं ?

श्री मूलचंद डागा : इनको बोलने का क्या अधिकार है ? क्या मुख्य मन्त्री ने इनको अपाइन्ट कर दिया है ?

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : हर आदमी को उत्तर देने का अधिकार है। हल्ला मत मचाइये। अध्यक्ष का आदेश तो शिरोधार्य करेंगे लेकिन करेंगे ऐसे ही।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अगला प्रश्न। श्री जिथिंग।

आदिवासी क्षेत्रों में जनजाति विकास योजनान्तर्गत कालेज खोलने का मामला

38. **श्री जिथिंग** (कुशलगढ़) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या आदिवासी क्षेत्रों में जनजाति विकास उपयोजना द्वारा कालेज खोलने का राज्य सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कहां-कहां और कब तक कालेज खोले जाने की सम्भावना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री महबूब अली) : वर्तमान में ऐसा कोई विचार नहीं है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार की नीति केन्द्रीय सरकार तथा विश्व विद्यालय अनुदान आयोग की अनुशंसानुसार सामान्यतया गुणात्मक विस्तार की है संख्यात्मक की नहीं।

श्री जिथिंग : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि दो वर्षों में अनुसूचित जनजाति की योजनाओं के अन्तर्गत आदिवासी क्षेत्रों में कितना पैसा खर्च किया गया ? उसके अन्तर्गत कितने कालेजेज सैकण्डरी, हायर सैकण्डरी और मिडिल स्कूल खोले गये ? यह तो कम से कम बतायें। दूसरा प्रश्न यह है....

श्री महबूब अली : माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह प्रश्न इसके परव्यू में नहीं आता है क्योंकि कालेजों के सम्बन्ध में बात पूछी गई है और यह प्रश्न ट्राइबल सब-प्लान है उसके सम्बन्ध में पूछा गया है। ट्राइबल सब-प्लान में कालेज खोलने का प्रोविजन होता ही नहीं है, यह मेरा निवेदन है। अगला यह निवेदन है कि प्राथमिक शिक्षा को विस्तार देने की जहां तक बात है, ट्राइबल सब-प्लान से प्राथमिक शिक्षा का कितना विकास हुआ और उस पर धन कितना खर्च किया जायगा यह प्लान में दिया हुआ है। उच्च शिक्षा पर धन खर्च करने का या कालेज खोलने का प्रावधान ट्राइबल सब प्लान में नहीं है।

श्री जिथिंग : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछले टाइम में यह आश्वासन दिया गया था कि शिक्षा

(श्री जिथिंग)

का विस्तार होगा। ट्राइबल एरिया में शिक्षा का विस्तार होना चाहिए, विस्तार होना जरूरी है। जनसंख्या के अनुपात पर ट्राइबल क्षेत्रों, दूर दराज के इलाको में जहां कालेज नहीं हैं, वहां कालेज खोलने के लिए केन्द्र सरकार के नियम, कानून और उनकी रिपोर्ट्स को ध्यान में रखते हुए कालेजेज खोलने के सम्बन्ध में राज्य सरकार की केबिनेट में कुछ डिसीजन लिया गया था और उसके आधार पर हमको आश्वासन दिया गया था। क्या यह सही नहीं है कि इस प्रकार का निर्णय लेने के बाद भी आप झुकर रहे हैं ?

श्री महबूब अली : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी में ऐसा कोई आश्वासन नहीं है। माननीय सदस्य कहते है कि इस प्रकार का आश्वासन दिया गया था तो इसकी जांच करने के बाद में आश्वासन को जरूर पूरा किया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मूलचन्द डागा : आपने अपने उत्तर में कहा है कि कालेज गुणात्मक आधार पर खोले जायेंगे। जो पिछड़े क्षेत्र हैं, आदिवासी क्षेत्र हैं, उनके लिए आपने कहा कि पिछड़े क्षेत्रों में गुणात्मक आधार पर खोलेंगे तो इसका क्या मतलब है, मैं समझ नहीं पाया हूं। आपने कहा कि कालेज गुणात्मक आधार पर खोले जायेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने के लिए, असंतुलन मिटाने के लिए वहां कालेज खोलना क्यों जरूरी नहीं है ?

श्री बालकृष्ण थानवी : मेरा यह कहना है ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जवाब आ रहा है।

श्री महबूब अली : अध्यक्ष महोदय, मेरा ख्याल है कि माननीय डागा साहब ने पूरा उत्तर नहीं सुना। यदि उत्तर सुन लेते तो यह प्रश्न नहीं करते। मैं उनको सूचना देने के लिए उत्तर दुबारा पढ़ देता हूं :

"वर्तमान में ऐसा कोई विचार नहीं है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार की नीति केन्द्रीय सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुशंसानुसार सामान्यतया गुणात्मक विस्तार की है संख्यात्मक की नहीं।"

श्री मूलचन्द डागा : जी हां। मैंने यह कहा कि गुणात्मक आधार है, यह पिछड़े क्षेत्रों में आपको कालेज खोलने के लिए कहां मना करता है ? मैं यह पूछना चाहता हूं।

(व्यवधान)

मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि पिछड़े क्षेत्रों में कालेज क्यों नहीं खोलेंगे ?

श्री जगदीश चंद्र शर्मा (रतनगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है

श्री मूलचन्द डागा : पहले मेरे प्रश्न का उत्तर आने दीजिए।

श्री लालचन्द (भादरा) : पहले प्रश्न का उत्तर आने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मंत्री महोदय जवाब देना चाहते हैं।

श्री ईश्वरचन्द्र : ये तो क्वेश्चन फार दी सेक आफ क्वेश्चन कर रहे हैं। यह प्रश्न सप्लीमेंट्री में आता ही नहीं है।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : प्रश्न यह है, आपने यह कहा कि राज्य सरकार की नीति है। आपने यूनिवर्सिटी ग्राण्ट कमीशन का नाम लिया। यूनिवर्सिटी ग्राण्ट कमीशन की रिपोर्ट में यह है कि जहां पर कालेजेज पहले से है वहां पर आयन्दा कालेज नहीं खोले जायेंगे। यूनिवर्सिटी ग्राण्ट कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहीं यह नहीं कहा है कि पिछड़े इलाकों में कालेज नहीं खोले जायेंगे। वहां ट्राइबल सब प्लान से कालेज खोलने का प्रोविजन कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ग्राण्ट कमीशन का आपने जो हवाला दिया है, उस की रिपोर्ट में तो यह है कि जिस इलाके में नम्बर आफ कालेज ज्यादा हैं वहां पर कालेज नहीं खोलेंगे, वहां पर इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं। जिस इलाके में कालेज नहीं है वहां कालेज खोलने के लिए यूनिवर्सिटी ग्राण्ट कमीशन ने कोई पाबन्दी नहीं लगायी है। इसलिए इसका सहारा मत लीजिए।

श्री अध्यक्ष : विरोधी दल के नेता महोदय।

श्री लक्षमण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे साथी ने जो प्रश्न किया है, उसके सम्बन्ध में मैं आपकी आज्ञा से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। आखिरकार यह योजना किसी सरकार द्वारा ही निर्मित है। यह सरकारीकृत योजना है। आपकी गुणात्मक योजना के आधार पर क्या आदिवासी क्षेत्रों में कालेज कतई नहीं खोले जायेंगे ?

मन्त्री महोदय, मेरे को जरा इसका स्पष्टीकरण कर लेने दीजिए। उदाहरणार्थ क्या कुशलगढ़ जैसे क्षेत्र में एक भी कालेज नहीं खोला जाएगा ?

सागवाड़ा क्षेत्र में एक भी कालेज नहीं खोला जाएगा ?

अगर ऐसी योजना के आधार पर सरकार ने निर्णय लिया है तो क्या वह खामी से भरपूर है या नहीं ?

क्या मन्त्री महोदय इसका स्पष्टीकरण करने की कृपा करेंगे ?

श्री महबूब अली : अध्यक्ष महोदय, जो ट्राइबल सब प्लान में कालेज खोलने का विवाद चल रहा है इसके अन्दर मेरे ख्याल से प्रश्न इस बात का है कि आलरेडी यहां पर कालेज है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा में पोस्ट ग्रेजुएट कालेज हैं। इसके अलावा जितने भी ट्राइबल सब प्लान में क्षेत्र आते हैं, जैसे उदयपुर जिले की सात तहसीलें आती हैं, डूंगरपुर आता है, बांसवाड़ा आता है, प्रतापगढ़ आता है, आबू रोड़ आता है। मेरा यह निवेदन करना है कि आबू रोड़ में कालेज हैं, प्रतापगढ़ में कालेज है, डूंगरपर और बासवाड़ा में भी कालेज हैं। अब प्रश्न यह है कि आदिवासी क्षेत्रों में उच्च शिक्षा का प्रसार किया जाए। इसके लिए इस सब प्लान में होस्टल फेसिलिटी को बढ़ाने की बात है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा में कालेज स्थित है। वहां पर बाहर से लड़कों को लाकर छात्रावास में रख कर एडमिशन दिला कर उनके लिए शिक्षा का प्रबन्ध किया जाए। यह योजना ट्राइबल

(श्री महबूब अली)

सब प्लान में है। इसके लिए निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं। सात लाख रुपया डूंगरपुर में एक छात्रावास योजना के लिए रखा गया है। इसलिए जगह-जगह कालेज न खोल कर एक जगह ही शिक्षा देने की योजना है। कुशलगढ़ क्षेत्र के आंकड़े आप देखें तो वहां पर कालेज खोलने का औचित्य बिल्कुल नहीं है। जिस जगह पर कालेज हैं, उच्च शिक्षा की सुविधा है, उस जगह पर छात्रावास का निर्माण करके, लाइब्रेरी का निर्माण करके, उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन दिया जाए और दिया जा रहा है। ट्राइबल सब प्लान में यह प्रावधान किया जा रहा है। जहां पर आलरेडी कालेज हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कालेज हैं, वहां पर छात्रों के लिए होस्टल सुविधा उपलब्ध कराने की बात है।

श्री लक्ष्मण सिंह : मन्त्री महोदय का जो उत्तर है, उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। मैं स्वयं इस पक्ष में नहीं हूं कि अंधाधुंध कालेज आदिवासी क्षेत्र में खोल दिए जाएं परन्तु जो विशुद्ध आदिवासी क्षेत्र हैं, जहां पर लाखों आदिवासी लोग बसते हैं वहां पर कतई कालेज नहीं खोला जाए, क्या ऐसी नीति राज्य सरकार की है? क्या यह गुणात्मक आधार इस प्रकार का है कि जहां पर लाखों आदिवासी बसते हैं, वहां पर कालेज नहीं खोला जाए? मैं मानता हूं, मंत्री महोदय, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में कालेज हैं। पर वहां तो सब तरह की मिश्रित आबादी है। वे जिला मुख्यालय भी हैं। एक जिले में एक कालेज खोल कर क्या सरकार छुट्टी पा लेना चाहती है? क्या यह नीति राज्य सरकार की है? यह आलोचनात्मक नीति है। जो मत-मतांतर हमारा है वह हम सदन में व्यक्त करते हैं परन्तु इस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

श्री महबूब अली : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस सम्बन्ध में यह पहले ही बता दिया कि है यह एक जिले का प्रश्न नहीं है। विरोधी दल के नेता महोदय भी इसको एप्रीशिएट करेंगे कि छात्रों की अवेलेबिलिटी का भी प्रश्न है। कालेज उस क्षेत्र में होना चाहिए जिस जगह पर छात्र मिल सकते हैं।

(व्यवधान)

यह प्राइमरी शिक्षा से ताल्लुक नहीं रखता है........

श्री जिंयिग : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय छात्रों की संख्या का जो तर्क दे रहे हैं, वह सर्वथा गलत है। यह झूठ है। आज तो वहां पर कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। वहां पर शिक्षा का विस्तार नहीं किया गया तो छात्र निराश होकर कहां पर जायेंगे? मैं आपको यह बताऊं कि बांसवाड़ा से कुशलगढ़ 72 किलोमीटर है। वह सब डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर है। प्रतापगढ़ भी सब डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर है परन्तु वहां पर कालेज है। बांसवाड़ा में कालेज खोल कर सारे आदिवासी को आप सन्तोष देना चाहते हैं, यह कहां तक उचित है?

श्री रामकृष्णदास गुप्ता (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि भारतीय संविधान

(श्री रामकृष्ण दास गुप्ता)

में यह विषय राज्य सूची में है। राज्य सरकार शिक्षा के सम्बन्ध में स्वयं नीति तय करेगी। मन्त्री महोदय ने जो उत्तर दिया है उसमें उन्होंने सदन को यह बताया है कि केन्द्रीय सरकार, यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन की जो मंशा है उसके अनुसार यह खोले जा रहे हैं तो राज्य सरकार क्या अपने अधिकार क्षेत्र में बाहरी एजेन्सी का इन्टरफियरेन्स सहन करेगी और सहन करेगी तो किस क्षेत्र में किस हद तक करेगी ?

राज्य सरकार को संविधान में प्रदत्त जो अधिकार है उसमें क्या वह यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का हस्तक्षेप सहन करेगी ? क्या इस प्रकार उसके हस्तक्षेप को स्वीकार करके राज्य सरकार अपने अधिकारों को कम नहीं कर रही है ? आपने यह उत्तर नहीं दिया है। क्या राज्य सरकार आदिवासी क्षेत्रों में, पिछड़े क्षेत्रों में, कालेज खोलना उपयुक्त नहीं समझती है ?

आपका उत्तर है कि ग्रांट कमीशन की मंशा केवल गुणात्मक आधार पर कालेज खोलने की है तो मेरा यह पूछना है कि भारतीय संविधान में शिक्षा राज्य सरकार का विषय है। आपातकालीन स्थिति में यह राज्य और केन्द्रीय सरकार का विषय हो चुका था परन्तु अब उसमें संशोधन कर दिया है। संविधान का संशोधन हो गया। यह वापस स्टेट सब्जेक्ट हो गया है। राज्य को पूर्ण अधिकार है। तो क्या राज्य सरकार ने ऐसी नीति बना ली है कि वह अपने अधिकार क्षेत्र में दूसरी एजेन्सी का इन्टरफियरेंस सहन करेगी ? आज पश्चिमी राजस्थान में कालेज नहीं हैं। इस नीति के अनुसार क्या वहां पर कालेज नहीं खोले जायेंगे ? वहां पर कालेजों की आवश्यकता है। आदिवासी क्षेत्रों में कालेजों की आवश्यकता है, उपयोगिता है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, केवल इतना पूछें जो प्रश्न के रूप में हो। केवल प्रश्न के रूप में पूछें।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : क्या राज्य सरकार यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की नीति के अलावा अपनी कोई निजी नीति तय करेगी कि पिछड़े इलाकों में, आदिवासी क्षेत्रों में, पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में और कालेज खोले जाएं ? क्या राज्य सरकार केवल यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की नीति से सहमत है, सहमति रखती है, उसकी नीति के अलावा कार्य करने की राज्य सरकार को मनाही है ?

श्री महबूब अली : आपका प्रश्न यह था कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की नीति के अनुसार ही क्यों कालेज खोले जा रहे हैं....

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठोड (शेरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं, मन्त्री महोदय ने अभी सदन को यह बताया कि कालेज खोलते वक्त छात्रों की संख्या को ध्यान में रख कर कालेज खोले जायेंगे। तो, राजस्थान में कालेज अमूमन घनी आबादी वाले क्षेत्रों में यानि शहरों में ही कालेज खुल

(श्री खेतसिंह राठौड़)

सकेंगे । इसका मतलब यह लगाया जा सकता है कि जो लांग डिस्टेंस के क्षेत्र है, डेजर्ट एरिया है, वहां पर जो दूर-दूर गांव हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, आदिवासी क्षेत्र हैं, वहां उनमें कभी भी कालेज नहीं खोले जा सकेंगे । यह आपकी जो नीति है, वह डिफेक्टिव है । मैं इस सम्बन्ध में, मुख्य मंत्री जी, आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी, राज्य सरकार की क्या पालिसी है ?

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने प्रतिपक्ष के नेता के प्रश्न के उत्तर में कहा कि कुशलगढ़ में कालेज खोलना किसी भी तरह उपयुक्त नहीं है ? मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि ट्राइबल एरियाज में कालेज खोलने के लिये आपने कौन-कौन से आधार और क्या-क्या शर्तें तय कर रखी हैं जिनके आधार पर आप कह सकते हैं कि कुशलगढ़ किसी भी तरह से उपयुक्त स्थान नहीं है ?

क्या आपने तय कर रखा है कि ट्राइबल एरिया में कितने माध्यमिक स्कूल होने के बाद आप कालेज खोल सकेंगे ? क्या आपने यह शर्त तय की है कि इतने लड़कों की संख्या होगी ? ट्राइबल एरियाज में तो वैसे ही शिक्षा का प्रचार कम होता है । क्या ट्राइबल एरियाज में और स्कूल खोलने का आप विचार रखते हैं शिक्षा के प्रसार के लिये ?

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब खेतसिंह जी और रामनारायण जी मिनिस्टर थे तो उन्होंने कितने कालेज खोले ?

(व्यवधान)

श्री लालूदास (फलासिया) : अध्यक्ष महोदय, उदयपुर जिले में जहां हजारों आदिवासी बसे हुए हैं, उन स्थानों पर क्या वर्तमान सरकार कालेज खोलने का इरादा रखती है ?

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा उसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि क्या सरकार आदिवासी क्षेत्रों, जहां बहुत बिखरी हुई आबादी है एक हजार वर्ग किलोमीटर के एरिया के अन्दर, में एक आध भी कालेज देने पर पुनर्विचार करेगी ?

श्री मदनसिंह दांता (दांतारामगढ़) : प्रोवाइडेड इनका नेता ही प्रधान मन्त्री बने ।

मुख्यमन्त्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : राज्य सरकार ने पिछलेदो वर्षों में जितने स्कूल और कालेज खोले हैं उन सबके आंकड़े सदन के सामने हैं । उनसे एक बात स्पष्ट होगी कि पिछले 13-14 वर्षों में जितना शिक्षा का विस्तार नहीं हुआ उतना पिछले दो वर्षों में ही हुआ है....

श्री मूलचन्द डागा : क्वेश्चन आवर में आप भाषण कर रहे हैं । क्वेश्चन आवर में भाषण न दें ।

(व्यवधान)

श्री किशनसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि जो खेतसिंह जी ने प्रश्न किया, रेगिस्तानी और ट्राइबल एरिया में शिक्षा के बारे में जो जवाब दिया

(श्री किशनसिंह भाटी)

माननीय शिक्षा राज्य मन्त्री जी ने, तो क्या केन्द्रीय सरकार की नीति निर्देश के रूप में इसे लेंगे ? दूसरे माननीय मुख्य मन्त्री जी, तत्कालीन शिक्षा मन्त्री ललित किशोर जी चतुर्वेदी और श्री भंवरलाल शर्मा, शिक्षा मन्त्री जी ने मेरे एक प्रश्न के उत्तर में बार-बार एश्योरेंस दिया कि हम पापुलेशन को नहीं देखेंगे और जहां नीड है उसको देखेंगे और नीड बेस्ट विकास करेंगे....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजिये। मन्त्री महोदय भी जवाब देना चाहेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जब आप लोग सुनना ही नहीं चाहते तो हमें जवाब नहीं देना चाहिये।

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, केवल दो प्रश्न हुए हैं इतनी देर में।

(व्यवधान)

श्री बालकृष्ण थानवी : मुख्य मन्त्री जी ने मुझे गत साल कहा था कि फलौदी तथा कुशलगढ़ में कालेज इस साल खोले जायेंगे। मगर गत साल तो दूर रहा इस साल भी नहीं खोले।

(व्यवधान)

मुख्यमन्त्री जी ने कहा था कि कुशलगढ़ और फलौदी में हम कालेज खोलेंगे। मगर आज शिक्षा राज्य मन्त्री जी ने यह उत्तर दिया है कि सरकार देखेगी। यह क्या माजरा है ?

(व्यवधान)

श्री किशनसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, उत्तर तो दिलवाइये।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर बीच में आप इन्टरप्शन करना चाहते हैं तो जवाब पूरा नहीं होगा। जवाब सुनने के बाद आप भी कहें तो कुछ समझ में आता है। कुछ माननीय सदस्य बीच में ही खड़े हो जाते हैं। यही मैं निवेदन कर रहा था।

जहां तक कुशलगढ़ का प्रश्न है। माननीय सदस्य जैसलमेर से आये हैं और खेतसिंह जी शेरगढ़ से आये हैं उन्होंने आबादी के घनत्व के हिसाब से कहा कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां उस मात्रा में आबादी नहीं हो सकती वहां के बच्चों के पढ़ने के लिये कोई न कोई व्यवस्था करनी होगी। इसके साथ ही साथ यू० जी० सी० और यूनिवर्सिटी का प्रश्न आया। उसमें कहा गया कि यूनिवर्सिटी राज्य सरकार की सबोर्डिनेट हो सकती है। यू० जी० सी० जो सहायता देती है उसने अनुबन्ध बना रखा है उसके अनुकूल ही हम कालेज खोल सकते हैं वरना हमें सहायता नहीं मिलेगी इसलिए डिपेंडेबिलिटी न होते हुए भी इन दो तीन प्रश्नों पर डिपेंडेबिलिटी है। जहां तक कुशलगढ़ का प्रश्न है, हम भी इस चीज को मानते हैं वहां इतनी आबादी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

नहीं हो सकती। उसको आधार मानेंगे तो उस क्षेत्र से कालेज नहीं खुल सकेगा। मैं विरोधी पक्ष के माननीय नेता को आश्वासन देना चाहता हूं कि कुशलगढ़ के प्रश्न पर हम गम्भीरता से विचार करेंगे और जो कुछ भी किया जा सकता है, करेंगे।

श्री मदनसिंह दांता : अभी माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने फर्माया कि हमें सहायता नहीं मिलेगी। यह सहायता कौन सी चाहते हैं ? हमारे कालेज खुलते हैं। पब्लिक के नागरिक कालेज के लिये पैसा देते है। फिर कौन सी अन्य सहायता है जिसकी वजह से आप दुःखी हैं ?

श्री अजीतसिंह (टोंक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, लोग बार-बार खड़े हो जाते हैं। इसकी कुछ व्यवस्था तो करें।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य रामनारायण चौधरी बार-बार भाषण नहीं दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री महोदय ने कहा कि मेरे बोलने के बाद बोलें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण चौधरी : मुख्य मंत्री जी ने बार-बार आश्वासन दिया है। क्या यह सही है कि जनता पार्टी के माननीय सदस्य थे और जनता पार्टी में जब विप्लव आया उस वक्त उन्होंने आश्वासन दिया

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल उचित नहीं है।

श्री मदनसिंह दांता : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री जी इधर जुबान बन्द करते हैं, ये हल्ला करते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री अजीत सिंह।

मेडिकल कालेजों में शोध-कार्य हेतु बजट प्रावधान

39. **श्री अजीत सिंह (टोंक)** : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में मेडिकल कालेजों में शोध-कार्य पर कितने रुपयों का बजट प्रावधान है ?

(2) क्या राज्य सरकार ने शोध कार्य पर होने वाले व्यय का मूल्यांकन करवाया है ? यदि हां, तो क्या नतीजा रहा ?

(3) एम० डी०, एम० एस०, एम० एस–सी०, मेडिसिन पी० एच० ओ० के विद्यार्थी जो थिसिस लिखते हैं उनका राज्य सरकार क्या लाभ ले रही है ?

(श्री अजीतसिंह)

(4) क्या राज्य सरकार किसी नई दवाई का निर्माण करने का विचार रखती है ?

चिकित्सा मंत्री (श्री त्रिलोकचन्द जैन) :

(1) इस वर्ष शोधकार्य पर 72000/- रु० व्यय करने का प्रावधान है।

(2) जी नहीं।

(3) स्नातकोत्तर विद्यार्थियों द्वारा लिखे गये थिसिस से शोध प्रवृत्ति का विकास करने में सहायता मिलती है। इसका मन्तव्य राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार का लाभ उठाने का नहीं है।

(4) जी नहीं।

श्री अजीतसिंह : अध्यक्ष महोदय, इतना बड़ा बजट है। आप मूल्यांकन क्यों नहीं कराना चाहते हैं ? आखिर दवाइयों पर रिसर्च होती है, अनुसंधान होता है। फिर दवाइयां मार्केट में आती हैं। उनको बाजार में नहीं लायेंगे, तो बजट में खर्चा करने का क्या फायदा है ? इतना बड़ा खर्चा करते हैं, परिवार नियोजन के लिए दवाइयों की आवश्यकता होती है तो अनुसन्धान करके कई प्रकार की दवाइयां बनानी चाहिए।

एक माननीय सदस्य : कुत्ता काटने वाली दवा का क्या है ?

श्री अजीतसिंह : कुत्ता काटने वाली दवा का तो आप पहले ही सुन चुके हैं।

श्री ईश्वरचन्द्र : आप भैरवलाल काला-बादल से सम्पर्क करें। वह दवाइयों के लिए एक धन्वन्तरि औषधालय खोल रहे हैं।

श्री त्रिलोकचन्द जैन : मेडिकल कालेज में शोध का काम करते हैं। हर मेडिकल कालेज के लिये 5 हजार रुपया, एस. एम. एस. मेडिकल कालेज के लिए 7 हजार रुपया और उदयपुर यूनिवर्सिटी के लिए परिवार कल्याण पर रिसर्च की दृष्टि से 20 हजार रुपये का प्रावधान किया गया है। उदयपुर मेडिकल कालेज द्वारा परिवार कल्याण के क्षेत्र में जो रिसर्च की गई उसे इण्टर नेशनल रिकग्नीशन मिला है। इसी प्रकार से इण्डियन ड्रग्स पर रिसर्च के लिए उदयपुर मेडिकल कालेज ने योजना दी तो इसके शोध कार्य के लिए आर्थिक सहयोग का प्रावधान किया गया है।

श्री मूलचन्द सामरिया : इसका रिजल्ट क्या रहा।

श्री त्रिलोकचन्द जैन (दौसा) : रिजल्ट तो अब आयेगा ?

श्री मूलचन्द सामरिया : आप इस बारे में विस्तार से बता दें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस समय माननीय खेतसिंह जी और रामनारायण चौधरी मिनिस्टर थे उस समय इन्होंने क्या किया ?

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : मैं ने प्रश्न पूछा है। उदयपुर यूनिवर्सिटी के लिए 20 हजार रुपये रखे हैं। उसके द्वारा की गई रिसर्च को इण्टरनेशनल रिकगूनीशन मिला है उसके क्या रिजल्ट है ? उसका क्या उपयोग रहा है ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न बहुत छोटा पूछें।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की सरकार राज्य के 5 मेडिकल कालेजों पर प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपया खर्च कर रही है। पांच करोड़ रुपया खर्च करती है जब कि मेडिकल कालेजों के लिए 75 हजार रुपये का प्रावधान है ! मेडिकल कालेजों में इसका पूरा उपयोग नहीं करना चाहते हैं। आप मेडिकल कालेजों का पूरा उपयोग नहीं करना चाहते हैं। इसके फलस्वरूप जो डाक्टर हैं, उनका पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है।

श्रीमती मदन कौर (पचदरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न में भी पूछना चाहती हूं माननीय चिकित्सा मन्त्री जी से। जो पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं वह एक विशेष बीमारी पर शोध करते हैं। उनका व्यवाहारिक उपयोग करने के लिए आपने कोई व्यवस्था बनाई है ?

श्री त्रिलोकचन्द जैन : पहला जो प्रश्न है, उसके बारे में मेरा निवेदन है कि वहां एक डॉ० दिलीप कोठारी हैं, एक डा० अमर स्वरूप गुप्ता हैं। उन्होंने प्रयोग किये हैं और यह प्रस्थापित किया है कि कोई इम्पोटेंसी नहीं हो। इस शोध को इण्टरनेशनल रिकग्नीशन मिला है। इस प्रयोग पर राजस्थान सरकार ने गत वर्ष 20 हजार रुपया देने की बात कही थी। दूसरी बात यह है कि शोध कार्य का हम पूरा उपयोग नहीं कर रहे हैं। कालेज जो प्रोजेक्ट भेजते हैं राज्य सरकार उनको मदद करती है। उदयपुर कालेज ने प्रोजेक्ट भेजा है। उनको 45 हजार रुपया दिया गया है। एम. एस. एम. डी. करने वाले व्याख्याता हवा में रिसर्च नहीं करते हैं। उन्हीं का सिलेबस का अंग है। शोध-कार्य किए बिना एम. डी. एवं एम. एस. की उपाधि उनको प्राप्त नहीं हो सकती। यह उनके शिक्षण का भाग है।

श्री मदनसिंह दांता : माननीय मन्त्री महोदय, से मैं निवेदन करूंगा कि सवाई मान गार्ड में.......

श्री खेतसिंह राठौड़ : सवाई मानसिंह होस्पिटल में।

श्री मदनसिंह दांता : एस. एम. एस. हॉस्पिटल में दवाइयों की क्या व्यवस्था है ? एक डेजर्ट बीमारी होती है।

कई माननीय सदस्य : क्या ? कौन सी बीमारी ?

श्री मदनसिंह दांता : डेजर्ट बीमारी। डेजर्ट की बीमारी होती है। डेजर्ट मेडिसन नहीं है।

श्री किशनसिंह भाटी : Disease in desert area, not desert disease. डा० चौहान ने उस पर रिसर्च की है।

श्री मदनसिंह दांता : वह वहां खून के आंसू रो रहे हैं। कई बार रिप्रेजेण्टेशन दिया है।

श्री शंकरलाल (जैतारन) : यह डिसीजेज इन डेजर्ट एरिया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय का उत्तर सुन लीजिये।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आपने कहा कि प्रोजेक्ट मिलता है, उसके अनुसार रुपया देते है चाहे वह शोध करें। क्या आवश्यकता के अनुसार राजस्थान सरकार शोध करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है ?

श्री त्रिलोकचन्द जैन : शोध करने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता है। शोध के लिए स्वतः प्रेरणा होती है। चिकित्सा विभाग तो किसी प्रोजेक्ट को सहायता कर सकता है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : करोड़ों रुपयों का आप खर्चा करते हैं।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : ऐसी अनेकों बड़ी बीमारियां हैं, जिन पर शोध हुई हैं। हमें इस प्रकार की दवाइयों का निर्माण करना चाहिए जिससे कि बीमारियां दूर हो सकें।

श्री अध्यक्ष : श्री ईश्वरचन्द्र।

श्री किशनसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, रिसर्च पर ज्यादा खर्च आता है। डेजर्ट मेडिसन्स पर रिसर्च करवाई जाये। अच्छा हो कन्सेप्ट आफ डेजर्ट मेडिसन्स पर डिस्कशन करवाने की कृपा करें।

श्री शंकरलाल : उन्होंने क्या रिसर्च की है ? He has already done research but the Government did not utilise that.

श्री त्रिलोकचन्द जैन : कालेजों द्वारा जो प्रोजेक्ट आते हैं, उन्हीं पर विचार किया जाता है।

श्री शंकरलाल : माननीय दांता साहब ने यह जानकारी दी है कि डाक्टर चौहान ने इस पर शोध कार्य किया है, उस का आप क्या कर रहे हैं ?

श्री किशनसिंह भाटी : इण्टरनेशनल कान्फ्रेन्स जोधपुर में हुई, दिल्ली में हुई, हैदराबाद में डाइरेक्टर ने भी लिखा, डेजर्ट की डिसीज पर अच्छी रिसर्च होनी चाहिए, इसका आप उत्तर दीजिए।

श्री अध्यक्ष ; नेक्स्ट क्वेश्चन माननीय श्री ईश्वरचन्द।

बन्धुआ श्रमिकों के पुनर्वास की व्यवस्था

40. **श्री ईश्वरचन्द्र** (पिड़ावा) : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में 67,000 बन्धुआ श्रमिक हैं ? राज्य

(श्री ईश्वरचन्द्र)

सरकार इनके पुनर्वास के लिए क्या विचार कर रही है ?

(2) 22 जून, 77 से 31 अगस्त, 79 तक राज्य सरकार ने बन्धुआ श्रमिकों की मुक्ति व पुनर्वास के लिए क्या-क्या कदम उठाये हैं एवं उक्त अवधि में कितना धन उक्त काम में खर्च किया है ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

राज्य मन्त्री, शिक्षा (श्री महबूब अली) :

(1) गांधी शान्ति प्रतिष्ठान और राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में किए गए बन्धक श्रम सम्बन्धी सेम्पल सर्वेक्षण के अनुसार राजस्थान में 67,000 बन्धक श्रमिक होने का अनुमान लगाया गया है। जब तक इनकी खोज करके आइडेन्टिफाई नहीं कर लिया जाता तब तक उनको मुक्त नहीं कराया जा सकता और जब तक मुक्त नहीं हो तब तक पुनर्वास की कार्यवाही पर विचार नहीं हो सकता।

(2) इस अवधि में 1954 बन्धक श्रमिकों का पुनर्वास किया गया है तथा 28, 13, 700/– रुपये की राशि खर्च की गई है। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री ईश्वरचन्द्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह 67,000 का फिगर कब राजस्थान सरकार की नालेज में आया ? क्या मन्त्री महोदय को पता है, 2 सितम्बर के सण्डे स्टेण्डर्ड में यह छपा है :

"There are about 67,000 more bonded labours—over and above the figure so far indentified who are still awaiting their rehabilitation in Rajasthan.

"This is revealed in a survey conducted by the Gandhi Peace Foundation and the National Labour Institute.

"The Rajasthan Government has asked all collectors in the State to locate them."

मैं यह जानना चाहता हूं कि 1 सितम्बर से आज तक किन-किन कलेक्टर्स ने किन-किन को आइडेन्टिफाई कर दिया है ?

दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि यह 67,000 का जो फिगर जो दोनों संस्थान ने दिया है क्या राज्य सरकार इसको मानती है और मानती है तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और कोटा जिले में कितने-कितने बन्धक मजदूर हैं ?

(व्यवधान)

श्री महबूब अली : इस सर्वेक्षण को राज्य सरकार ने चुनौती दी है, यह सर्वेक्षण पूर्ण नहीं है। 1-9-79 को पत्र लिख कर कहा कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में एक भी बन्धुआ मजदूर नहीं बताया गया है, उन्होंने कहा है कि वहाँ एक भी बन्धुआ

(श्री महबूब अली)

श्रमिक नहीं है, राज्य सरकार इस रिपोर्ट को गलत मानती है। उन्होंने जो सेम्पल सर्वे के आधार पर 67000 का फिगर दिया है वह गलत है।

श्री ईश्वरचन्द्र : 67000 से ज्यादा हैं।

श्री महबूब अली : जितना कार्य हो चुका है वह तो अलग है, अब आइडेन्टिफाई करने कार्य शेष है, जब तक वह नहीं हो जाता तब तक पुनर्वास का कार्य नहीं हो सकता।

श्री रामनारायण चौधरी : आइडेन्टिफिकेशन का कार्य कब तक पूरा हो जायग ?

श्री ईश्वरचन्द्र : सरकार ने एक विजिलेन्स कमेटी वनाई थी क्या वह अभी तक कायम है या समाप्त हो गई ? क्या सरकार का यह प्रयत्न है कि बन्धुआ श्रमिकों का मामला अन्त्योदय से जोड़ दिया जाय ?

श्री महबूब अली : बन्धुआ श्रमिकों का मामला अन्त्योदय से जोड़ने का प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि जो कार्य किया जा रहा है, इसको स्पेशल स्कीम में दे दिया जाय।

श्री ईश्वरचन्द्र : क्या दे दिया जाय ? आज गांव में पूछते हैं कि गरीब कौन है तो कोई भी खड़ा हो जाता है। मजदूरों में इतनी हिम्मत नहीं है। इसके लिए अलग कैम्पेन चलाना पड़ेगा।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : इमर्जेन्सी में बन्धुआ श्रमिकों के नाम पर जाँच हुई, उसके बाद बन्धुआ श्रमिकों की संख्या मालूम नहीं हुई। उसके पश्चात् 70 हजार के आंकड़े को, जो विशुद्ध फर्जी है, क्यों घसीटा जा रहा है और क्यों उनको लोकेट नहीं किया जा रहा है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री मूलचन्द सामरिया।

श्री मूलचंद सामरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि बन्धुआ श्रमिकों का मामला काफी गम्भीर है। आप जानते हैं उनकी क्या दुर्दशा होती है। उनका पता लगाने के बारे में सरकार किस प्रकार से प्रयत्न कर रही है ? हर जगह इनका पता लगाने के लिए क्या लोकल बाडीज, पंचायत, सरपंच, पटवारी, गिरदावर या ग्रामसेवक ने इसकी जिम्मेदारी ली है या एम. एल. ए. अपनी जिम्मेदारी समझते हैं ? और इनका पुनर्वास कब तक कर दिया जायगा ?

श्री मथुरादास माथुर (डीडवाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जितना जल्दी हो सकेगा इनको मुक्त कराया जायगा यह राज्य सरकार की तरफ से कहा गया है उसमें डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में, 67 विलेजेज में यह सर्वे करवाया गया था, उसके हिसाब से निल आंकड़े आये। इस पर मेरा प्रश्न यह है, मुख्य मन्त्रीजी जवाब दें या मन्त्री जवाब दे दें, सेम्पल सर्वे की मैथडोलाजी क्या थी ? सिर्फ गांवों में जाकर दो चार लोगों को पूछकर या इलाही को पूछ

(18)

(श्री मथुरादास माथुर)

कर ही रिकार्ड कर लिया ? दूसरी बात सैम्पल सर्वे के बाद डिटेल्ड सर्वे होनी चाहिए, यह लाजिमी है, अगर डिटेल सर्वे कराया गया तो उसका क्या परिणाम रहा ? यदि नहीं कराया गया तो क्या राज्य सरकार अब डिटेल्ड सर्वे कराने को तैयार है और मेथडीलोजी क्या होगी।

(व्यवधान)

श्रीमती श्यामा कुमारी संगर (कपासन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह कि है कि सरकारी अधिकारियों के घरों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से जो बेगार ली जाती है उस पर भी विचार कर लिया जाय ?

(व्यवधान)

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो कुछ सर्वे हुआ है वह राज्य सरकार ने नहीं गांधी शांति प्रतिष्ठान और श्रम संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में हुआ है। 67000 का फिगर डिस्प्यूटेड है। मैं भी इस बात की आवश्यकता समझता हूं कि जल्दी से जल्दी इसका सर्वे कराया जाय। इसके लिए सामरियाजी ने सुझाव दिया कि पंचायतों और नगरपालिकाओं को भी इन्वाल्व किया जाय। हर पंचायत सर्वे करके राज्य सरकार को जानकारी दे दे कि कहां-कहां कितने-कितने इस प्रकार के बन्धुआ मजदूर हैं तो उसको आधार मान लिया जाय तो मैं समझता हूं कि एक पूरी सही पिक्चर सामने आ जायगी। लेकिन उसमें भी राजनीति का प्रवेश होगा, जिस तरह से अभी भटनागरजी ने कहा कि अन्त्योदयी का चयन होता है, उसी प्रकार एक बार सही स्मृति सामने आ जाने के बाद इसका भी एक कैम्पेन चलाया जाय वेरिफिकेशन करवा लें और जानकारी मंगालें जिससे उनको मुक्त कराने और पुनर्वास का काम जल्दी से जल्दी किया जा सके।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मेरा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जून, 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई जनता पार्टी ने आने के बाद सैल को ही खतम कर दिया और जो उनके काम इन्वेस्टीगेशन के चालू थे....

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने पूरा उत्तर दे दिया।

श्री मूलचन्द डागा : क्या उत्तर दे दिया ? आपने तो सैल को ही खतम कर दिया। वहां एक सीनियर अधिकारी बैठा है जिसके पास काम नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री नरेन्द्र पाल सिंह चौधरी।

श्री एच. एन. शर्मा (बेगूं) : अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं आपने दूसरा प्रश्न पुकार लिया।

श्री अध्यक्ष : मैं आपसे सहयोग की अपेक्षा करता हूं।

श्री एच. एन. शर्मा : राज्य सरकार के पास जो मजदूर हैं, अधिकारियों के पास जो

(श्री एच. एन. शर्मा)
बंधुओं मजदूर हैं, उनके लिए राज्य सरकार क्या करना चाहती है ? आज जागीरदारों के पास जो बंधुआ मजदूर हैं उनका ही सवाल नहीं है, उनका भी प्रश्न साथ में जुड़ा हुआ है जो राज्य सरकार के अधिकारियों के घरों पर बेगार करते हैं; वे अभी भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं और दासता से मुक्त नहीं हुए हैं। मैंने राज्य सरकार और मुख्य मंत्री का एक दो बार जुबानी तौर पर ध्यान आकर्षित किया है। आज जब बंधुआ श्रमिकों के बारे में बात आई है, नेता महोदय से कहना चाहता हूं कि उसके बारे में राज्य सरकार अपनी नीति स्पष्ट घोषित करे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, मस्टर रोल कर्मचारी वर्क चार्ज्ड कर्मचारी अधिकारियों के घरों पर काम करते हैं जिसके लिए राज्य सरकार का आदेश नहीं है। इससे करीब 6 करोड़ का घाटा राज्य सरकार को हो रहा है। यह 6 करोड़ का घाटा राज्य सरकार को न हो, इस बारे में राज्य सरकार को स्पष्ट नीति की घोषणा करनी चाहिए....

श्री अध्यक्ष : आ गया।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जो बिल्कुल मूक बंदी हैं जेल के अधिकारी उनसे घर का काम ही नहीं कराते बल्कि मुंट्ठी चप्पी कराते हैं, यह स्थिति चिंतनीय है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह मुट्ठा चप्पी क्या है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

विधायक निवास डिस्पेन्सरी के चिकित्सक के लिये दूरभाष की व्यवस्था

11. **श्री शंकर लाल** (जैतारण) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधायकों के लिये नियुक्त डाक्टर से तत्काल सम्पर्क हेतु न तो विधायक निवास स्थित डिस्पेंसरी में और न ही डाक्टर के निवास स्थान पर ही कोई टेलीफोन की व्यवस्था है ?

(2) यदि हां, तो यह व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) डिस्पेंसरी के भवन एवं डाक्टर के निवास स्थान पर टेलीफोन लगाने की कोई सामान्य नीति नहीं है।

पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र के आयुर्वेदिक औषधालय

12. **श्री ईश्वरचन्द्र** (पिड़ावा) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र में किन किन स्थानों पर आयुर्वेद औषधालय हैं ? ग्रामों के नाम की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) 1979-80 में पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र में किन-किन स्थानों पर आयुर्वेद

(श्री ईश्वर चन्द्र)

अस्पताल खोलने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(1) पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र के बारह स्थानों पर आयुर्वेद पद्धति के औषधालय हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) वर्ष 1979-80 में राज्य में कुल 67 औषधालय खोलने का प्रावधान किया गया है। इनमें से इस वर्ष कोई औषधालय पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र में नहीं खोला गया है। चूंकि छठी पंचवर्षीय योजना काल में प्रत्येक पंचायत समिति में प्राथमिकता के आधार पर 10 औषधालय करने का प्रावधान निश्चित किया गया है। जब कि वर्तमान में पिड़ावा पंचायत समिति में 12 आयुर्वेद एवं एक यूनानी चिकित्सा पद्धति का औषधालय पूर्व में ही संचालित है। अतः वर्ष 1979-80 में पिड़ावा विधानसभा क्षेत्र में आयुर्वेद अस्पताल खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

लाडपुरा एवं चेचट पंचायत समितियों में अध्यापकों की कमी

13. **श्री हरीश शर्मा** (रामगंज मण्डी) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) लाडपुरा एवं चेचट पंचायत समिति में कुल कितने प्राथमिक विद्यालय हैं तथा उनमें कितने छात्र हैं ? कृपया विद्यालयों के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही नहीं है कि छात्रों के अनुपात और विद्यालयों की संख्या को देखते हुए अध्यापकों की कमी महसूस की जा रही है ? दोनों पंचायत समितियों में कुल कितने अध्यापकों की कमी है ? कितने नवीन पद सृजन करने की आवश्यकता है ? वर्तमान में दोनों पंचायत समितियों में कितने अध्यापक कार्यरत हैं ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) पंचायत समिति लाडपुरा में 1:40 के अनुपात से पर्याप्त अध्यापक हैं। पं. स. चेचट में 23 अध्यापकों की कमी है। फलस्वरूप इतने ही नवीन पद सृजित किये जाने की आवश्यकता है। पंचायत समिति चेचट में 124 एवं लाड़पुरा में 152 अध्यापक कार्यरत हैं ?

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

ग्राम पंचायत कसार की पुरस्कार की राशि

14. **श्री हरीश शर्मा** (रामगंज मंडी) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है ग्राम पंचायत कसार सन् 1973 में अल्प बचत योजना के तहत प्रथम घोषित की गई थी ? यदि हां, तो क्या इसे 10,000.00 रुपये पुरस्कार देने की घोषणा राज्य सरकार ने की

(श्री हरीश शर्मा)

थी ? यदि हां, तो क्या उक्त पुरस्कार पंचायत कसार को दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं दिया गया ?

उत्तर

जी नहीं।

वर्ष 1973 में अल्प बचत विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों के लिए कोई प्रोत्साहन योजना स्वीकृत नहीं थी।

रामगंज मंडी में महाविद्यालय की स्थापना

15. **श्री हरीश शर्मा** (रामगंज मंडी) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) रामगंज मण्डी से प्रतिदिन कितने छात्र झालावाड़ महाविद्यालय में अध्ययन हेतु आते हैं ?

(2) रामगंज मंडी उप खण्ड में कुल कितने हायर सैकण्डरी एवं सैकण्डरी स्कूल हैं ?

(3) क्या उप खण्ड मुख्यालय रामगंज मंडी में महाविद्यालय की महती आवश्यकता है ? यदि हां, तो राज्य सरकार यहां कब तक महाविद्यालय की स्थापना करने जा जा रही है ?

उत्तर

(1) इसकी जानकारी विभाग को नहीं है क्योंकि इस प्रकार की अधिकारिक सूचना महाविद्यालयों या अन्य विद्यालयों में नहीं रखी जाती है।

(2) 4 हायर सैकण्डरी एवं 9 सैकण्डरी स्कूल हैं।

(3) जी नहीं।

कोटा जिले में खोले गये नये विद्यालय

16. **श्री हरीश शर्मा** (रामगंज मंडी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा जिले में कुल कितने सैकण्डरी, मिडिल, प्राथमिक विद्यालय सन् 1977 से अब तक कहां कहां खोले गये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या ग्रामीण अंचलों के सभी माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान, कला, वाणिज्य एवं कृषि विषय नहीं हैं ? यदि हां, तो कहां कहां कौन से विषय हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। कब तक राज्य सरकार इन स्थलों में सभी विषय खोलने में समर्थ होगी ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) कोटा जिले के ग्रामीण अंचल के माध्यमिक विद्यालयों में जो जो विषय चल रहे हैं उनका उल्लेख संलग्न सूची में कर दिया गया है। सभी विद्यालयों में सभी विषय खोलना सम्भव नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

कोटा महाविद्यालय में मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विषय खोलने का मामला

17. **श्री हरीश शर्मा** (रामगंज मण्डी): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या वाणिज्य महाविद्यालय कोटा को परीक्षा केन्द्र घोषित नहीं किया है ? यदि हां, तो क्यों नहीं ? कब तक सरकार इसकी घोषणा कर रही है ?

(2) वाणिज्य महाविद्यालय में क्या मॉस्टर्स ग्राफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स नहीं है ? क्या इस हेतु छात्र लम्बे समय से मांग करते आ रहे हैं ? यदि हां, तो राज्य सरकार कब से इस कोर्स को प्रारम्भ कर रही है ?

उत्तर

(1) परीक्षा केन्द्र खोलना विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में है।

(2) जी हां। ऐसी कोई स्पष्ट मांग प्राप्त नहीं हुई है।

राज्य हाउसिंग बोर्ड द्वारा वकीलों को दिया गया पारिश्रमिक

18. **श्री ईश्वरचन्द्र** (पिड़ावा) : क्या आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य हाउसिंग बोर्ड के कितने स्थायी वकील हैं ? नाम व उन्हें प्रतिमाह दिये जाने वाले पारिश्रमिक की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) 1 जनवरी, 78 से 31 अगस्त, 79 तक बोर्ड द्वारा किन-किन वकीलों को अपने मुकदमों की पैरवी के लिए नियुक्त किया गया व उन्हें कितनी राशि मेहनताना के रूप में दी गई ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) बोर्ड में किसी भी वकील की स्थाई नियुक्ति नहीं की गई है।

(2) दिनांक 1-1-78 से 31-8-78 तक बोर्ड ने विभिन्न शहरों में बोर्ड के विरुद्ध एवं बोर्ड की ओर से चलाये जा रहे वादों में निम्नलिखित वकीलों की नियुक्ति बोर्ड की ओर से पैरवी करने हेतु की गई है, जिनके नाम व उन्हें दिये गये पारिश्रमिक की राशि उनके नाम के आगे दर्शायी गई है, उसकी सूची संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशष्ट 6 देखें)

अजमेर रोड पुलिया के पास हरिजन बस्ती में लगी आग

19. **श्री शंकर लाल** (जैतारण) : क्या नगर आयोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 20-6-79 को जयपुर में अजमेर रोड पुलिया के पास हरिजन बस्ती में एजूकेशन ट्रस्ट के द्वारा आग लगाकर जमीन खाली कराने व पिंक सिटी हाउसिंग सोसायटी को बेचने की कार्यवाही की गई ?

(2) क्या राज्य सरकार द्वारा इस

(श्री शंकर लाल)
मामले में जांच की गई ? यदि हां, तो उसका क्या नतीजा रहा ?

(3) बस्ती में बसे गरीब हरिजनों को रहने हेतु क्या सुविधा उपलब्ध कराई गई ?

उत्तर

(1) इसका सम्बन्ध गृह-विभाग से है।

(2) इसका सम्बन्ध गृह-विभाग से है।

(3) यह मामला भू-स्वामी व हरिजनों के बीच का है, राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप इसमें नहीं है।

हलवाइयों से वसूल किये जाने वाला बिक्री कर

20 **श्री हरीश शर्मा** (रामगंज मंडी) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि हलवाइयों पर बिक्री कर की रुपये 30,000/– की राशि तक छूट है एवं इससे एक रुपये अधिक होने पर पूरी रकम पर बिक्री कर वसूल कर लिया जाता है ?

(2) क्या राज्य सरकार इस प्रस्ताव पर विचार करेगी कि हलवाइयों पर 30,0(0/- की छूट के बाद की रकम पर ही बिक्री कर वसूल करे ताकि हलवाइयों को राहत मिले ?

(3) इससे पूर्व हलवाइयों पर कितनी रकम तक बिक्री कर की छूट थी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। हलवाइयों पर 50,000/– रुपयों की वार्षिक बिक्री तक बिक्री कर नहीं लगता है।

(2) उपरोक्त उत्तर के प्रकाश में इस प्रस्ताव के विचार किये जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

(3) वर्ष 1972 से ही 50,000/– तक के विक्रय वाले हलवाई बिक्रीकर से कर मुक्त हैं।

कृषकों को कुओं पर दिये गये विद्युत कनेक्शन

21. **श्री रामेश्वर दयाल** (चौमूं) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में इस वर्ष कृषकों को कुओं पर कुल कितने कनेक्शन दिये गये हैं ? जिले एवं माहवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि चौमूं क्षेत्र में सामान के अभाव में कनेक्शन कतई कम जारी किये गये हैं ? अगर हां, तो इस वर्ष का लक्ष्य कब तक पूर्ण किया जावेगा ?

उत्तर

(1) वर्ष 1979-80 में माह जुलाई के अन्त तक राजस्थान में 3121 कृषि कुओं पर विद्युत कनेक्शन दिये गये हैं। जिलेवार एवं माहवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। निर्धारित लक्ष्य वित्तीय वर्ष के अन्त तक पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

नागौर व मूंडवा पंचायत समिति के ग्रामों का विद्युतीकरण

22. **श्री बंशी लाल सारस्वत** (नागौर) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नागौर और मूण्डवा पंचायत समिति में कितने ग्रामों में विद्युतीकरण हो चुका है ?

(2) इन पंचायत समितियों में कितने ग्रामों में पिछले ढाई वर्षों में विद्युतीकरण हुआ है ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति नागौर में 11 तथा मूण्डवा में 10 ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है।

(2) पिछले ढाई वर्ष में मूण्डवा पंचायत समिति के पांच ग्राम विद्युतीकृत हुए हैं। नागौर पंचायत समिति का कोई भी ग्राम इस अवधि में विद्युतीकृत नहीं हुआ है।

पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों का विद्युतीकरण

23. श्री **ईश्वरचंद्र** (पिड़ावा) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र के कितने गांवों में बिजली नहीं है ? सूची तहसीलवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त गांवों को कितने वर्षों में विद्युतीकृत कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र के 197 ग्रामों में बिजली नहीं है। तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) इस क्षेत्र में इन्फास्ट्रक्चर नहीं होने के कारण अभी निश्चित रूप से कहना संभव नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

11 के. वी. विद्युत लाइन से ग्रामों का विद्युतीकरण

24. **श्री ईश्वरचंद्र** (पिड़ावा) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या जिन ग्रामों की राजस्व सीमा में होकर 11 के. वी. की विद्युत लाइन निकली हुई है, उन ग्रामों को प्राथमिकता से बिजली देने की राज्य सरकार की नीति है ?

(2) झालावाड़ जिले के पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र में ऐसे कौन-कौन से ग्राम हैं जिनमें 11 के. वी. की विद्युत लाइन तो निकली हुई है पर वह गांव विद्युतीकृत नहीं हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उक्त गांवों को कब तक विद्युतीकृत कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) आर्थिक एवं तकनिकी रूप से साध्य पाई गई ऐसे ग्रामों के विद्युतीकरण

(विद्युत मंत्री)

की योजना पर उपलब्ध वित्तीय साधनों के आधार पर निर्णय लिया जाता है।

(2) उपलब्ध सूचनानुसार अभी ऐसे नौं ग्राम हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी है।

(3) इन्फ्रास्ट्रचर के अभाव में निश्चित रूप से इस सम्बन्ध में अभी कुछ कहना संभव नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

व्यवस्था का प्रश्न

अतारांकित प्रश्न के उत्तर की सम्बन्धित सदस्य को प्राप्ति

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मंडी) : मेरे दो अतारांकित प्रश्नों का उत्तर दिया गया है, वह यह है....

श्री अध्यक्ष : आप मंत्री महोदय से मिल लें।

श्री हरीश शर्मा : मेरे विशेषाधिकार का हनन हुआ है और साथ ही अपमान हुआ है।

(व्यवधान)

मैंने पूछा था कि क्या यह सही कि रामगंज मंडी तहसील में ग्राम खीमच; काल्याकुई, ब्राह्मा का छापरा, मोतीपुरा का पेयजल खारा एवं स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है ? यदि हां, तो राज्य सरकार इस बारे में क्या कदम उठा रही है ? जवाब बिल्कुल अधूरा है।

(व्यवधान)

इस बारे में कुछ नहीं बताया गया।

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न कीजिए।

श्री हरीश शर्मा : दूसरा मेरा सवाल था कोटा में महाविद्यालय के छात्र श्री विजय नारायण सक्सेना (सह सम्पादक जागृति) को कुछ लोगों ने मिलकर चाकू घोंप कर घायल कर दिया था। मेरे पास भी उनका समाचार पहुंचा है कि अगर तुमने कुछ कहा तो तुमको भी नहीं छोड़ेंगे। इस बारे में गृह मंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया और न सूची सदन की मेज पर रखी है। यह विशेषाधिकार का मामला है।

(व्यवधान)

इसी सम्पादक के बड़े भाई पर दिन दहाड़े 7-8 दिन पहले फिर चाकू से हमला किया, मैंने जानकारी मांगी....

श्री रघुनाथ विश्नोई : कौन से नियम के अन्तर्गत यह अलग किया जा रहा है ?

(व्यवधान)

श्री भंवर लाल ऐरन (नसीराबाद) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अतारांकित प्रश्नों का कोई उत्तर मंत्री महोदय की ओर से हमारे पास नहीं आता है। नियमों में प्रावधान है, अध्यक्ष महोदय, आप कृपया मंत्रि परिषद् से कहें। हमारे अतारांकित प्रश्नों के उत्तर नहीं आते हैं। मैंने खुद स्वायत्त शासन मंत्री से प्रश्न किया था उसका आज तक उत्तर नहीं आया है।

श्री हरीश शर्मा : दिन दहाड़े चाकू मारा और कुछ नहीं हुआ। मंत्री ने जवाब नहीं दिया और न सदन की मेज पर रिपोर्ट रखी। सदन की मेज पर रिपोर्ट पेश की जाए, यह पत्रकार का मामला है।

(व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखा जाने वाला पत्र। श्री ललित किशोर चतुर्वेदी।

श्री हरीश शर्मा : व्यवस्था दी जाए।

श्री अध्यक्ष : मेरे कक्ष में मिल लें।

(व्यवधान)।

सदन पटल पर रखा गया पत्र

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का आय-व्ययक अनुमान

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (विद्युत मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 की धारा 61 (3) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत मंडल का आय-व्ययक अनुमान 1979-80 सदन की मेज पर रखता हूं।

विधायी कार्य : विधेयक का पुनः स्थापन

राजस्थान मान्यता प्राप्त प्राइवेट शैक्षणिक संस्थाएं विधेयक, 1979

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य। पुरःस्थापित किया जाने वाला विधेयक। श्री भंवर लाल शर्मा।

श्री भंवर लाल शर्मा (शिक्षा मंत्री) : मैं राजस्थान मान्यता प्राप्त प्राइवेट शैक्षणिक संस्थाएं विधेयक, 1979 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान मान्यता प्राप्त प्राइवेट शैक्षणिक संस्थायें विधेयक, 1979 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री भंवर लाल शर्मा : मैं राजस्थान मान्यता प्राप्त प्राइवेट शैक्षणिक संस्थायें विधेयक, 1979 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री मूलचंद डागा : ये पुरःस्थापित कब तक होते रहेंगे ? पहले के भी बिल्स पड़े हुये हैं। यहां पर कई बिल्स पेश किए गए। ये विधेयक कब तक पारित करवा देंगे ? क्या सैशन का समय बढ़ाया है सरकार ने ? Government cannot answer this question.

श्री भंवर लाल शर्मा : अगर आप धैर्य रखेंगे तो हो जाएगा।

श्री लक्ष्मण सिंह (चित्तौडगढ) : जितने विधेयक सरकार ने अब तक पुरःस्थापित कर दिए हैं ? यह पुरःस्थापन की सीढ़ी पर ही विद्यमान है और उनको पास कराने के लिए सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर रही है। सरकार पुरःस्थापित करने की परम्परा पर भी गंभीरता से विचार करे। फोकट

(श्री लक्ष्मण सिंह)
में पुरःस्थापित करके फिर आगे कुछ नहीं हो, इसका क्या अर्थ ?

श्री अध्यक्ष : मन्त्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर बहस ।

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह मन्त्री परिषद हर प्रश्न पर मौन है । कम से कम सरकार को चाहिये कि 5 महीने बाद तो जवाब दे दे, बाबा कि आखिर यह बिल पास होंगे ।

श्री मथुरादास माथुर : इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा उधर से ।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, पिछले दो साल के कई बिल प्रस्तुत किये पड़े हैं लेकिन उनका कुछ नहीं हो रहा है। भिक्षावृत्ति का बिल सन् 1977 में इस सदन में पेश किया हुआ है उसका क्या हुआ । टिनेन्सी एक्ट कब यह सरकार पास करेगी ?

व्यवस्था का प्रश्न

राजस्थान राज्य विद्युत आय-व्ययक अनुसंधान पर विचार

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, आन ए पाइन्ट आफ आर्डर । अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर यह है कि अभी विद्युत मन्त्री जी ने राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का आय-व्ययक अनुमान, 1979-80 सदन की मेज पर रखा है । मेरा निवेदन है कि विद्युत विभाग की रिपोर्ट पर इस सदन में घन्टे या आधा घन्टे की बहस जरूर होनी चाहिए क्योंकि जब से यह बिजली बोर्ड बना है तब से बिजली में धान्धली हो रही है । खास-तौर से, अध्यक्ष महोदय, जब से यह बाढ़ एवं अकाल की समस्या शुरू हुई है तब से बिजली के बारे में और भी अधिक धान्धली हो गयी है । इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के बहस होने के बावजूद कुछ समय निकाल कर इस पर बहस होनी चाहिए ताकि किसानों को राहत मिल सके और हम राजस्थान की जनता का भला कर सकें। इसलिये मेरा निवेदन है कि सदन का समय निकाल कर विद्युत विभाग पर बहस होनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर बहस ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मेरे पाइन्ट आफ आर्डर का क्या हुआ अध्यक्ष महोदय ?

श्री अध्यक्ष : आप मेरे कक्ष में आकर मेरे से मिलिये ।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : It is no point of order. माथुर साहब आप इनके पास बैठे हैं क्या आपने इन्हें इतनी भी ट्रेनिंग नहीं दी की what is point of order.

वित्तीय समितियों के निर्वाचन का दुबारा कार्यक्रम

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आपके सचिवालय द्वारा जो बुलेटिन निकलता है उसमें विधान सभा की वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रस्ताव रखा गया ? उन समितियों के सदस्यों के लिये मनोनयन पत्र प्रस्तुत करने की

(श्री रामनारायण चौधरी)

तारीख व मनोनयन पत्रों की जांच व मनोनयन पत्रों को वापिस लेने और मतदान यदि आवश्यक हो तो उसकी व मतगणना की तारीख भी है। मान्यवर, पिछले विधान सभा के सत्र में इन समितियों के लिये मनोनयन पत्र दाखिल हो चुके थे। और उन मतदान पत्रों की जांच व गणना भी हो चुकी थी लेकिन चुनाव नहीं हो सके थे। अध्यक्ष महोदय, वह चुनाव इसलिये नहीं हो सके थे कि मुख्य मन्त्री महोदय ने सबरप्टली गवर्नर साहब को प्रेसराइज करके विधान सभा को स्थगित करा दिया था। यह एक व्यवस्था का प्रश्न है कि जब मनोनयन पत्र दाखिल पहले हो चुके थे और उनकी जांच भी हो चुकी थी, सिर्फ चुनाव ही नहीं हुए थे क्योंकि विधान सभा को अनुचित ढंग से से स्थगित करा दिया था। मेरा निवेदन है है कि उन मनोनयन पत्रों को राज्य सरकार किस आधार पर खारिज करा सकती है? यह सारा कार्यक्रम दुबारा कैसे हो सकता है? वह अगर होता है तो नियमों के विपरीत होता है। जब एक बार मनोनयन पत्र भर दिये गये, पूर्ण रूप से जांच हो गयी तो मेरा निवेदन है कि उन्हीं मनोनयन पत्रों के आधार पर ही पोलिंग होनी चाहिये। अगर दुबारा कराते हैं तो यह कानून गलत हो जायेगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप को एडवोकेट जनरल को बुलाकर इस पर कानूनी सलाह लेनी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के इतिहास में यह पहली बार हुआ है इसलिये आप इस पर अपनी व्यवस्था दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, जो मंडवा से आते हैं, ने जो पाइन्ट आफ आर्डर रखा है, उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि सत्र में जब इन वित्तीय समितियों के नामांकन पत्र प्रस्तुत किये गये थे उसके बाद में विधान सभा की कार्यवाही स्थगित हो गयी थी और जो पुरानी समितियां काम कर रही थीं वही काम करने लगीं। उन समितियों के वही सदस्य रहे जो पिछले सत्र में थे। अध्यक्ष महोदय ने उनका अपना अधिकार से ही कार्यकाल 6 माह के लिए बढ़ा दिया था। इस सत्र में दिनांक 24 को जब मैंने वित्तीय समितियों के निर्वाचन के संबंध में प्रस्ताव इस सदन में रखा तो सदन के सभी सदस्यों ने एक मत होकर उस प्रस्ताव को स्वीकार किया था उसके बाद में समझता हूं कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं रह जाता।

श्री मथुरा दास माथुर: अध्यक्ष महोदय, एक लीगल मामला है यह व्यवस्था का प्रश्न पेश किया है। अध्यक्ष महोदय, एक बार मनोनयन पत्र प्रस्तुत किये जा चुके और पत्रों की जांच भी हो चुकी तो चुनाव कराये जाने चाहिये थे। अगर विधान सभा स्थगित हो गयी तो भी उनकी सेंक्टिटी कायम रहती है। सदन के स्थगित होने से उनको समाप्त हुआ नहीं माना जा सकता। चूंकि उनकी कोई उम्र नहीं होती है इसलिए वह प्रस्ताव आज भी स्टेण्ड करते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: वह तो समाप्त हो गये।

श्री मथुरादास माथुर: वह समाप्त नहीं हुए। यह कानूनी मामला है। वह स्टेण्ड आज भी करते हैं। आप अपने रूल्स

(श्री मथुरादास माथुर)
ग्रॉफ प्रोसीजर एण्ड काण्डक्ट ग्रॉफ बिजनेस को देखें। उसके अनुसार उन्हीं मनोनयन पत्रों के अनुसार चुनाव होने चाहिये।

दूसरी बात यह है कि हम लोगों ने कमेटीज में काम किया। अध्यक्ष महोदय ने अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए हमारा पीरियड 6 महीनों के लिए एक्सटेन्ड किया था। अब नये चुनाव जो कराये जायें वह पुरानी जो लिस्ट बनी थी उन्हीं के अनुसार कराये जाये। अगर नहीं करांये जाते हैं तो इसमें लीगल फ्लो रह जायेगा। इसलिए ग्राप अपनी व्यवस्था दें, ग्रध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं इस बारे में अपनी राय दूंगा।

(व्यवधान)

श्री मथुरादास माथुर : उस समय समितियों के गठन के लिए तीन तीन बार टाइम को एक्सटेन्ड किया, कोई स्पेसिफिक डेट तय नहीं हुई थी ग्रौर सदन समाप्त हो गया।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ बिश्नोई : ग्रध्यक्ष महोदय, यह कानूनी मसला है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये। माननीय सदस्य विराजिये। ग्राप मेरी सुन लीजिये। मैं इस पर व्यवस्था दूंगा मैंने इस पर व्यवस्था देने के लिए इसको रिजर्व रख लिया। बाद में ग्राप लोगों के सामने सदन में व्यवस्था दे दूंगा।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ बिश्नोई : ग्रध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र में मुख्य मंत्री ने भी प्रस्ताव रखा था समितियों के निर्वाचन संबंधी, इस सत्र में भी समितियों के निर्वाचन के संबंध में प्रस्ताव रखा। पिछले बार तीन बार समय एक्सटेण्ड किया गया। कानूनी तौर से वह ग्राज भी वह नोमिनेशन स्टेण्ड करता है।

श्री ग्रध्यक्ष : मैंने निवेदन कर दिया ना माननीय सदस्य कि मैं इस पर व्यवस्था बाद में दे दूंगा।

(व्यवधान)

श्री रामेश्वर दयाल यादव : ग्रध्यक्ष महोदय, जब ग्राप इस पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर पर ग्रपनी व्यवस्था दें तो उसके साथ इस पर भी ग्रपनी व्यवस्था दें कि समितियों के निर्वाचन के संबंध बुलेटिन में मतदान गणना दिनांक 5-10-79 को रखी गयी है। जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट पेश हुई थी उसमें सदन की कार्यवाही ही दिनांक 4 ग्रक्टूबर तक चलने का दिया हुग्रा है। ग्रगर दिनांक 4 ग्रक्टूबर को विधान सभा की कार्यवाही स्थगित हो जाती है तो मतदान कब होगा? चार तारीख को होगा ग्रथवा पांच तारीख को? इस पर भी ग्रपनी व्यवस्था दें।

श्री शिवचरणसिंह (बयाना): ग्रध्यक्ष महोदय, चूंकि प्रेस नोमीनेशन्स भरे जा रहे हैं इसलिए पुराने नोमिनेशन पत्र खारिज माने जायेंगे ग्रौर नये मनोनयन पत्रों के ग्रनुसार ही समितियों के सदस्य निर्वाचित होंगे।

(व्यवधान)

श्री ग्रब्दुल ग्रजीज : ग्रापको तो मन्त्री बनाने की ख्वाहिश में हैं।

श्री भंवर लाल ऐरन : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप जब अपनी व्यवस्था दें तो इस मुद्दे पर भी ध्यान रखें कि पहले विधान सभा का सत्र स्थगित हो गया और चुनाव नहीं हो सके तो उन्हीं मनोनयन पत्रों के अनुसार चुनाव क्यों नहीं हो।

अविश्वास प्रस्ताव

मंत्री परिषद के विरूद्ध अप्रस्ताव पर विचार

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, अगर मुझे इजाजत दी जाये तो पहले मैं बोल लूं।

श्री अध्यक्ष : आपको घर जाना है तो पहले आप बोल लें।

श्री मदनसिंह दांता : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि....

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, बोलने वाले काफी हैं। समय निर्धारित होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : समय निर्धारित होगा।

श्री मूलचन्द डागा : कब होगा ?

श्री अध्यक्ष : 10 मिनट का समय प्रत्येक सदस्य को दिया जायेगा। आप बोलिये।

श्री मदनसिंह दांता (दांता रामगढ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात की तो मुझे खुशी है कि आज सम्पूर्ण देश की जो राजनैतिक स्थिति है, सम्पूर्ण देश की आर्थिक स्थिति है, सम्पूर्ण देश में जो आज अव्यवस्था हो रही है, अत्याचार, अन्याय और भ्रष्ट आचरण नेताओं के द्वारा किये गये हैं उससे देश आज इस स्थिति में खड़ा हुआ है कि आज देश के नागरिक को पता नहीं कि वह कौन सी पार्टी को चुनावों में वोट दे। यह गम्भीर मसला है। इस समुद्र मन्थन में शायद असेम्बली के फ्लोर में यह मालूम करना जरूरी है कि इस देश का नागरिक क्या चाहता है। इस देश के नागरिकों की वास्तविक जड़ कहां है। इसलिए अगर आप राजनीति के विशेषज्ञ हैं तो पहले सोचने का विषय यह है कि आज देश का नागरिक चाहे हिन्दु हो या मुस्लिम हो उसकी आस्था उसकी जड़, जाति में है। जाति की जड़ समाज में है, समाज की जड़ धर्म में है और धर्म की जड़ का आधार गुरु है। अगर यह चीज नहीं समझें और आप सेक्युलरिज्म का नारा लगायेंगे तो यह एक फ्राड है, यह अनर्थ हो रहा है। हम बाहर से कह रहे हैं सेक्युलर हैं लेकिन जब वोट लेने जाते हैं, जातियों के नुमाइन्दों के पास जाते हैं एक एजेन्ट के रूप में काम करते हैं। चाहे वह हिन्दू हो, चाहे वह मुसलमान हो, चाहे वह जाट हो या राजपूत हो उसके पास हमारे नेता लोग जाकर कहते हैं कि बोलिये ठाकुर साहब आपकी जेब में कितने वोट हैं। कितनी बोतलें दारु की चाहिए। वह कहते हैं कि पूरा नागौर मेरे पास है। कालवी साहब से चन्द्रशेखर भी पूछे कि आपके राजपूत कितने हैं तो वह भी कहते हैं कि सारे राजपूत मेरी पाकेट में हैं। इस तरह की राजनीति है कि धर्म को छोड़कर सेक्युलरिज्म के नाम पर, जातिवाद के ऊपर यह राजनेता समाज के ऊपर छा रहे हैं। इसलिए मेरी पार्टी, जो कि जन जागरण पार्टी है और जिसके मुट्ठीभर सदस्य हैं, कहते हैं भारत की राजनीति समाज पर आधारित

(श्री मदनसिंह दांता)
होगी, राजनीति पर आधारित समाज नहीं होगी।

दुःख का विषय है कि अगर आज में शादी करता हूं, मोसर करता हूं क्या खाता पीता हूं इसके लिये राजनैतिक कानून बनाते हैं। चाहे हिन्दू कोड हो या खाने-पीने का कानून हो यह इतने छा गये हैं कि आज की जाति, धर्म इन राजनैतिक लोगों के चंगुल में आ चुका है। यह कैसे तोड़ा जाये ? इस को तोड़ने का तरीका यही है कि यहां की राजनीति है वह समाज नियंत्रित राजनीति होनी चाहिए। राजनीति नियंत्रित समाज नहीं होना चाहिए। इस गुरु को किस ने पहचाना ? इसको पहचाना एक पार्टी ने जिसमें आर. एस. एस. और जनसंघ है। उसने इस गुर को पहचाना कि भारत के नागरिकों की जड़ कहां है। समाज में है, धर्म में है, गुरु में है। जो जर्मनी से फासिस्ट आर्गेनाइजेशन. का एक सबक सीख कर भारत में से अंग्रेजों को निकालने के लिए आये थे उन्होंने अपना काम पूरा किया। इस पार्टी को वहीं समाप्त कर देना चाहिए था लेकिन भारत के नागरिकों की जड़ गुरु हैं। इस गुरु प्रथा चलाने के लिए वह भारत में अपना राज करना चाहते थे। वह राज क्या है ? उसकी नीति क्या है ? उसका क्या धर्म है वह नहीं बताया। कुछ ही दिन, पहले मुझे दुःख है, संघ के नेता ने आवाज दी कि दस साल में जाकर इस सम्पूर्ण भारत को केप्चर करेंगे किस के लिए, हिन्दी राष्ट्र के लिए, आए संघ को हिन्दू समझते हैं तो हिन्दू का अपमान है। हिन्दू की व्याख्या हमारे जो पीठ के शंकराचार्य हैं वह जानते हैं। कौन से शंकराचार्य ने यह अधिकार दिया है ? किस ने कहा कि यह हिन्दू संगठन है। अगर एक भी पीठ के शंकराचार्य ने हिन्दू की व्याख्या दी हो तो मैं स्वागत करता लेकिन यह वह आर्गेनाइजेशन है जो कि अंग्रेजों को भगाने के लिए जर्मन भेजा था और वही इस देश का मालिक बन गया। इसने हर राजनैतिक पार्टी को भ्रष्ट बनाया। मेरा चार्ज यह है, मैं आर्मी को छोड़कर सन् 48 में आया, राम राज्य परिषद् को उठाने आया तो यही आर. एस. एस के लोग मिले। इनसे मेरी बात हुई और आवाज राष्ट्र के लिए उठाई। मैं नजदीक में गया। जिस समय राम राज्य परिषद अपने ऊंचे स्तर पर था उस समय इन्होंने जनसंघ का निर्माण किया। उसको मुझे प्रेसीडेन्ट बनाया और राम राज्य परिषद् को खतम कराया।

(12.28 म.प.)

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

उन्होंने कहा कि यह पण्डों की संस्था है। मैं प्रेसीडेंट बना। मैंने कई जगह शपथ ग्रहण की कि इस कांग्रेस को हटाने के लिए मैं आजीवन संकल्प लेता हूं। यह शपथ मैंने अम्बाला में ली और अलवर में ली। जब मैं इस पार्टी के ऊपर था तो इसकी जड़ काटी गयी। उस समय राम राज्य परिषद् को निश्चित रूप से एक देश के नाते चुनावों के समय कुछ सीटें बांटीं। इनका आर्गेनाइजेशन इतना घमण्ड करता है, एक रात में इस राम राज्य परिषद् को खतम किया। उसके बाद में यहां विधान सभा में इनके लोग आये। इसी तरह जब स्वतंत्र पार्टी उभरी, यह बीच में आये।

(32)

(श्री मदन सिंह दांता)

बीच में आकर महारानी गायत्रीदेवी को खतम किया। जाट और राजपूत का संगठन था उसको खतम किया। 1977 में सम्पूर्ण पार्टी को लेकर जे.पी. बाबू का नाम लेकर सारा आर्गेनाइजेशन बनाया जिसमें, महारावल साहब, आप भी थे। सब को लेकर डूब गये। मैं आज अकेला कांग्रेस का मुकाबला कर रहा हूं। उस समय के नेता डुबो कर गये। वे भ्रष्ट कांग्रेसियों से निकले हैं। जगजीवन राम भ्रष्ट कांग्रेसी हैं। हिन्दू राष्ट्र लाना चाहते हैं। यह पार्टी खतरनाक है। महारावल साहब, आपने सब कुछ बातें कीं।

हिन्दुस्तान में किस तरह से राजनीति चल रही है उनको हमने बाहर पत्रों से सुना, रेडियो से सुना, अधमरे सांप को नहीं मारा, आज मैं मारूंगा। आपको मालूम है फर्स्ट वार में जर्मनी में क्या हुआ। यह जर्मनी का अधमरा सांप फिर डसेगा। यहां भारत में डसने आया है। एक मोर्चा बनाइये। कोई भी केन्डीडेट इस जनता पार्टी के खिलाफ लड़ता है आप वहां अपना केन्डीडेट मत खड़ा करिये। चाहे इन्दिरा का राज गया, चाहे आपका राज जाय यह राज कर लेंगे। इनके पास एक ऐसी, आर्गेनाइजेशन है जिसमें शक्ति तो नहीं है। उसमें बनिये हैं डण्डा दिखाओ तो वे भाग जायेंगे, परन्तु आर्गेनाइजेशन है, निश्चित रूप से आर्गेनाइजेशन है। इस आर्गेनाइजेशन में यह जो बच्चे बैठे हैं मेरे सामने ये हैं, इनको पता नहीं है आर. एस. एस. क्या है ? आर. एस. एस. के दो भाग हैं। सर संघ चालक हैं उनको पता है देश में कौन-सी रेल उड़वानी है, देश में कहां गड़बड़ करनी है। वह जानते हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस कैसे जीते हैं। वकील यहां बैठे हैं अगर मर्डर के सभी केस हाई कोर्ट में जाते हैं तो जज एकदम सजा नहीं देते हैं, कारण और काज पूछते हैं। इसलिये यह कौन हैं, यह क्या करते हैं, इनको मालूम नहीं हो सकता। इनकी आर्गेनाइजेशन है वह कोई कागज पर नहीं है। इनका गुरु है। वह क्या कहता है वह जजेज को पता नहीं। इनको लखनऊ जाना है, गुरु ने कहा दस्ती रूमाल डालना है, दस्ती रूमाल डालेंगे। इनको पता नहीं पड़ता यह क्यों कर रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दांता साहब, यह आप शोध कार्य पर चर्चा कर रहे हैं या अविश्वास के प्रस्ताव पर....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अविश्वास प्रस्ताव का स्कोप बहुत बड़ा है।

श्री मदन सिंह दांता : मैं समझ गया। अगर मैं यह नहीं कहूंगा इनके क्या कारनामें हैं तो अविश्वास का प्रस्ताव गिरेगा। इसमें कई मैम्बर ऐसे भी हैं रतनलाल जी जैसे जिनको पता नहीं है आर. एस. एस. क्या है, राष्ट्रभक्त हैं। इनसे कहना चाहता हूं इससे बाहर निकलिये। इसके बाहर बहुत मुश्किल से निकल सकते हैं। बाहर निकलने वालों की मौतें भी हुई हैं....

श्री रतन लाल वर्मा : मुझे भी दो शब्द कहने पड़ेंगे। हम तो गांव से निकल कर विधान सभा में आ गये। उनका क्या होगा जो इधर से निकल कर उधर चले गये। जनता के साथ विश्वासघात किया। जनता पार्टी के टिकट पर जीतकर आये और आज सामने बैठकर बोल रहे हैं....

(श्री रतनलाल वर्मा)

(व्यवधान)

हम जनता पार्टी के सदस्य हैं और सदस्य रहेंगे। जनता ने चुनकर भेजा है, वहीं रहेंगे....

(व्यवधान)

आपने ढोंग रचा होगा....

श्री श्योपत सिंह मकासर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा, मुख्य मन्त्री जी से कहूंगा कि यह अपने सूरमाओं को संभाल कर रखें....

श्री रतनलाल वर्मा : आप खुद तो संभल जाओ....

श्री श्योपत सिंह मकासर : यह सूरमा खड़े हैं।

श्री रतनलाल वर्मा : मेरा नाम लिया गया है, इसलिये खड़ा हूं....

(व्यवधान)

श्री श्योपत सिंह मकासर : इस्तीफा दे दो....

श्री रतन लाल वर्मा : इस्तीफा क्यों दें दें....

(व्यवधान)

श्री बहादुर सिंह (नौहर) : जनता पार्टी की कृपा से यहां आये हैं....

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : व्यक्तिगत किसी के खिलाफ न बोलें। इनको राजनीति से कोई मतलब नहीं है। उनके लिये अनर्गल बात कहना....

श्री मदन सिंह दांता : मैं आपसे माफी चाहता हूं आप चुप रहिये।

श्री रतनलाल वर्मा : आप सरकार के खिलाफ बोलिये, आर. एस. एस. के खिलाफ नहीं।

श्री श्योपत सिंह मकासर : आप क्यों भूत लाये हैं....

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : दुनिया भर का ढोंग कर रहे हैं।

श्री श्योपत सिंह मकासर : आप क्या लगते हैं आर. एस. एस. के बाप हो क्या ?

श्री रतनलाल वर्मा : हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है।

श्री श्योपत सिंह मकासर : XXX बन्द रहे।

श्री रतनलाल वर्मा : होश में रहो....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वर्मा जी, शांत रहें। मेरा सुझाव है ज्यादा जोश में न आवें।

श्री मदन सिंह दांता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय माननीय रतन लाल जी को

XXX शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री मदनसिंह दांता)

जो कुछ मैंने कहा है वह मैं शब्द वापस लेता हूं कि वे गरीब फंसे हुए हैं। आप फंसे हुए नहीं हैं, आप मेम्बर नहीं हैं और मैं मानता हूं आप चरित्रवान व्यक्ति हैं। मैं जानता हूं मैं 20 साल से फंसा हुआ हूं किन्तु आज चार्ज लगाता हूं। आपकी अन्तर आत्मा हो तो इधर आकर वोट दे देना।

(व्यवधान)

अब भैरोंसिह जी शेखावत साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी फौज को कन्ट्रोल में रखे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा था कि जनसंघ और आर. एस. एस. दो आर्गेनाइजेशन हैं। जिसमें से एक आर्गेनाइजेशन को कुछ पता नहीं है उनका काम केवल गुरूजी की आज्ञा मानना। वह अपने आपको हिन्दू समझते हैं और कहीं हो-हल्ला हो जाता है तो महाराणा प्रताप और रानी झांसी की तस्वीर लेकर इंधर-उधर घूमते हैं। उन्हें पता नहीं हम कहां बैठे हुए हैं। इसलिए इस चुनाव के पहले मैं उस आर्गेनाइजेशन से निकलना चाहता हूं। मैं कहता हूं कि यदि तुम सच्चे हिन्दू के लड़के हो तो शंकराचार्य के पग पकड़ो-जनसंघ के नहीं, जिसकी कोई नीति नहीं है। They have no principles. Education without character. और इनकी जो अर्थव्यवस्था है उसमें भी मौरेलिटी नहीं है....

(व्यवधान)

तुम बोलने दो तब न? तुम भी तो इन्हीं के खान-दान में फंसे हुए हो। इन्दिरा की डिक्टेटरशिप से कभी [एस] में मिलते हो तो कभी (आई) में मिलते हो....

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे मेरे प्रस्ताव की पूर्ति नहीं करने देते हैं।

आज देश को फैसला करना पड़ेगा। तीन आदमी आवाज दे रहे हैं एक तो भ्रष्ट नेता हैं जो जगजीवन राम जी हैं, दूसरे आदरणीय चरण सिंह जी हैं जिनको भ्रष्ट तो नहीं कहूंगा पर उनमें भी कमजोरी है। उनका यह मानना है कि मैं पैदा ही इसलिए हुआ हूं कि भारत का प्रधान मंत्री बनूं। देसाई साहब ने नेहरू के समय में आग लगाई ताकि वह प्रधान मन्त्री बनें। इस प्रधान मन्त्री पद के लिए देश के टुकड़े हुए। आज देश के नेता कहते हैं कि भारत का प्रधान मन्त्री तीन व्यक्तियों में से हो सकता है और कोई नहीं हो सकता है इसलिए कांग्रेस के सपूतों और कम्यूनिस्ट इनको लेकर डूब जावो ताकि चौथा नहीं हो जो खड़ा हो और कोई अच्छा सपूत आ जाय अगर जाग्रति नहीं आई तो चुनाव के बाद मेरी घोषणा है 100 सीटें तो इन्दिरा की आयेंगी, 35 इनकी आयेंगी, और इनकी आयेगी। एक-दो हमारे जैसे आयेंगे....

श्री खेत सिंह राठौड़ : 350 आयेंगी।

श्री मदन सिंह दांता : दो वर्ष पहले भी मैं रोया था अगर भारत की रक्षा करनी है तो सम्पूर्ण पार्टियां मिलकर एक संगठन बनावें। अच्छे अच्छे जजेज हैं जो यहां बैठे हुए हैं लेकिन आपने नहीं मानी। आज

(श्री मदनसिंह दांता)

संगठन बना रहे हैं, जब भारत डूब रहा है। मैं दो साल पहले कहता था। मैं भी 10-20 साल से फंसा रहा हूं। आपको इस पर विचार करना होगा, भारतवर्ष का शासन कैसा हो मेरा निवेदन है कि आपको यह भी मालूम करना पड़ेगा कि पाकिस्तान के टुकड़े क्यों हुए ? गान्धी जी के शिष्य जिन्ना भी थे उनको किसी ने यह कहने के लिए उकसाया कि हम यहां के हिन्दुओं के साथ नहीं रह सकते हैं। उस समय यही नेकर वाले छेड़छाड़ करने लगे थे। इन्होंने छेड़छाड़ की मुस्लिमों से और भारत की अखंडता का नारा लगाया। इस छेड़छाड़ी के कारण माउन्टबेटन ने लिखा है जिनको हमने परसों संवेदना दी थी जिनके बाडी गार्ड में मैं भी था, को कहने का एक मौका मिला जिन्ना को कि अलग पाकिस्तान बनायें, अब वह पाकिस्तान अलग बन गया तो फिर सेक्यूलरिज्म कहां ?

श्री हरि सिंह : आप उधर मुखातिब होकर कहें।

श्री मदन सिंह दांता : मैं तो आपको भी कह रहा हूं, आप भी यदि नहीं समझेंगे तो आपकी भी वही दुर्दशा होगी जो श्रीमती इन्दिरा गांधी की हुई है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपकी पार्टी को तो जगनसिंह ने जिताया है।

(व्यवधान)

श्री मदन सिंह दांता : जगन सिंह ने रिट की है। शेखावत साहब को मालूम है कि उसने जिताया है या मैं जीता हूं।

श्री खेत सिंह राठौड़ : आप तो इन्टर-नेशनल टोपिक पर बोल रहे थे।

श्री मदन सिंह दांता : आप तो राजपूत सभा के आन्दोलन से भाग कर आये हो।

श्री खेत सिंह राठौड़ : अरे रहने दे ठाकर में तेरे से कम नहीं हूं।

श्री मदन सिंह दांता : ठाकर ठाकर क्या कहते हो।

(व्यवधान)

श्री खेत सिंह राठौड़ : ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। राम राज्य का एजिटेशन हुआ था उस समय हिन्दू कोड बिल पास हुआ था तब मारवाड़ से बुला बुला कर दिल्ली ले गये थे। मैं जाकर वापस ले आया और इनका एजिटेशन फैल करवा दिया इसलिये बोल रहे हैं।

श्री किशन सिंह भाटी : माननीय खेत सिंह जी ने बड़े असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया है, इसलिए उन शब्दों को कार्यवाही से निकालना चाहिये।

श्री मदनसिंह दांता : ठाकर ठाकर क्या कहते हो ठाकर तो वह है जो ठहाका करता है और राजा वह है जो राज्य करता है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, उन शब्दों को कार्यवाही से निकालना चाहिये।

श्री खेत सिंह राठौड़ : ठाकर अब कहां हैं, वह तो भूतपूर्व हैं।

श्री मदन सिंह दांता : आप भी अब नहीं हैं।

श्री खेत सिंह राठौड़ : नहीं हैं....

श्री मदन सिंह दांता : तो फिर क्यों बोलते हो ? आपकी बेवकूफी की हंसी है। आपकी तरफ देखूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं जो तथ्य कहे हैं वे सही हैं ये किससे अधिकार लेकर आये थे कि मुझे इस तरह कहें।

खेत सिंह राठौड़ : तू यार इस पर बोल नी....

(व्यवधान)

श्री ईश्वरचन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, ये कैसे सरकार बनायेंगे ?

श्री रतना राम चौधरी : यह विधान सभा है या ठाकरों का अखाड़ा है।

श्री मदन सिंह दांता : मैंने थोड़े ही कहा है। खैर, ठाकर ठाकर से यार तो हुआ।

श्री हरि सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो सदन की गरिमा के लिए बताना चाहता हूं कि खेत सिंह जी क्यों नहीं ठाकर हो सकते हैं जब भैरोंसिंह जी ठाकर हैं।

श्री खेत सिंह राठौड़ : न तो मैं ठाकर हूं और न भैरोंसिंह जी हैं। अब ये भी ठाकर नहीं हैं क्योंकि इनके ठिकाने नहीं रहे हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : पावर में होते हैं वे ही सब ठाकर होने लग जाते हैं यही तो परम्परा है इस राजस्थान की।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दांता साहब, आपका समय बहुत कम बचा है, संक्षेप में कह दें।

श्री मदन सिंह दांता : उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरे प्रति न्याय नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं इस असेम्बली को दो-तीन दिनों में छोड़ कर जा रहा हूं। मैं इसके पास नहीं रह सकता हूं। मुझे जनता ने इसलिए वोट नहीं दिये, आप लोगों को भी इसलिए वोट नहीं दिये कि इस तरह से बैठकर कर कोई बात नहीं सुन सकते। कोई क्वेश्चन आवर में बात नहीं सुनते। यहां पर भारत की राजनीति को ठीक करने के लिए आए हैं और इनका स्तर यह है। क्या ये जीत सकेंगे ? नहीं जीतेंगे। ये असेम्बली भंग इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ये जानते हैं कि भंग करने वाले का मुंह काला हो जायेगा। असेम्बली छोड़ कर जायेंगे तो क्या हालत होगी ? यह भी पाप है। नेताओं को आगे करेंगे नहीं, कैसी कैसी हरकतें होंगी। मैं चाहता था, उपाध्यक्ष महोदय, कि सेक्यूलरिज्म होगा। हिन्दुस्तान से जातिवाद को मिटायेंगे और सेक्यूलरिज्म लायेंगे। सेक्यूलरिज्म वहां पर होगा जहां पर हिन्दू और मुसलमान एक जगह पर रहते हैं। एक ओर मुसलमानों को निकाल दिया और बाकी में सेक्यूलरिज्म लाना चाहते हैं। हिन्दू जहां होंगे वे हिन्दू राष्ट्र के लिए कहेंगे। सिक्ख कहेंगे सिक्ख राष्ट्र के लिए, बंगाली कहेंगे बंगाली राष्ट्र के लिए, कारण एक भाई को धर्म के नाम पर आपने अलग कर दिया। एक भाई एक घर में मस्जिद बनाना चाहता है, मन्दिर बनाना चाहता है तो नहीं बनाने देंगे। यह कांग्रेस का सेक्यूलरिज्म। हमारी जीत कितनी हुई कि भारत-पाकिस्तान का विभाजन कर दिया। वहां पाकि-

(श्री मदनसिंह दांता)

स्तान में मरते कटते हैं लेकिन वहां पर डिसिप्लीन तो है वहां एक चोर को सजा होती है, बदमाश को सजा होती है और अपने देश के अन्दर कोई भी अगर धर्म स्थापित करता है, अगर आज आप राज चलाते हैं तो जो आपने प्रजातन्त्र का नाम लिया है, उपाध्यक्ष महोदय, अगर इस वक्त भारत की जनता जागरूक नहीं हुई तो मेरा यह कहना है इन पार्टियों से कि आप क्यों नहीं जाग्रत होते हैं ? क्यों नेताओं की पूंछ पकड़ रखी है। व्यक्तिवाद इस वक्त इतना छा गया है, व्यक्तिवाद के पीछे आज जातिवाद फिर आ गया है। इसलिए जो छोटी सी संस्था का कार्यक्रम है देश को आगे बढ़ाने का और वह जन जागरण जाति जमात, जिसमें जाट, राजपूत, ब्राह्मण, अहीर, गूजर सब हैं। इनके केंडीडेट वह सलेक्ट करेगी और मैं सीकर से खड़ा हुआ हूं तो यह पूछेगी मुसलमान से, हिन्दू से, जाट से, बलाई से कि यह आदमी कैसा है ? माथुर साहब कैसे हैं, कुम्भाराम जी कैसे हैं ? वे जाकर बीकानेर में पूछेंगे जैसे लड़की की शादी के लिए पूछते हैं। जैसे लड़के के लिए गांव में पूछते हैं वैसे ही इन राजनीतिज्ञों के लिए पूछेंगे यह पहला विश्व में संगठन होगा। चाहे बीस वर्ष लगें, सौ वर्ष लगें लेकिन फिर यह सही प्रजातांत्रिक प्रणाली होगी। प्रजातांत्रिक ढंग की सबसे सुन्दर एक चुनाव की पद्धति है, जिसको महात्मा गांधी भी चाहते थे, वह यह जनजागरण की होगी। इसलिए हम कहते हैं कि बगैर जनजागरण के प्रजातंत्र षड्यंत्र है, षड्यंत्र है, षड्यंत्र है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री माणकलाल ठाकौर।

(व्यवधान)

श्री मदन सिंह दांता : आप समर्थन तो करते हो, इनको खतम क्यों नहीं करते। इससे आपका इरादा पूरा नहीं होगा, क्योंकि ये जो उठ कर इधर आ गए हैं, 55-57 ये वहां चले जायेंगे, फिर गवर्नमेंट गिरेगी। इसलिए जड़ से काट कर ही क्यों नहीं फेंक देते ? कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल 74 में कहा है। फिर रिक्वेस्ट करेंगे, गवर्नर के पास जाकर रिक्वेस्ट करेंगे, गवर्नर साहब को भेजेंगे और कहेंगे। फिर वे काम चलाऊ सरकार को कहेंगे कि राज्य की यह सरकार समाप्त हो।

श्री उपाध्यक्ष : श्री माणकलाल ठाकौर।

श्री माणक लाल ठाकौर (नैनवा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अविश्वास प्रस्ताव हमारे सामने है। प्रस्ताव इस प्रकार का जो रखा जाता है, उसके दो मकसद होते हैं। एक मकसद तो यह होता है कि किसी सरकार को अपदस्थ किया जावे और उसके स्थान पर दूसरी सरकार बनाई जावे और इसका दूसरा मकसद यह भी हुआ करता है कि अविश्वास का प्रस्ताव रखा जावे और उस प्रस्ताव के सहारे, उसकी आड़ में सरकार की जो नीतियां हैं, विरोधी पक्ष के अनुसार उसकी कमियां हैं उसको जनता के समक्ष रखा जावे और शासन पक्ष का जो दल है, जो सत्ताधारी दल है उसको मौका मिले कि वह सरकार की उपलब्धियों को बतावे। पिछले ढाई वर्ष की जनता सरकार

(श्री माणकलाल ठाकौर)

के शासनकाल के अन्तर्गत अभी तक विरोधी पक्ष की ओर से कोई अविश्वास का प्रस्ताव नहीं रखा गया। इसका मतलब यह है कि प्रस्ताव रखने वालों की जो मंशा थी वह केवल औपचारिक मंशा नहीं थी, केवल प्रचारात्मक नहीं था प्रस्ताव बल्कि उनकी मंशा यह थी कि शेखावत सरकार को गिराया जावे। इस बात की उनकी मंशा थी। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन कर देना चाहता हूं चूंकि उनकी यह मंशा थी कि राजस्थान विधान सभा के इस प्रांगण के अन्दर यह देखा जावे, यह पता चलाया जावे कि विधान सभा के सदस्यों का बहुमत किस ओर है और इसका पता चला कर अगर बहुमत हो तो फिर सरकार को गिरा दिया जावे। बहुमत नहीं है तो इस सरकार को बदल दिया जावे। तो मैं निवेदन करूंगा चूंकि यह जन्यूजन प्रस्ताव था, आपका नो कांफिडेंस मोशन चूंकि केवल प्रचार के लिए नहीं था और आपने देखा कि परसों से लेकर कल तक तीन बार मतदान हुए, एक बार मतदान में जनता पार्टी को 106 मत प्राप्त हुए और विपक्ष को 75 मत प्राप्त हुए····

श्री नत्थीसिंह : 77 वोट।

श्री माणकलाल ठाकौर : दूसरी बार 113 मत प्राप्त हुए और विपक्ष को 75 मत प्राप्त हुए और तीसरी बार जनता पार्टी को 114 मत प्राप्त हुए और विपक्ष को केवल 74 मत प्राप्त हुए····

(व्यवधान)

श्री नत्थीसिंह : 77 मत प्राप्त हुए हैं।

श्री माणकलाल ठाकौर : एक आध की गलती हो सकती है। कृपया मेरे इन्टेंशन को समझने की चेष्टा करें।

श्री जयकृष्ण शर्मा : हम तो समझे हुए हैं, आपको पता नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सदस्य, करैक्ट करें। 74 नहीं 77 हैं।

श्री माणकलाल ठाकौर : आप मान लें····

श्री जयकृष्ण शर्मा : आपको ही पता नहीं था।

श्री नत्थीसिंह : असलियत तो 28 को मालूम पड़ेगी।

श्री माणकलाल ठाकौर : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि तीन बार मतदान होने के पश्चात् इस राजस्थान विधान सभा के अन्दर यह साबित हो गया है कि शेखावत मन्त्रिमण्डल को भारी बहुमत प्राप्त है और विश्वास का मत शेखावत, हमारे नेता को प्राप्त हो गया है और आपका जो प्रस्ताव है वह गिर गया है। इसलिए अब केवल प्रचार की खातिर, प्रचार करने के लिए आप लोग जो दो दिन का समय लेना चाहते हैं वह हमको और आपको मुबारिक होगा, यह मैं मान कर चलता हूं। क्योंकि निर्णय हो चुका है और हमारे शेखावत साहब को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके पक्ष में विश्वास का मत प्राप्त हो गया है और हमारे विरोधी भाइयों का अविश्वास प्रस्ताव भारी बहुमत से गिर चुका है।

(श्री माणक लाल ठाकोर)

अब में दूसरी बात आप लोगों के सामने, आपके समक्ष कहना चाहता हूं, शायद में यह मानता हूं कि आप लोग उसको सुनना पसन्द नहीं करेंगे, जो बात आपके खिलाफ है, जो आपके हृदय में चुभने वाली बात है, जो आपको पीड़ा पहुंचाने वाली बात है उसको आप कैसे सुनेंगे, यह स्वाभाविक है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हम तो सुन लेंगे, आप कहिये।

श्री माणकलाल ठाकोर : बहिनजी तो बहुत सहनशील हैं, सुन लेंगी लेकिन आपके साथ जो भाई आए हैं वे शायद नहीं सुन सकेंगे। मैं शंका इसलिए करता हूं कि थोड़ी कटु बात कहता हूं में कटु बात कहने का आदी नहीं हूं यथार्थ बात कहने का आदी हूं इसलिए शायद चुभ जावे····

मैं यह कहना चाहता हूं कि जो प्रस्ताव है।

(व्यवधान)

उस पर मतदान किया जाए। यह पक्ष, विपक्ष में जाए इसके दो पहलू हैं। हमारी भारत की जनता ने विशेष रूप से राजस्थान की जनता ने 1977 के आम चुनाव में, विधान सभा के आम चुनाव में जो मतदान किया वह जातिवाद के आधार पर नहीं किया। वह मतदान किसी जातिवाद, के राजपूतवाद के आधार पर नहीं किया गया, वह मतदान राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, धर्म निरपेक्षता या मुस्लिम आधार पर नहीं किया गया अथवा अन्य किसी कारण से नहीं हुआ था। परन्तु जनता ने मतदान करके जनता पार्टी को यहां पर लाकर बिठा दिया। इसका एक कारण था और वह कारण यह था कि राजस्थान को कौनसा रास्ता चुनना है ? प्रजातन्त्र को चुनना है, लोकतन्त्र को चुनना है या अलोकतन्त्र को चुनना है ? हिन्दुस्तान को क्या पसन्द है ? अखबारों की आजादी, अखबारों की स्वतन्त्रता ? क्या हमारे राजस्थान के निवासियों को आपातकालीन स्थिति जो श्रीमती इन्दिरा गांधी ने लगाई, जिसके तहत अखबारों का गला घोंट दिया गया था, जिस प्रकार राजस्थान के अन्दर अन्य लोगों को, हमारे देश के अन्य भागों को मीसा का कानून लगा कर सैंकड़ों हजारों निरपराध लोगों को जेल के अन्दर बिठा दिया गया था, जिस प्रकार से पूरे राजस्थान को कैदखाना बना दिया गया था, भयंकर ज्यादातियां की गई थीं, उन ज्यादतियों के आधार पर जनता ने जो निर्णय दिया –एक तरफ वह यूनाइटेड कांग्रेस थी जो यह मानती थी कि श्रीमती इन्दिरागांधी ने जो आपात स्थिति लगाई थी, वह ठीक थी वह यह मानती थीं कि अखबारों के ऊपर जो सेंसरशिप लगाई गई थी वह ठीक थी। उन दिनों में जिन लोगों को जेल भेजा गया था, वे फासिस्ट थे। जिन विरोधियों को जेल में डाला गया था वे तानाशाही थे, वे देश में तानाशाही लाना चाहते थे दूसरी तरफ वे लोग थे जिन्होंने यह कहा था कि देश में जो आपातकालीन स्थिति लगाई गई है, वह गलत है और वे इस हिन्दुस्तान को इन्दिरा गांधी की इस तथाकथित तानाशाही से मुक्त करना चाहते हैं। जनता का इस पर निर्णय सामने आया और इसलिए जनता पार्टी का निर्माण हुआ। पांच पार्टियां मिल कर

(श्री माणकलाल ठाकौर)

कर जनता पार्टी बनी चाहे वह जनसंघ हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे वह भारतीय लोकदल हो। इन सब ने मिलकर जनता पार्टी का निर्माण किया। आपने देखा है, राजस्थान की जनता ने निर्णय दिया है, फैसला दिया है। यह फैसला राजस्थान की सबसे बड़ी अदालत ने, राजस्थान की सार्वभौम अदालत जनता ने दिया है और निर्णय दिया कि श्रीमती इन्दिरा गांधी गलत है। उन्होंने जो आपातकालीन स्थिति लगायी थी वह गलत थी। उसी कारण से, उसी आधार पर श्रीमती इन्दिरा गांधी और उनकी संस्था को जनता ने परास्त किया और नयी जनता पार्टी को जनता ने बनाया। कितने समय के लिए ? पांच साल के लिए ? इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि जो लोग, जो व्यक्ति, जो कि हमारे भाई हैं, वे आज भी हमारे भाई हैं हमारे साथी हैं, जो हम से नाराज होकर, हमारी सरकारी से नाराज होकर उधर बैठ गये हैं। मैं उनको गद्दार नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि उनकी भी कुर्बानियां हैं। जनता पार्टी के निर्माण में उन्होंने भी सहयोग किया है। इसलिए मैं श्री राजनारायण जी के लिए गद्दार जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा और न ही मैं श्री थानवी श्री बजरंगलालजी शर्मा के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करूंगा लेकिन यह अवश्य कहना चाहूंगा कि आपकी जनता ने जो निर्णय दिया था, जनता पार्टी के नाम पर हजारों वोटों से आपको जिताया था, जिस जनता ने आपको चुन कर इधर बिठाया उस जनता के साथ क्या आपने यह सही निर्णय किया है? यह आपने सही निर्णय नहीं किया है। आपने जनता के साथ विश्वासघात किया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो आपने विश्वासघात किया है उस विश्वासघात का क्या नतीजा हुआ ? विरोधी दल के नेता महोदय, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप अपनी अन्तरात्मा से पूछें। प्रोफेसर केदार नाथ जिनका कि एक महान इतिहास है, जो त्यागी व्यक्ति हैं, मैं उन से भी यह निवेदन करना चाहता हूं कि जनता ने आपको इसलिए चुना था, इसलिए वोट दिया था कि आप श्रीमती इन्दिरा गांधी, भूतपूर्व प्रधानमन्त्री को जो एक तानाशाह थीं और आज भी तानाशाह के रूप में सामने आ रही हैं, आप उनको ताकत पहुंचावें, परोक्ष में, अपरोक्ष में। माननीय चरणसिंह जी, माननीय राजनारायणजी ने यह करके उसको ताकत पहुंचाई है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हरियाणा में आपकी सरकार क्या कर रही है ?

श्री माणक लाल ठाकौर : माननीय सदस्या कोई बात कहूंगा तो आपके साथी नाराज हो जाएंगे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप चुनौती देंगें तो हमारा कर्तव्य है कि आपकी बात का खण्डन करें। तानाशाह का कौन सहयोग ले रहा है। हरियाणा में आपकी पार्टी ने क्या किया है ?

श्री माणकलाल ठाकौर : अध्यक्ष महोदय, लोग दल बदल करते हैं परन्तु माननीय

(श्री माणकलाल ठाकोर)

सदस्य ने तो अपनी बात को भी बदल दिया। हिन्दुस्तान के अन्दर दल बदल हो सकता है। पार्टी को बदल कर दूसरी तरफ जाकर बैठते हैं लेकिन आपने तो बात को ही बदल दिया।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग आज हमसे नाराज होकर दूसरे पक्ष में जाकर बैठ गये हैं, उनकी नीयत के बारे में मुझे कोई शक नहीं है लेकिन यह अवश्य कहना चाहता हूं कि उनका जो आचरण है····

(व्यवधान)

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

पांच मिनट।

वह इस प्रकार का है, वह इस ढंग का है जिसके कारण उसी तानाशाह को एक शक्तिशाली नेता के रूप में लाकर खड़ा कर दिया है। जिसके खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था, जो लोगों को यह बता रहे थे कि इस देश से तानाशाही को खतम करना है, इस देश के अन्दर लोकतन्त्र को पुनः स्थापित करना है, उसी खतरे को वापस जीवित कर दिया है। इसलिए, महारावल साहब, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह आपने घोर पाप किया है, जनता के साथ विश्वासघात किया है। जनता अब आपका विश्वास नहीं करेगी, उस आपातकालीन स्थिति में जिनको पीड़ा पहुंची थी, जो वास्तव में लोकतन्त्र के प्रेमी थे, अखबारों की आजादी के हिमायती थे, जो हिन्दुस्तान में लोकतन्त्र चाहते थे, उनको आपके इस कदम से पीड़ा पहुंची है और मैं समझता हूं कि आपकी अन्तरात्मा में भी घुटन आवश्यक हो रही है।

जहां तक जनता सरकार की उपलब्धियों का प्रश्न है, मैं यह कहना चाहा हूं कि समय कम है, मेरे बाद में जनता पार्टी के जो वक्ता बोलेंगे, उन पर यह छोड़ देना चाहता हूं परन्तु फिर भी इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि जनता पार्टी के शासन के अन्दर काम हुआ है। आप यह देखें, आप सब मानते हैं, मैं वे काम गिनाऊंगा जिसको आप और हम स्वीकार करते हैं। माननीय खेतसिंह जी स्वीकार करते हैं। शिक्षा जगत के अन्दर जितने स्कूल्स खोले गये हैं, मैं उनके आंकड़े अध्यक्ष महोदय, समय की कमी के कारण नहीं दे सकता परन्तु इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि पिछले तीन साल के शासन के अन्दर जितने माध्यमिक विद्यालय खोले गये थे उतने माध्यमिक विद्यालय जनता शासन ने ढाई साल में खोले हैं।

मैं आपसे कहना चाहता हूं इन दो सालों में जितने स्कूल खोले गये और जो राज्य सरकार की नीति है उसके अनुसार 5 हजार नये अध्यापकों को रोजी मिलेगी। जहां तक पक्षपात का सवाल है। पक्षपात का मैं उदाहरण दूं, मैं कहता हूं आपके समय में, श्री खेतसिंहजी साहब, मेरे नैनवा क्षेत्र 10 हजार की आबादी वाले गांव में जहां पर पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज होना चाहिए था, वहां पर सैकेण्डरी स्कूल तक नहीं रखा और सैंकड़ों ऐसे गांव हैं जहां पर आपके पक्षपात की काली कहानी लिखी हुई है और फिर आप सरकार पर आरोप लगाते हैं।

(श्री माणकलाल ठाकोर)

जहां तक अन्त्योदय का प्रश्न है। यह जो स्कीम है आज बात को बदल सकते हैं तो बदलने में कोई देरी नहीं लगती, माननीय विरोधी दल के नेता ने कहा था कि यह अन्त्योदय की योजना जो सरकार ने चलाई है ···

श्री खेतसिंह राठौड़ : कब कहा था? एक दफा हम शांत रहे इसका यह मतलब नहीं कि हमने कभी नहीं कहा कि आपकी यह योजना बड़ी कामयाब रही है। जहां तक स्कूलों का प्रश्न है, जब मैं शिक्षा मन्त्री था तो 19 हजार स्कूल थे और 1700 हाई स्कूल थे, उस वक्त भी 98 लाख रुपये का बजट था।

(व्यवधान)

श्री माणकलाल ठाकोर : आज हिन्दुस्तान में एक नया आविष्कार, एक नया चमत्कार हमारी जनता पार्टी ने अन्त्योदय योजना का रखा है···

(व्यवधान)

गरीब गांवों में आप जाकर देखें····

(व्यवधान)

(व्यवस्था-सूचक घण्टी)

वरना पहले की नीति क्या थी। बेरी आयोग का मामला सामने है। बेरी आयोग के प्रतिवेदन में यह स्पष्ट है, इसमें यह लिखा है कि किस तरह लोगों को जमीनें दी गई। किस तरह से उनका स्थानान्तरण अवैध रूप से किया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं बेरी आयोग के प्रतिवेदन में––श्रीमती पुष्पा पत्नी श्री मन्नालाल गोयल, राजेन्द्र प्रसाद, ललिता प्रसाद, माननीय श्री मोहनलाल जी सुखाड़िया, परसराम जी मदेरणा की पार्टी ···

श्री मूलचन्द डागा : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

(व्यवधान)

श्री माणकलाल ठाकोर : मैं कहूंगा, मुझे कहने का अधिकार है। डागा साहब, मैं आपके कहने से नहीं रुकूंगा। श्रीमती नर्मदा देवी।

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी (मन्त्री, संसदीय कार्य) : डागा साहब, बैठ जाइये, टाइम खराब न कीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, पाइन्ट आफ आर्डर सुनिये।

व्यवस्था का प्रश्न

आयोग का प्रतिवेदन जिस पर सरकार ने निर्णय नहीं लिया हो का उल्लेख

श्री मूलचन्द डागा : बेरी आयोग की रिपोर्ट आज तक सदन के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुई न हमको कभी मुख्य मन्त्री महोदय ने ··

श्री ईश्वरचन्द्र : यह तो अभी छपी है, उपाध्यक्ष महोदय।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : आप सुन नहीं सकते। मैं कांग्रेस में बराबर रहूंगा।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है मैं उसके सपोर्ट में निवेदन करना चाहता हूं कि कमीशन की इन्क्वायरी रिपोर्ट पहले सरकार के पास जाती है। सरकार पहले रिपोर्ट पर निर्णय लेती है। क्या बेरी आयोग में जितने मामलों का उल्लेख माननीय सदस्य कर रहे हैं उन पर रिपोर्ट सरकार को दे दी गई है? आप बेरी आयोग की रिपोर्ट पढ़ रहे हैं या शिकायत पढ़ रहे हैं? अगर शिकायत है तो उसके सम्बन्ध में भी मैं निवेदन करूं आयोग के सामने जो मामले हैं उनका उत्तर क्या आया, यह सभी, उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने आना चाहिये। अभी बेरी आयोग की रिपोर्ट ही नहीं आई, ये कहां से ले आये?

श्री हरीश शर्मा : कहीं से ला सकते हैं इसके बारे में आप पूछ नहीं सकते।

श्री उपाध्यक्ष : डागा साहब, जो पाइन्ट आपने रेज किया है कि जो मेटर बेरी आयोग के सामने था उसकी रिपोर्ट दे दी है उसके बारे में....

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : अभी रिपोर्ट दी ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : डागा साहब, शायद देख लिजिये नियमों में प्रावधान है ऐसे विषय जिन पर कोई निर्णय नहीं लिया हो, पर शायद चर्चा नहीं हो सकती लेकिन किसी कमीशन ने ऐसा कोई निर्णय दे दिया है तो उसका रेफरेंस लिया जा सकता है। आप देख लीजिये नियमों में....

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो जनता पार्टी के अध्यक्ष से लेकर माननीय ठाकौर तक हर एक ने अपना जन्म सिद्ध अधिकार मान रखा है कि किसी भी आयोग की रिपोर्ट को इससे पहले कि सरकार उसे पब्लिश करे, जनता के सामने रखे, ये रिपोर्ट कहां से प्राप्त करते हैं। पहले सरकार का उस पर हक है। इसी प्रकार गुप्ता आयोग की रिपोर्ट चन्द्रशेखरजी उठा लाये। और आज भेरोंसिंह जी की गद्दी है इसलिए ठाकौर उठा लाये रिपोर्ट को। कमीशन की रिपोर्ट जब तक कि सरकार को प्राप्त नहीं होती, सरकार उसे पब्लिश नहीं करती एक कांफिडेंशियल डाकूमेंट है जो शील्ड तरीके से कमीशन सरकार को देता है। इसलिये जब तक उसे सरकार पब्लिश करना मुनासिब नहीं समझें तब तक वह एक कांफिडेंशियल डाकूमेंट है पब्लिक डाकूमेंट नहीं है जिसकी न तो कोई प्रतिलिपि प्राप्त कर सकता है और न अधिकृत तरीके से प्राप्त किये बिना सदन में उसका जिक्र किया जा सकता है।

श्री मदनसिंह दांता : एम. एल. ए. ला सकता है। आप उसको पाबन्द नहीं कर सकते।

श्री उपाध्यक्ष : माणकलालजी आप अपनी चर्चा जारी रखिये और जल्दी समाप्त कीजिये।

(44)

श्री बजरंगलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैंने मुख्य मन्त्री महोदय से निवेदन किया। वह इस सदन को बतायें, इससे पहले कि बात कोई आगे बढ़े, आया इस प्रकार की रिपोर्ट उनको प्राप्त हो गई है, क्या उनके द्वारा माणकलाल ठाकौर ने प्राप्त की है या उन्होंने किसी अन्य तरीके से हथिया ली है? यह सदन को गुमराह कर रहे हैं। सदन में गलत बयानी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। इतना बड़ा प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री रघुनन्दन व्यास : जिस प्रकार से एक पत्रकार से पूछने का यह अधिकार नहीं है कि यह खबर कहां से लाये उसी प्रकार से एक एम. एल. ए. से पूछने का अधिकार नहीं है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पहले आप जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। यह कार्यवाही करने की इच्छा नहीं रखते हैं।

श्री माणकलाल ठाकौर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय बजरंगलाल जी शर्मा से निवेदन करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि मुझे राजस्थान सरकार के किसी मन्त्री ने कोई रिपोर्ट नहीं दी है। मैं स्वयं पढ़ा लिखा आदमी हूं। मैंने अखबारों में यह खबर पढ़ी है। क्या अखबारों में खबर पढ़ना मना है? यह मैंने अखबार में पढ़ा है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : आप अपने नेता का अनुकरण करके गलत बयानी क्यों कर रहे हैं।

श्रीमती उजला आरोड़ा : क्या इस प्रकार से माननीय सदस्य बार-बार बीच में बाधा दे सकते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : बेरी आयोग की रिपोर्ट आपके पास है?

(व्यवधान)

श्रीमती उजला आरोड़ा : यह किस प्रकार से बोलते हैं।

(व्यवधान)

आप जो चाहें वह आरोप लगाते हैं। आपको मालूम हो जाएगा।

श्री ईश्वरचन्द्र : आप तो एक में ही घबरा गये हैं। अभी तो 16 रिपोर्टस् पड़ी हैं। इस सदन में बता देंगे।

(व्यवधान)

श्री माणकलाल ठाकौर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बेरी आयोग की रिपोर्ट पर डिस्कशन्स करें या नहीं, सवाल यह नहीं है। जिन लोगों को जमीन मिली।

श्री ईश्वरचन्द्र : बेरी आयोग की खुली सुनवाई है।

(व्यवधान)

(45)

श्रीमती उजला अरोड़ा : जमीन जाने का सवाल है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मुझे मालूम है। आप बहुत अक्लमन्द हैं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : सुमित्राजी आपका नाम नहीं है।

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जमीन को भैरोंसिंह सरकार का मुख्य पाइन्ट बनाया गया है। माननीय सदस्य, यह ध्यान होना चाहिए कि यह जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है। यहां पहले वाली सरकार के खिलाफ वाली बातें कैसे उठा सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आपको यह ध्यान होगा कि यहां यह कहा गया था कि अविश्वास प्रस्ताव का स्कोप बहुत लम्बा-चौड़ा है।

श्री सुमित्रा सिंह : ठीक है। बहुत व्यापक क्षेत्र है। जरा इतना बता दें कि बेरी आयोग की रिपोर्ट पर सरकार ने क्या किया है।

श्री ईश्वरचन्द्र : सरकार जवाब देगी तब सुन लीजिएगा।

मन्त्रि परिषद् के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार

श्री माणकलाल ठाकौर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से भूमि हस्तगत की है। श्री सुरेन्द्रकुमार पुत्र श्री भीखाभाई ने जमीन ली है। उनको एक फार्म सांगानेर में मिला है। किस प्रकार से और किस रूप से उनको यह मिली है। मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं, क्योंकि इसमें आपको तकलीफ है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : हमें कोई तकलीफ नहीं है।

श्री माणकलाल ठाकौर : राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमन्त्री और अब तो मैं कहूंगा आप सब के नेता, केदार साहब के भी नेता माननीय मोहनलाल सुखाड़िया ने जघन्य पाप करके वह जमीन ली है जिसमें गरीब बेवायें और गरीब किसान रहते थे। सुखाड़िया ने वह जमीन अपनी पत्नी, बेटों और पोतों के नाम से ली है। अपने रिश्तेदारों के नाम पर ली है। सेठ लोगों के नाम का रघुनाथपुरा में फार्म है। मुख्य मन्त्री शेखावत साहब ने वह जमीन हड़प की है। अपने मुख्य मन्त्री पन को।

कई माननीय सदस्य : मोहनलाल सुखाड़िया कहो।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आपने खुद ने जमीन बेच दी है। वह जमीन क्यों नहीं ली है।

(व्यवधान)

चाहे वह मोहनलाल सुखाड़िया हों चाहे वह हरिदेव जोशी, किंग आफ करप्शन हो।

(व्यवधान)

(46)

आप इस सरकार में बैठे हुए हैं। यह भ्रष्टाचारी सरकार है।

श्री रतनलाल वर्मा : यह कैसे हो सकता है।

(व्यवधान)

अगर आप यह साबित कर दें तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। नहीं तो आप दे दें।

(व्यवधान)

श्री श्योपत सिंह मकासर : नहीं, नहीं, यह 420 है।

श्री रतनलाल वर्मा : यह साबित कर दें तो मैं इस्तीफा दे दूंगा।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला आरोड़ा : बैरी कमीशन की रिपोर्ट तो जब आये तब आयगी, लेकिन शोभाराम कमेटी की रिपोर्ट तो इनके सामने थी।

श्री माणकलाल ठाकौर : कोलायत से आने वाले माननीय विधायक ने जो प्रश्न खड़ा किया है।

श्री अध्यक्ष : आप तो अपना भाषण जारी रखिये।

श्री माणकलाल ठाकौर : रघुनाथपुरा फार्म में श्री मोहनलाल सुखाड़िया ने गरीब भूमिहीनों को बेदखल करके सैकड़ों एकड़ भूमि पर नाजायज कब्जा किया था, उस नाजायज कब्जे को हटाने के लिए और उस भूमि को गरीब भूमिहीनों को दिलाने के लिए, उस भूमि को उनसे मुक्त कराने के लिए, माननीय वर्तमान राजस्व मन्त्रीजी श्री पुरषोत्तमजी मन्त्री की अध्यक्षता में पचास व्यक्तियों ने आन्दोलन किया और बून्दी में जेल गए, वही आज राजस्व मन्त्रीजी हैं इसलिए माननीय गुप्ता साहब ने जो प्रश्न उठाया है वह बहुत जिनाइन है, मैं यह चाहूंगा कि इसके बारे में कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री श्योपतसिंह मकासर : हम तो यह सोच रहे थे आप कहोगे कि जब्त कर ली गई है। खोदा पहाड़ निकली चूहिया।

(व्यवधान)

श्री माणकलाल ठाकौर : जनता पार्टी की नीति मुख्य मन्त्रीजी, मन्त्रीजी, मन्त्री, उनके बेटे पोतों, सेठ साहूकारों को भूमि दिलाने की नहीं है, हमारी नीति छगना, देवा और पेमा या गरीब आदमियों को दिलाने की है। जहां तक काम के बदले अनाज

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

योजना का सवाल है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इससे गांवों में क्रांति आई है और विकास हो रहा है, पंचायतों को अधिकार दिए गए हैं। माननीय विरोधी दल के नेता ने कहा कि उनको अधिकार नहीं हैं, पहले उनको पांच रुपये खर्च करने का अधिकार नहीं था, आज वे सात हजार तक के काम करवा सकती हैं, उनको आर्थिक सहायता मिल रही है। आप उन तत्वों को किस प्रकार निगल सकते हैं। केवल नाराज होकर उधर बैठ जाने से कुछ नहीं होने वाला है।

श्री नवरंगसिंह : यह दिन आपके लिए भी आने वाला है।

श्री माणकलाल ठाकोर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा जो आरोप लगाया जा रहा है, जो भूतपूर्व समाजवादी बैठे हुए हैं, जो जनता पार्टी में हैं, उन पर आरोप लगाया जा रहा है, कि आर. एस. एस. की गोद में हैं, जनसंघ में चले गए। मैं यह पूछना चाहता हूं आप धोती में गए थे या पाजामा में गए थे, जब महारावल साहब और केदारजी और बजरंगलालजी ने आकर भेरोंसिंहजी को मुख्य मन्त्री बनाया था।

(व्यवधान)

और आप लोग इस कुर्सी पर बिराजमान हुए थे। आप हिन्दू और मुसलमान की बात को बढ़ावा देते हैं, जो जनसंघी बैठे हुए हैं, जाट और राजपूत की बात करते हैं, आप कर सकते हैं, हम नहीं सोचेंगे ऐसा, हम सब एक हैं और हममें एकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं वह बात आप कर सकते हैं, जनता पार्टी के अन्दर इस आधार पर निर्णय नहीं लिया जायगा। आज कहते हैं कि भरतपुर में रामकिशन जी चाहते हैं कि जाटों का हुल्ला लगाओ, इसलिए चरणसिंहजी प्रधान मन्त्री बन गए। वहां जातिवाद नहीं है ? इस तरह से जाटवाद, गूजरवाद, मीणावाद मत फैलाओ।

(व्यवधान)

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

तारीख 28 को मतदान होगा उस समय आपकी आंखें फट जायेंगी और आप सही रास्ते पर आ जायेंगे।

धन्यवाद सुमित्रा बहनजी को विशेष तौर पर धन्यवाद जिन्होंने शांतिपूर्वक सुना।

श्री नवनीत पालीवाल (नाथद्वारा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निश्चित रूप से यह मानना है कि यह सरकार इस सदन का विश्वास खो चुकी है, यह सरकार इस प्रदेश का विश्वास खो चुकी है, विश्वास खोने के लिए 6 महिने काफी होते हैं। मेरा यह मान कर चलना है कि, उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार विश्वास खो चुकी है, इस सदन का विश्वास खो चुकी है, इस प्रदेश का विश्वास खो चुकी है, साथियों का विश्वास खो चुकी है, श्रमिकों का विश्वास खो चुकी है, अध्यापकों का विश्वास खो चुकी है, सारे प्रदेश का विश्वास खो चुकी है और नैतिक रूप से 6 महीने पहले विश्वास खो चुकी थी जब 109 माननीय सदस्यों ने यह बात मद्यनिषेध की नीति से असहमति व्यक्त की थी इससे स्पष्ट है, हम सहमत नहीं थे। सदन का विश्वास प्राप्त करने की हिम्मत मुख्य मन्त्रीजी में नहीं थी, खिसककर चले गए। आप नारेबाजी करते हैं, दल-बदल की बात करते हैं हमें इस पर एतराज नहीं है, हम सत्ता और प्रलोभन को छोड़कर आए हैं।

श्री एच. एन. शर्मा : हल्दी घाटी याद करो।

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन : इमर्जेन्सी में कहां थे, श्रीमान्।

श्री नवनीत पालीवाल : दल-बदल की बात, मैं तो राजस्थान सरकार के मन्त्रियों की बात—

एक माननीय सदस्य : स्कूल की भूमि की बात।

श्री नवनीत पालीवाल : आपकी बुराई के लिए में इतने नीचे स्तर पर नहीं जाऊंगा, हालांकि मैं हर एक की बात, हर एक के बारे में जानता हूं। आदमी की कीमत बढ़ गई इस जनता पार्टी के राज में। अगर मैंने कोई गलती की है तो आप कार्यवाही करिये और जिस तरह से आपने मेरे बारे में खर्चा प्रकाशित कराया है तो हर मन्त्री का भी प्रकाशित करावें और जब नियमों में प्रावधान है तो मुझे अधिकार है और मैंने व्यय किया।

और मन्त्रियों के बारे में भी जानकारी दीजिए। सरकारी हवाई जहाज का हिसाब दीजिए, जोधपुर हाउस का हिसाब दीजिए। तुलनात्मक दृष्टि से दीजिए ताकि राजस्थान की जनता और सदन को मालूम पड़े कि किसने कितना खर्चा किया तो मैं विश्वासपूर्वक कहता हूं कि जो कार्यवाही मेरे खिलाफ होगी वह मुझे स्वीकार होगी। ये ही वे कारण हैं कि जनता पार्टी का विघटन हो गया। आपने जो घटकवाद फैला रखा है उसका ही परिणाम है कि जनता पार्टी का विघटन हुआ है। मैं मुख्य सचेतक था, मेरे ऊपर कालिख पोती, जो जनता पार्टी के सदस्य उपाध्यक्ष हैं उनके खिलाफ आरोप लगा रहे हैं, जो लोग आपके साथ हैं। जो लोग आपकी चापलूसी करते हैं, आप उन पर खामोश रहते हैं। आप यू. आई. टी., बोर्डों व कमीशन्स की नियुक्तियों में देखिए। मुख्य मन्त्रीजी, क्या एक भी मुसलमान, हरिजन, आदिवासी योग्य नहीं था जिसकी बोर्ड में नियुक्ति करें। जहां भी आपने नियुक्तियां की हैं, आपने जाति विशेष को देखा है, अपने घटक को देखा है। आज आप चिल्ला रहे हैं, आपके पापों के कारण विघटन हुआ है। आपने और हमने गांधीजी की समाधि के सामने शपथ खाई थी, हमने जनता को लोकतन्त्र का वचन दिया था, आज किसी का पालन नहीं हो रहा है। लोकतन्त्र की मर्यादाओं के पालन का एक सवाल ही नहीं है। मुख्य मन्त्री ने 9 अप्रेल, 1979 को जिस तरह से विधान सभा का सत्रावसान कराया, यह लोकतन्त्र की मर्यादा नहीं है। जो जनता पार्टी आज उस तरफ बैठी है वह जब जनता के सामने आई थी, उस रूप में नहीं थी। उस दिन मा० आदित्येन्द्र, महारावल साहब, प्रोफेसर केदार, डाक्टर हरिसिंह उनके साथ थे, भूतपूर्व स्वतन्त्र पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, संगठन कांग्रेस के लोग थे, जो आपका साथ छोड़कर गए हैं।

(व्यवधान)

मैं पूरी स्थिति बता सकता हूं।

श्री कौशल किशोर जैन : जनता पार्टी शुद्ध हो गई। जनता पार्टी का कचरा निकल गया।

श्री नवनीत पालीवाल : तुम लोगों का इतिहास मुझे मालूम है, बोलने का मुझे अधिकार है, मैं बोलूगा। उस समय तो मैं बोल नहीं सकता था आज तो बोलूंगा। आपने क्या नहीं किया ? राजस्थान में जिस

(श्री नवनीत पालीवाल)

तरह के काम आपने किए, आपको दिखाना चाहता हूं। आज चारों ओर भय है, आप अपनी सरकार से पूछें कि नारायण चतुर्वेदी की हत्या कैसे हुई ? श्री गुरुदयाल सिंह संधु की हत्या कैसे हुई, कोटा में साम्यवादी कार्यकर्त्ता की मौत। यह कौनसे शासन का तरीका है ? मुख्य मन्त्री, गृह मन्त्री आप श्री काशी नाथ गुप्ता के खिलाफ मुकदमे करने बैठे हैं, श्री नाथूराम जो आपसे असहमत हैं, उनके खिलाफ, श्री डूंगाराम के खिलाफ कार्यवाही कर सकते हैं, गंगानगर के कार्यकर्त्ताओं को पकड़ सकते हैं।

(व्यवधान)

लेकिन आप अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर सकते। कदम-कदम पर हिंसा हो रही है, तीनों विश्वविद्यालय हिंसा की आग में जल रहे हैं। हर जगह अशांति, अराजकता, डकैती जिस तरह से इस शासन में चल रही है उसके बाद कौन कह सकता है कि यहां शांति है ? जिस दिन 9 विधायक जनता पार्टी से त्यागपत्र देकर इधर आए थे, मुख्य मन्त्री ने इसको दल बदल कहा। जो प्रगतिशील और कांग्रेस आई से आपके पास आए तो उनको भी आप दलबदलू कहते हैं ? सत्ता पक्ष में जाने वाला दलबदलू होता है।

हम आहभी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम।
वह कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती।।

(व्यवधान)

समाजवादी मित्रों, आज जनसंघ की विचारधारा की दृष्टि से आप साथ बैठे हैं, जो सरकारें बनती हैं बिगड़ती हैं उसके पीछे कुछ नार्म्स होते हैं, नियम होते हैं उनकी तरफ सोचें। लोहिया ने कहा था सुधरो या टूटो। आप सरकार को सुधार नहीं पाए, आपका उद्देश्य है सत्ता से चिपको। किसी दिन आप देखेंगे कि समाजवाद के बजाय खास लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। सच्चाई यह है कि जनसंघी चड्डी में आपका यह समाजवादी नाड़ा किसी दिन टूट गया तो क्या होगा ? मैं उन आरोपों की चर्चा नहीं करता जो जनता-एस के अध्यक्ष श्री राज नारायण ने आपके विरुद्ध राष्ट्रपति को पेश किए। वह व्यापक है। श्री माणक लाल ठाकौर ने भ्रष्टाचार की चर्चा की। कांग्रेस में भ्रष्टाचार था, जनता पार्टी में भ्रष्टाचार नहीं है ? उस भ्रष्टाचार को भी कबूल करना पड़ेगा।

श्री लक्ष्मणसिंह : जनता पार्टी में भ्रष्टाचार नहीं है, शिष्टाचार है।

श्री नवनीत पालीवाल : कृषि मन्त्री ने इसी सदन में आश्वासन दिया था। माथुर साहब व डागाजी ने एक सवाल उठाया था। उदयपुर विश्वविद्यालय की स्थिति कैसी है ? गृह विज्ञान कॉलेज में एक प्राध्यापिका ने 8-10 दिन पहले आत्म-हत्या करली। उस कालेज में वातावरण तनावपूर्ण है। डीन की नियुक्ति करके समस्या सुलझाई नहीं जाती। आज भूख हड़तालें हो रही हैं, आत्म हत्यायें हो रही हैं, हिंसक संघर्ष हो रहे हैं। आदिवासी आपसे परेशान हैं। बार-बार आप कहते हैं कि आदिवासियों का आपने हित किया। आज भी अभाव और काल की स्थिति में खास तबके को छोड़कर किसी का भला आपने नहीं किया। आदिवासियों की

(श्री नवनीत पालीवाल)

तरफ ध्यान देने की यदि कोशिश नहीं की तो हिंसात्मक कार्यवाही पर आमादा हो जायेंगे। उदयपुर जिले में घटनायें हो चुकी हैं। इसका अच्छा असर नहीं होता। एक सफल सरकार का प्रमाण है सुरक्षा, शांति व व्यवस्था। जो सरकार यह नहीं कर सकती वह वास्तव में सरकार नहीं है। आपके नेता ही ने चण्डीगढ़ में कहा था। भ्रष्टाचार का स्वरूप जगजीवन राम हैं आज आप उनके नेतृत्व में बैठे हैं।

(व्यवधान)

जगजीवनराम ही हरिजनों के पिछड़ेपन के जिम्मेदार हैं और इन बातों में कोई सार नहीं है कि हम किधर गए। जनता पार्टी भी इसी तरह बनी थी। मैं राजस्थान के मुख्य मन्त्री को बताना चाहूंगा कि देश में जनता पार्टी का जो विघटन हुआ उसकी भूमिका आपने तैयार की। अगर जनता संसदीय दल ने हरियाणा और राजस्थान के साथ समान व्यवहार किया होता, अगर श्री देवीलाल के पीछे नहीं पड़ते और श्री भैरोंसिंह की सुरक्षा नहीं की होती तो आज जनता पार्टी नहीं टूटती। आज तानाशाही की बात कहते हैं, चारों तरफ सभी के साथ आपने जिस तरह से सुलूक किया उसका यह परिणाम है। अब भी सम्भल जाओ, जनता पार्टी के लोगों में त्याग था, जिन तकलीफों में जनता पार्टी का निर्माण हुआ।

श्री कौशल किशोर जैन : आप कहां थे? आप तो उस वक्त बम्बई की सैर कर रहे थे। आज बोल रहे हो।

श्री नवनीत पालीवाल : आप लोगों के घटक के कारण ही जनता पार्टी टूटी है।

श्री कौशल किशोर जैन : जनता पार्टी आप लोगों की वजह से टूटी क्योंकि आप बम्बई में बैठे सैर कर रहे थे।

(व्यवधान)

श्री दांताराम : अरे आपको तो भगवान ने बचाया।

श्री नवनीत पालीवाल : आप ज्यादा मत बोलो ज्यादा बोलना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। तबीयत बिगड़ जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा यहां अभी थोड़े समय पहले राजस्थान में बाढ़ आई उस वक्त हमारे मुख्य मन्त्री जी यहां पर नहीं थे। लेकिन जब गुजरात में मौरवी में बाढ़ आई तो गुजरात सरकार के मुख्य मन्त्री अपना सारा काम छोड़कर अपने सेक्रेटेरियट के लोगों को लेकर मौरवी में जाकर बैठ गये। उन्होंने गांधी नगर छोड़ दिया, उन्होंने अहमदाबाद छोड़ दिया पर हमारे मुख्य मन्त्री उस वक्त दिल्ली में जाकर बैठ गये वह बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में नहीं गये जहां पर बाढ़ आई थी। उपाध्यक्ष महोदय, जहां पर 500-500 लाशें बह कर जा रही थीं। उपाध्यक्ष महोदय, जब जोधपुर सम्भाग में बाढ़ आई लोगों में तबाही मच रही थी गांव के गांव बह गये पर हमारे मुख्य मन्त्री जी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। मुख्य मन्त्री जी जोधपुर हाउस में बैठे बैठे टी० वी० पर दिल्ली में सितारा देवी का कत्थक देख रहे थे। गाने सुन रहे थे।

श्री भैरोंसिह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, यह गलत है। जब मैं अविश्वास प्रस्ताव का जवाब दूंगा तब बाकी सारी बातों का तो जवाब दूंगा ही पर मैं गाना सुन रहा था यह बात गलत है।

श्री नवनीत पालीवाल : आप जोधपुर हाउस में थे उस वक्त।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं जोधपुर हाउस में था गाना सुन रहा था गलत है।

श्री मूलचन्द डागा : बाड़मेर और पाली जिले में जब बाढ़ आई उस वक्त आप कहां थे? आप तो दिल्ली में बैठे हुए थे।

श्री भैरोंसिह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि पूरी बात का जवाब तो मैं बाद में दूंगा पर जो गाना सुनने की बात है वह बिलकुल गलत है।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, यह सितारा देवी कहां से आई? वह अकेले-अकेले सितारा देवी को ही ले गये।

श्री नवनीत पालीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, जब में आपका ध्यान प्रशासनिक स्थिति राजस्थान में जो है, की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। आज प्रशासन का यह हाल है कि जो लोग इनके चहेते होते हैं उनका काम होता है। जो एम० एल० ए० इनके होते हैं उनके काम होते हैं। जो इनके खिलाफ में होते हैं उनका काम नहीं होता है। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने एक बहुत ही अच्छी योजना शुरू की थी अन्त्योदय की योजना। यह अन्त्योदय योजना एक धर्म था एक मानवता की सेवा थी। सरकार ने इसके लिए अन्त्योदय के वास्ते एक समिति गठित की लेकिन उसकी कोई मीटिंग नहीं हुई। अन्त्योदय के अन्दर कर्मचारियों और अधिकारियों ने मनमानी की और जन प्रतिनिधियों की कोई पूछ उसमें नही की गई। इसी प्रकार काम के बदले अनाज की योजना की जो योजना थी वह भी एक अच्छी योजना थी लेकिन सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के कारण इस योजना का भी बुरा हाल हुआ। आज गांवों में सड़कें बनाने के वास्ते योजना तो तय हो गयी लेकिन वहां पर काम नहीं हो रहा है। मेरे ही क्षेत्र में सड़क की योजना थी पूरी नहीं हुई, काम रुक गया। उपाध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक रूप से तो आकाशवाणी में तो काम के बदले अनाज और अन्त्योदय योजना की काफी तारीफ की गई लेकिन हकीकत में इनमें जितना काम होना चाहिये था उतना नहीं। क्योंकि इसमें जन-प्रतिनिधियों को इनक्लूड नहीं किया गया। जन-प्रतिनिधियों का सहयोग नहीं सत्तारूढ़ दल व प्रतिपक्ष का सहयोग नहीं लिया गया अन्त्योदय व काम के बदले अनाज योजना पर रेडियो इंटर्व्यू मीठालाल मेहता का होता है जन-प्रतिनिधियों का नहीं। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मुख्य मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि आप जन-प्रतिनिधियों का ध्यान रखिये उनको इन कार्यक्रमों में आगे रखिये उनको आप विश्वास में लीजिये और अगर आपने जन-प्रतिनिधियों को विश्वास में नहीं लिया तो आपकी जनता पार्टी को बहुत मुश्किल हो जायेगी।

(52)

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह तीन महीने बाद समाप्त हो जायेगी ।

श्री नवनीत पालीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1977 में जनता पार्टी का कोई पार्टी मुकाबला नहीं कर सकती और इतनी मैजोरिटी में आई । और एक स्थाई सरकार देश में देने को सक्षम थी । लेकिन चूंकि जन-प्रतिनिधियों की अवहेलना बाद में होती गई और लगातार हो रही है । तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका जनतन्त्र में जो विश्वास की घोषणा है वह केवल दिखावा मात्र है । आपको जन-प्रतिनिधियों को विश्वास में लेकर बैठकर उनसे बात करनी चाहिए । यहां पर अध्यक्ष के चुनाव के वक्त भी जन-प्रतिनिधियों से बात नहीं की और बाद में एक रीत के रायते की तरह यह कहा कि निर्विरोध चुनाव होने चाहिये । मैं समझौता करने को तैयार हूं । आपने विपक्ष के नेता लोगों से कोई बात नहीं की । उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अध्यक्ष के निर्वाचन के सम्बन्ध में सर्वसम्मति से हो जाय इसके लिए मुख्य मन्त्री जी के पास गया ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : आप इसलिए हाजिर नहीं हुए आप तो यह कहने आये थे कि महारावल और आप जनता पार्टी में वापस आने को तैयार हैं इसके लिए आप समझौता करने को तैयार हैं ।

श्री नवनीत पालीवाल : मैंने यह बात नहीं की थी आपने उस बात की शुरूआत की थी तो मैं उसके ऊपर ठोकर मार कर के चला गया ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : इसके पहले किसने कहलाया कि हमें वापस जनता पार्टी में ले लीजिए ।

श्री कौशल किशोर जैन : आपकी हमें जरूरत नहीं है ।

(स्वीकृत)

श्री नवनीत पालीवाल : आप बैठे रहें । आपके लिए तो मुख्य मन्त्री जी की एक धमकी ही बहुत है मैंने पद ठुकराया है ।

श्री कौशलकिशोर जैन : आपने पद नहीं ठुकराया है आपको निकाल दिया गया ।

श्री नवनीत पालीवाल : यह गलत है ।

श्री मदनसिंह दांता : आप मुख्य मन्त्री जी को ठोकर मार कर के निकल आये और चरणसिंह को इन्होंने ठोकर मार करके निकाल दिया । तो यह गलती आपकी है ।

श्री नवनीत पालीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, अभी थोड़े समय पहले मुख्य मन्त्री जी विधान सभा भंग करने की धमकी दो चार बार समाचार पत्रों में दे चुके हैं । यह धमकी इस वास्ते देते हैं ताकि सदन के सदस्य उससे भयभीत हो जावें । लेकिन मुख्य मन्त्री जी आपके कहने से राज्यपाल महोदय विधान सभा भंग नहीं कर देंगे । पहले वह विपक्ष के नेता को बुलवायेंगे और विपक्ष के नेता जब विधान सभा में अपना बहुमत नहीं दिखा सकेंगे तब ही विधान सभा भंग होगी अन्यथा नहीं होगी ।

एक माननीय सदस्य : यह तो सपना ही मत देखो।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : आप इधर क्षेत्र में आवोगे जब देख लेंगे। आप आ जावो।

श्री नवनीत पालीवाल : आप मुझे धमकी दे रहे हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य पालीवाल जी को धमकी दे रहे हैं। यह धमकी है इधर आवो।

श्री मदनसिंह दांता : उपाध्यक्ष महोदय, यह अबकी बार चुनाव होंगे जब खून-खच्चर करेंगे। यह नेकर वाले निश्चित रूप से खून खच्चर करेंगे, उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन में यह कह देना चाहता हूं कि पालीवाल जी अकेले नहीं इनके साथ जाट भी हैं, राजपूत भी हैं और हरिजन भी हैं।

श्री नवनीत पालीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इनकी धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। अब एक बात और मैं निवेदन करना चाहूंगा वह यह है उपाध्यक्ष महोदय यहां यह स्थिति है कि पिछली अप्रेल-मई के महीने में अकाल राहत के अन्तर्गत मेरे क्षेत्र में एक सड़क बनाने की योजना तय हुई थी लेकिन बाद में ज्योंही मैं चीफ व्हिप के पद से हटा उस योजना की स्वीकृति को समाप्त कर दिया गया। इसी प्रकार हल्दी घाटी के विकास के लिए एक योजना बनाई गयी उसका तात्कालिक स्वरूप भी तय हो गया था और वहां पर एक संग्रहालय की स्थापना करने का काम भी हुआ था पर उसको भी बाद में बन्द करा दिया गया। इसी प्रकार उदयपुर में जग मन्दिर जग-निवास को मुख्य मन्त्रीजी ने सुरक्षित स्मारक घोषित किया यह हिन्दू-मुस्लिम एकता का प्रतीक है। यहां कर शाहजहां ने आपस में पगड़ी बदलकर महाराणा आपस में भाई बने थे। लेकिन उसको भी उन्होंने सुरक्षित स्थान घोषित करने की बात को खतम करके उसको अब होटल में परिणित करने की योजना बना ली है। ...आज आप वहां होटल बनवा रहे हैं यह अच्छी बात नहीं है। हिन्दू-मुस्लिम भाई चारे के प्रतीक हल्दी घाटी की उपेक्षा कर रहे हैं। आपने वहीं पर जग-मन्दिर का नुकसान किया। आज आपकी सरकार है, आप काम रोक सकते हैं लेकिन यह स्वरूप लोकतन्त्र का नहीं है। यह अच्छी परम्परा नहीं है। प्रतिपक्ष में बैठने वाले लोग भी एक-एक लाख की जनसंख्या के प्रतिनिधि होते हैं, उनकी भी अपने क्षेत्र में कामों की जिम्मेदारी होती है। अगर हमारे यहां काम नहीं होते हैं तो हमें उनको कहना पड़ेगा और सरकार के विरुद्ध आन्दोलन करना पड़ेगा और सत्याग्रह करना पड़ेगा। मेरे निर्वाचन क्षेत्र की जनता मेरे साथ है। इन्हीं शब्दों के साथ कि लोकतन्त्र की रक्षा की जानी चाहिए, इन्हीं शब्दों के साथ कि सरकार राजस्थान का विश्वास खो चुकी है और इन्हीं शब्दों के साथ कि यह सरकार रहेगी तो जातिवाद पनपेगा, प्रतिपक्ष के लोगों को भयभीत करते रहेंगे। उनका एक मात्र रास्ता यह है कि इस सदन में यह अविश्वास का प्रस्ताव पास हो। उधर बैठने वालों को भी प्रार्थना करता हूं कि वह लोग इधर पधारें इस व्यक्तिवादी सरकार का समापन समारोह करने में हमारे साथी बनें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरीश शर्मा।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार क्रांति और शांति के बीच एक अन्तराल आता है, इधर क्रांति हुई और शांति हुई और इसके बाद भ्रांति पैदा हुई है। उन्होंने स्वप्न देखा कुर्सी का और उसके पीछे जनता के विश्वास का गला घोंट दिया। जो आस्था और विश्वास माननीय सदस्यों में जनता ने प्रकट की थी और महात्मा गांधी की समाधी पर बैठ कर शपथ ली उस शपथ को भी उन्होंने भुला दिया। जनता को धोखा दिया गया है।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल ऐरन : यह भूल रहे हैं। सत्ता के मद में भूल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री हरीश शर्मा : यह कुर्सी चाहते थे और उसके पीछे इन्होंने जनता पार्टी को तोड़ा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह लोग आज अविश्वास प्रस्ताव लेकर आये हैं जिन्होंने खुद ही लोकतन्त्र का गला घोंट दिया। जिस सरकार ने लोकतन्त्र दिया और नीचे स्तर के लोगों को सहारा दिया, जिनका कोई सहारा नहीं था, जो अपाहिज थे, अन्धे थे, जिनका कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं था उनको इस सरकार ने सहारा दिया। यह सरकार सबसे बड़ी लोकतन्त्र की हामी है। मैं पूछना चाहता हूं कि यह सरकार फासिस्ट है या लोग फासिस्ट हैं। महारावल साहब कहते हैं कि जो जनता पार्टी का घोषणापत्र था उसको उसने पूरा नहीं किया। मैं कहता हूं कि वह घोषणा पत्र तो आपने पूरा नहीं किया। पूरा किया क्या ? पार्टी की पीठ में छूरा भोंककर उधर जाकर बैठ गये। जिनको यह जनता पार्टी के मसीहा कहते थे श्री जगजीवन रामजी को और कहा कि हमने उनको मसीहा बना लिया है तो आप भी तो उस समय सब उनके साथ थे और उन्हीं के साथ आपने विश्वासघात किया। आप लोग ही जनता पार्टी को छोड़कर वहां जाकर बैठ गए।

(व्यवधान)

श्री गुल मोहम्मद : आपकी वकालत से सरकार नहीं बच सकती।

श्री हरीश शर्मा : केवल मात्र कुर्सी के पीछे जनता को जिन्होंने आपको जन्म दिया और वोट दिया उन्हीं को आपने धोखा दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि आप घोषणा पत्र को देख लीजिए····

(व्यवधान)

आपको गांवों में घुसने नहीं दिया जाता ··

एक माननीय सदस्य : आपको जब मालूम पड़ेगा जब कि आप जनता के सामने जायेंगे।

श्री हरीश शर्मा : + + + जब इतनी बड़ी घटनायें हो जाये तो लोकतन्त्र में उनको नहीं भुलाया जा सकता····

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(व्यवधान)

व्यवस्था का प्रश्न
राष्ट्रपति पर आक्षेप

श्री रघुनाथसिंह विश्नोई : आन पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्री मदनसिंह दांता : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्री श्योपत सिंह मकासर : आन पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्री रघुनाथ विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर यह है कि माननीय सदस्य बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति जी के पद की अवहेलना कर रहे हैं। राष्ट्रपति या गवर्नर का पद ऐसा गौरवमय पद है कि उसके लिए अपने नियमों के अनुसार कुछ नहीं कहा जा सकता। इन्होंने भी बहुत दुहाई दी है। यह विषय सदन के स्कोप के बाहर है और यह इश्यू बाहर जाने से रोकें लेकिन सदन से इस पद को विवाद का विषय बनाना उचित नहीं होगा। इस पर विवाद किया जा सकता है या नहीं इसके बारे में आप अपनी व्यवस्था दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया विराजें। व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री रघुनन्दन व्यास : जब राजनैतिक आधार पर प्रस्ताव आते हैं तो उस पर राष्ट्रपति पर भी चर्चा हो सकती है। यह सर्वमान्य है। सारी मान्यताओं को बदला जा सकता है और बदला जाये।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान नियम 272 के सब-क्लाज (11) की तरफ दिलाना चाहता हूं। प्रक्रिया का नियम 272 है वह यह है बोलते समय पालनीय नियम, "बोलते समय कोई सदस्य, उसमें सब क्लाज (11) में लिखा है।" राष्ट्रपति अथवा किसी राज्य के राज्यपाल के आचरण पर आक्षेप नहीं करेंगे।....

हमारे रूल्स आफ बिजिनेस में स्पष्ट है कि हम राष्ट्रपति और राज्यपाल के ऊपर कोई आक्षेप नहीं कर सकते इसलिए इन्होंने जो आक्षेप किया है....

श्री रघुनन्दन व्यास : यहां वस्तु-स्थिति का दिग्दर्शन मात्र हो रहा है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है, हमें बोलने दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : मिनिस्टर फार पार्लियामेंट्री अफेयर्स इण्टरवीन करके स्पष्टीकरण करना चाहते हैं तो इन्हें कहने दीजिये।

एक माननीय सदस्य : एक पाइन्ट आफ आर्डर रेंज कर दिया गया है, दूसरा पाइन्ट आफ आर्डर रेंज नहीं कर सकते।

श्री श्योपतसिंह मकासर : समर्थन में कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : इसकी आवश्यकता नहीं है। यह मेरा राइट है मैं सुनूं या न सुनूं।

श्री मदनसिंह दांता : इन विशेषज्ञ को कहने दीजिये।

श्री सूर्य नारायण चौधरी : रूल 272 की ग्रोर माननीय सदस्य ने ग्रापका ध्यान ग्राकर्षित किया है। उसमें यह है—

"A member while speaking shall not use the name of the President or the Governor for the purpose of influencing the debate."

इसका ग्रर्थ यह है....

श्री किशनसिंह भाटी : इस पर ग्राप व्यवस्था ही दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : मैं भी इसको सीरियसली ले रहा हूं।

श्री सूर्य नारायण चौधरी : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं....

श्री परसराम मदेरणा : सब रूल (7) को पढ़ा है। सब रूल (11) को भी पढ़िये।

श्री शंकरलाल : मैंने हवाला भी 11 का दिया है।

श्री सूर्य नारायण चौधरी : "(xi) reflect Upon the conduct of the President or the Governor of any State."

मैं नम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने ग्रपने ग्रोपनिंग भाषण में कुछ रेफरेन्स दिया। यह पोलिटिकल कन्ट्रोवर्सी सारे देश में खड़ी हुई है। इस कन्ट्रोवर्सी के पक्ष ग्रौर विपक्ष दोनों तरफ से दोनों तरह की बातें कही जा सकती हैं। +

\+ + +

श्री शंकरलाल : एज ए मिनिस्टर जवाब दे रहे हैं या एज ए सदस्य।

श्री किशनसिंह भाटी : Whether President or Governor can be criticised ? सवाल यह है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : The actions of the Governor or President which are political, can be debated.

श्री किशनसिंह भाटी : इसमें लिखा है नाम मेन्शन नहीं कर सकते।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : नाम नहीं ले रहे हैं।

\+ + +

जिसका रेफरेन्स माननीय विरोधी दल के नेता ने स्वयं किया है। इस डिसीजन के सम्बन्ध में एक माननीय सदस्य ग्रपने संजीदा विचार व्यक्त कर सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे भी सुन लीजिए। जिस रेफरेन्स में श्री हरिश शर्मा ने राष्ट्रपति महोदय के बारे में जो शब्द कहे हैं, मैं उचित नहीं समझता ग्रौर शब्दों को एक्सपंज करता हूं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : उन्होंने महान सेवा की है, रो क्यों रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : ग्रब ग्राप बिराजें।

(व्यवधान)

\+ + + ग्रभिव्यक्ति ग्रध्यक्ष महोदय के ग्रादेशानुसार ग्रपलोपित की गई।

श्री ईश्वरचन्द्र : इसका मतलब यह कि राष्ट्रपति के पक्ष में तो यह बोल सकते हैं, उनकी तारीफ कर सकते हैं, तारीफ के पुल बांधे जा सकते हैं। उनके बारे में हम कुछ भी बोल सकते हैं।

\+ \+ \+

श्री उपाध्यक्ष : पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर जिस सिचुएशन में रेज किया है उसके ऊपर मैंने व्यवस्था दी है। ग्रगर कोई प्रशन्सा करे, उस समय पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर रेज कर सकते हैं।

श्री माणकलाल ठाकोर : जनता पार्टी के ग्रध्यक्ष की ग्रालोचना की जायेगी। दूसरे पक्ष को उत्तर देने का मौका नहीं मिलेगा ? यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय माणकलाल जी, हाइपोथिटिकल वचन पर पाइंट ग्राफ ग्रार्डर नहीं होना। कृपया विराजें ग्राप।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : यदि ग्रापकी ग्राज्ञा हो, तो इस विषय पर कुछ कहना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दे दी है, कृपया विराजें।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : एक ऐसा पाइन्ट रेज करना चाहता हूं कि श्रीमान को ग्रपनी रूलिंग पर पुनः विचार करने का मौका मिलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : मैं ग्रावश्यकता नहीं समझता।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : इस सदन के....

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, ग्रब इस व्यवस्था के ऊपर कोई चर्चा नहीं हो सकती।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : राष्ट्रपति के चुनाव में इस सदन के माननीय सदस्य हिस्सा लेते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया विराजें।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : इसके बारे में कहा जा सकता है....

हम राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं।....

श्री उपाध्यक्ष : ग्राप कृपया स्थान ग्रहण करें। कोई रिकार्ड न किया जाय।

× × ×

कोई रिकार्ड न किया जाये।

श्री हरीश शर्मा, ग्राप ग्रपनी चर्चा जारी करें।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : एक्सपंज करने का जब ग्राप फर्मा रहे हैं तो वह तारीफ भी निकाल दीजिए जो विरोधी पक्ष के नेता महोदय ने की है....

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय के ग्रादेशानुसार ग्रंकित नहीं किया गया।

श्री ईश्वरचन्द्र : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सिद्धांत है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की बात पर हम न बोलें, चाहे वे कुछ कैसा ही आचरण करें। अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय ईश्वरचन्द जी, कृपया विराजें।

श्री ईश्वर चन्द्र : इस सिद्धांत को दृष्टिगत करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय ईश्वरचन्द जी।

श्री किशनसिंह भाटी : आप नियमों के विरुद्ध नहीं जा सकते।

श्री ईश्वरचन्द्र : नियम कोई सर्वोपरि नहीं हैं....

(व्यवधान)

श्री गुल मोहम्मद :....आपको शर्म आनी चाहिये।

श्री रघुनन्दन व्यास : नियम मर्यादा पालन के लिए बनाये जाते हैं।

\+ \+ \+

उसकी आलोचना करने का पूर्ण अधिकार है....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें आप।

श्री मनोहरसिंह मेहता (माण्डलगढ़) : \+ \+ \+ उसकी तारीफ में जो कुछ कहा गया है उसको भी एक्सपंज करिये। अगर हम बुराई नहीं कर सकते तो तारीफ भी नहीं कर सकते।

श्री ईश्वरचन्द्र : सारे देश के अखबार इस पर कह रहे हैं। विधान सभा में बहस नहीं होगी तो कहां होगी ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ईश्वर चन्द्रजी, विराजें।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : आप गालियां क्यों दे रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्योपत सिंह जी।

श्री उदाराम हटीला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, \+ \+ \+ उसके कारण हम क्यों नहीं कह सकते हैं....

(व्यवधान)

यह हमारा दायित्व है कहने का

\+ \+ \+

(व्यवधान)

....इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, इस पर रोक नहीं लगानी चाहिए।

श्री दूलाराम : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उनके लिए इस तरह नहीं कहा जा सकता है।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

\+ \+ \+ अभिव्यक्ति अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अवलोपित की गई।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, नोखा से आने वाले माननीय सदस्य ने राष्ट्रपति पर आरोप लगाया है, इसको कार्यवाही से निकाल देना चाहिए और वह भी आपकी व्यवस्था के खिलाफ किया है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय मेहता साहब ने किया है इसलिए उन दोनों के ही शब्दों को निकाला जाय।

श्री उदाराम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं—विधायक होने के नाते मेरे पर चार बार घेराव डाला गया है। जनता (एस०) ने घेराव डाला है और दो दफा हमला भी किया है। बार-बार धमकियों की बात करते हैं।

(व्यवधान)

....मैं दावे के साथ कह सकता हूं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं व्यवस्था देना चाहता हूं जिन माननीय सदस्यों ने राष्ट्रपति के सम्बन्ध में कोई कथन कहा है, उसको रिकार्ड नहीं किया जाय और एक्सपंज किया जाय....

(व्यवधान)

मन्त्री परिषद् के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार

श्री हरीश शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति ने शराब बन्दी के लिए जो हमारे साथी भूख हड़ताल पर बैठे, उनके लिए एक शब्द भी नहीं कहा और आज स्थिति यह है कि शराब बन्दी के कार्यक्रम को नहीं लिया जा रहा है। आज यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि जनता पार्टी की सरकार ने न केवल राजनीतिक आचरण को ही सुधारा है बल्कि सरकार सामाजिक और आर्थिक उद्धार भी करना चाहती है। एक मिनिट लोक सभा को फेस नहीं करने वाले आज प्रधान मन्त्री बन गए, जिन्होंने कुर्सी पर बैठते ही शराब बन्दी के लिए मना कर दी। भारत सरकार को जो बाढ़ की चर्चा की गई और यहां चौधरी साहब पधारे और कहा राजस्थान को सहायता देंगे, क्या सहायता आई? यह ढोंग बाजी की सरकार है। इन्हीं के नेता चौधरी चरण सिंह ने कहा ग्राम सभा में कि मैं भी किसी राजनैतिक दल की ग्राम सभा नहीं होने दूंगा—मैं पूछना चाहता हूं क्या वे ग्राम सभा में गोली चलायेंगे—क्या करेंगे वे इस लोक तन्त्र में। उनकी कथनी और करनी में जमीन-आसमान का फर्क है। लोक तन्त्र का गला घोंटने वाले दल बदल कर सत्ता में जाने वाले लोग आज किस प्रकार देश का भला कर सकते हैं?

श्री दूला राम : बिना सिर पैर की बात है।

श्री हरीश शर्मा : माननीय शिक्षा मन्त्री जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि परीक्षाओं में नकल की छूट देने के लिए, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वालों को वे किस प्रकार सहायता करना चाहते हैं—क्या उप-कुलपतियों को सिर फोड़ने की इजाजत देना चाहते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं पूछना चाहता हूं वे कौनसा स्तर

(श्री हरीश शर्मा)

चाहते हैं ? कानून से चलने वाली सरकार पर अंगुली उठाते हैं....

श्री रघुनाथ विश्नोई : इस प्रकार बोलने वालों को पकड़ कर जेल में क्यों नहीं डाल देते हैं ?

श्री हरीश शर्मा : आपके नेता बौखला कर कह देते हैं कि मैं अखबार वालों को देख लूंगा। यही इनकी लोक तन्त्र के प्रति आस्था है ? वे भविष्य के लिए चेतावनी देना चाहते हैं कि देख लूंगा—यह कौनसी उनकी भाषा है, कौनसा संयम है ? मैं उपाध्यक्ष महोदय से कहना चाहता हूं जनता पार्टी की सरकार में, गांवों के लोगों में लोकतन्त्र के प्रति आस्था जागी है कि हम वोट के द्वारा सरकार को उलट सकते हैं....

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज यहां बैठकर ये अपने क्षेत्र में जाना भूल गये हैं – इनको अपनी कथनी और करनी का डर रहता है। रात-दिन इनके पास एक ही षड्यन्त्र में लगे रहते हैं कि किस प्रकार जनता पार्टी की सरकार को गिराया जाय। मेरा एक प्रश्न है इन लोगों से ...

एक माननीय सदस्य : इन लोगों से नहीं, माननीय सदस्यों से।

श्री हरीश शर्मा : माननीय सदस्यों से कि जो गांवों में काम हुआ है, जगह-जगह सड़कों का विकास हुआ है, जहां पीने का पानी नहीं मिलता था उनको राजस्थान सरकार निगम बनाकर पीने का पानी देने की व्यवस्था कर रही है। कोटा जिले की शाहबाद तहसील है आदिवासी क्षेत्र है जहां वर्षों से विद्युतीकरण की मांग थी लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं की गई लेकिन इस जनता सरकार ने सारी पंचायत समिति का विद्युतीकरण किया है। यह सरकार की सेवा का उदाहरण है। मेरी समझ में नहीं आता है ये अविश्वास का प्रस्ताव किस बल-बूते पर ला रहे हैं जिनकी न कोई नीति है और जिनकी न कोई नैतिकता ही है केवल उनकी एक नीति है विरोध-विरोध। सत्य को सत्य न कहकर ठुकरा देना चाहते हैं, उनकी कौन सी नैतिकता रह जाती है। राजस्थान की धरती पर केवल अराजकता फैलाकर आरोप लगाना चाहते हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हम तो मानते हैं, बैठो।

श्री हरीश शर्मा : हिन्दुस्तान में जब से राजनीति चली है तब से ही यह घटकवाद है—अब कौनसी नई बात कह रहे हैं। आज तो हिन्दुस्तान में यह स्थिति है कि हर आदमी लीडर बन रहा है, लीडर बनने की कोशिश कर रहा है—जोड़-तोड़ कर रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि आज हिन्दुस्तान की विराट नीति में जो चरित्र का पतन हुआ है वह किसी से ही छिपा नहीं है, आप स्वयं देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। मैं एक ही प्रश्न करना चाहता हूं कि आप कौन से अनुशासन में रहना चाहते हैं—क्या नागरवाला काण्ड के अनुशासन में रहना चाहते हैं या ललित नारायण मिश्र काण्ड के अनुशासन में रहना चाहते हैं—क्या-क्या नहीं हुआ इस देश में....

(श्री हरीश शर्मा)

(व्यवधान)

.... न जिसके पास सत्ता है, न पावर है लेकिन वह संजय गांधी मुख्य मन्त्री के कन्धों पर बैठे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कौन सा अनुशासन चाहते हैं....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हरीश जी अब अपनी चर्चा समाप्त करें।

श्री हरीश शर्मा : दो मिनिट में समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, लोगों को बिना कसूर रात्रि के 12 बजे गिरफ्तार करते थे और लाठी-डण्डों से मार कर छोड़ देते थे। इस प्रकार मानवता की हत्या की जाती थी, मानव को मानव नहीं समझा जाता था। समाचार-पत्रों पर ताले लगाकर, अपने आदेश चलाकर हुकूमत करते थे, क्या वैसा ही लोकतन्त्र चाहते हैं? उपाध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था का झगड़ा है, यह सिद्धांत और नीति का झगड़ा है। जनतन्त्र में जन-हितकारी और कल्याणकारी नीति होनी चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विरोध पक्ष को एक बात के लिए धन्यवाद दूंगा और धन्यवाद आज ही देता हूं कि राजस्थान विधान सभा को जवान कर दिया। इस जवानी में हम कह देना चाहते हैं कि जो हम लोगों ने 19 महीने की जेल काटी है, जो 19 महीने की दासता भुगती है।

(व्यवधान)

श्री गुल मोहम्मद : आपकी भावना से पता चलता है कि जो आपने मुख्य मन्त्री को पत्र लिखा है, वह क्या था?

(व्यवधान)

आपने मुख्य मन्त्री को क्या पत्र लिखा है वह बताइये....

(व्यवधान)

आपको कितनी वेदना है यह तो आपने जो मुख्य मन्त्री को पत्र लिखा है उससे पता लग जाएगा। आप बताइये कि आपने क्या पत्र लिखा था पता लग जाएगा कि किसने जनता को धोखा दिया है....

(व्यवधान)

श्री हरीश शर्मा : आपने जनता की पीठ में छुरा भौंका है....

श्री भंवरलाल ऐरन : आपने लिखा है उसको सदन के सामने पढ़ दो।

श्री हरीश शर्मा : देश के नेताओं ने आजादी की लड़ाई में जो आहुति दी है, जो आजादी की लड़ाई लड़ी है उसकी पीठ में छुरा भौंका है, उनको धोखा दिया है वे कभी आपको माफ नहीं कर सकते हैं। आप अपनी आत्मा से पूछो कि आपने जनता के साथ क्या किया है? लेकिन आप में इतना साहस नहीं है कि जनता पार्टी का सामना कर सकें, जनता का सामना कर सकें।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री गुल मोहम्मद : आपका पत्र मुख्य मन्त्री के ध्यान में है, आप उसको भूल गए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल ।

श्री गुल मोहम्मद : आपने जनता पार्टी के साथ, जनता के साथ विश्वासघात किया है....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकर लाल ।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : उपाध्यक्ष महोदय, इसी सदन के अन्दर जब जनता पार्टी का राज आने के बाद में प्रथम बार राज्यपाल महोदय के भाषण पर चर्चा हुई थी, तो मैं इस सदन के माननीय सदस्यों को और सदन के नेता को स्मरण दिलाना चाहता हूं कि मैंने ये शब्द इसी सदन में कहे थे कि जनता पार्टी वास्तव में कोई पार्टी नहीं है। मैंने यह भी कहा था कि आने वाला इतिहास बताएगा कि समान विचारधारा के न होते हुए उनकी पार्टी किस प्रकार से चलती है। जनता पार्टी टूटेगी और चाहे इधर बैठने वाले लोग हों, चाहे उधर बैठने वाले लोग हों, उनको एक मंच पर, जो समान विचारधारा के लोग हैं, आना पड़ेगा। यह मैंने राज्यपाल महोदय के भाषण पर कहा था और यह रिकार्ड में मौजूद है।

उपाध्यक्ष महोदय, कुछ ही अर्से के बाद में आप देख रहे हैं, यह सदन देख रहा है कि देश के अन्दर और राज्य के अन्दर राजनैतिक परिवर्तन आया उन्हीं विचारों के अनुसार। और मैं यह कह सकता हूं कि आज भी जनता पार्टी के अन्दर जो समान विचारधारा के लोग वहां बैठे हैं, इसके लिए आज कहना चाहता हूं कि वह समय आएगा, चाहे वे भूतपूर्व राजस्व मन्त्री हों, चाहे सूर्यनारायण चौधरी हों, चाहे त्रिलोकचन्द जी हों और चाहे जयनारायण जी पूनिया हों चाहे हमारे नरेन्द्रपाल सिंह जी हों, चाहे ठाकुर साहब जो बोल रहे थे, हों, जो भी समाजवादी विचारधारा के लोग हैं और जिनकी विचारधारा इस तरह से नहीं मिलती है, चाहे वे आज सत्ता के कारण हों या किसी दूसरे कारणों से हों लेकिन आने वाला इतिहास बताएगा कि उनको इस पार्टी से अलग होना पड़ेगा। उनको आर एस.एस. और जनसंघ के साथ बैठने के अन्दर अभी से अन्दर ही अन्दर जो घुटन महसूस कर रहे हैं, वे हर्गिज इनके साथ नहीं बैठ सकते। उपाध्यक्ष महोदय, यह बात दूसरी है, यह कब हमारा सौभाग्य होगा कि हिन्दुस्तान के अन्दर केवल तीन पार्टी रहें। एक राइटिस्ट रहेंगे, एक लेफ्टिस्ट रहें और एक सेंट्रलिस्ट रहें। इन्दिराजी की पार्टी सेंट्रलिस्ट है और आज लेफ्टिस्ट पार्टियों का मंच बन रहा है, एक प्रोसेस चल रहा है, एक पोलोराईजेशन हो रहा है और जनसंघ और आर. एस. एस. पार्टी केवल राइटिस्ट पार्टी होकर रहेगी और दूसरे समाजवादी विचारधारा के लोग, लेफ्टिस्ट उसमें टिक नहीं सकते। आने वाला इतिहास बताएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं आपके सामने राजस्थान की हालत और इनके बारे में कहना चाहता हूं कि आज बहुत से विधायक लोग, माननीय विधायक मेरे से मिले और जब मैंने प्रथम बार पढ़ा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने संवाददाताओं

(श्री शंकरलाल)

के सामने यह कहा सुना कि अगर इधर से दल बदलाव हुआ तो हो सकता है कि यहां पर भी विधान सभा भंग हो जावे। उपाध्यक्ष महोदय, विधायकों के मन के अन्दर यह एक ऐसा चतुर हथियार जो मुख्य मंत्री जी ने काम में लिया है कि अगर आपने दल बदलाव किया तो विधान सभा भंग हो सकती है और यह चतुर हथियार ऐसा काम कर गया कि जिस समय में व्यावर के अन्दर था, हमने देखा कि इतने लोग जनता पार्टी छोड़ कर गए, लेकिन ज्योंही मुख्य मंत्री की घोषणा हुई कि विधान सभा भंग हो सकती है तो बहुत से मेरे साथी हैं माननीय सदस्य जो नए नए विधान सभा में आए हैं और जिनको वापिस आने की उम्मीद नहीं है, वे जानते हैं कि विधान सभा भंग हो गई तो हम वापस नहीं आ सकते हैं वे जानते हैं कि हमारा कार्यकाल पूर्ण नहीं हुआ तो हमें पेंशन नहीं मिलेगी, उन लोगों के, विधायकों के दिल में डर बैठ गया। और इसलिए जो प्रोसेस चल रहा था पालोराइजेशन का प्रोसेस पर रोक लग गई। मैं इसलिए नहीं कहता कि मेरे कहने से आप कोई इधर से उधर आवें, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि मुख्य मंत्री जी ने जो बात कही थी संवाददाताओं को और यह विधायक साथियों से कहना चाहता हूं कि आप चाहे किसी विचारधारा के हों, किसी पार्टी के साथ जायें लेकिन वैधानिक स्थिति यह नहीं है। मुख्य मंत्रीजी इस विधान सभा को भंग नहीं करा सकते हैं, मैं यह आपके सामने कहना चाहता हूं। करें आप जो भी आपकी इच्छा हो लेकिन इस धमकी में आने की जरूरत नहीं है। जो लोक सभा भंग होने का प्रावधान है वह अलग है और यह लोक सभा भंग हुई है वह हमारे आर्टिकल 74 के तहत के अन्दर जो इन्दिरा गांधी के वक्त के अन्दर जो विधान सभा में संशोधन किया गया और राष्ट्रपति के लिए लाजमी बना दिया कि राष्ट्रपति को कांसिल आफ मिनिस्टर्स की, मंत्री परिषद की हर एक राय माननी पड़ेगी। उसके तहत राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की राय माननी पड़ेगी और उसी के तहत लोक सभा को भंग करना पड़ेगा। लोक सभा को भंग करने के अलावा राष्ट्रपति के पास और कोई रास्ता नहीं था। आर्टिकल 74 के अन्दर जो इन्दिरा गांधी के वक्त में संशोधन हुआ था, उपाध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि उस वक्त में भी कांग्रेस में था लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उस समय भी मैंने इस आर्टिकल के संशोधन का विरोध किया था और मैंने विरोध इसलिए किया था कि....

(व्यवधान)

श्री शंकरलाल : आप सुनते ही नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : आप पहले जानकारी दीजिए। आप जानकारी लीजिए कि यह जो संशोधन जिसका जिक्र आप कर रहे हैं इस प्रकार का संशोधन मोरारजी देसाई के प्रधान मंत्रित्व काल के अन्दर किया गया था कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की राय से सहमत नहीं हो तो पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। पुनर्विचार के बाद भी वही राय हो तो राष्ट्रपति उस राय को मानने के लिए बाध्य होंगे। यह तो इनकी सरकार का ही संशोधन है जो बाद में

(श्री रामनारायण चौधरी)

रेक्टीफाई किया है इस संशोधन के साथ यदि राष्ट्रपति चाहें तो मंत्री परिषद को पुनः विचार के लिए भेज सकता है और उसमें आपका दल भी शामिल है जिसको आप रिप्रेजेण्ट कर रहे हों, उसमें शामिल था। आप इमरजेंसी के नाम को हटा कर कहिये कि मोरारजी देसाई के प्रधान मंत्रीत्व काल के अन्दर जो संशोधन संविधान के अन्दर किया है उसके अनुसार संविधान के अन्दर यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह मंत्री परिषद को पुनः विचार के लिए भेज सकता है और उसके बाद मंत्री परिषद की वह राय मानना राष्ट्रपति के लिए लाजमी है।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह इस समय विवाद का विषय नहीं है, लेकिन यह ऐतिहासिक सत्य है कि मैंने इस संशोधन का विरोध किया था और इस संशोधन के बाद में जो लोक सभा भंग करने की बात हुई, इसी संदर्भ में कहा कि लोक सभा को भंग करने के लिए कांसिल्स आफ मिनिस्टर्स को राय मानना राष्ट्रपति के लिए लाजमी था और संविधान के अनुसार लोक सभा भंग की जा सकती है और इसीलिए राष्ट्रपति ने लोक सभा भंग की। लेकिन यहां के कांसिल आफ मिनिस्टर्स की राय के ऊपर विधान सभा भंग करना जरूरी नहीं है। विधान सभा भंग करने का जो अधिकार है वह राष्ट्रपति को है और राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट के ऊपर विधान सभा को भंग करते हैं। आपके मुख्य मंत्री की रिपोर्ट के ऊपर या आपके राजस्थान मंत्री मण्डल की रिपोर्ट के ऊपर विधान सभा भंग नहीं हो सकती है, यह मैं कहना चाहता था। और यह जो आर्टिकल 356 है, मैं इसको पढ़ कर आपका और इस सदन का वक्त जाया नहीं करना चाहता हूं। मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि अगर मेरे माननीय साथियों के दिमाग में यह बात हो कि अगर हम इस जनता पार्टी को छोड़ करके, हमारी अन्तर आत्मा की आवाज के कारण उधर जायेंगे कि विधान सभा को भंग कर देंगे मुख्य मंत्रीजी इस बात को, इस डर को दिमाग से निकाल दीजिए। आप चाहे किधर जायें यह आपकी मर्जी है लेकिन मैं तो आपको वैधानिक स्थिति कहता हूं....

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : आप तो एक बात बताइये। आपके गवर्नमेंट फार्म करने पर आपको रामनारायण जी का समर्थन मिल जाएगा क्या ?

श्री शंकरलाल : मुख्य मन्त्री महोदय ...

श्री श्योपतसिंह मकासर : उसके बाद चुनाव करा देंगे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह तो हमें मालूम है कि ये आप से मिले हुए हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको मालूम है कि आपसे मिले हुए हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हां आपसे मिले हुए हैं।

श्री शंकरलाल : आपके साथ कौन हैं

(श्री शंकरलाल)

और कौन नहीं हैं, यह आप इस समय छोड़िए। परन्तु आप इस वैधानिक स्थिति को स्वीकार करेंगे कि आपके हाथ में इस विधान सभा को भंग करने का अधिकार नहीं है। आपके मन्त्रिमण्डल को इस विधान सभा को भंग करने का अधिकार नहीं है। इसलिए मैं माननीय विधायकों को यह निवेदन करना चाहता हूं कि इससे उनको डरने की जरूरत नहीं है।

दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, वैसे मैं मुख्य मन्त्री महोदय का आदर करता था, आज भी करता हूं, लेकिन मुख्य मंत्री बनने के बाद में मैंने आपको एक, दो बार यह कहा था कि आपके अन्दर गर्व, घमण्ड घुस आया है। जिस प्रकार से काउन्टर अटैक की भाषा की बात करते है, उसका प्रयोग करते हैं, वह नेता के अनुकूल नहीं है। आपकी भाषा अखबारों में छपी है। मुख्य मन्त्री महोदय आपने यह कहा है, अविश्वास प्रस्ताव लाने वालों को मुंह की खानी पड़ेगी। मुंह की खाने की बात सदन का नेता कहे, यह शोभनीय नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह मैंने नहीं कहा है।

श्री शंकरलाल : यह राजस्थान पत्रिका में छपा है। यह आपके अखबार में छपा है। उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन सुप्रीम है। आज आपका बहुमत है। इसके बारे में कुछ नहीं कहना है परन्तु आज देश की जो स्थिति है, देश के अन्दर जो अनिश्चितता है, उसको देखते हुए आपका यह बहुमत कितने दिन रहेगा, यह नहीं कहा जा सकता है। यह आप विश्वासपूर्वक नहीं कह सकते हैं, कल क्या होगा, परसों क्या होगा? आप जिन विधायकों का भरोसा करते हैं, मैं अभी उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज आप उन विधायकों के कहने से पाँच, दस बार ट्रान्सफर करते हैं, प्रति दिन लिस्ट बनती है, निकलती है, उस लिस्ट को कल रोक दीजिए और देखिये वे किधर जाते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इस प्रपंच को छोड़ दीजिए। आप मुख्य मन्त्रीजी हैं, गर्व की भाषा छोड़ दीजिए। आज तक गर्व किसी का नहीं रहा है। रावण का भी गर्व नहीं रहा। मैं आपके साथ सहानुभूति रखता हूं इसलिए निवेदन करता हूं कि आप इस प्रकार की भाषा न बोलें। आप नेता हैं, आपको यह भाषा सुशोभित नहीं होती है। मेरी यह नेतृत्व को चुनौती है कि नेता के मुख से इस प्रकार की भाषा नहीं निकलनी चाहिए।

आगे, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जनता पार्टी का घोषणा पत्र क्या है? उस घोषणा पत्र के अन्दर क्या घोषणाएं की गई हैं। यह कहा गया है कि पिछड़ी जातियों के लिए सेवाओं में आरक्षण किया जाएगा? यह आरक्षण आज तक आपसे नहीं किया गया है। मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि जिन जिन राज्यों में चरणसिंह समर्थकों की राज्य सरकारें थीं, चाहे वह बिहार में कर्पूरी ठाकुर की सरकार हो, उत्तर प्रदेश में रामनरेश यादव की सरकार हो, हरियाणा

(श्री शंकरलाल)

में देवीलाल की सरकार हो उन राज्य सरकारों ने अपने अपने राज्यों में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण किया है। रामनरेश यादव ने पिछड़ी जातियों के लिए 15 पर्सेन्ट का आरक्षण किया है, हरियाणा में देवीलाल सरकार ने दस पर्सेन्ट का आरक्षण किया है, कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में पिछड़ी जातियों के लिए 26 पर्सेन्ट का आरक्षण किया है परन्तु, उपाध्यक्ष महोदय, जहां जहां पर जनसंघ की सरकारें थीं चाहे वह मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हिमाचल प्रदेश की सरकार हो, उन राज्यों के अन्दर जनता पार्टी के घोषणा पत्र के अनुसार पिछड़ी जातियों का आरक्षण देने का निर्णय नहीं किया गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि इन राज्य सरकारों ने चुनाव घोषणा पत्र के अनुसार कार्य क्यों नहीं किया ? घोषणा पत्र में यह था कि पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया जाएगा। यह स्पष्ट है कि इन राज्यों में जनसंघ घटक की सरकारें हैं और जनसंघ आरक्षण का विरोधी है। वह यह नहीं चाहता है कि राजस्थान के अन्दर 33 पर्सेन्ट आरक्षण पिछड़ी जातियों के लिए हो। चाहे माली हो, गूजर हो, नाई हो, सुनार हो, रावत हो, इस प्रकार की 52 जातियां आपके समाज कल्याण विभाग की लिस्ट में हैं जिनके लिए मैंने इस सदन का पहले ध्यान आकर्षित किया था, सदन में चर्चा हुई थी, लेकिन आज तक अपने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की। यह हमारा दुर्भाग्य है। मैं, माननीय शिवचरणसिंह जी, आपको याद दिलाना चाहता हूं, आप गूजर हैं, रामकरण सिंह जी गूजर हैं, कांग्रेस आई से गये हुए श्री हंसाराम जी और श्री सालिग राम जो लोग गये हैं वे सब पिछड़ी जातियों के हैं। वे हमारे साथी रहे हैं। वे बार बार यह कहते थे कि हम इन पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिलाएंगे। मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप इस मुगालते में उधर गये हैं, मुख्य मन्त्री के साथ इसलिए गये हैं, तो आपकी यह इच्छा पूरी होने वाली नहीं है। इससे उल्टा पिछड़ी जातियों को नुकसान हुआ है क्योंकि पिछड़ी जातियों के विधायकों ने दल बदल किया है। मुख्य मन्त्री महोदय, अगर आप इन पिछड़ी जातियों के विधायकों से दल बदलाव नहीं कराते तो आपकी यह कुर्सी नहीं बच पाती। आपने इन पर दबाव डाला। 16–17 पिछड़ी जातियों के विधायकों पर आपने दबाव डाला है। जनता पार्टी के घोषणा पत्र के अनुसार आपने कार्य नहीं किया है। मेरे साथियों को आप भुगालता दे रहे हैं। इसलिए मेरा उनसे निवेदन है कि आप मिनिस्टरी के लालच में नहीं आवें। मुख्य मन्त्री महोदय, आप इस प्रकार पिछड़ी जातियों के विधायकों से दल बदल करा रहे हैं, उनको धोखा दे रहे हैं। इनके बिना आपकी कुर्सी नहीं बचने वाली है। दल बदल के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं। परन्तु यह हथियार आपने काम में लिया है और उनको फुसलाया है। दल बदल क्या है, यह मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता परन्तु, मुख्य मन्त्री जी, आपने दल बदल करवा कर पिछड़ी जातियों का शोषण किया है। मैं यह पूछना चाहता हूं राजेन्द्र गहलोत आपकी पार्टी के हैं। उन्होंने कार्यकारिणी में प्रस्ताव रखा वह स्वीकार हो गया

(श्री शंकर लाल)

परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई। पिछड़ी जातियों का डेपुटेशन आप से मिला था, परन्तु कुछ नहीं किया गया। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक ये मुख्य मन्त्री रहेंगे, जनसंघ, आर. एस. एस. का वर्चस्व रहेगा. ये मुख्य मन्त्री महोदय सेवाओं में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण करने वाले नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए मुख्य मन्त्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज आप इस सदन में बहुमत सिद्ध कर देंगे। कल यह नहीं हो सकता है। मैं यह जानता हूं कि आप अपना विश्वास खो बैठे हैं। यह सदन जनता से बना है। आप केवल सैक्रेटेरिएट के लोगों, अधिकारियों के बीच में रहते है, पार्टी के चमचों के बीच में रहते हैं। आप उनकी बात में न आवें, आप जनता के बीच में जावें। आप पब्लिक से मिलिये तो आपको मालूम हो जाएगा कि आज जनता के बीच में आपकी छवि कितनी बिगड़ी हुई है। आपकी सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है

उपाध्यक्ष महोदय, प्रत्येक नागरिक क्या चाहता है? सर्वप्रथम वह अपनी सुरक्षा चाहता है। उसे रहने को आवास मिले, रोजगार मिले। मैं उन चीजों को नहीं दोहराना चाहता हूं जो विरोधी दल के नेता महोदय ने कही हैं, चाहे वह नारायण चतुर्वेदी की हत्या की बात हो, मि. दास गुप्ता कस्टम अधिकारी की बात हो, चाहे गुरुदयाल सिंह सन्धु की हत्या की बात हो, इन सब की हत्याएं आपके राज्य में हुई हैं। क्या यह राज्य के लिए कलंक नहीं है? परन्तु, उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं इनके अलावा बहुत सी ऐसी हत्यायें इस राज्य के अन्दर हुई हैं जिनकी जानकारी राज्य सरकार को नहीं है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक रामचन्द्र की हत्या करके उसे कुए में डाल दिया गया। इसी प्रकार से देवरिया में एक गूजर की हत्या कर दी गई। रायपुर तहसील में एक कुम्हार की हत्या करके उसको कुए में डाल दिया गया। ये ऐसी हत्याएं हैं जिनके बारे में लोग जानते नहीं हैं, जिनका पता नहीं है और जिनकी रिपोर्ट नहीं होती है। आज आपको भी इनका पता नहीं है। आज अपराधों की संख्या कितनी बढ़ गई है? यहां हमारे माननीय रतनलाल जी बैठे हैं वे भी इस बात का समर्थन करेंगे जो मैं यहां पर कह रहा हूं। अस्पताल की दवाइयों की दुकान से दवाइयां लेते हुए उनकी जेब साफ हो गई, वहीं पर मेरी भी जेब साफ हो गई। यह गलत बात नहीं है। रतनलाल जी ने स्वयं मुझसे कहा है। उपाध्यक्ष महोदय, आज जयपुर के अन्दर विधायकों की जेब साफ हो जाती हैं, हमारे यहां विधान सभा के रिपोर्टर की जेब साफ हो जाती है, मेरी भी जेब साफ हो गई। यह बात माननी पड़ेगी कि मैंने इस सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री को पत्र दिया था और मुख्य मन्त्री ने उस पत्र का एकनालेजमेंट किया, आगे के लिए व्यवस्था होगी, परन्तु जिन लोगों की जेब कट गई है उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, अस्पताल के अन्दर हमारी जेब कट गई, हमें इस बात का अफसोस नहीं है। परन्तु आप सोचिए अगर गांव का गरीब

(68)

(श्री शंकर लाल)

आदमी, जिसका रिश्तेदार बीमार है, भर्ती है, मौत से जूझ रहा है, दवाई लेने को जाता है और वहां पर उसकी जेब साफ हो जाती है, दवाई वाला पैसे देने के लिए कहता है और उसके पास पैसे नहीं होते हैं, वह पैसे के बिना दवा देने से इन्कार कर देता है, दूसरा उसका कोई रिश्तेदार यहां पर नहीं है, तो वह व्यक्ति इस राज्य के बारे क्या विश्वास रख सकता है? मुझे तो पैसा उधार मिल सकता है लेकिन उनको नहीं। आज मैंने डाक्टरों के मुंह से सुना। एस. एम. एस होस्पिटल के सामने शनिश्चर जी का मन्दिर है उसके सामने बहुत से गांव के गरीब लोग इलाज कराने के लिये आकर ठहरते हैं। गुण्डों को यह तो मालूम होता है कि इनके पास पैसा होगा इसलिये उन भोले भाले ग्रामीणों को शनिश्चर जी का प्रसाद ले जाकर देते हैं, इस प्रसाद को ले लो इस से रोगी ठीक हो जायेगा। वह प्रसाद खाते ही बेचारा गरीब चक्कर खाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है तो उसकी जेब से सारे पैसे निकाल कर उसे डाक्टर के पास भर्ती करवाने को ले जाते हैं अस्पताल में। इस प्रकार गरीबों की जेबें साफ की जाती हैं। यह हो रहा है आपकी नाक के नीचे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सभी की जेबें साफ हो रही हैं।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं आपने जो रिटायर्ड जज कानसिंह जी का आयोग बिठाया था इमर्जेंसी की जांच के लिये उसके बाद आपने उनको वाइस चांसलर बनाया लेकिन वाइस चांसलर बनने के बाद जब वे सेवा से मुक्त हुए तो 19 जून को कानसिंह जी ने कहा कि विश्वविद्यालयों में जितनी भी गड़बड़ियां होती हैं उनके लिये मुख्य मंत्री जी जिम्मेवार हैं उनके लिए वह स्वयं जिम्मेवार हैं। उन्होंने क्या क्या कहा, यह सब अखबारों में छपा है और सारे सदन को मालूम है। उपाध्यक्ष महोदय, कानसिंह जी जैसे रिटायर्ड जज, जिनकी ईमानदारी पर इनको भी सन्देह नहीं था, ने प्रेस कान्फ्रेन्स में कहा कि मुख्य मन्त्री जी उनको गलत सलाह देते थे। तो क्या हमको सन्देह नहीं होता कि विश्वविद्यालय में जितनी गड़बड़ियां होती हैं उनके लिये आप और आपकी सरकार जिम्मेदार है। जब एक वाइस चांसलर स्वयं यह बात कहें, और उन्होंने कही है जिनकी निष्पक्षता के बारे में आपको भी डाउट नहीं था जिनको खुद आपने आयोग का जज बनाया था।

उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, आज राजस्थान में कितनी बेरोजगारी बढ़ी है और कितने लोग बेरोजगार हुए हैं यह तो आपके आंकड़े आने से पता लगेगा। आपकी जनता पार्टी की सरकार ने घोषणा की कि हम बेरोजगारी घटायेंगे, आप कह रहे हैं कि हमने अन्त्योदय योजना चलाई है और गरीबों को काम दिया है लेकिन जो पढ़े-लिखे बेरोजगार लोगों की समस्या है आज उनकी क्या दशा है। अरे, आपने तो जितने लोगों को लिया था उन्हीं को आप उलटा निकाल रहे हो। वे 240 डाक्टर, जिनको आपने सर्विस से निकाल दिया, आज आपके निवास स्थान के सामने भूख हड़ताल पर बैठने की, अनिश्चित काल के लिये भूख हड़ताल करने की योजना बना रहे हैं। डाक्टर जैसे टैक्निकल आदमी के लिये

(श्री शंकर लाल)

आप कह रहे हैं कि आर. पी. एस. सी. से रिजेक्ट हो गये ? एक डाक्टर जो 5–6 साल की ट्रेनिंग लेकर डाक्टर बना आर.पी. एस. सी. चन्द मिनट में उसकी योग्यता की जांच कर उसे रिजेक्ट कर देता है। पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके भ्रष्टाचार की आवाज इस सदन में भी आई, की रिपोर्ट पर आपने 240 डाक्टरों को निकाल दिया। यह आपने बहुत बुरा किया। यह आपके एडमिनिस्ट्रेशन की भूल है। आपने कौनसा एम्पलायमेंट दिया ? क्या ? कौन से लोगों को आपने एम्पलायमेंट दिया ? आपने तो लोगों को उलटा निकाला है। आर. पी. एस. सी. के अनेक बार पर्चे आउट हुए। इतना ही नहीं, अभी अभी सब इंस्पेक्टर्स के इम्तहान हुए थे उनका रिजल्ट बहुत दिनों तक रोके रखा। उसके बाद रिजल्ट आउट हुआ, उसके बाद उसका अतिरिक्त करेक्शन आया। जो 20-21 तारीख के अखबार में छपता है उसमें करेक्शन आता है कि यह नम्बर नहीं है और यह नम्बर रखा गया है। क्या मखौल है। इतना ही नहीं, लोगों को पास करने के लिये उनकी कापियों में से पर्चे फाड़ कर दूसरे रोल नम्बर लगा दिये गये और उनको पास किया गया। इस प्रकार का जहां भ्रष्टाचार हो नियुक्ति के बारे में, एम्पलायमेंट के बारे में····

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो फिर किस प्रकार जनता को विश्वास हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं हरिजनों के बारे में, गरीबों के बारे में कहना चाहता हूं। अजमेर रोड पर हरिजनों के घर थे आपने उजाड़ दिया और वह भी एजूकेशन ट्रस्ट के नाम से। आपकी नाक के नीचे जयपुर में अजमेर पुलिया के नीचे, जो 21 तारीख के अखबार में खबर छपी थी, कितने घर उजाड़ दिये ? यही नहीं, कोटा में केशव पुरा बस्ती में पिछड़ी जाति के लोगों को उजाड़ दिया। यह खबर अखबार में मैंने पढ़ी, अगर मैं गलत कहता हूं तो आवतायें ? मुख्य मन्त्री जी, हरिजनों, पिछड़ी जाति के लोगों ने आपके सामने प्रदर्शन किया इसी 24 तारीख को। आपने कौन सी कच्ची बस्ती को बसाया, कौन से गरीबों को बसाया ? आपने तो उनको पीटा और उजाड़ा है। आप किस प्रकार जनता में विश्वास कायम रख सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, करप्शन को लें। लोगों को विश्वास था, लोगों ने कहा था कि मुख्य मंत्री ने कहा है कि उनका राज आ गया है इसलिये करप्शन यहां से गया समझें। लेकिन करप्शन तो दुगुना-तिगुना हो गया है। आज कितना भ्रष्टाचार आपके अन्दर बढ़ा है। इतना ही नहीं, सभी जगह, उपाध्यक्ष महोदय, शुरू से आखिर तक नीचे से ऊपर तक की भ्रष्टाचार की शिकायत आती है। क्या हुआ 2-4 किसी थानेदार या पटवारियों को पकड़ लिया। लेकिन आपने क्या एक्शन लिया उनके खिलाफ जब कि यह साबित हो चुका है कि उन्होंने इतना इतना गबन किया। कोई एक्शन लेते नहीं। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी यह घोषणा भी झूठी हुई। इतना ही नहीं, संस्थाओं में भी भ्रष्टाचार फैल गया है। आज आप काम के बदले अनाज योजना की बात कहेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, निम्बाहेड़ा पंचायत में एक मरे हुए आदमी जिसे मरे 20 साल हो गये, हारजी का नाम है। आज मुख्य मंत्री महोदय पूछें, इनको मैंने

(श्री शंकर लाल)

स्वयं शिकायत लिख कर भेजी है लेकिन दोषी को ये सस्पेन्ड नहीं करेंगे। सस्पेन्ड करेंगे राजनैतिक कारणों से आज रानी के सरपंच को। जिस पर कोई चार्ज नहीं गबन का, उसको आप सस्पेंड करेंगे। सैकड़ों मन अनाज दीजिये भ्रष्ट लोगों को। प्राइसेस के बारे में तो आप भी जिम्मेदार हैं। मैं मानता हूं कि कुछ हद तक केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है लेकिन जो अर्सेसियल कमोडिटीज, चीजें ही उपलब्ध नहीं होतीं और मिलतीं हैं तो काला बाजार से। कंज्यूमर्स आपके फेवर में नहीं, स्टूडेंट्स के अन्दर असंतोष है, लेबर में असंतोष है तो फिर संतोष किसमें है? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपके पब्लिक अण्डरटेकिंग्स में भी यही हो रहा है। मुझे कोई गिला नहीं। अपने आदमियों को, पार्टी के आदमियों को, एक घटक के आदमियों को एक ही घटक के लोगों को आपने बिठा दिया, चाहे वह नगर सुधार न्यास का चेयरमैन हो, चाहे मार्केटिंग बोर्ड का चेयरमन हो, चाहे दूसरी संस्था के चेयरमैन का सवाल हो। आज जनसंघ के घटक की, आर. एस. एस. की यह सरकार है, हमारा समाजवाद भुलावे में है। मैं कहना चाहता हूं आप उस चीज को याद करें, जनता ने आपको मत दिया था वह इसलिये नहीं दिया कि आप भैरोंसिंह जी की सरकार-को बचाओ उन्होंने इसलिये दिया था कि जनता के काम होते हैं या नहीं।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

आज जनता में आपके प्रति विश्वास नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, केवल इतना ही मैं कहना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक बात और कहना चाहूंगा, वह बाढ़ और अकाल के बारे में कहना चाहता हूं। कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार कुछ नहीं कर रही है। उपाध्यक्ष महोदय, यह कहने से काम नहीं चलेगा। केन्द्रीय सरकार के नाथूराम मिर्धा आये तो उन्होंने बताया कि हमने यह किया। चौधरी ब्रह्म प्रकाश आये तो उन्होंने कहा कि आपके मुख्य मंत्री हमें अभी तक रिपोर्ट ही नहीं दे सके। आपने पैसा मांगा लेकिन एग्रीकल्चरिस्ट को कितना दिया जाये, 5 हजार ऋण और 5 हजार बिना ब्याज का दिया जाये यह आपने पूरी जानकारी भेजी नहीं। आपने जो आंकड़े दिये हैं, वह आपने बताये हैं। आपने 115 करोड़ का नुकसान बताया है। लेकिन आपने मांग किस बात की की है? आपने किस बेसिस पर कितना पैसा मांगा है? केन्द्रीय सरकार बाढ़ और अकाल का पैसा नहीं देती है। मुख्य मन्त्री जी अविश्वास का प्रस्ताव भले ही विचाराधीन है, आप हमें सन्तुष्ट कर दे तो हम पार्टी का कोई ध्यान नहीं रख कर केन्द्रीय सरकार के सामने धरना देकर बैठ जायेंगे। हमारा काम जनता के हित का है, पार्टी के हित का नहीं है। पार्टी तो एक माध्यम है।

श्री मदनसिंह दांता : हियर, हियर।

श्री शंकरलाल : इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आपकी आत्मा को जगाना चाहता हूं। आपकी सरकार में जनता को विश्वास नहीं है तो आपको सहयोग देना पड़ेगा। फिर अवसर आने पर मैं आपके सामने और बातें कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द सामरिया।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अभी बैठे हैं। फिर कहेंगे कि हमको काम नहीं करने दिया है।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : उपाध्यक्ष महोदय, अविश्वास प्रस्ताव पर मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। जो मुद्दे उठाये गये हैं, उनकी ओर मैं मुख्य मन्त्री जी का ध्यान अवश्य आकर्षित करना चाहूंगा।

श्री नारायण चतुर्वेदी, जो भूतपूर्व विधायक थे, की हत्या हुई है। एक श्री गुप्ता नामक कस्टम अधिकारी की हत्या हुई। मैं निवेदन करूंगा कि इसके बारे में कम से कम व्यवस्था की जाये, बिना कारण किसी की भी 15 रु मांगने पर हत्या कर दें, इस प्रकार की घटना पुनरावृत्ति नहीं हो। इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करूंगा, यहां भी तरह तरह के लोग रहते हैं। दादा लोग कोई अलग नहीं रहते हैं। डाकू और ये सब लोग साथ रहते हैं। पुलिस के सख्ती के साथ पेश आने पर गुण्डों को सीधा किया जा सकता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, वैसे मैं जयपुर के एस. पी का प्रशंसक नहीं हूं लेकिन जिस प्रकार से वह व्यवस्था करते हैं, गश्त करते हैं उसकी सराहना करनी चाहिए। हमारे एक साथी सन्धु साहब ने पुलिस को यह पहले से ही शंका व्यक्त की थी कि हमारे साथ यह घटना होने वाली है। उसके उपरांत भी यह हुआ। साथ ही मैं मुख्य मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि श्री हरिदेव जोशी जिस समय में मुख्य मन्त्री थे, इमर्जेन्सी में अलवर जिले के कुछ लोगों ने ऐसी स्थिति बना दी थी, जमीन आदि के मामले में जिला प्रशासन प्रिजुडिस हो गया था उसके कारण अलवर महाराज कुमार की हत्या हुई। उसके लिए आपने जांच बैठाई। आपको रिपोर्ट दी गई। मैंने उस वक्त निवेदन करना चाहा लेकिन उस समय कुछ नहीं हुआ। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा कि प्रतापसिंह की हत्या जिस समय हुई इमर्जेन्सी के बावजूद उस समय की स्थिति पर लोगों ने प्रकाश डाला उससे जो स्थिति सामने आई है, वह बड़ी भयंकर है, बड़ी वीभत्स अवस्था है। चाहे कोई आई. ए. एस. हो, चाहे कोई आर. ए. एस. हो ऐसे लोगों के साथ में रियायत नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि कोई कारण नहीं है कि रिपोर्ट आने के बावजूद भी आप कोई एक्शन नहीं लें।

(व्यवधान)

मुझ से पूर्व श्री जयकृष्ण शर्मा, विधायक महोदय ने सरकार से विद्रोह करने के लिए पुलिस और मिलिट्री की बात कही कि जे. पी. साहब ने ऐसा कहा था। जे पी. साहब ने यह बात नहीं कही। उन्होंने यह कहा था कि किसी निर्दोष नेता को गोलियों से भूनने का आदेश दिया जाये तो वह उसे नहीं मानें। लेकिन बहुत से लोग पुलिस को इस हद तक ले जाना चाहते हैं यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

श्री रामनारायण चौधरी : आप मन्त्री बनना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द सामरिया : मैं मन्त्री पद के लिए नहीं बैठा हूं। यह जरूर है, आप

(श्री मूलचन्द सामरिया)

को देखा है। आपको मन्त्री पद के लिए उस समय भी देखा है। आपकी विद्वता भी मैं जानता हूं। मुझे कभी भी मन्त्री बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इस पद के लिए नहीं हूं। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं। ऐसे बहुत से और लोग हैं। आप मेरे मन्त्री पद के लिए चर्चा नहीं करें।

आपने एक साहसिक काम किया है। मेरी एक मांग है, जिलों का पुनर्गठन किया जाये। जिलों का पुनर्गठन होना चाहिए। इससे पूर्व जब हरिदेव जोशी मुख्य मन्त्री थे और बरकतुल्ला खां मुख्य मन्त्री थे, तब भी मैंने यह मांग उठाई थी। यह काफी महत्वपूर्ण बात है। विरोधी दल के नेता महारावल लक्ष्मणसिंह, जो पहले भी विरोधी दल में थे, भूतपूर्व मन्त्रिमण्डल के आपके सदस्य मास्टर आदित्येन्द्र जी, जिनकी वकालत की गई है, आज भी इसको वाजिब मानते हैं। जिले के प्रशासन की समानता के आधार पर व्यवस्था जुड़ सकेगी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : ऐसे वातावरण में यह होना बहुत मुश्किल है।

श्री मूलचन्द सामरिया : साथ ही मैं समझता हूं, जो भी काम हुआ है गरीब लोगों के हित में हैं, उनको सहायता दी गई है, लेकिन शेखावत साहब यह काम भी करके दिखावें। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं ये पहले मुख्य मन्त्री हैं इण्डिया में और राजस्थान में, जिन्होंने अन्त्योदय योजना को शुरू किया। इसको सभी का समर्थन है, मार्क्सवादियों का भी समर्थन है। गांधी जी के दर्शन में भी यही बात आई है। सहायता अन्तिम लाइन के अन्तिम व्यक्ति के पास नहीं पहुंचती, विरोधी दल के माननीय नेता ने फर्माया वह ठीक है, इसकी कार्य पद्धति में दोष हो सकता है, लेकिन यही एक ऐसी योजना है जिसके जरिये आप अन्तिम लाइन के अन्तिम व्यक्ति को सकते हैं। आज ग्राम सभा के अन्दर लोग बैठ कर उसका सलेक्शन करते हैं उसमें सरकारी अधिकारी भी होते हैं। हो सकता है उसमें कुछ कमी रह गई हो, लाखों आदमियों में से हजारों को या सैकड़ों को धन्धा नहीं मिला हो, यह भी हो सकता है कि जो धन्धा दिया गया उस धन्धे में वे सफल नहीं हो पाये हों, मिसाल के बतौर उनको जो पशु दिया गया वह मर गया, लेकिन यह भी तो है कि पशुधन की हानि हुई है तो उसको किश्त नहीं देनी पड़ेगी। इससे लाभ भी बहुत लोगों को मिला है। इसलिए चाहे गरीब हो, मजदूर हो, अल्प संख्यक हो, हरिजन हो, हमारे प्रदेश में अन्तिम लाइन के अन्तिम व्यक्ति को पकड़ कर जो योजना चालू की गई है मैं इसको ओरिजनल थिन्किंग कह सकता हूं। मुख्य मन्त्री जी को धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा। इस योजना में जम कर काम कर तो इससे गरीब लोगों का हित हो सकेगा। जिन लोगों को रोटी नहीं मिलती उनको रोटी दीजिये, कपड़ा दीजिये, और उनको स्वाभिमान दीजिये। मान्यवर, आज गांवों में एस. पी., डी. एस. पी. और कलेक्टर जाकर अन्त्योदय परिवार से मिलते हैं। इस

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

बात से सभी सदस्य सहमत होंगे कि गांवों में लोग जाते हैं तो अन्त्योदय योजना के बारे में हालचाल पूछते हैं। यह एक ऐसी योजना है जिससे गरीब लोगों के अन्दर आत्म-विश्वास जागा है।

(श्री मूलचन्द सामरिया)

राजस्व के लाखों मामले अटके हुए थे, किसानों का समय मुकदमों में बरबाद हो रहा था, इस तरफ काफी काम हुआ और उपलब्धि हुई है। मान्यवर, घण्टों के डर से जल्दी समाप्त कर रहा हूं। राजस्थान में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है, जहां सड़कें नहीं थीं वहां सड़कें बन गई हैं, स्कूल भवन बने हैं, वहां की ग्राम सभा और पंचायतों के द्वारा काम हुआ है, उनको अधिकार मिले हैं। वहां के लोग अपनी पसन्द के मुताबिक खर्च कर सकते हैं और काम करा सकते हैं, इससे ज्यादा और क्या अच्छा हो सकता है, उनकी इच्छा के अनुकूल विकास कार्य हो रहा है। जब से जनता पार्टी की सरकार आई, प्रदेश में चालीस हजार से अधिक लोग अपंग हैं, भूखे हैं, चलने फिरने की हालत में नहीं हैं, जो अन्त्योदय में नहीं जा सकते उनको 40 रु० प्रति माह की पेन्शन दी रही है। इसको अगर आप असफलता मानें तो बहुत बड़ा अन्याय होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अन्त में मैं कैलाशजी मेघवाल की प्रसंशा करने को बाध्य हूं। कांग्रेस सरकार के जमाने में खनिज विभाग की इन्कम 5.33 करोड़ थी जो आज 7.70 करोड़ हो गई है। 12 करोड़ की टोटल इन्कम है जो नान-टैक्स रेवेन्यू होगी। इसके लिए मजबूर होकर मुझे उनकी प्रसंशा करनी पड़ेगी। अब से पूर्व ऐसे लोगों को पट्टे दिए गए थे जिनका कभी खान पर जाने का काम नहीं था, इस वजह से खानों पर इन्कम नहीं होती थी। इस बुराई को दूर किया गया है इसलिए निश्चित तौर से और बाध्य होकर मुझे उनकी प्रसंशा करनी पड़ेगी।

एक बात और है जो व्यवस्था है उसमें अफसरशाही हावी है, सरकारी अफसर, आई. ए. एस. मन्त्रियों के आदेश नहीं मानते हैं उनके लिखित आदेशों की अवहेलना करते हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : क्यों नहीं मानते हैं इसका कारण तो बताओ ?

श्री मूलचंद डागा : आप जनता के बहुमत के द्वारा चुने गए हैं ?

श्री मूलचन्द सामरिया : बार-बार घण्टी बज रही है इसलिए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री श्योपत सिंह।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी के निर्माण में मेरी पार्टी का भी कुछ सहयोग था, उस वक्त तानाशाही के खिलाफ लड़ाई में हमने सहयोग दिया। जनता पार्टी की आर्थिक नीतियों के बारे में हमें उस वक्त भी मालूम था कि बहुत कुछ नहीं किया जा सकेगा राजस्थान के बारे में खास करके क्योंकि मुख्य मन्त्री जी के साथ मुझे काफी अर्सा रहने का मौका मिला, मैं उनकी कुछ खूबियों का कायल था। मगर आज मैं उतना ही निराश हूं। मैंने इसी विधान सभा के अन्दर मुख्य मन्त्रीजी को कई बार खबरदार किया है, लोगों की समस्याओं की तरफ मैंने ध्यान आकर्षित किया, मगर मुझे अफसोस के साथ

(74)

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

आज यह कहना पड़ रहा है कि जनता पार्टी और जनता पार्टी के मुख्य मन्त्रीजी ने भी कांग्रेस के रुख को अख्तियार किया है।

आर. एस. एस. के बारे में मैंने खबरदार किया था। एक बड़ा बहुमत लेकर आए थे, मुख्य मन्त्रीजी, आप। आपने लोगों से खुशहाली के लिए बड़े-बड़े वायदे किए। आपातकाल के उन भ्रष्ट अधिकारियों, जिनके लिए आपने भी ज़ेलों से चिट्ठियां लिखी थीं, के बहुत बड़े गुनाह थे, उनको सजा देंगे ऐसा भरोसा था, मगर ढाई साल में सारी बातें भूल गए। ढाई साल का वक्त कम नहीं होता। इस बेहतरीन वक्त को गंवा दिया। अब राज रहेगा दल बदल का, पालिटिकल क्राइसिस इस सूरत में चलेगा, आप कुछ करना चाहेंगे तो भी नहीं कर सकेंगे, आपकी मजबूरी है। जनता पार्टी के शासन में आने के बाद आपको आर.एस.एस. के लोगों के लगाम लगानी चाहिए थी। मैंने इस आर.एस.एस. के एलिमेंट्स की हरकतों को देखा है। जिस देश में हमने एकता का निर्माण किया, उसमें मैंने जनता पार्टी के लिए हरिजनों को वोट देते हुए देखा, मुसलमानों को वोट देते हुए देखा। मगर आर.एस.एस., की वजह से जो कि हिन्दू राष्ट्र का बहुत बड़ा पोषक है, एकता को खतरा है। क्या आवश्यकता है आर. एस. एस. की ? यह किस लिए है, हिन्दू राष्ट्र के निर्माण के लिए है। तो किसको खतरा है ? किसान को कोई खतरा नहीं, व्यापारियों को कोई खतरा नहीं, मजदूरों को कोई खतरा नहीं। फिर इस संगठन की क्या आवश्यकता है ? कम्युनिस्टों को इनसे बिल्कुल खतरा नहीं। तुम कीड़े मकौड़े हो, हमको कोई खतरा नहीं। हम तुमको जेल नहीं भेजेंगे, हम तुम्हारी सेवा करना जानते हैं। तुम्हारी मौत कहां है, हम जानते हैं। कोई भी हिन्दू राष्ट्र की बात करने वाला संगठन है, हिन्दू जहां बहुमत में हैं, अगर बहुसंख्यक कोई अपना संगठन बनाता है तो वह रक्षा के लिए नहीं, हमला करने के लिए बनाता है। इसलिए सबसे पहले चुनाव के बाद देवरस ने विजेता की तरह सारे देश में दौरा शुरू किया और आपके मन्त्री, आपके मुख्य मन्त्रियों ने सरकार के किसी मेहमान की तरह उनकी आवभगत की, चड्डियां पहन कर उनकी सेवा के प्रदर्शन किए। उसके पीछे मकसद क्या था ? आज उसका नतीजा तुम्हारे सामने आया है। उसका नतीजा यह हुआ कि आपने माइनोरिटीज के लोगों को नाराज कर दिया। हरिजन आपसे भाग गए। आज आप अकेले हैं। मुझसे पहले अभी ठाकौर साहब बोले, एक दूसरा भी समाजवादी बोला। मगर आज जनसंघी क्यों नहीं बोल रहे हैं ? आज आप कार्नर में हैं, बचना चाहते है....

कई माननीय सदस्य : बोलेंगे।

श्री श्योपतसिंह मकासर : सबसे बड़ा जनता पार्टी को तोड़ने का अगर कोई मुल्जिम है तो This is a gang of criminals, ये आर. एस. एस. के लोग हैं जिन्होंने इस जनता पार्टी को तोड़ा। आपने इसको भी नहीं समझा। आप इसकी अलग परिभाषा करते हैं, आपकी समझ में जल्दी नहीं आयेगा। आर. एस. एस. के लोग महान्

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

देश की संस्कृति की बात करते हैं। इन्होंने किसी को माफ नहीं किया। राष्ट्रपति को आप गालियां दे रहे हैं। आपने जनता की सेवा की है, आप जनता के पास जाइये। आप कहते हैं राष्ट्रपति और दलबदल को मुद्दा बनायेंगे। आपने जनता की 28 साल सेवा की है उसको लेकर जायें। आपको अन्त्योदय तथा फुड फार वर्क को मुद्दा बनाना चाहिये। मगर आपके घोषणा पत्र का मुख्य मुद्दा होगा राष्ट्रपति और दल बदल। हुकूमत को छोड़ने वाला दलबदलू नहीं है। हम तो उनको मुबारकबाद देते हैं, दलबदलू वे लोग होते हैं जो सत्ता पक्ष में जाते हैं। मुख्य मंत्री से कहूंगा कि आपकी खरीद शक्ति तेज है, बार्गेनिंग पावर आपके पास है, आप विधायकों को खरीद रहे हैं, आप दलबदल करवा कर लोगों को झांसा देकर ले जा रहे हैं और फिर आप प्रोफेसर केदार को दलबदलू महारावल को दलबदलू और मेजर फतह सिंह को दलबदलू कह रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : चरण सिंह दल बदलू हैं।

श्री श्योपत सिंह मकासर : शांत रहें।

श्री रतन लाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य कोई व्यक्तिगत आक्षेप न करें, सीधे आसन को सम्बोधित कर बात करें। एक साथ सब पर आक्षेप लगायें बिल्कुल उचित नहीं है, इसकी व्यवस्था की जाए।

श्री श्योपत सिंह मकासर : जोधपुर और बालोतरा क्षेत्र मे जब बाढ़ आई थी, मैं वहां गया था। मैंने खेजड़ी पर चढ़ी हुई भैंसें देखी थीं, यह कोई अचम्भे की बात नहीं है। बाढ़ आई और पानी इतना ऊंचा था कि लहर में भेड़ें खेजड़ी पर रह गई थीं। ये आर. एस. एस. के भाई भी उस जनता रूपी लहर में आ गए। मैं जानता हूं दुबारा आप नहीं पहुंचेंगे। मैं इनके साथ दो तीन जेलों में रहा हूं, अजमेर जेल में 5 महीने और बीकानेर में 14 महीने। आप रिकार्ड मंगा लें, इन देश भक्तों ने लम्बी-लम्बी दरख्वास्तें दीं, तुमने माफी ही नहीं मांगी, मुआवजा भी ले लिया। 500-500 रुपया मुआवजा ले लिया। ये देश भक्त यही काम कर रहे हैं। इसलिए यहां पर आए हो, चिपक कर बैठे हो कुर्सी से, तुम्हारा देश से कोई ताल्लुक नहीं। कितनी सेवा हमारे मुख्य मंत्री और जनता पार्टी के नेताओं ने की है। ठाकर साहब कहते हैं भैरोंसिंह जी ने चमत्कार किया है। हमने हुकूमतें बहुत देखीं मगर आपने तो कांग्रेस की कापी की। आपातकाल में तानाशाही की ताकतों के खिलाफ जो देश के अन्दर गुस्सा था, शायद आपको याद नहीं है। अब आप चारों तरफ चापलूसों से घिरे हुए हो, हर शासक घिरा हुआ रहता है। यह अजीब बात नहीं है। मगर हम जब कचहरियों में जाते हैं, गाड़ियों में सफर करते हैं या गांवों में जाने का इत्तफाक होता है और लोग जब जनता पार्टी के शासन के बारे में बात करते हैं तो शर्म से सर झुक जाता है। ऐसी हालत में आपकी पार्टी और मंत्रिमंडल के खिलाफ हमें विरोध करना पड़ रहा है। मुख्य मंत्रीजी, आपको याद है गुजरात में

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

1974 में क्या हुआ जब शासन भ्रष्ट हो गया था ? जनता आती है कि शासन खाली करो। लोगों की यही बड़ी मेहरबानी है कि आपको घसीट नहीं रहे हैं। जनता पार्टी को छोड़ने वाले सदस्यों की समझ में आ गया कि लोग पकड़ कर ले जायेंगे इसलिए आपकी पार्टी छोड़ कर आ गए हैं। इसलिए नहीं आए हैं कि कुछ मिलेगा। मैं आपको ठीक कह रहा हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : बार-बार इस तरह बोल रहे हैं···

श्री श्योपत सिंह मकासर : माननीय सदस्या, आपको नहीं घसीटेंगे। आपके साथ ऐसी घटना नहीं होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, इन पिछले ढाई सालों में जितना किसान को जलील इस जनता पार्टी की सरकार में किया उतना जलील किसान को कभी भी किसी सरकार ने नहीं किया। मुख्य मन्त्री जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आज किसान की हालत क्या है ? आपने, मुख्य मन्त्री जी, सीमेन्ट के भाव तो तय कर दिये लेकिन आज सीमेन्ट का कट्टा 40 से लेकर 50 रुपये तक ब्लैक में मिलता है। सरकारी कीमत पर तो दर्शन ही दुर्लभ हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : 40–50 में नहीं 70 रुपये में ब्लैक में मिलता है।

श्री रतना राम चौधरी : उसमें भी सीमेंट में आधी राख और रेत मिल रही है।

श्री श्योपत सिंह मकासर : हां यह बात जरूर है, मुख्य मंत्री जी, ब्लैक में आप चाहे जितनी सीमेन्ट की बोरियों ले लो।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप नमूना तो लाकर दिखा दो कि राख और रेत भरी है।

श्री श्योपत सिंह मकासर : उपाध्यक्ष महोदय, सीमेन्ट नहीं मिलेगी, बिजली नहीं मिलेगी, किसान को कोयला नहीं मिलेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे गंगानगर जिले में पत्थर है नहीं दूसरे जिलों में तो पत्थर थोड़े बहुत मिल जायेंगे लेकिन हमारे यहां पर दूसरी स्थिति है वहां पर ईंटों के भट्टे हैं और ईंटों के भट्टों के लिये कोयले की सख्त जरूरत रहती है। आज कोयले की स्थिति यह है कि कोयले का 600.00 रुपये का भाव है। जो कि पहले कभी नहीं था। उपाध्यक्ष महोदय, पहले शासन काल में किसान को 100 से 125 रुपये के बीच में ईंटें मिल जाती थीं लेकिन अब 250 रुपये के भाव पर मिलती हैं। उपाध्यक्ष महोदय, डीजल की हालत यह है कि ब्लैक में दिन में नहीं मिलेगा रात में मिलेगा चाहो जितना ले लो। तो मैं यह बताना चाहता हूं, माणकलाल ठाकोर साहब कहां गये ? वह शायद चले गये हैं। वह कहते थे कि जनता पार्टी का चमत्कार है। उपाध्यक्ष महोदय, यह जनता पार्टी के ही नहीं यह तो चमत्कार है भैरोंसिंह शेखावत मुख्य मंत्री जी की सरकार के। अब, मुख्य मंत्री जी, आपको याद होगा कि मिनिमम चार्जेज बिजली के लिये हम इकट्ठे हो लड़ा करते थे। मुख्य मंत्री जी, आपने ही हमारी वकालत की थी और अब यह हालत है न बिजली, न डीजल, तो हम आपकी खिलाफत नहीं करेंगे, आपके खिलाफ अविश्वास का

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

प्रस्ताव नहीं लायेंगे तो क्या आपके गीत गायेंगे। आज किसान के गन्ने की क्या हालत है? किसान के गन्ने के लिए जो दो रुपए की वढ़ोतरी की थी उसका पेमेन्ट काश्तकार को नहीं हुआ। कहां गये कालवी साहब जो वढ़-बढ़ कर दो साल पहले बोलते थे? कहते हैं राजपूत की जवान होती है, राजपूत जवान का धनी होता है पर यहां कालवी साहब की जबान को क्या हुआ। कोई गड़बड़ी तो नहीं? आज तक गन्ने का किसान को पेमेन्ट नहीं किया लाखों रुपया किसान का रुका हुआ है।

जनाब, आपको मालूम होना चाहिये कि यू. पी. गवर्नमेन्ट ने तो अपने किसान को दे दिया है, हरियाणा की सरकार ने दे दिया है, बिहार की सरकार ने दे दिया है लेकिन राजस्थान की सरकार ने आज तक किसान को वह पेमेन्ट नहीं किया है। किसान बरबाद हो गया है आपके पीछे। उपाध्यक्ष महोदय, कपास की हालत क्या हुई? एक-एक महीने तक कपास पड़ी रही। वह पड़ा-पड़ा बरसात से भीग भी गई। किसान को एक तरफ तो बिजली नहीं मिलने से उसकी फसल नष्ट हो रही है दूसरी ओर उसके फसल का यह हाल हो रहा है। किसान तो तबाह हो गया उपाध्यक्ष महोदय। मैं कहना चाहूंगा कि जितना किसान इस सरकार में तवाह हुआ है उतना तबाह कभी नहीं हुआ है। ओलावृष्टि से किसानों की फसलें तबाह हो गई हैं। जहां एक ओर किसान की मदद के लिए पंजाब और हरियाणा सरकार ने किसान को 300 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया है वहां हमारी राजस्थान सरकार ने किसान को कुछ भी नहीं दिया है। अरे भाई कुछ तो दीजिए। ज्यादा नहीं दे सकते, तीन-तीन सौ रुपये पंजाब, हरियाणा और यू. पी. की तरह किसान को नहीं दे सकते तो कम से कम 50-50 रुपये प्रति एकड़ ही दीजिये। अरे अगर आपके पास नहीं है तो ऐसी व्यवस्था कीजिये कि उसे बैंक से ही पैसा मिल जाय। ऐसी व्यवस्था कर दो। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर मुख्य मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि चाहे, मुख्य मंत्री जी, आप सदन में विश्वास प्राप्त कर लें या नहीं करें लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि आप किसान का तो विश्वास प्राप्त नहीं कर सकते राजस्थान में। आज आपकी सरकार में जितना किसान जलील हुआ है उतना पहले किसी भी सरकार में नहीं हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं थोड़ा मुख्य मंत्री जी की घोषणाओं पर भी कहना चाहूंगा। भ्रष्टाचार के बारे में इसी सदन में बहुत बड़ी-बड़ी घोषणायें की थीं कि अब मैं और धमाके करने वाला हूं। लेकिन आज दो साल हो गये कोई धमाका नहीं हुआ। क्या हुआ आपके उन धमाकों का? कहां गये आपके भ्रष्टाचार के खिलाफ धमाके? हमने तो नहीं कहा था कि आप धमाके करो। कौन रोक रहा है आपको धमाके करने के लिये।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। वह है प्रशासन में भ्रष्टाचार के बारे में। आज जिस तरह का भ्रष्टाचार इस राज्य में है वैसा पहले कभी नहीं था। आज से पहले कांग्रेस के राज्य

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

में भी भ्रष्टाचार की काफी बातें सुनीं, भ्रष्टाचार था पर महंगा था क्योंकि कांग्रेस के मन्त्री जो पैसा लेते थे वह दलाल के मार्फत लेते थे लेकिन आज स्थिति दूसरी है आज दलाल नहीं रहा है। आज तो भ्रष्ट अधिकारी पैसा सीधे ही ले रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह भी चमत्कार है, जनता पार्टी के सरकार का कमाल है, दलाल रो रहा है। उसे कोई पूछ नहीं रहा है।

श्री दांताराम : किसने सीधे लिया, आप बताओ। आप बताओ तो मानूंगा। नहीं तो नहीं मानूंगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आज सारे प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। इसके साथ-साथ उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी से कहना चाहूंगा वह यह है कि गंगानगर जिले में इन्होंने नहरी जमीन की नीलामी की स्वीकृति दे दी। वहां पर पहले भी आन्दोलन हुआ था उसमें 15 व्यक्ति शहीद हुए थे। आपको, मुख्य मन्त्री जी, याद होगा कि इसका पहले काफी विरोध व आन्दोलन हुआ था। आपने दुबारा नीलामी करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वहां पर नहरी जमीन को कौन लेगा ? क्या गरीब आदमी लेगा ? आपने तो कह दिया कि प्लानिंग कमीशन नहीं मान रहा है। मुख्य मंत्री जी, यही बात उस जमाने में सुखाड़िया जी कहा करते थे कि प्लानिंग कमीशन इस बात के लिये नहीं मानता है इसलिये मैं वहां पर नीलामी करा रहा हूं। आज वही बात आप कर रहे हैं जिस बात के लिये पहले आपने खिलाफत की सुखाड़िया जी के जमाने में। आप किसानों के साथ गद्दारी कर रहे हो। यह बात तो मैं मानता हूं कि आपको गंगानगर जिले से एलर्जी है, यह हमारा दुर्भाग्य है पर, मेहरबान, वहां पर आपने एक मुरब्बे जमीन की एक लाख 20 हजार रुपये कीमत रख दी है। आठ मील के घेरे की जमीन में जितने मुरब्बे हैं, उनके एक लाख बीस हजार रुपये लोग कैसे देंगे ? आपको, मुख्य मंत्री जी, गरीबों से कुछ विशेष प्रेम है ऐसा आप दर्शाते हैं। अन्त्योदय योजना जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद आई इसलिए वहां पर यह भाव जमीनों के कर दिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी को याद होगा उन्होंने गोगामेड़ी में चौधरी देवीलाल के साथ घोषणा की थी कि टिनेन्सी एक्ट की धारा 15ए को खतम किया जायगा। इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने प्रोफेसर केदार की हालत खराब कर दी। उनकी किसान विरोधी नीतियों के कारण प्रोफेसर केदार को मन्त्री पद छोड़ना पड़ा। अगर वह नहीं छोड़ते तो उनका गंगानगर में घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता। यह वही प्रोफेसर केदार हैं जिसको गंगानगर में कोई नहीं हरा सकता था। उनको अपना पद छोड़ना पड़ा। यह हैं, मुख्य मंत्री जी, आपके करिश्मे। यह है आपके चमत्कार। आपके इन चमत्कारों में थोड़ा सुराणाजी का भी हाथ है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं थोड़ा मजदूर वर्ग के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। मैंने, उपाध्यक्ष महोदय, कई मुख्य मन्त्री देखे और राजस्थान की जनता ने भी देखे लेकिन इतना झांसा देने वाला मुख्य मन्त्री नहीं देखा। मान गये, भाई। आप तो मास्टर हैं

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

झांसा देने में। आपने इस मामले में मुझे भी काफी परेशानी में डाला है। जब सिंचाई विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल चल रही थी, आपने मुझे बार-बार कहा कि इसको समाप्त कर दो मैं सब ठीक कर दूंगा पर आपने कुछ नहीं किया। क्योंकि वह हमारी यूनियन थी इसलिए आपने जरूरी नहीं समझा, आज तक आपने नेगोसियेशन नहीं किया। आपने कहा कि नेगोसियेशन करेंगे, हड़ताल वापिस ले लें। यह आज तक किसी भी इतिहास में नहीं रहा कि हम किसी मुख्य मन्त्री के कहने पर हड़ताल को वापस ले लें और उसको वह भूल जायें और याद भी नहीं करें। आपने आर. एस. एस. और बी. एम. एस. को सरकारी प्रोटेक्शन दिया है। क्या हो रहा है, मुख्य मंत्री जी ? घासीलाल शहीद हुआ, और मारा गया। इसलिए मारा गया कि वह सीटू का सदस्य था। एम. एल. ए. के क्वार्टर में मुलजिम गिरफ्तार होते हैं उनका क्या हुआ ? क्या जांच हुई, आज तक, जरा बतायें ? कहां थे वह मुलजिम ? सड़क पर थे या क्वार्टर में थे ? 24 तारीख की रात को फिर एक घटना कोटा में हुई है। आपके भतीजे ने बहुत बड़ा कीर्तिमान कायम किया है रमेश चतुर्वेदी·······

श्री हरीश शर्मा : यह मामला बिल्कुल गलत है।

(व्यवधान)

श्री श्योपत सिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, लक्ष्मी वर्कशाप वेस्टर्न रेलवे कोटा में चार हजार मजदूर हैं। 24 तारीख की रात को शम्भूसिंह, जो कि रेलवे का कर्मचारी था, पर आपके आर. एस. एस. के गुण्डों ने हमला किया और वह मर गया। मुख्य मंत्री जी वह जिन्दा नहीं है। उसका लड़का घायल पड़ा है। यह किसने किया और किसने नहीं किया। 3 मुलजिम गिरफ्तार हैं और एफ. आई. आर. मौजूद है·······

श्री भैरोसिंह शेखावत : रमेश चतुर्वेदी का क्या कह रहे थे ?

श्री श्योपत सिंह मकासर : रमेश चतुर्वेदी मुलजिमों में है·······

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आन ए पाइन्ट आफ क्लेरीफिकेशन, सर। उस केस में रमेश चौबे है, हंसराज और विजय है। रमेश चौबे के पिता का नाम द्वारका प्रसाद है। मेरे भानजे का नाम भी रमेश चतुर्वेदी है। यह वह नहीं है जो मुलजिम है। माननीय सदस्य ने मेरा नाम लिया इसलिए कह रहा हूं।

श्री श्योपत सिंह मकासर : मैं कभी अखबारों पर विश्वास नहीं करता, मैं कभी अखबारों का रेफरेन्स नहीं देता। मुझे टेलीफोन मिला-मजदूरों के नेता का जिन्होंने इनके नाम बताये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खैर कोई बात नहीं। इससे आप इन्कार कीजिए। अभी अलवर में क्या हुआ है ? गुलाबपुरा में क्या हुआ है ? जहां-जहां भी सीटू का सवाल आये वहां सरकारी प्रोटेक्शन बी. एम. एस. को दिया जाता है और

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

उन्हें गुण्डागर्दी की खुली छूट दी जाती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इस देश में विरोधी दल में रहते हुए संगठन बनाने की इजाजत है तो सीटू के ऊपर किस प्रकार से रोक लगा सकते हैं ? सीटू के कार्यकर्ताओं पर हमले करें। अलवर में क्या हो रहा है ? आप वहां पुलिस भेजिये और इन्क्वायरी कराइये। अभी एक मिल वहां लगी है, सिन्थेटिक का धागा जहां बनता है वहां एक हजार मजदूर हैं। वह कौन से झण्डे के नीचे रहना चाहते हैं ? सीटू के अन्दर रहना चाहते हैं तो वहां पर उनके ऊपर गुण्डे हमला करें। यह क्या बात है ? कल हजारों विद्यार्थियों का विधान सभा के बाहर प्रदर्शन था। जब नौजवान यहां आ रहे थे तो अलवर के स्टेशन पर हमला हो रहा था। उनका सबसे बड़ा गुनाह यही था कि वह सीटू के झण्डे के नीचे थे। अगर यही गुनाह है तो कहना पड़ेगा कि आप महान् कीर्तिमान कायम कर रहे हैं।

आपके कीर्तिमान की और चर्चा करूं। बारां का गोलीकांड आपके मुंह पर कलंक है। यह 2।। साल का शानदार अचीवमेन्ट है। सबसे पहले जनता पार्टी ने विद्यार्थियों का कत्लेआम किया। गत विधान सभा में, ठाकुर साहब, आप कह रहे थे कि पुलिस ने एक बालक को डुबो कर मार दिया। यह क्या अचीवमेन्ट है ? ठाकुर साहब, आज सोश-लिस्ट पार्टी के नेताओं को क्यों बुलाना पड़ रहा है ? मैं जानता हूं। पार्लियामेंट के अन्दर भी समाजवादी नेता श्री जार्ज फर्नान्डिज को बुलाया था। भटनागर साहब आप भी तैयारी कर लें। आप रहें या नहीं रहें, कहां रहें यह सोचने की बात है। यह इस बात का द्योतक है कि किसी जन-संघी का हौसला नहीं है बोलने का। यह सब आर. एस. एस. के सूरमा बैठे हैं और चुपचाप बैठे हैं। इनको इसलिए नहीं बुला रहे हैं कि सोशलिस्ट काबिल हैं। यह भी कीर्तिमान कायम किया जा रहा है। सदन में अविश्वास के प्रस्ताव पर सोशलिस्ट बोलेंगे और आर. एस. एस. नहीं बोलेगा–यह कीर्तिमान है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपना भाषण समाप्त करें।

श्री श्योपत सिंह मकासर : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा टाइम बिगाड़ दिया डिस्टर्ब करके। दो मिनट में खतम करूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष जी, आज लॉ एण्ड आर्डर की हालत क्या है ? एफ. आई. आर. दर्ज नहीं होती। आज प्रदेश के अन्दर जेब-कतरों का गेंग घूम रहा है। मुझे मालूम नहीं यू. पी. में क्या हो रहा है, मुझे मालूम नहीं पंजाब में क्या हो रहा है लेकिन ऐसा महसूस होता है कि हिन्दुस्तान के सारे जेबकतरे राजस्थान में आ गये हैं। क्या कोई हिस्सापांती तो नहीं है, दोस्त ? मुझे शक होता है, किसी भी शहर में चले जाओ, किसी भी बस अड्डे पर चले जाओ महि-लाओं के गले की जंजीरें लुट रही हैं। एफ. आई. आर. दर्ज नहीं होती। यह खूबी है गृह मंत्री जी कि ऐसे केसेज में एफ. आई. आर. दर्ज नहीं होती। सारी जगह यही हालत है।

दूसरी जगह भी आपने कीर्तिमान्

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

कायम किये हैं। मालविया इन्जीनियरिंग कालेज का विद्यार्थी मारा गया कत्ल किया गया। पोस्ट मास्टर की हत्या हुई और दिन दहाड़े हुई। कस्टम कलेक्टर की हत्या हुई। जवाब में बतायें कि कितने मुलजिम पकड़े गये? कौन-कौन पकड़े गये? कोई मुलजिम नहीं पकड़ा जाये फिर भी आपके लॉ एण्ड आर्डर की तारीफ करें?

इसके साथ ही साथ मैं श्री नारायण चतुर्वेदी और गुरदयाल सिंह संधु की चर्चा भी किये बिना नहीं रहूंगा। माननीय मुख्य मंत्री जी, आपकी पुलिस बहुत होशियार है। कितने मुलजिम पकड़े गये गुरुदयाल सिंह संधु के कत्ल में? जिस समय उनका कत्ल किया गया उस समय कोई आदमी मौजूद नहीं था। आपने 12 मुलजिम पकड़े हैं। चश्मदीद गवाह नहीं है तो मुलजिम छूटेंगे या उनको सजा होगी, यह तो आपको भी पता होगा। यह तो एक कामन सेन्स की बात है? क्या आपके पुलिस के अधिकारियों में इतनी भी कामन सेंस नहीं है? उन्होंने ईमान बेच दिया। मेरा इल्जाम है कि यह मिलीभगत है। मरने से पहले श्री गुरुदयाल सिंह संधु ने एस.पी. के पास जाकर कहा कि मेरी जिन्दगी को खतरा है। एक सप्ताह पहले 307 की घटना हुई बुडाजोहड़ में। मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों नहीं सरकारी गवाह रखा गया? आप तो पुलिस में रहे हुए हैं, मुख्य मंत्री जी। इतना तो जरूर मालूम होगा कि कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। आप सरकारी गवाह नहीं बनायें तो उस केस का क्या हाल होगा?

दूसरा सबसे बड़ा अचीवमेन्ट, राजस्थान की सरकार का ही नहीं हिन्दुस्तान की जनता पार्टी के अध्यक्ष का अचीवमेंट है। यह कौन लोग हैं? मैं सबके फोटो भी लाया हूं और आपके फोटो भी लाया हूं। नारायण चतुर्वेदी के कातिल चन्द्रशेखर के साथ हैं। राजेन्द्र सिंह और सुरेन्द्र सिंह का फोटो जनता पार्टी के अध्यक्ष चन्द्रशेखर के साथ है। आपके साथ भी है और कालवी साहब के साथ भी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : और केदार जी के साथ भी है।

श्री श्योपत सिंह मकासर : आप भी इधर आ जाइये। आप इस बीमारी से निकल कर इधर आ जाइये। आपको स्पष्ट करना पड़ेगा, अगर आप ईमानदार है, अगर आप चाहते हैं इस देश की बहबूदी हो। प्रोफेसर केदार ने अपने गुनाहों का फल भुगत लिया, छोड़ कर इधर आ गये। अगर इस बात का फक्र समझते हैं तो इससे ज्यादा कुछ नहीं कहता। मुझे याद है आप जलसे किया करते थे दिलीप काण्ड के। नारायण चतुर्वेदी जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता थे, चौपड़ को छोड़ो, कोई नुक्कड़ मीटिंग तो कर लेते। मेरे कहने का मतलब है, आप मुल्जिमों को पकड़ नहीं रहे है, आप ढोंग कर रहे हैं। मुल्जिमों को बचाने के लिए एक सुन्दर ढंग है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा विद्यार्थियों के बारे में.......

श्री उपाध्यक्ष : आपने बहुत समय ले लिया है।

श्री श्योपत सिंह मकासर : अन्त्योदय योजना के बारे में थोड़ा सा कहना चाहता हूं। मुख्य मंत्री जी, आपका अन्त्योदय मेरे पास है। मैं इसका विरोधी नहीं हूं। हम चाहते थे आप इसको लागू करें। फूड फार वर्क को सफल बनायें। आपने क्या हालत बना दी ? विरोधी पक्ष को विश्वास में लेने की आपने कभी आवश्यकता नहीं समझी। आप अपने दल की कमेटी बना लेते। मगर आपने कभी नहीं किया। आप में इन्फीरियरिटी काम्पलेक्स है। कोई न कोई गड़बड़ है। आपके अन्त्योदय की यह उपलब्धि सादुलशहर तहसील की 13-4-78 की है। कितना जलील उन गरीब लोगों को किया गया है। आप उन लोगों को नकद पैसा नहीं देते। गरीब दर-दर की ठोकरें खाता है। कभी बी. डी. ओ. के पास जाता है, कभी डॉक्टर के पास जाता है। मैंने कहा था, मुख्य मंत्री जी, अगर आपको गरीबों को रुपया देना है 4॥ हजार रुपया नकद दीजिये। कहते हैं खा जायेगा। आप लोग क्या कर रहे हैं, आपके बड़े-बड़े आफिसर क्या कर रहे हैं। गरीबों की इन्टेग्रिटी पर डाउट करते हैं। आप पैसा नहीं देते। दो हजार रुपये की भैंस 2॥ हजार रुपये में मिलती है। बिना पैसे कौन देगा अगर उसके हाथ में पैसा देते है·····

(3·53 म. प.)

(श्री गोपालसिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

2 हजार की भैंस 2॥ हजार में लायेगा। यह हालत आपने कर रखी है। आपका फूड फार वर्क क्या है ? बिना सीमेंट के विकास कार्य अधूरे मुंह बाये खड़ा है। कहीं ईंट नहीं मिलती, कहीं सीमेंट नहीं मिलता। सारे का सारा फरेब है। अगर केन्द्रीय सरकार ने गेहूं दे दिया तो निर्माण कहां से करेंगे बिना सीमेंट के ? जिनके बजट बन गये थे 10 हजार के वह अब काम 15 हजार में होंगे। आपने क्या किया है ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं ······

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष आ गये हैं।

श्री श्योपत सिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं। देश के अन्दर, विधान सभा के अन्दर, मुख्य मंत्री जी, आप बहुत चतुर हैं, आप इधर से उधर ले जा सकते हैं, शायद यह हिम्मत इधर नहीं है। आपमें हिम्मत जरूर है। पटाने में माहिर हैं। आप यहां भाषण कर सकते हैं लेकिन बाहर·······

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : दिसम्बर में पता लगेगा।

श्री श्योपत सिंह मकासर : इन्दिरा ने भी यही कहा था। यह कह रहे हैं दिसम्बर में पता लगेगा। इसी भरोसे पर इमर्जेन्सी तोड़ी थी। संजय गांधी चौगुनी भीड़ किया करते थे। आप क्या फर्मा रहे हैं डण्डा दिखाकर वोट लेंगे। हमारा इम्तहान मैदान में होगा। अभी आपको भरोसा नहीं है। मगर एक बात कहता हूं कि प्रदेश के अन्दर आपने सबसे बड़ा गुनाह एक ही किया है कि सामन्ती शक्तियों को जनता पार्टी ने ताकत दी है। आज हरिजनों

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

की बात कर रहे हैं, इनकी हालत ही नहीं है आंख उठा कर सामने बात करने की.......

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

20 साल पहले जिन जागीरदारों में, बड़े चौधरी में कुछ घुटन देखते थे आज वह माला लगा साफा बांध कर निकलते हैं। गरीब की हिम्मत नहीं होती चाहे आप कुछ करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय,.......

श्री रघुनन्दन व्यास : श्योपत सिंह जी खुद जागीरदार हैं।

श्री श्योपत सिंह मकासर : अगर मेरा बाप जागीरदार है तो उसकी बढ़ाई नहीं कर रहा हूं, विरोध ही कर रहा हूं। इतनी हिम्मत आप में नहीं है......

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में ही अपनी बात खतम कर रहा हूं। पीने के पानी की हालत क्या है? बड़ी अजीब बात है। पहले हरिसिंह जी मंत्री थे। मेरे जिले में गये। तीन गांवों को स्वीकृत कर आये। आपके चीफ इन्जीनियर की बात बताऊं। आपके इशारे पर या दूसरे किसी के इशारे पर, मुझे मतलब नहीं, वह तीनों नाम काट दिये जो हरिसिंह जी तय करके आये थे। और कौन से गांव कर दिये जिनमें 15 साल से वाटर वर्क्स हैं। मकासर गांव का नाम नहीं है। 79-80 के लिए लिस्ट में दी गई है। उसमें केसरी-सिंहपुर मण्डी जिसमें पहले से वाटर वर्क्स है. का नाम भेज दिया। यह भी आपका चमत्कार है। मुख्य मंत्री जी, आपके चीफ इन्जीनियर का चमत्कार है....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री रघुनाथ विश्नोई : अगर ऐसी गलती हुई है तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिये।

श्री श्योपत सिंह मकासर : इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक अपील करता हूं, यह किसी के विरोध का सवाल नहीं है. प्रदेश के अन्दर समाजवादी दोस्तों से कहना चाहता हूं, आना पड़ेगा, दो दिन बाद आना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं लोकतांत्रिक शक्तियां मजबूत हों, अगर आप चाहते हैं तानाशाही शक्तियां फिर न उभरें तो आप तमाम लोगों का फर्ज बन जाता है कि सांप्रदायिक ताकतों का विरोध करें। यह माननीय समाजवादी सदस्यों से अपील है। देर आयद दुरुस्त आयद, वाली बात कहूंगा।

व्यवस्था

वित्तीय समितियों के निर्वाचन का दुबारा कार्यक्रम

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राम नारायण चौधरी तथा श्री मथुरा दास माथुर ने दिनांक 26 सितम्बर, 1979 को एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था कि वित्तीय समितियों के चुनाव के लिये जो कार्यक्रम सदस्यों को प्रसारित किया गया है वह वैध नहीं है क्योंकि गत बजट सत्र में इन्हीं समितियों के लिए नामांकन पत्र प्राप्त होकर निर्वाचन अधिकारी द्वारा

(श्री अध्यक्ष)

उनकी वैधता की जांच करली गई थी; किन्तु सदन के सत्रावसान के कारण चुनाव नहीं हो सके, फिर भी चूंकि चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी अतः चुनाव के लिए नया कार्यक्रम प्रसारित नहीं किया जाना चाहिए था।

इस सम्बन्ध में तथ्य ये हैं कि गत बजट सत्र में वित्तीय समितियों के चुनाव के लिए जो कार्यक्रम अन्तिम रूप से सदन द्वारा स्वीकार किया गया था और जो दिनांक 5–4–79 को बुलेटिन के द्वारा प्रसारित किया गया था उसके अनुसार जो नामांकन पत्र वैध स्वीकार कर लिये गये थे उनको वापस लेने की तारीख 11–4–79 तथा चुनाव यदि आवश्यक हो तो उसकी तिथि 12–4–79 रखी गई थी किन्तु सदन की बैठक अकस्मात 9–4–79 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो जाने के कारण चुनाव सम्पन्न नहीं कराये जा सके यहां तक कि नाम भी वापस नहीं लिये जा सके। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सदन द्वारा पूर्व स्वीकृत कार्यक्रम की पालना नहीं की जा सकी और माननीय अध्यक्ष को इन समितियों के कार्यकाल को छः माह के लिए बढ़ाना पड़ा।

इससे यह माना जायेगा कि सदन के सामने वर्तमान सत्र में पूर्व प्रसारित कार्यक्रम और जिसके आधार पर वह प्रसारित किया गया था, उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। इन परिस्थितियों में इसके अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह गया था कि इन समितियों के चुनाव के लिए कार्यक्रम नये सिरे से प्रसारित किया जाता। यह कार्यक्रम सदन द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के पारित होने पर ही जारी किया जा सकता था। इसी के अनुसार सदन के नेता महोदय द्वारा समितियों का चुनाव कराने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। यदि केवल कार्यक्रम को ही दुबारा प्रसारित किया जाना था तो नया प्रस्ताव प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यदि माननीय सदस्य इस बारे में कोई आपत्ति प्रस्तुत कर सकते थे तो उस अवसर पर जब कि सदन के नेता महोदय द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर चुनाव कार्यक्रम को चुनौती देना केवल एक अनावश्यक दिक्कत पैदा करने का प्रयास है, जिसका कोई औचित्य नहीं है।

ऐसी स्थिति में मैं यह व्यवस्था देता हूं कि जो कार्यक्रम प्रसारित किया गया है उसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। मैं व्यवस्था के प्रश्न को अस्वीकार करता हूं।

मन्त्रि परिषद के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार

माननीय श्यामा कुमारी।

श्रीमती श्यामा कुमारी संगर (कपासन) : माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : समय सीमा 10 मिनट है।

श्रीमती श्यामा कुमारी संगर : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके आदेशानुसार मैं संक्षेप में ही अपनी बात कहने का प्रयास करूंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहती थी जो जनता पार्टी कल तक अच्छी थी, वह एकदम खराब कैसे हो गई

(श्रीमती श्यामा कुमारी संगर)

जो अविश्वास का प्रस्ताव लाने की नौबत आ गई....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शांतिपूर्वक सुने।

श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर जनता पार्टी में हम सब एक दल के रूप में थे और सामुहिक जिम्मेदारी थी, सामुहिक उत्तर-दायित्व था तो फिर इसका मतलब यह कैसे हो गया कि जनता पार्टी के प्रति अविश्वास लाया जावे। फिर भी हमारे विरोधी दल के नेता महोदय मैं उनका ब त आदर करती हूं वे सम्माननीय हैं, ने सामुहिक रूप से जो अविश्वास का प्रस्ताव रखा है और जो आरोप लगाये हैं मैं प्रत्यारोप नहीं करूंगी, क्योंकि विधान सभा में पहली बार ही यह कहा था कि आरोप का जवाब प्रत्यारोप नहीं है, उसका जवाब तो काम के द्वारा होता है यदि ये उसी प्रकार का प्रस्ताव करते तो हमने अपने कामों के माध्यम से जनता में काफी काम किया है फिर भी अनुशासनात्मक कार्यवाही। इस पर मैं सोचती हूं जहां तक जनता पार्टी में यह बात आई है वह दिल्ली की जो प्रदूषित हवा है, उससे आई है। उसका प्रभाव हमारे राजस्थान में नजर आने लगा है अथवा दूसरा कारण दिल्ली में जनता पार्टी में राजनारायण ने जो हवा खराब की, उस हवा को उन्होंने राजस्थान में भी लाने की कोशिश की है। एक दूसरा कारण यह भी हो सकता है और कभी-कभी ऐसा भी होता है जिस रंग का जो आदमी चश्मा पहन लेता है तो उसको उस ही रंग की चीज दिखाई देने लग जाती है। तो उस चश्मे से जो जनता पार्टी की अच्छाइयां हैं, वह नहीं देखी जा रही हैं। मैं कहना चाहती हूं कि हमारी जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तब से मैं केवल राजस्थान के सम्बन्ध में ही बात कहूंगी, हमने जो कार्यक्रम अपनाया है वह बहुत ही बढ़िया है। हमारा भारतवर्ष गांवों का देश है और इसलिए जो हमारा कार्यक्रम है वह गांवों के विकास के लिये था—ग्रामोन्मुखी था। इसी प्रकार जितने भी कार्यक्रम थे चाहे वे राजस्व अभियान के हों या और किसी के हों सरकार ने वहीं उनके साथ बैठकर निपटाये हैं। हम यह भी देखते हैं कि पिछली सरकार के समय में हमारे जितने भी काम होते, गांवों के लोगों को, ग्रामीण भाइयों को उन कामों को कराने के लिए जूतियां टूट जाती थीं, काम को निपटाने के लिए उनकी औरतों के जेवर बिक जाते थे और फिर भी वर्षों तक कोई फैसले नहीं होते थे किन्तु आज वही फैसले एस.डी.ओ., बी.डी.ओ. और तहसीलदार पटेल की पोल पर बैठ कर कर लेते हैं। जब गांव की चौपाल पर बिद्यायत होकर ग्राम सभा होती है तो उनमें फैसले हो जाते हैं और इस तरह हमारे ग्रामीण भाइयों को घर बैठे न्याय मिल जाता है। इस तरह हमारी सरकार गांवों की तरफ काफी ध्यान दे रही है। मैं समझती हूं इससे अच्छा काम और क्या हो सकता है। इस तरह के राजस्व अभियान में हमारी सरकार ने 23 लाख 98 हजार मामलों का निपटारा किया है जो एक कीतिमान है। पहले यह कहा जाता था, और यह एक प्रकार की मांग हो गई थी क्योंकि दर्शनार्थी मन्दिर में जाता था और भगवान के दरवाजे बन्द मिलते थे।

(श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर)

काफी चक्कर लगाने के बाद भी उनको कलेक्टर, बी. डी. ओ., एस. डी. ओ., तहसीलदार आदि के दर्शन नहीं होते थे किन्तु आज वे ही गांव-गांव में जाकर, उनके साथ बैठ कर न्याय प्रदान करते हैं।

दूसरी सीमा में मैं यह अर्ज करना चाहती हूं कि अन्त्योदय योजना जो चलाई है जिसको अनेक राज्यों ने अच्छा समझकर स्वीकार किया है उसके तहत 2 लाख 39 हजार नौ सौ नवासी लोगों को फायदा पहुंचाया गया है। जो समाज के सबसे पिछड़े व्यक्ति थे, जिन पर आज तक सरकार की नजर नहीं गई थी, उसको ऊंचा उठाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारी सरकार का यह काम कितना अच्छा है। पिछली सरकार जो काम करती थी यह था अमीर को अमीर बनाने का। उसने गरीब पर कभी ध्यान नहीं दिया। यह समझ में नहीं आता गरीब पर ध्यान देने वाली जो सरकार है उस पर अविश्वास का प्रस्ताव कैसे ?

इसके अतिरिक्त मैं अर्ज करना चाहती हूं सरकारी नौकरियों में जो अपनी सेवायें प्रदान करते हैं उनको तो भविष्य की सुरक्षा होती है और उनको वृद्धावस्था में पेंशन मिलती है लेकिन आज तक यह व्यवस्था नहीं थी कि गांव में रहने वाले लोगों को भी पेंशन मिले। हमारी जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जो अपाहिज हैं, वृद्ध हैं, अशक्त हैं और जिनके कमाई के साधन नहीं हैं उनको भी पेंशन देकर राहत पहुंचाई गई है, 37,565 लोगों को इस तरह का लाभ दिया गया है। इसके बावजूद कैसे कह सकते हैं कि हमारी सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है। मैं सदन को यह भी जानकारी देना चाहूंगी, पहले हरएक आदमी को राशन रखना पड़ता था और उसको कई आवश्यक वस्तुएं राशन से ही प्राप्त होती थीं किन्तु अब जनता पार्टी की सरकार आने पर किसी व्यक्ति को राशन की जरूरत नहीं है। जितना सामान उसको चाहिये, वह सब बाजार में मिल जाता है।

मंहगाई का सम्बन्ध हमेशा उत्पादन से है और क्योंकि पिछले साल से कुछ इस प्रकार के दैवी प्रकोप होते आए हैं, इस कारण से मंहगाई बढ़ी है। इस कारण से हम चाहते हैं कि इसमें भी ये हमारा सहयोग करें और किसी तरह से मंहगाई दूर हो जावे।

इसके साथ ही, श्रीमान्, हमारी पिछली सरकारों ने कई दफा जब भी लोगों के मकान पड़े तो सहायता दी है और ग्रामीण जनता को, गरीबों को अनाज बांटा है लेकिन आज ग्रामीण लोग कहते हैं कि पहले तो बिल्कुल सड़ी गली ज्वार दी जाती थी जिसको खाकर वे बीमार हो जाते थे लेकिन हमारी सरकार ने जो अनाज दिया है वह हमारे माननीय डागाजी जिस तरह का गेहूं खाते हैं वैसा ही गेहूं उनको दिया है। इसके साथ ही उनको इतना अनाज कभी नहीं दिया जितना कि आज दे रहे हैं। दिन भर काम करने के बाद पांच छः किलो अनाज का पोटला बांध कर शाम को घर पर लाते हैं। पहले उनको इतना पैसा मिलता था कि उनका पेट नहीं भर सकता था, दूसरी चीजें नहीं खरीद सकते थे और

(श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर)

आदमी और औरत को जितना अनाज मिलता था उससे वे अपना पेट भर सकते थे लेकिन बच्चे भूखे रहते थे। इस प्रकार की स्थिति हमारी सरकार ने बदली है और इसके लिए हमारी सरकार बधाई की पात्र है और सरकार को बधाई दी जानी चाहिए।

इसके अलावा, श्रीमान्, आज तक जो काम के बदले अनाज योजना में अन्दर पूरे प्रदेश में महत्वपूर्ण काम हुए हैं और एक भी ग्राम ऐसा नहीं बचा है जहां पर कुछ न कुछ काम नहीं हुए हों। इस तरह से ग्रामों की हालत बदली है। इस योजना से 31-3-79 तक 3358 शाला भवन बने हैं, 319 औषधालय भवन बन कर तैयार हुए हैं, 1012 पंचायत घर बने हैं, 1030 पेयजल, कूप एवं डिग्गियां बनी हैं, 621 सिंचाई के तालाब बन चुके हैं, 1109 ग्रामीण सड़कों का निर्माण हुआ है और 2447 अन्य छोटे मोटे काम हो चुके हैं। इस प्रकार से ग्रामों के लाभ के काम हमारी सरकार चला रही है तो हम उसके ऊपर किस प्रकार से आरोप लगा सकते हैं। इसी प्रकार से प्रजातन्त्र का एक मुख्य मुद्दा होता है जिसमें प्रदेश की, जनता की खुशहाली लाना सरकार का दायित्व है. इसके तहत जबसे हमारी सरकार बनी है, अच्छी प्रगति दिखाई देती है, स्वयं पिछले दिनों के बजट सत्र में हमारे खेतसिहजी राठौड़ ने कहा था कि हमारी सरकार ने कभी इतने काम नहीं किए जितने हमारे क्षेत्र में आपकी सरकार ने काम किये हैं। तो इस प्रकार से हमारे प्रदेश में प्रगति हो रही है, वह अनुकरणीय है, प्रशंसनीय है।

इसी प्रकार हमारी सरकार ने प्रदेश में 11 कालेज खोले हैं, 15 कालेजों को पोस्ट ग्रेजुएट कालेजों में क्रमोन्नत किया है, 788 माध्यमिक स्कूल खोले हैं, 843 उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले हैं और 2822 प्राथमिक विद्यालय खोले हैं। मैं समझती हूं कि कुल मिला कर जनता पार्टी की ये उपलब्धियां हैं और इनके लिए उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। लेकिन इसके साथ एक बात और हुई है और वह यह है कि विरोधी पक्ष जाग्रत हुआ है, विरोधी दल मजबूत हुआ है। प्रजातन्त्र के लिए विरोधी पक्ष मजबूत होना चाहिए। प्रजातंत्र में विरोधी पक्ष का काम सत्ताधारी पक्ष पर अंकुश रखना है और उनकी धारणा के अनुसार हमारे विरुद्ध जो अविश्वास का प्रस्ताव रखा है। हम इसमें भी उनका मुकाबला करेंगे, अविश्वास प्रस्ताव में इनको हरा कर इनका मुकाबला करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागा साहब।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो पार्टी अपने चुनाव घोषणा पत्र में वायदे करती है और जो वायदे पूरे नहीं कर पाती या मुकर जाती है उसे नैतिकता के आधार पर कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है। मैं कई प्रश्नों के उत्तर आपकी जनता पार्टी के जो विधायक कहते हैं उनके आधार पर दूंगा।

(व्यवधान)

(श्री मूलचन्द डागा)

जनता पार्टी में अच्छे विधायक हैं। जिनका नाम ईश्वरचन्द्र भटनागर है उन्होंने अपने एक इन्टरव्यू में अपना वक्तव्य दिया है और वह वक्तव्य छपा है 1 अप्रैल, 79 को, "खबर नवीस" अखबार में छपा है।

श्री रघुनन्दन व्यास : एक अप्रैल की तारीख में ?

श्री कौशलकिशोर जैन : आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : दो साल से हमारा शासन चुनाव घोषणापत्र को नहीं निभा पाया। कभी-कभी तो ऐसा लगता है जैसे चुनाव घोषणापत्र केवल राज हासिल करने के लिये दिया गया था। यह है उनका एक स्टेटमेंट।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागा साहब, दस मिनट का समय है आपका।

श्री मूलचंद डागा : श्रीमान्, दूसरे सदस्यों ने 25–25 मिनट लिए हैं। मैं अगर तथ्य नहीं कहूं तो बिठा दीजिए। नो कौंफीडेंस मोशन में....

श्री उपाध्यक्ष : कई अन्य माननीय सदस्य भी बोलेंगे।

श्री मूलचंद डागा : मैं आपकी आज्ञा मानता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : फर्माइये।

श्री मूलचन्द डागा : आगे आपने यह बात भी कही है कि दो साल में हम उस मकान के पर्दे भी पलट नहीं पाए हैं और हमने कोई परिवर्तन नहीं किया है।

इसके बाद एक लेख से और साबित करना चाहता हूं। उन्होंने लिखा है कि वर्तमान मुख्य मन्त्री उन सारे ऐबों के शिकार हैं जिनसे उनको बचने की जरूरत है। वे अपनी इन्सानी जिन्दगी को खो बैठे हैं। मुख्य मन्त्री कम और एक चालाक सामन्त ज्यादा नजर आते हैं। अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए न मालूम कितने ही देवी देवताओं के आगे सिर झुकाते हैं...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह कौनसा कलमा पढ़ रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान्, मैं आपको बताता हूं। यह लिखा है कि ये तो बड़े आदमी के साथ बैठे हुए हैं और गरीब लोगों को उनके सामने बिठा दिया गया है जिससे लगता है कि ठाकुर साहब सामन्ती जमाने में किसानों को जागीरें बांट रहे हैं।

श्री ईश्वरचन्द्र : सही तो पढ़ो भाई।

श्री मूलचन्द डागा : मैं यह कहता हूं कि जनता पार्टी ने बड़े आश्वासन दिए। एक आश्वासन दिया और वह आश्वासन यह था, सबसे पहले जो हमारे राज्यपाल महोदय ने पहला भाषण दिया 19 जुलाई, 77 को। उन्होंने भाषण दिया, उसमें कहा कि आपातकाल की स्थिति में देश के अन्य भागों में बड़ी ज्यादतियां हुई हैं। इस सम्बन्ध में एकत्रित सारे तथ्य शाह आयोग को उपलब्ध कराये जायेंगे तथा जिन व्यक्तियों ने आपातकाल की स्थिति के दौरान ज्यादतियां

(श्री मूलचन्द डागा)

की हैं उनके विरुद्ध सरकार शक्ति से कार्यवाही करेगी। हमारे माननीय सदस्य दौसा से आने वाले मूलचन्दजी सामरिया ने बड़ी हिम्मत के साथ अलवर हत्याकांड को रखा था। और उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने जुल्म ज्यादतियां की थीं हमारे मुख्य मन्त्री ने उनको बचाने की कोशिश की और एक मल्हन कमेटी बनाई। उन्होंने भी इस बात को एंडोर्स किया और करने के बाद जिन लोगों को दोषी ठहराया, कानसिंह आयोग ने जिनको दोषी ठहराया, मल्हन कमेटी ने जिनको दोषी ठहराया, हमारे माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने उन्हीं श्री रामसिंहजी को पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बना दिया। जबकि मुख्य मन्त्री को यह पता था कि इसलिए बनाया कि वहां श्री हरिदत्त गुप्ता और नाथूलाल जैन मौजूद थे, जो सीनियर मैम्बर थे उन सीनियर मैम्बर को चेयरमैन नहीं बना कर ने जो नए मैम्बर आए थे, जो अलवर हत्याकांड के दोषी थे, श्री किशनसिंहजी भाटी और मूलचन्दजी सामरिया ने कहा था कि इनको सजा दिलायेंगे....

श्री किशनसिंह भाटी : अब भी कहेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : आपातकाल में जिन लोगों ने ज्यादतियां की उनके लिए घोषणा की कि हम आपातकाल में जिन्होंने ज्यादतियां की हैं उनको सजा दिलायेंगे।

मुख्य मन्त्री ने तरकीब से उनको आगे ठेल दिया और उनको ऊंचे पदों पर भेज दिया। किसी को इण्डस्ट्रीज का डायरेक्टर बना दिया, किसी को कहां कर दिया, यह इनका अचीवमेंट है। उस अचीवमेंट के बाद उन्होंने दूसरा अचीवमेंट क्या किया? उन्होंने यह किया कि आर. जे. एस. व आर. ए. एस. के जिन्होंने पेपर आउट किए, जिसके बारे में सदन में काफी चर्चा हुई लेकिन उसके विरुद्ध क्या किया आपने? एक काम और आपने किया, राजस्थान जूडिशियरी जो इण्डिपेंडेंट थी उसको करप्ट कर दिया....

माननीय वेदपाल त्यागी जो चीफ जस्टिस थे उनको आपने वाइस चांसलर के पद पर लगाया। उनकी क्या दुर्गति हुई, यह आप जानते हैं। वाइस चांसलर बनने के पहले वे चीफ जस्टिस थे, उन्होंने जो जजमेंट दिया वह भी माननीय सदस्य जानते हैं। फिर श्री मोहनलाल जोशी जो कि 62 वर्ष के हैं उनको आपने लोकायुक्त बनाया....

श्री ईश्वरचन्द्र : माननीय सदस्य हाईकोर्ट के जजेज के नाम लेकर नहीं कह सकते हैं। यह नियमों में प्रावधान है।

श्री मूलचन्द डागा : ये हाई कोर्ट के जजेज नहीं हैं। श्री वेदपाल त्यागी और श्री मोहनलाल जोशी दोनों ही अब कहां हैं? मैं इस पद्धति के बारे में कह रहा हूं, जो आपने, जनता पार्टी ने अपनायी है। आपने यह कहा था कि हम जज को टेम्प्टेशन नहीं देंगे, लोभ नहीं देंगे। परन्तु यह आपने क्या किया? इसको आपने वाइस चांसलर कैसे बनाया? वाइस चांसलर बनने के बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी का क्या वातावरण बना है, यह माननीय सदस्य जानते हैं। इसके बाद श्री मोहनलाल जोशी को आपने

(श्री मूलचन्द डागा)

लोकायुक्त बनाया है। चीफ जस्टिस को पेन्शन मिलती है और भी कई सुविधाएं मिलती हैं। इस प्रकार मेरा यह चार्ज है कि आपने जजेज को करप्ट किया है। इस प्रकार पहले आपने विधायकों को भड़काया और विधायकों ने यहां पर आरोप लगाये और उसी अलवर हत्याकांड के दोषी श्री रामसिंह को आपने राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का केयरमैन बना दिया। यह आपका दूसरा उदाहरण है।

अब मैं आपके सामने शिड्यूलड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का उदाहरण देना चाहता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट नहीं हुआ है। अगर आप कहें तो बैठ जाऊं। मैं यह बताना चाहता हूं कि यहां पर यह कहा गया कि 28 पर्सेन्ट रिजर्वेशन इन लोगों को दिया जाएगा यह हमारे लॉ मिनिस्टर बिरदमलजी सिंघवी ने कहा है, ब्रीच आफ प्रिविलेज के बारे में तो नहीं कहूंगा। उन्होंने यह स्टेटमेंट दिया है इन जातियों के लिए सेवाओं में आरक्षण देने के लिए रोस्टर सिस्टम लागू किया जाएगा। इसका क्या परिणाम हुआ है, यह सदन को बताना चाहता हूं। एक है श्री ओम प्रकाश वर्मा, श्री सालिग राम और श्री सोहनलाल। श्री वर्मा 65 से सेवा में हैं उनको सी. जे. एम. लगाया गया है। श्रीसोहनलाल को भी सी.जे.एम. लगाया है। डिटेल में देखा तो मालूम हुआ 31 तो आपके सी. जे. एम. है, 10 सिविल जज है, 77 डिस्ट्रिक्ट जज हैं, टोटल 118 आता है। इनका 28 पर्सेन्ट के हिसाब से 33 लोगों को सिविल जज, सैशन जज बनाया जाना चाहिए किन्तु केवल 6 को लगा कर ही आप रुक गये। आपको चैलेन्ज कर रहा हूं यह आपका रोस्टर सिस्टम है....

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आपके कार्यकाल में एक को भी लगाया हो तो बता दीजिए।

श्री मूलचन्द डागा : आपने जो घोटाले किए हैं वह बताऊंगा। बैठ जाइये। आपने क्या करप्शन किया है, वह बताऊंगा।

श्री मदनसिंह दांता : श्री जगजीवन राम जो इनके आदमी थे उनके चरणों में आज आप बैठे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि 28 पर्सेन्ट का कोटा आप कैसे पूरा करेंगे? आपने इस सदन में यह स्टेटमेंट दिया था, रोस्टर प्रणाली लागू करने के लिए कहा था....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। समय का ध्यान रखें।

श्री मूलचन्द डागा : दूसरे माननीय सदस्य पच्चीस,तीस मिनिट बोले हैं। मैं श्री नत्थीसिंह का टाइम ले लेता हूं।

श्री नत्थीसिंह : बोले जाओ।

श्री मूलचन्द डागा : तो यह मैं निवेदन कर रहा था कि 28 पर्सेन्ट जो रोस्टर सिस्टम था उसमें यह हुआ कि जो लोग पहले से सीनियर थे, उन पर यह नोटिंग

(श्री मूलचन्द डागा)

किया गया कि ये जजेज करप्ट थे। अगर उनका रिकार्ड यह बताता था तो आपने क्यों उनको सी. जे. एम. बनाया ?

इसी प्रकार में यह निवेदन करना चाहता हूं कि कानसिंह आयोग ने आपके खिलाफ स्ट्रक्चर पास किए। उन्होंने यह कहा है, मुख्य मन्त्री हस्तक्षेप करते हैं। उन्होंने जनरलिस्टों के सामने भाषण दिया। मुख्य मन्त्री इस पर कहते हैं, यह मुख्य मन्त्री महोदय का भाषण छपा है, मुझे ऐसी आशा नहीं थी। आपको क्या आशा थी ? यह छपा है, मुख्य मन्त्री ने श्री कानसिंह द्वारा लगाये गये आरोपों के बारे में कहा उन्हें ऐसी आशा नहीं थी। श्री कानसिंह ने जोधपुर विश्वविद्यालय के बारे में कहा कि विश्वविद्यालय के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया। श्रीमान यह श्री कानसिंह के आरोप हैं। श्रीमान कानसिंह आयोग को आपने बिठाया। जिस कानसिंह आयोग की आप तारीफ करते थे उसने ही आपके खिलाफ स्ट्रक्चर पास किए हैं। इस प्रकार आपने उनको भी करप्ट किया। जुडिशियरी को करप्ट किया। रामसिंह को आपने ऊपर बिठाया। कानसिंह जी को आपने बिगाड़ा।

अब महारावल साहब ने स्पीकर के पद से इस्तीफा देते हुए जो स्टेटमेंट दिया है वह भी सुन लीजिए :

"In a written statement after his resignation the Maharawal said, "I feel that another person of Chief Minister's liking may be in a better position to abide by his sweet will and possible to maintain the status of the chair. I find myself incapable of carrying out the wishes of an individual howsoever highly placed and dance upon his whims."

अध्यक्ष महोदय, यह हमारा लोकतन्त्र है। लोकतन्त्र की दुहाई देने वाले मुख्य मन्त्री ने यह किया है।

अब आपके अन्त्योदय की बात सुन लीजिए। अन्त्योदय में आपने काम किया है। अन्त्योदय के बारे में सर्वोदय के जो लोग बोलने वाले हैं उनमें एक है श्रीमान् वाट इज दिस अन्त्योदय, उन्होंने कहा है :

"In my Panchayat, Antyodaya called as 'Sanghodaya Karyakram' (programme for the welfare of Sanghis). All big traders, shopkeepers, moneylenders and landlords of the area have been managing the entire show since its inception' said a social worker Hajarilal Jatoliya from Rajasthan. Jatoliya comes from a scheduled caste family. He is the member of District Vigilance Committee, Udaipur, and Deputy Sarpach of village Changedi. He is also a member of Mawali Tehsil Committee of Janta Party."

यह है संघोदय। यह संघोदय है जिसका सर्वे किया गया है, वह सुन लीजिए।

(श्री मूलचन्द डागा)

"Reviewing the progress of the Antyodaya scheme in his region, he says Antyodaya is benefitting the landlords in the villages, traders in the towns and Sarkari leaches in the offices. These three classes have ganged up together under the blessed banner of Antyodaya."

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य समय का ध्यान रखें।

श्री मूलचन्द डागा : कई माननीय सदस्य 25/30 मिनिट बोले हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं तो कान्फिडेन्स मोशन मूव करने का क्या कारण है ? इस समय आप मुझे रोक रहे हैं। जल्दी जल्दी कह रहा हूं। मैं आशा करूंगा कि आप समय देंगे।

सर्वेक्षण के दौरान अन्त्योदय की हालत क्या पाई गई है, यह भी देखिये। योजना के चक्कर में भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में 102 अन्त्योदय परिवारों से मिली जानकारी से पता चला है कि लगभग आधे परिवारों को जो जमीन बांटी गई है वह जमीन बंजर और झगड़े वाली है। एक अन्त्योदयी के शब्दों में, यह जमीन ऐसी है कि वहां पर जंगली पौधा भी नहीं उग सकता है। यह भी राजस्थान पत्रिका 23 मई, 79 में छपा है। अब आप बताइये यह क्या हो रहा है ? फिर यह साप्ताहिक दिनमान 16/22 सितम्बर, 79 में छपा है—काम के बदले अनाज योजना के बारे में "राजस्थान में सरकारी तौर पर इस कार्यक्रम की उपलब्धियों का काफी ढोल पीटा गया है पर पिछले दिनों भीलवाड़ा जिले के एक सर्वेक्षण से पता चला कि यहां अनेक मजदूरों से काम लेकर बदले में अनाज का दाना भी नहीं दिया गया। कुछ स्थानों पर पांच किलो गेहूं का आश्वासन देकर काम के बाद तीन किलो प्रतिदिन की दर से ही दिया गया। कार्यक्रम के अन्तर्गत मजदूरों को बढ़िया स्तर का अनाज दिया जाना चाहिये ऐसा केन्द्र सरकार का निर्देश है पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा भेजे गये गेहूं के बोरों में कोयले के टुकड़े पाये गये। यहां तक कि बोरों से प्राप्त गेहूं वजन में उस पर अंकित मात्रा से कम पाया गया। यह सर्वेक्षण हुआ है आपकी अन्त्योदय योजना पर।

इसके अलावा अब हमारे मुख्य मंत्री जी की बात कहूं। जब मुख्य मंत्री बने तो मैंने उनका फोटो संभाल कर रखा। ये कहते हैं 22 जून को जिस जोश से बोले कि अब तो राजस्थान से भ्रष्टाचार चला गया और भ्रष्टाचार का भूत चला गया। लेकिन वह कहां चला गया ?

श्री अध्यक्ष : माननीय डागा साहब, कृपया भाषण समाप्त करें।

श्री मूल चन्द डागा : और बताता हूं लाखों रुपये का भ्रष्टाचार कैसे है·········

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, और सदस्यों को भी बोलने का मौका दीजिये।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, ये हमारी पार्टी में काफी सीनियर मेम्बर हैं और लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं इसलिये इनको थोड़ा बहुत समय दिया

(श्री परसराम मदेरणा)

जाना चाहिये। इसलिये मेरा निवेदन है कि इनको थोड़ा समय दीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : ये आपकी पार्टी में कब से हो गये ?

श्री परसराम मदेरणा : विधान सभा सचिवालय में बुलेटिन निकला है आपने उसको देखा नहीं क्योंकि आप बिजी रहते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : अब भ्रष्टाचार के मामले में मैं कहना चाहता हूं यह कोई ऐरन हैं जिनके यहां शादी थी जिसमें जनता पार्टी के सर्वेसर्वा चन्द्रशेखर जी आये। उन्होंने क्या किया·······

(व्यवधान)

यह यू. आई. टी. की बात है श्री गिरधारी लाल जी, जिनको आचार्य रजनीश कहा जाता है तो उन्होंने क्या किया, जो लाग बुक भरी हुई थी सारी, वह दो तीन पहले की थी जिस पर एण्टी करप्शन में उनके खिलाफ चार केस दर्ज हुए जिनको हमने तो देखा नहीं सुना है। सड़क के पास एक आनंद नर्सरी है, कहते हैं हिन्दुस्तान का स्वर्ग है वहां चन्द्रशेखर जी शादी में आए उसके चार मुकदमे एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट में पड़े हुए हैं। जो यह कहते हैं भ्रष्टाचार चला गया, मुख्य मंत्री जी, मैं कहना चाहता हूं कि मैंने मुख्य मंत्री जी को लैटर लिखा उसका उत्तर भी आया। सी. एस. को मैंने लैटर लिखा था उसकी कापी मुख्य मंत्री जी को भेजी थी। जो यह था—

"Since one or two years have passed, the Director of Mines though recommended to give six lime stone mines on leases in Tehsil Kotputli District Sikar. But reasons best known to him, he has withdrawn his recommendation for giving the leases that has caused a net loss of Rs. 40 lakhs to the Government in a year." This has been done deli-brately because of heavy pressure of a minister who wanted to favour an individual so that he can enjoy complete monopoly in Kotputli Tehsil. Hence I will request you to go into the matter and kindly see that there is no favouritism at the cost of the State.

मैंने कहा साहब यह जो नेशनल लाइम स्टोन कम्पनी है कोटपूतली में जिसका एरिया 50 वर्ग मील है उसका क्या हुआ ? तो मुझे लैटर लिखा भैरोंसिंह जी साहब ने—

"Please refer to your letter dated 27th August, 1978, addressed to Chief Secretary and a copy endorsed to me regarding lime stone mines on leases in Tehsil Kotputli (Jaipur). I am sending your letter to Mines Minister for necessary action."

यह लैटर आया 12 सितम्बर, 1978 को। मैंने कहा—श्रीमान्, वह नेशनल लाइम

(श्री मूलचन्द डागा)

स्टोन कम्पनी जिसमें अगर सूर्यनारायण जी चौधरी, जो अपने आपको ईमानदार मिनिस्टर कहते हैं, मुख्य मन्त्री जी, उन्होंने प्रति साल, सरकार को 10 लाख रुपये का घाटा डाला। मैं यह साबित करने के लिये तैयार हूं कि नेशनल लाइम स्टोन कम्पनी में आपने हिस्सा खरीदा और बयान करवा सकता हूं। दूसरे लोगों के नाम से लीज खरीदने के बाद सारी लीज जो दूसरों को दी गई थी उनको कैंसिल करवा दिया। इसके बाद मैंने लैटर दिया तो उन्होंने, कहा कि नोटिस निकलवाया है और वह निकला 15 नवम्बर, 1978 को और फिर भी दरख्वास्तें आई 70 लोगों की। जब 70 लोगों की दरख्वास्तें आई तो सोचा कि यह कैसे हो गया तो इन्होंने, डी. आर. मेहता ने एक आर्डर निकलवा दिया और एक मंत्री पद पर बैठ कर भी लीज में हिस्सा ले लिया और मोनोपोली कायम कर दी। फिर कहते हैं भ्रष्टाचार का उन्मूलन होगा। मुझे अगर समय मिला तो मैं बताना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार कहां तक फैला है। उस आर्डर में क्या लिखा था—

"I am directed to refer to your endorsement No. DMG/PA/78/Camp/Jaipur dated 5th December, 1978, on the above subject and to say that this matter was discussed by the Mines Minister with you during your last visit here and it was decided that no fresh leases in the adjoining areas at this juncture be granted because there were two pending applications with the State Government—one for major and the other for mini-cement factory in the area. You are, therefore, advised not to pay any attention to the applications received for these areas. You may, however, consider to return the fees received along with the applications.

37 दिन बाद लिख दिया कि कोई लीज मत दो। मंत्री महोदय ने अपनी मोनोपोली कर दी और दूसरों की सारी लीजेज कैंसिल कर दीं। और वह कैंसिल करने के बाद मंत्री महोदय अकेले मुनाफा कमाने लगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

स्पीकर महोदय, आप नये हैं। आप में साहस नहीं है। आप सदन के नेता हैं सदन के सर्वेसर्वा हैं। वे सदन के नेता हैं आप उनसे ऊंचे हैं। आप ऊंचे रहेंगे। ईमानदारी और नैतिकता के नाम पर राजस्थान का लाखों रुपयों का नुकसान कर दिया गया। मैं यह लैटर व सारी फाइल सदन की मेज पर रखता हूं और इसमें "चहक" अखबार 5 अक्टूबर, 1978 का अंक भी रखता हूं जिसमें मंत्री महोदय के भ्रष्टाचार का सारा वर्णन है। मैं इसे साबित करने को तैयार हूं और यह कहने को तैयार हूं कि इस प्रकार इन्होंने घोटाला किया और अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर सरकार को लाखों रुपयों का घाटा डालकर खुद ने लाखों रुपये कमा लिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई : उधर बैठे हैं। इधर आयें। इधर आने वाले नहीं हैं इसलिए इन्क्वायरी होने वाली नहीं है।

एक माननीय सदस्य : उनको हटाओ।

श्री मूलचन्द डागा : नीमकेथाना के पास एक कॉपर पेराराइट भण्डार है। यह कॉपर का मलवा जिसमें जिंक, सिल्वर, गोल्ड आदि के अलावा बहुत सी धातु की चीजें हैं उसमें से 500 टन मलवा बिना टेण्डर लिए शिव शक्ति दाल मिल के मालिक को दे दिया। बिना किसी टेण्डर के सोना, चान्दी वाला मलवा सब ले गये। उन्होंने बताया कि मंत्री महोदय ने मलवे की यह इजाजत दी है। यह कॉपर खानों का मलवा पड़ा है। बिना टेण्डर के आपने बेच दिया है। मैं यह चैलेंज करता हूं। यह शिवशक्ति वाला जनता पार्टी का और हमारे सूर्यनारायण चौधरी का नजदीक का विश्वास का आदमी है। जो 500 टन के बजाय 5000 टन माल ले गया जिससे सरकारों को लाखों रुपये का घाटा हुआ।

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बोलने दो। उनको जवाब देना पड़ेगा।

श्री मूलचन्द डागा : मैं चाहता हूं इसकी खुली इन्क्वायरी हो।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आप बोलिए। मैं जानता हूं अच्छी तरह से आप क्या बोल रहे हैं?

श्री मूलचंद डागा : डीडवाना में सोडियम सल्फेट है। जबकि हमारे चेयरमैन श्री बुरड़क साहब ने लिखा है। आप इसको नीलाम नहीं करें।

उनको लैटर इन्होंने लिखा। लेकिन वह माल बिना कोई आक्शन किये, वह माल वैसे ही गया है। माननीय मुख्य मंत्री जी आप घोषणा मत करिये कि भ्रष्टाचार उन्मूलन हो गया है। भ्रष्टाचार के देवता मजबूती से बैठे हैं। यह लोग हैं, एम. एल. ए. हैं, हम लोगों में नपुंसकता आ गई है।

(व्यवधान)

ऐ, जवान साथी, तुमको मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। तुमने खुद भैरोंसिंह सरकार के खिलाफ आरोप लगाये हैं।

(व्यवधान)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अध्यक्ष महोदय, आप एक बात सुनिये। आपका जालौर जिला है। जिस राज के अन्दर अत्याचारी जागीरदार हों। रिश्वती कर्मचारी हों। अन्यायी महाजन पनपता हो, उसमें राज करने का अधिकार नहीं है। जालौर में क्या होता है? जालौर में अन्त्योदय के कार्यों में भ्रष्टाचार हुआ है। मेरा इलाका है, मैं जानता हूं, हमारे इलाके में आपके 40 गांव थे। भगवान यह राज कैसा आया है? जिसको इन्होंने अन्त्योदय योजना कहा है, उसकी आड़ में इन्होंने समाजवाद को खतम कर दिया है। ये भंवरलाल जी गर्दन नीची किये बैठे हैं। सीलिंग में कितनी जमीन ले ली है। मैंने बराबर कहा है। आपने कितनी जमीन ले ली है। हमारे माननीय पुरुषोत्तम मन्त्री बैठे हैं। वह जमीन.......

(व्यवधान)

सीलिंग की धारा 197 में मैंने कहा था। जब मैंने खुलकर कहा मन्त्री महोदय से,

(श्री मूलचन्द डागा)

सीने पर हाथ रखकर कहें, कितनी जमीन पिछले चार महीने में अवाप्त कर ली है। जो शोषण और अन्याय किया है। यह है जिसने लोहिया की किताबें पढ़ी हैं। जो कानून लगाया गया, उसको हटा दिया। माननीय मुख्य मंत्री जी, आप सीने पर हाथ रखिये। आपने यह काम किया। जून, 77 में जो वन विभाग है। वह नोटिंग आपके चीफ सैक्रेटरी भनोत का है। उसने कहा, अमेण्डमेंट किया गया है। बाउण्डेड लेबर का किया गया है। जब आप फाइल पढ़ रहे थे। उसमें लिखा हुआ है, 2 अक्टूबर में। एक आइडेण्टिटी आफ नहीं की है। यह पुराने सामन्तवाद के पुजारी भैरोंसिह ठाकुर यहां बैठे हुए हैं। शोषण और पूंजीवाद के समर्थक हैं। इन्होंने कुछ नहीं किया है। जवान साथी बतायें।

(व्यवधान)

पण्डित जी, आपको क्रोध आता है। आप यहां कहां आ गये ?

श्री रघुनन्दन व्यास : उस डागा कालोनी की बात कहो जो बाढ़ में बह गई।

श्री अध्यक्ष : माननीय डागा जी, आप कृपया अपना भाषण संक्षिप्त करेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : मेरी बात यही है। आप बड़े-बड़े व्यक्ति हैं। यह अन्त्योदय योजना क्या है ? यह समाजवाद को भुला कर, गरीब आदमियों को भूल जाना है। जिन्होंने हमारे अधिकार छीने हैं। जो शोषण पर टिके हुए हैं। ये जनता पार्टी वाले बैठे हैं। यह ट्रांसफर और तबादले की राजनीति पर जीते हैं। भैरोंसिह जी देख रहे हैं। वह घूम रहे हैं।

(व्यवधान)

मुझे इस योजना में बदबू आ रही है। मुझे दो हजार रुपया दीजिए मैं अन्त्योदयी हूं। अन्त्योदय का कागज मेरी जेब में है। यह नया समाज है जिसमें आदमी ने अपना स्वाभिमान खो दिया है। कितनी जमीन है जो सीलिंग में खींच ली है, बताइये। एक बार आपने हवाई जहाज जो राजस्थान की भूतपूर्व सरकार ने खरीदा था उसके भ्रष्टाचार के बाबत जांच करने को कहा था और कहा था कि यह हवाई जहाज कैसे खरीदा गया है परन्तु उसकी जांच नहीं हुई। भैरोंसिह जी उसके जिम्मेदार हैं उस पर अब तक कितना खर्च हुआ है। इसलिए भैरोंसिह जी हम तो आपके साथ-साथ बड़े हुए हैं। मैं साबित कर सकता हूं कि राजस्थान में किस तरह से भ्रष्टाचार है, राजस्थान में कालवी की राजनीति चल रही है।

श्री अध्यक्ष : माननीय डागा साहब, दूसरे माननीय सदस्य भी बोलेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : उन्होंने कहा कि तेल के पीपे गुलाबपुरा में पकड़े थे, उसमें लिखा जाता है शुद्ध मूंगफली का तेल और उसमें रेपसीड आयल था और वह डिब्बे जब थाने की कस्टडी में ले लिए गए तो गायब कर दिए गए।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करिये।

श्री मूलचन्द डागा : रतनलाल जी ने कहा कालवी साहब ने डिब्बे हटवा दिए थे,

(श्री मूलचन्द डागा)

जगह-जगह पर जब से कालवी साहब के पांव पड़े हैं, धटकवाद और जातिवाद उभर आया है। जितनी भी को-आपरेटिव सोसायटीज हैं, जितने बोर्ड हैं, वहां पर चेयरमैन जान बूझकर एक जाति के लिए गए चाहे ललितसिंह हो या पृथ्वीसिंह हो, कोई भी सिंह हो। मैं नहीं समझता यह किस प्रकार किया, यह नहीं होगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि इसकी आप और जांच करायें।

अब मजदूरों की समस्या—इन्होंने क्या किया, मजदूरों के अन्दर—

श्री अध्यक्ष : माननीय डागा साहब कृपया समाप्त करिये, दूसरे माननीय सदस्य भी आपकी तरह से बोलने वाले हैं, कृपया बिराजें।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है·······

श्री मूलचन्द डागा : मैं कन्क्ल्यूड तो कर लूं, आपका हुक्म मानूंगा। अब लोकतन्त्र की दुहाई दे रहे हैं, हमने लोकतन्त्र कायम किया, लोकतन्त्र आपने कायम नहीं जनता ने लोकतन्त्र कायम किया, और 19 जनवरी को इन्दिरा गांधी ने घोषणा कर दी। इन लोकतांत्रिक इन्स्टीट्यूशन्स का आपने क्या किया? ये लोकतन्त्र की दुहाई देने वाले, ये जनतंत्र के नुमाइन्दे—

श्री अध्यक्ष : माननीय डागा साहब सहयोग दीजिये—

श्री सूर्यनारायण चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम माननीय डागा साहब और कल श्री जयकृष्ण जी ने जो मुद्दे उठाए हैं, उनके सम्बन्ध में एक एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा।

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री बंशीलाल सारस्वत : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज सदन का समय माननीय उद्योग मंत्री जी का भाषण हो तब तक के लिए बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि समय बढ़ा दिया जाय?

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : क्या आप नहीं चाहते कि समय पांच बजे बाद नहीं बढ़ाया जाय?

श्री परसराम मदेरणा : यह प्रस्ताव तो नेता महोदय को रखना चाहिए। कल पौने चार बजे बहस शुरू हुई है और इसका मतलब है कि एक दिन और बढ़ेगी।

श्री भैरोंसिह शेखावत : नहीं बढ़ेगी। क्या आप पांच बजे बाद का विरोध करते हैं?

श्री परसराम मदेरणा : विरोध कौन कर रहा है, हम तो विरोध यह कर रहे हैं कि केवल इण्डस्ट्रीज मिनिस्टर के एक्सप्लेनेशन तक समय बढ़ाना चाहते हैं,

(श्री परसराम मदेरणा)

हम यह चाहते हैं कि कम से कम दो घंटे का समय बढ़ाया जाय।

श्री बंशीलाल सारस्वत : मैं प्रस्ताव संशोधित रूप से रख रहा हूं कि समय एक घण्टे के लिए बढ़ा दिया जाय।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मेरा निवेदन यह था कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में यह तय हुआ था कि 15 घण्टे डिबेट चलेगी। इसके हिसाब से आप केलकुलेशन कर लीजिये, 28 तारीख को आप क्वेश्चन आवर मत रखिए, वह भी इम्पार्टेन्ट है, उसको छोड़ नहीं सकेंगे, नहीं रखते हैं तो 15 घण्टे वाला मामला नहीं बैठेगा और 3 तारीख को रिप्लाई देना चाहिए। यह प्रोसीजर आप तय कर लीजिये। कान्फिडेन्स पास होगा या नहीं यह अलग बात है, हम तो आपकी कमजोरियां बताना चाहते हैं, आपको सुधारने का मौका मिलेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, खेतसिंह जी दो दिन से तो बोल नहीं रहे थे, और कमजोरियां ढूंढ रहे हैं। इसके लिए तीन दिन का समय निश्चित है। कल का और एक आज का निकल गया। आज जिस समय तक आप चाहें बैठने को तैयार हैं। परसों क्वेश्चन आवर को डिस्पेन्स विथ करना चाहें तो मुझे एतराज नहीं है, मैं अध्यक्ष महोदय को निवेदन कर देता हूं, मुझे आपत्ति नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : रात भर ही हो जाय।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि सदन का समय एक घण्टे के लिए बढ़ा दिया जाय?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घण्टे के लिए बढ़ाया जाता है।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हम लोग भी बोलेंगे, आपको मिनिस्टर से इण्टरवेन्शन करना हो तो परसों कराइये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह आपकी मर्जी की बात है कि समय की कटौती हो, आप कटौती करना चाहें तो आपकी मर्जी है।

श्री मथुरादास माथुर : मैं चाहता हूं कि मिनिस्टर्स का इन्टरवेन्शन बाद में हो, पहले सदस्य बोल लें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह व्यवस्था तो सब जगह है।

श्री मथुरादास माथुर : मुझे भी इण्डस्ट्रीज के बारे में बोलना है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं जवाब दूंगा।

श्री मथुरादास माथुर : यह एक आदमी के जवाब देने की परम्परा ठीक नहीं है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी (उद्योग मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय डागाजी ने और कल माननीय जयकृष्णजी ने

नियम निलम्बन

शुक्रवार दिनांक 28 सितम्बर, 1979 को बैठक में प्रश्न काल का निलम्बन

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों से निवेदन है।

प्रश्न यह है कि 28 तारीख को प्रश्न काल नहीं रखा जाय ?

(स्वीकृत)

28 तारीख को प्रश्न काल नहीं रखा जाय।

मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कुछ इस सदन के सामने कहा है इनको मैं कुछ पृष्ठभूमि दे देना चाहता हूं। नीमकाथाना और कोटपूतली में लाइम स्टोन के बहुत बड़े भण्डार हैं और डागा साहब शायद इस बात को जानते हैं कि जब मैं एस. एस. पी. में था.....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उस भण्डार में ये भी गए हुए हैं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : हमने तब से इस सदन में अपने देकर अनेक प्रकार के एजीटेशन्स किए हैं कि वहां पर लाइम स्टोन की मोनोपोली खतम की जाए। यही नहीं जब भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया के विरुद्ध एक चार्ज शीट विपक्षी दल के नेताओं ने केन्द्रीय सरकार के सम्मुख लाल बहादुर शास्त्री के जमाने में प्रस्तुत की थी। उसमें यह भी इंगित किया गया था कि कोटपूतली में अपने चेहते श्री मुश्किलाल और नीमकाथाना में अपने चेहते श्री किशन मोदी को लाइम स्टोन की मोनोपोली दे रहे हैं, और हम लोगों का प्रयास है कि वह मोनोपोली टूटे और अनेकों अनेक आंकड़े देकर हमने इस बात को साबित करने की कोशिश की कि किस प्रकार लाखों रुपये सालाना वहां पर सरकार के खजाने के जाया हो रहे हैं। आज जब इस बात की चेष्टा की जा रही है, जब उद्योग विभाग इसमें दिलचस्पी रखता है कि वहां पर सीमेंट का कारखाना लगे जिसकी घोषणा कांग्रेस के जमाने में एक से अधिक बार की गई थी। मैं जानता हूं कि किन कारणों से श्री डागा और श्री जयकृष्ण मुझे लक्ष्य बनाकर इस प्रकार के निराधार आरोप लगाना चाहते हैं। मैं इस बात का खण्डन करना चाहता हूं कि....

(व्यवधान)

कई माननीय सदस्य : जुडिशियल इन्क्वायरी कराये।

श्री अध्यक्ष : कृपया शांत रहें।

श्री दूलाराम : खण्डन करते हैं तो जांच के लिए तैयार रहें। जांच कल होनी चाहिए।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : हां, हां जांच करवायेंगे।

(व्यवधान)

श्री दूलाराम : या तो जूडिशियल इन्क्वायरी के लिए आपको तैयार होना चाहिए।

श्री बहादुर सिंह (नोहर) : इसके खिलाफ जूडिशियल इन्क्वायरी बिठाकर जांच कराई जाए। आप घोषणा करें कि मेरे खिलाफ जांच कराई जाए।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : बैठिए, बता देता हूं।

श्री अध्यक्ष : पहले उनको पूरा सुन लें अगर उसके बाद किसी माननीय सदस्य को बोलना है तो बोलें।

(व्यवधान)

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : अगर आप सुनना चाहते हो तो मैं असलियत बताता हूं। इसमें कैसे लोगों ने पैसा खाया है। अगर आप सुनना चाहते हो तो मैं बता सकता हूं।

(व्यवधान)

मैं जानता हूं किस तरह से....

(व्यवधान)

यदि असलियत जानना चाहते हैं, यह पैसे का मामला है और मुझे पूरी जानकारी है, यह मामला किस तरह से कैसे-कैसे उलझा हुआ है। सदन के बीच में जो बात कह रहे हो....

(व्यवधान)

अगर आप सुनना चाहते हो और यदि केवल खुद की बात करके हो हल्ला करके असलियत को छिपाना चाहते हो तो छिपाइए। असलियत पर आना चाहते हो तो मैं सुनाना चाहता हूं।

(व्यवधान)

मुझे किसी का पक्ष नहीं लेना। अगर नहीं सुनना चाहते तो आपकी मर्जी। अध्यक्ष जी यह कोटपूतली का मसला है....

श्री अध्यक्ष : आप आन ए पाइन्ट आफ इन्फार्मेशन पर बोलना चाहते हैं ?

श्री रामकरण सिंह : यदि माननीय सदस्य सुनना चाहते हैं तो मैं असलियत बता सकता हूं। कोटपूतली में बहुत बड़ा लाइम स्टोन का भण्डार है और वह भण्डार ऐसा है कि हर आदमी की निगाह उस पर पड़ती है। इस तरह नीमकानाथा में एक भण्डार है उस पर भी सब की निगाह है और जो पैसे वाली पार्टीज हैं, पैसे वालों के जरिए उनसे चिपके हुए कीड़ी मकोड़ी हैं। उसमें चाहे वह चिकनाई हो चाहे मिठास हो, लेने के लिए तत्पर रहते हैं, चाहे इस पक्ष के माननीय सदस्य हों चाहे उस पक्ष के। यह मसला एक ऐसा मसला है जिसमें सरमाएदारों के साथ चिपककर उनमें किसी न किसी तरह एक हिस्सा बंटा हुआ है और उसमें पक्ष लेकर जब भी इस प्रकार से माइनिंग लीज का सवाल आता है तो खड़े होकर सरकार को ऐसे ढंग से जवाब देते हैं कि मजबूर होकर मौजूदा सरकार कार्यवाही नहीं कर पाती।

एक बात कहना चाहता हूं। मैं इस मामले को जो इस तरह आगे आ रहा है और आप निपटाना चाहते हो और चाहते

(श्री रामकरणसिंह)

हो कि भ्रष्टाचार न फैले, हम लोग आपस में भ्रष्ट तरीके से किसी को भ्रष्ट न करें तो मेरी मान्यता है कि मुख्य मन्त्रीजी इस लीज से 20–21 सालों में कितना सा उस भण्डार को काम में लाया गया है और आपके पास कितना पैसा जमा है, यह देखें ...

श्री अध्यक्ष : कृपया शांत रहें।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं यही निवेदन कर रहा था और जो डागा साहब ने प्रश्न उठाया उस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं....

श्री गोपाल सिंह (खण्डेला) : मन्त्री महोदय एक्सप्लेनेशन दें उससे पहले मैं एक बात जानना चाहता हूं। श्री माधोपुर में सरपंचों का सम्मेलन हुआ, श्री सूर्य नारायणजी भी पधारें और मेरी अध्यक्षता में मीटिंग सम्पन्न हुई। जब मुझसे घोषणा करवाई कि सीमेंट का कारखाना नीमकाथाना में एक माह में लग जाएगा....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मुझे यह खेद के साथ कहना पड़ता है श्री सूर्यनारायण जी चौधरी ने मुझसे नीमकाथाना में सीमेंट के कारखाना खोलने के लिए घोषणा करने के लिए वहां कहा था। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था और साथ में प्रोफेसर केदारजी भी वहीं थे। इन दोनों के कहने पर मैंने नीमकाथाना की जनता को सीमेंट का कारखाना खोलने का आश्वासन दिया था और आज तक वहां पर सीमेंट का कारखाना नहीं खुल सका। अध्यक्ष महोदय, इस बात से मेरी साख उस एरिया में गिरी है। मेरी इज्जत बचाना इस गलत घोषणा के करने की वजह से मुश्किल हो गया है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यहां पर माननीय सदस्य ने अपने विचार नीमकाथाना में सीमेंट कारखाने को खोलने के बारे में व्यक्त किया। इसके लिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार द्वारा एमीशन दे दी गई है। यहां पर उद्योग विभाग द्वारा लीज पर दिए जाने के बारे में भी कुछ प्रश्न उठे थे। अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य डागाजी ने नीमकाथाना के लाइम स्टोन के बारे में माइनिंग लीज की जो बात कही है उसके बारे में मेरा निवेदन है कि....

श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यहां पर यह बात कही गई थी कि नीमकाथाना की लाइम स्टोन की माइनिंग लीज के बारे में काफी बार श्री मोहनलाल सुखाड़िया जी के जमाने में चर्चा हुई और इसमें बहुत-सा भ्रष्टाचार हुआ। तो क्या मन्त्री महोदय उसके लिए कोई जांच भ्रष्टाचार के खिलाफ में करने को तैयार हैं? इसमें बहुत-सा घोटाला है।

श्री मूलचन्द डागा : आप तो जांच करवाइये।

एक माननीय सदस्य : यह जांच नहीं करवायेंगे।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमने उन लोगों को चार्ज शीट दे दी है। माननीय माथुर साहब भी जानते हैं और दूसरे सदस्य भी जो पहले यहां सदन में रह चुके हैं कि नीमकाथाना की लाइम स्टोन

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

लीज के बारे में शिकायतें आई। वह जानते हैं, हमने इसके लिए चार्ज शीट दे दी है।

श्री ... : आपके खिलाफ में श्री ... आरोप लगाया है आपके खिलाफ में जांच कराइये।

श्री किशनसिंह भाटी : प्वाइन्ट आफ आर्डर, अध्यक्ष महोदय, अभी जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदय ने कहा कि नीम का थाना लाइम स्टोन माइन्स के अन्दर काफी घोटाला है तो क्या आप उसके लिए कोई जुडिशियल इन्क्वायरी कराने को तैयार है।

श्री मदनसिंह दांता : हम बैठे हैं इनसे जांच करावो।

श्री सूर्य नारायण चौधरी : तो, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सदस्य श्री डागाजी ने जो आरोप लगाये वह उन्हीं के संसद सदस्य श्री श्रीकृष्ण मोदीजी हैं यही उस लाइम स्टोन माइनिंग लीज के मालिक हैं। इस बारे में माननीय सदस्य माथुर साहब और दूसरे विधायक जो पहले विधान सभा में रहे अच्छी तरह से जानते हैं...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया शांत रहें। माननीय सदस्य विराजिये।

श्री मूलचंद डागा : आप तो उनके खिलाफ में जांच करवा लें।

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आप लिखित में दें तो मैं इसकी जांच करवा लूंगा।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपके जनता पार्टी के अध्यक्ष ने जांच करवाने के लिये कहा है आप जांच करवाइये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

श्री मनोहर सिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह मत है कि इसके लिए निश्चित रूप से जांच कराई जानी चाहिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, नीम का थाने की माइनिंग लीज के बारे में जो चर्चा यहां पर सदन में छिड़ी है।

श्री मूलचन्द डागा : कोटपूतली की भी साथ में।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, नीम का थाना और कोटपूतली की माइनिंग लीज के बारे में सदन में पहले भी कई आरोप-प्रत्यारोप भ्रष्टाचार के बारे में लगाये जा चुके हैं यहां पर, कई बार सदन में शिकायतें आई हैं उन सभी शिकायतों को आप मुझे दे दीजिये मैं कमीशन बैठाने को तैयार हूं।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, अभी नीम का थाना लाइम स्टोन और

(श्री परसराम मदेरणा)

कोटपूतली लाइम स्टोन माइनिंग के बारे में माननीय सदस्यों ने चार्जेज सदन में लगाये। मुझे ऐसा याद पड़ता है जैसा कि मैंने अखबारों में पढ़ा था, एक प्रेस कांफ्रेन्स में श्री सूर्यनारायणजी चौधरी ने यह कहा था कि नेशनल लाइम स्टोन नीम का थाना की जो लीज है उसकी मैं किसी सीटिंग हाई कोर्ट के जज से जांच करवाने को तैयार हूं। ऐसा मैंने अखबारों में पढ़ा था अब यह बात कहां तक सही है या नहीं इसका उत्तर तो मन्त्री महोदय ही दे सकते हैं कि वह इनके खिलाफ में कोई कमीशन हाई कोर्ट के जज को बिठाने को तैयार हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, जो भी चार्जेज लगाये गये हैं वह लाइम स्टोन सम्बन्धी हैं। वह बात नहीं है जो कुछ भी है वह भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री मोहनलाल सुखाड़ियाजी के खिलाफ में हैं। नरेन्द्रपाल सिंहजी ने तो सुखाड़ियाजी के बारे में कहा है। अभी डागाजी ने जो आरोप लगाये हैं मैं यह माननीय सदस्यों से कहता हूं कि आप जितनी भी शिकायतें लाइम स्टोन माइनिंग नीम का थाना के बारे में हैं वह मुझे दे दें मैं उसके लिए कमीशन बैठाने को तैयार हूं।

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि यह आज तक जितने भी कमीशन बैठे हैं उनका आज तक कोई नतीजा नहीं निकला। मेरा, अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन है कि हमारे यहां विधान सभा में एक तथ्यान्वेषण समिति बनी हुई है। आप उस सदन की समिति के ऊपर वह जांच छोड़ दें, हम उसको पूरी करके दे देंगे।

श्री मूलचन्द डागा : कुछ नहीं होगा आपकी समिति से। लाखों रुपयों का खर्चा होकर भी कुछ नहीं हो सका।

श्री मदनसिंह दांता : अगर आपका दामन पाक है तो आप हमारे साथ आवें। आप हमें इसकी जांच करने को दें।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, हम तो भैरोंसिंह जी शेखावत से जांच कराने को तैयार हैं। हमने तो यह सुना है कि श्री सूर्यनारायणजी चौधरी ने किसी दूसरे के नाम पर यह लीज ले रखी है। उससे उनको करीब पचास हजार रुपया रोजाना लाभ हो रहा है।

(व्यवधान)

श्री मंजूर अली : माननीय मुख्य मन्त्री जी आप इन्क्वायरी कराने को तैयार हैं तो आप कमीशन आफ इन्क्वायरी एक्ट के मातहत इन्क्वायरी की घोषणा सदन में क्यों नहीं कर देते कि इसके लिए मैं कमीशन नियुक्त किया जायेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं घोषणा करता हूं कि कमीशन आफ इन्क्वायरीज एक्ट के तहत मैं कमीशन नियुक्त करता हूं।

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं....

श्री रामकरण सिंह : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्रीजी ने अभी सदन में कमीशन आफ इन्क्वायरीज एक्ट के मातहत कमीशन बैठाने की घोषणा की है तो इसके साथ-साथ मुख्य मन्त्रीजी क्यों नहीं नीम का थाना लाइम स्टोन माइनिंग लीजेज को कैंसिल कर देते और बाद में कमीशन बैठावें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय, इसमें मुझे विरोधी पक्ष का सहयोग मिलेगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : भ्रष्टाचार को सहयोग नहीं मिलेगा, बगैर भ्रष्टाचार को सहयोग मिलेगा।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहूंगा कि लीज कैंसिल करने के मामले में माननीय डागाजी भी अपनी राय दे दें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था, कि कमीशन तो आपने बैठा दिया और माननीय मुख्य मन्त्री जी ने यह ऐलान किया है वह कमीशन बैठा देंगे लेकिन कमीशन की रिपोर्ट फिर गवर्नमेंट के पास आयेगी और वह रिपोर्ट अपने पास रख लेंगे और इन मिनिस्टर साहब की चोटी अपने नीचे दबाना चाहते हैं इसमें क्या कोई सार नहीं दिखता है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको बड़ा वहम हो रहा है। चोटी सूर्यनारायणजी की हाथ में आयेगी या आपके नेताओं की हाथ में आयेगी यह तो बाद में मालूम पड़ेगा।

(व्यवधान)

श्री रामकरण सिंह : माननीय सदस्य इस बात से सहमत हैं इनकी लीज कैंसिल करवाने के लिए जोर दें। अगर जोर देते हैं तो मैं मानूंगा कि सदन सही काम कर रहा है। अगर इसके लिए सहमत नहीं हैं तो मैं चाहूंगा कि पक्षपात होगा सरमायेदारों का। यह निर्णय आज ही लिया जाये कि लीज कैंसिल होगी। अगर गरीबों का हिमायती यह सदन है तो मेरा प्रस्ताव है कि लीज कैंसिल करवायें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रामकरण सिंह : जब सरकारी पक्ष के सदस्य लीज कैंसिल करवाने पर सहमत हैं और विरोधी पक्ष के सदस्य सहमत नहीं हैं तो...

श्री वृद्धिचन्द जैन : सहमत हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट मेरी भी सुन लें। मुझे अफसोस है कि दस मिनट की कार्यवाही में कोई भी तथ्यों की बात कोई भी सदस्य आसानी से नहीं सुन पाया, पूरे डिरकशन से नहीं सुन पाया। मेरा निवेदन सिर्फ एक है कि आप अपने भाव प्रकट करें, अपने विचार रखें लेकिन जहां तक हो सके इसको अनुशासित ढंग से कहें और जिस माननीय

(श्री अध्यक्ष)

सदस्य का नाम मैं पुकारूं वही माननीय सदस्य बोले तो उसमें आपकी बात सरकार तक पहुंचेगी और जो भी राज्य सरकार ध्यान देना चाहती है वह भी देगी ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय अभी अभी सोजत से आने वाले माननीय सदस्य ने बड़े गम्भीर आरोप लगाये सोजत की लाइम स्टोन की लीज के बारे में । मेरा यह निवेदन है कि जब इस मामले को लिया है तो कमीशन इन्क्वायरी एक्ट में सोजत का जो लाइम स्टोन का मामला है, अब मुख्य मन्त्रीजी बाहर चले गये...

(व्यवधान)

श्री सूर्य नारायण चौधरी : मेरे ऊपर चार्ज लगाया है मैं बता दूंगा ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दो स्टेन्डर्ड नहीं हो सकते सरकार के, मुख्य मन्त्रीजी आ गये । तो मुख्य मन्त्रीजी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सोजत की लाइम स्टोन के मामले में भी आरोप लगाये गये हैं—मैं नहीं जानता कि वह कहां तक सच है कहां तक गलत है । मेरा निवेदन है कि जैसे कोटपूतली और नीमका थाना के लिए कमीशन मुकर्रर कर रहे हैं उसी प्रकार से सोजत के लाइम स्टोन का मामला उस कमीशन को और रेफर कर दें ।

श्री सुखलाल सेणचा : अध्यक्ष महोदय, सोजत की लाइम स्टोन लीज के मामले में लाखों रुपयों का घोटाला है और चन्द आदमियों को दिया गया है ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : क्या आप सोजत की लाइम स्टोन के बारे में जांच कराने के लिए तैयार हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मेरा यह निवेदन है कि जब आरोप लगाये जायें और उन आरोपों को बखुशी तसल्ली के साथ सुना जा रहा हो तो स्पष्टीकरण भी तसल्ली के साथ सुना जाये और उसके बाद शंका रह जाये तो उसके लिए निवारण किया जाये । निवारण करने के बाद निचोड़ हो जब तो मजा है लेकिन आरोप तो लगा दें और स्पष्टीकरण सुनें नहीं तो इस पर आप व्यवस्था दें ।

श्री मदनसिंह दांता : और अध्यक्ष महोदय, यह जांच फिर कोयले की भी होगी । कोयले में ज्यादा घोटाला है जो कलकत्ता से आया है । मेरा चार्ज है इसलिए एक ही जांच क्यों नमक की क्यारियों के लिए भी आरोप है कि उसमें भी घोटाला है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य अब सूर्य नारायणजी चौधरी को बोलने दें । जो कहा है उसका जवाब देंगे वह ।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : इन्होंने आरोप तो लगा दिये स्पष्टीकरण नहीं सुना ।

(186)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : उनकी चुप्पी यह इंगित करती है कि कहीं न कहीं गड़बड़ी है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य विराजें ।

माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : सोजत के बारे में मुख्य मन्त्रीजी चुप हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य विराजें । श्री सुखलाल सेंणचा ।

श्री सुखलाल सेंणचा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मन्त्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि पोकरण से पचपड़ा की लाइम स्टोन की लीज दी । उसमें लाखों का घोटाला है इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इनकी जांच होनी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन करूंगा कि पाइन्ट आफ आर्डर है या क्या है ?

श्री मन्जूर अली : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्रीजी से यह अर्ज करना चाहता हूं कि जब कोटपूतली माइन्स के बारे में कमीशन द्वारा इन्क्वायरी करने का एलान आप कर चुके हैं इन्क्वायरी आफ कमीशन एक्ट के तहत तो सोजत वाले मामले के लिए नया कमीशन मुकर्रर नहीं करना होगा ? उसी कमीशन को सोजत वाला मामला भी रेफर कर सकते हैं । अब दूसरा मामला जो जेरे गौर है वह यह कि इन्डस्ट्रीज मिनिस्टर साहब को बोलने का मौका दिया जाए और इनको सुनें तो उस सिलसिले में बहुत नम्रता से अर्ज करना चाहता हूं कि यह इश्यू हाउस में प्रिलीमिनरी डिस्कशन के बाद कमीशन आफ इन्क्वायरी एक्ट के तहत कमीशन को रेफर कर दिया गया है अब इनको मोरली अधिकार नहीं हैं कि यह कुछ कह सकें । हम इसके बारे में नहीं सुनना चाहेंगे । अगर इनको सुना गया तो कमीशन की इन्क्वायरी प्रिजुडिस हो जायेगी । अब यह अपना जवाब कमीशन के समक्ष पेश कर सकेंगे । कमीशन इनको पूरा अवसर देगा ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही है अविश्वास प्रस्ताव के सम्बन्ध में, उससे यह मालूम पड़ता है, विरोधी पक्ष की एक मान्यता तो बन गई कि सरकार ही रहने वाली है । इसमें कोई सन्देह की बात नहीं है....

(व्यवधान)

श्री किशनसिंह भाटी : सरकार जरूर रहे, भ्रष्टाचार नहीं रहे ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अमुक की जांच करवाई जाये, अमुक की जांच न करवाई जाये । पुराने माननीय सदस्य बैठे हैं, उनको मालूम है अविश्वास की चर्चा में इस प्रकार की बातें उत्पन्न नहीं होती ।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

इन्क्वायरी की जो डिमाण्ड कर रहे हैं तो डिबेट का जो स्कोप है उससे डिवियेट कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप आरोप लगाइये, जिसके ऊपर आरोप लगायेंगे, जवाब देंगे। सुजानगढ़ में ऐसा कह दिया, सादड़ी में यह हो गया। मैं समझता हूं अविश्वास के प्रस्ताव पर जो आरोप लगाना चाहेंगे, आपको अधिकार है हालांकि नियमों के आधार पर नहीं है, जब तक नोटिस नहीं दें, आरोप नहीं लगा सकते....

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं समझता हूं, राजखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा है कि चाहे सच है चाहे झूठ है, जांच होनी चाहिए। लिख कर बताओ। जिस समय आपका नम्बर आये, बोलो। मन्त्री महोदय जवाब देंगे। अगर सन्तोष नहीं होता तो मांग कीजिये कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। यह कहना कि इसकी जांच होनी चाहिए, इस प्रकार की कोई परम्परा रही हो। डेमोक्रेटिक सिस्टम में कहीं एडजस्ट होता हो। आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं आपमें से कुछ नये हो सकते हैं जो पुराने साथी हैं कम से कम यह बतायें तो सही कि किस प्रकार से मांग रखी जाती है, किस प्रकार से मनवाई जाती है।

श्री मथुरादास माथुर : यह सरकार के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव है। मुख्य मन्त्रीजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम इनके मन्त्रिमण्डल, मन्त्रियों के खिलाफ, सरकार के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं। आपने कमीशन की बात क्यों मन्जूर कर ली? आप तो पुराने तजुर्बेकार हैं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप कहें तो मैं वापस ले लूं।

श्री मथुरादास माथुर : मैं कहता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इनसे कहलवा दीजिये।

श्री मथुरादास माथुर : भैरोंसिंहजी के बाप का राज नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह भी अब रंग ला रहा है।

श्री मथुरादास माथुर : लीज भी कैंसिल कर देता हूं....

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने यह कहा कि कैंसिल करने में विरोधी पक्ष सहयोग देगा ?

श्री मथुरादास माथुर : यह कानून का मामला है। लीज कैसे कैंसिल हो जायेगी ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय डागा जी बहुत विरोध करते हैं। इसलिए मैंने कहा है, वह भी सहयोग देंगे।

श्री मथुरादास माथुर : इस सिलसिले में चार्ज मिनिस्टर के खिलाफ नहीं आपके खिलाफ है।

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी : मोहनलाल सुखाड़िया के खिलाफ जो जांच है, मैं चाहूंगा कि उसकी जांच हो।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बिराजें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : कोई सुनना है..

श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी : मथुरा दास जी माथुर ने मोहनलाल सुखाड़िया को बचाया है। अब मोहनलाल सुखाड़िया के भ्रष्टाचार की जांच हो।

(5. 35 म.प.)

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पदासीन)

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : क्यों बुलवाना चाहते हो। आप खुद अन्दर बैठे हुए थे....

श्री मूलचंद डागा : आन ए पाइंट आफ आर्डर, सर....

श्री मदन सिंह दांता : उपाध्यक्ष महोदय, अभी-अभी आप पधारे हैं। नारायण सिंह डिग्गी ने कोयले के लिये जांच की मांग की थी। मुख्य मंत्री जी ने हां की थी। आज तक जांच नहीं की।

श्री मूलचंद डागा : श्रीमान्, मेरा पाइंट आफ आर्डर है।

श्री मथुरा दास माथुर : मैं निवेदन कर रहा था....

श्री मदन सिंह दांता : अगर मैं गलत कह रहा हूं। नारायण सिंह जी आपने जांच का आरोप लगाया कि नहीं।

श्री नारायण सिंह (डिग्गी) : आप देख लीजिये।

श्री मदनसिंह दांता : मैं देख लूं, आपकी आंखें नहीं हैं। अभी बुलाकर मुझे नहीं कहा था आप यह कहना मैं दिखाऊंगा.

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मथुरा दास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था....

श्री उपाध्यक्ष : श्री मथुरादास माथुर।

श्री मथुरा दास माथुर : यह मसला...

श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी : आरोप की बात कह रहे हैं।

श्री मथुरा दास माथुर : मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह नीमकाथाना और कोटपूतली की लीज को लेकर इतनी चर्चा हुई। यह चर्चा आज नई नहीं है। मुख्य मंत्री जी के सामने डागा जी और अन्य लोगों ने ऐसा एक रिप्रेजेन्टेशन दिया था उसमें [illegible] चार्जेज थे। सदन में लाना चाहते थे। मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि मैं जांच करूंगा। सदन में न लाया जाये। सदन में नहीं लाया गया। आज 6 महीने तो सेशन के हो गये और दो महीने और गये। मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, 8 महीने पहले चार्ज शीट दी थी, चाहे किसी के खिलाफ हों, आपने जांच

(श्री मथुरादास माथुर)

कर ली ? अगर जांच कर ली तो सदन के सामने रखी जाये। आप इस गवर्नमेंट के हैड हैं। आपने खुद ने 8 महीने में इन्क्वायरी नहीं की। आपने करप्शन को सील किया है। सदन की मेज पर रखते तो तसल्ली हो जाये। करप्शन को नाक से निकालने को कहा था। नाक से नहीं तो और कहीं से निकालो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : निकल रही है। अध्यक्ष महोदय, माथुर साहब बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं, मुझे विश्वास नहीं था कि इस प्रकार की बात कहेंगे। माननीय माथुर साहब और डांगा जी मेरे पास कई बार आये।

श्री मथुरा दास माथुर : कई बार नहीं, मैं तो एक बार आया हूं। मैं कई बार नहीं जाता। आपने यह कहा था कि सदन में नहीं लायें, मैं इन्क्वायरी कर लूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सदन में मैं नहीं लाया आप लाये हैं? इस प्रकार की मुझे माथुर साहब से आशा नहीं थी कि वे इस प्रकार का प्रश्न पूछें। अब पूछा है तो मुझे उत्तर देना है। आपने ज्ञापन दिया, और डांगा साहब रोज आकर ज्ञापन देते थे, एप्लीकेशन देते थे। प्रश्न यह था कि श्री कृष्ण मोदी को किसी प्रकार तंग नहीं किया जाय।

श्री मथुरादास माथुर : आप उस ज्ञापन में देख लीजिये, बचाने के लिये दिया गया है या और किस के लिये दिया गया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो केवल इतना ही कहना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री रामेश्वर दयाल यादव : आप उनको पनपाते रहे हैं....

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप धमकियां मत देवे, आप बता देना....

(व्यवधान)

श्री रामेश्वर दयाल यादव : श्री कृष्ण मोदी से किस प्रकार की सांठगांठ है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप जो चाहे बता देना, इसमें एतराज नहीं है लेकिन सुनें तो सही। मैं इस प्रश्न पर इसलिये नहीं बोलना चाहता था कि आखिर माननीय सदस्य कई बार इस प्रकार की बातें कहते थे, जो सदन में नहीं कही जायं। मैं तो स्वयं नार्म्स और स्टेण्डर्ड रखने वाला व्यक्ति हूं। मुझे आशा नहीं थी कि माथुर साहब से व्यक्तिशः क्या बात हुई उसको सदन में लावूं....

श्री मथुरा दास माथुर : मेरी कोई व्यक्तिशः बात नहीं हुई। आपको जो सारा आशय बताया वह यह था कि सूर्य नारायण चौधरी जो आपके इन्डस्ट्री मिनिस्टर हैं

(140)

(श्री मथुरा दास माथुर)

उनमें और मोदी में आपस में अनबन है और इस कारण वे उनके लीजेज कैन्सिल करना चाहते हैं। कोई ऐसी बात की जाय जिससे उनकी लीजेज वगैरह कैन्सिल न हों और सूर्य नारायण चौधरी ने कैन्सिल करने में ये अनियमिततायें, कार्यवाहियां की हैं इस तरह करके वे मोदी को तंग करना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दोनों बात नहीं कर सकते हैं। आपका सूर्य नारायण चौधरी से विरोध नहीं है बल्कि यह है कि श्री कृष्ण मोदी के पक्ष में है।

श्री मदन सिंह दांता : मुझे कहने दें।

श्री मथुरा दास माथुर : मुझे कहने दें।

श्री मदन सिंह दांता : उपाध्यक्ष महोदय, नेता महोदय ने एक बात कही है। मैं हाथ जोड़कर कहता हूं।

(व्यवधान)

मुझे कहने दें। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें दो राय नहीं है कि जो माननीय मुख्य मंत्री ने कहा है निश्चित रूप से, डागा साहब, आप इसको कितना ही छिपा लें पर आप श्री श्रीकृष्ण मोदी को बचाना चाहते हैं इसलिये आप इन पर यह कलंक का टीका लगाना चाहते हैं। यह बात सत्य है।

(व्यवधान)

श्री हनवन्त सिंह (बाली) : उपाध्यक्ष महोदय, दोनों ही मोदियों की इन्क्वायरी हो जाय। सूर्य नारायण चौधरी की भी इन्क्वायरी हो जाय और श्री श्रीकृष्ण मोदी की भी इन्क्वायरी हो जाय।

श्री मूलचन्द डागा : मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है।

श्री मथुरा दास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी से मैं यह कहना चाहता हूं। मैं मुख्य मन्त्री जी का ध्यान खींचना चाहता हूं कि न तो मेरे पास मोदी का वकालत नामा है और न मैं उनका किसी प्रकार हामी हूं। मगर किसी भी नागरिक के साथ में कोई पालिटिकल विन्डिक्टिवनेस हो और कोई गैर कानूनी बात करें और सदन के सदस्य के रूप में मेरे पास आय तो मेरा भी उत्तरदायित्व है कि मैं मुख्य मन्त्री जी को बताऊं। मेरे पास मोदी का लिखा हुआ है और मैंने सूर्य नारायण जी को कहना इसलिये मुनासिब नहीं समझा कि वे इस मामले में इन्वाल्व थे। मैंने आपसे मांग की थी कि जांच कर लें और उन पर किसी प्रकार के पालिटिकल मुकदमे न उठायें, उनकी बीवी और बच्चों के नाम मुकदमे न बनायें। पालिटिकली झगड़ा है तो अपने चुनाव में लड़ लेंगे बाकी लाइसेन्स और लीजेज के बारे में कोई गैर कानूनी कार्यवाही मत करें। मैं कहता हूं, मैं उनका कोई हामी नहीं हूं। मगर कोई नागरिक सदन के सदस्य के नाते मुझे इस तरह की दरख्वास्त दे तो मेरा भी फर्ज है कि उसको आपके नोटिस में लाऊं। आपने 8 महीने

(श्री मथुरादास माथुर)

में कोई इन्क्वायरी नहीं की और यदि आप जांच कर लेते तो आज यह बात भी नहीं हुई होती।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने उस समय भी एश्योरेन्स दिया था कि चाहे सूर्य नारायण जी का किसी प्रकार का विवाद हो, पालिटिकल विन्डिक्टिवनेस नहीं होगी। उसके बाद मैं समझता हूं कोई जांच की आवश्यकता नहीं थी।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णसिंह : आन ए पाइन्ट आफ क्लेरिफिकेशन, सर।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : मेरा भी पाइन्ट आफ क्लेरिफिकेशन है।

(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले इधर से है। राजस्थान के और हिस्सों के लोगों को भी बोलने का अवसर दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप दोनों ही बिराजिये। कृपया बिराजिये।

(व्यवधान)

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं चर्चा चाहे माननीय सूर्य नारायण जी चौधरी की हो या अन्य किसी विषय पर हो, मगर काफी चर्चा हो चुकी है। माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने भी सदन में जो बात कही थी, वह कह दी। अब चर्चा समाप्त करें।

माननीय सूर्य नारायण जी अपना भाषण जारी रखें।

श्री सूर्य नारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय....

(व्यवधान)

श्री राम करण सिंह : अगर आप इजाजत दें तो....

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस सदन में इसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है और मैं कुछ कहना भी नहीं चाहता था लेकिन माननीय इन्डस्ट्री मिनिस्टर साहब के भाषण के दौरान यह समस्या उत्पन्न हुई कि इस लाइम स्टोन के लाइसेन्स और लीजेज के बारे में मुख्य मन्त्री जी ने यह कहा कि नो कोन्फिडेन्स मोशन के सम्बन्ध में इस बारे में एक चर्चा है और वे विषयान्तर हो रहे हैं। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि सरकार किसकी हो और रहे अथवा गिरे। मुझे मालूम नहीं है कि डागा साहब और माथुर साहब ने क्या कहा मुख्य मन्त्री जी से, इससे भी मेरा कोई सरोकार नहीं है। लेकिन मुख्य मन्त्री जी ने कमीशन आफ इन्क्वायरी नियुक्त करने को कहा और खड़े होकर कहा फिर उन्होंने ग्राउन्ड शिफ्ट किया, कौन सा ऐसा उदाहरण है जिसमें सरकार को उचित सहयोग विपक्ष से नहीं दिया। अगर किसी चीज को उचित मानती है तो विपक्ष का कर्त्तव्य है कि सरकार को उचित सहयोग

(112)

(श्री लक्ष्मण सिंह)

दे । अगर सरकार उचित सहयोग विपक्ष से मांगेगी तो विपक्ष का कर्त्तव्य है लेकिन वह उचित हद तक ।

अब मैं यह जानना चाहता हूं, जैसा आपने संकेत दिया उद्योग मिनिस्टर साहब अपना भाषण जारी रखें । जब इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री जी ने कमीशन आफ इन्क्वायरी मंजूर की है तो कमीशन आफ इन्क्वायरी के साथ यह होना चाहिये, कमीशन आफ एन्क्वायरी की रिपोर्ट आखिर कब आयेगी ? अगर रिपोर्ट ही नहीं आये तो फिर कमीशन आफ इन्क्वायरी का कोई मतलब नहीं है या फिर उस रिपोर्ट पर कोई लीपापोती करें । यह कोई विपक्ष की मांग नहीं है बल्कि सरकार का उत्तरदायित्व है और सरकार के लिये शोभनीय है । एक व्यवस्था होगी भ्रष्टाचार को रोकने के लिये और हम खुले दिल से सहयोग देंगे । सबसे पहले मुख्य मंत्री जी अपनी इच्छा प्रकट करें और जो इच्छा प्रकट करें वह करके ग्राउन्ड शिफ्ट न करें, उस पर कायम रहें और कमीशन आफ इन्क्वायरी नियुक्त करने की इच्छा प्रकट करते हैं तो एक सीधा-सादा मामला है। एक-दो महीने में कमीशन आफ इन्क्वायरी की रिपोर्ट आ जाय और उस पर कार्यवाही हो जाय । अगर सरकार यह रहती है तो अच्छा है और नहीं रहती है तो उत्तरदायी सरकार का भी यह कर्त्तव्य हो जाता है कि उस वक्त के जो मुख्य मन्त्री कोई आश्वासन देते हैं तो भविष्य की सरकार उसको यथा सम्भव पूरा करने का प्रयास करेगी । मैं यह जानना चाहता हूं कि मुख्य मन्त्री जी का इरादा क्या है, सीधे-सीधे बतावें कि उनकी कन्फर्म राय क्या है ? जो कुछ कहें वह कृपा करके सदन को जानकारी दें ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता की चिन्ता के समाधान के लिए इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने जब कह दिया कि कमीशन आफ इन्क्वायरी अपाइन्ट करूंगा और जांच होगी । जांच रिपोर्ट कितने दिनों में आएगी ? जब तक टर्म डिसाइड नहीं होते हैं समय का निर्धारण नहीं किया जा सकता है ।

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, पांच वर्ष तो नहीं लगेंगे, दो वर्ष तो नहीं लगेंगे । कितने दिन लगेंगे, कुछ तो इन्डीकेशन होना चाहिये । अगर नार्मली ऐसी इन्क्वायरी होती है दो महीने में तो आप तीन महीने कहिये । अगर तीन महीने लगते हों तो आप चार महीने कहिये, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली आप की रेड टेपिज्म को प्रिवेंट करने के लिए कुछ न कुछ तो आश्वासन देना चाहिए । आप मन्शा को पूरा करने के लिए कुछ न कुछ तो आश्वासन देंगे मैं आपका आश्वासन मानने को इच्छुक हूं । मैं मांग करता हूं आपसे ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जिन-जिन माननीय सदस्यों ने शिकायत की है वे यदि 15 दिनों में मुझे इस सम्बन्ध में जानकारी दे देते हैं तो यह इन्क्वायरी तीन महीने में पूरी हो जावेगी । लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह मसला इतना इम्पार्टेंट है कि यदि 15 दिनों में सदस्यों की

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

ओर से जानकारी नहीं दी गई और मेरे पास जानकारी किसी और सोर्स से आती है और बिना जानकारी के कोई कमीशन नियुक्त करना पड़ता है तो इस प्रकार की स्थिति में मुझे और भी जानकारी एकत्रित करनी पड़ेगी। इसमें एक महीने का समय और लग सकता है। उसमें तीन की जगह चार महीने का समय लग सकता है।

(व्यवधान)

श्री हरचंद सिह : दो तीन चीजें मैं भी रखना चाहता हूं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : श्रीमान् मैं आपके सामने....

श्री भैरोंसिह शेखावत : ये बीच में किस प्रकार से बोलते हैं। अगर बोलना है तो अपना टाइम लेकर बोलें।

श्री माधव सिह दीवान : मुझे तो सिर्फ इतना ही कहना है....

श्री दूलाराम : पॉइन्ट आफ आर्डर।

श्री गुल मोहम्मद : उपाध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ इन्फार्मेशन।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : There is no point of informantion.

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करता हूं मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि आप कोई भी जानकारी रखते हों तो वह उनको दे दें।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : इनको बोलना हो तो टाइम लेकर बोलें।

श्री माधव सिह दीवान (सोजत) : इन्होंने कोई जानकारी नहीं की है और न कोई इन्क्वायरी हो करने वाले हैं। मुझे कोई आशा नहीं है कि कुछ इन्क्वायरी होगी....

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, कोई सदस्य नहीं बोले। बिना इजाज़त के कोई सदस्य नहीं बोले। यह उचित नहीं है।

(व्यवधान)

ये किस की इजाज़त से बोल रहे हैं। पहले माननीय मन्त्री का जवाब सुनें।

श्री दूलाराम : पाइन्ट आफ आर्डर, सर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : कौन से नियम के सम्बन्ध में क्या पाइन्ट आफ आर्डर रेंज करना चाहते हैं ?

श्री दूलाराम : उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरा पोइन्ट आफ आर्डर सुन तो लें। माननीय सदस्य ने माननीय श्री कैलाश मेघवाल पर चार्ज लगाये हैं....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें।

श्री दूलाराम : मेरी बात तो सुन लें, बहुत गम्भीर आरोप हैं।

श्री रतनलाल वर्मा : यदि कोई सदस्य बोलें और आरोप लगायें, तो उसी वक्त बात की जावे। इस विषय में जो बात चल रही है उस वक्त कोई दूसरा विषय नहीं उठाया जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें, मेरा काम मुझे करने दें।

श्री दुलाराम : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने आरोप लगाया है कि माननीय मन्त्री जी ने लाखों रुपयों का घोटाला किया है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बिराजें।

श्री दुलाराम : आप मेरी बात को नामंजूर कर देना लेकिन पहले मेरी बात तो सुन लें। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जब सूर्यनारायण चौधरी पर आरोप लगाने पर जांच कमीशन की घोषणा की तो हमें बड़ा अहसास हुआ कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कमीशन की नियुक्ति करके सदन का विश्वास प्राप्त किया है। हमें बड़ी खुशी हुई और हम हर तरह से प्रसन्न हुए। इसी तरह से हम यह कहते हैं कि हरिजन मंत्री पर चार्ज लगाया गया है और जो हरिजन सदस्य हैं वे यह चाहते हैं कि हरिजन मंत्री पर जो चार्ज लगाए गए हैं उनके लिए मुख्य मन्त्री जी....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दुलारामजी, माननीय सूर्यनारायण जी चर्चा आरम्भ कर चुके हैं उस सम्बन्ध में कोई पाइन्ट हों तो उनके बारे में आप कह सकते हैं लेकिन आप किसी अन्य मन्त्री महोदय के बारे में कहना चाहते हों तो जब आपको अवसर दिया जाय तब कहें दें।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री बन्शीलाल सारस्वत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि जब तक माननीय उद्योग मन्त्रीजी का वक्तव्य समाप्त नहीं हो जावे तब तक सदन का समय बढ़ा दिया जावे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : एक घण्टा और बढ़ा दें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सचेतक महोदय, आप समय, एक घण्टा आधा घण्टा कितना बढ़ाना चाहते हैं। माननीय उद्योग मंत्री कोई वक्तव्य दें और उस पर क्लेरिफिकेशन की आवश्यकता हो तो उसमें और भी समय लग सकता है। उसका प्रस्ताव स्पष्ट होना चाहिए।

श्री बंशीलाल सारस्वत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि एक घण्टे के लिए समय बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति कि सदन की कार्यवाही का समय एक घण्टे के लिये और बढ़ाया जाय ?

(स्वीकृत)

सदन की कार्यवाही का समय एक घण्टे के लिए बढ़ाया गया।

श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है। आपकी आज्ञा हो तो एक मिनट में ही अपनी बात कहता हूं। अगर माननीय उद्योग मन्त्रीजी अपने भाषण के अन्दर फिर लड़खड़ा गए और फिर विपक्ष की तरफ से और हंगामा हुआ तो एक घण्टे से अधिक समय लग सकता है। फिर समय नहीं बढ़ाया जावे। चाहे उनका भाषण समाप्त हो, चाहे न हो।

श्री परसराम मदेरणा : एक घण्टे का समय हाउस की डिबेट के लिए बढ़ाया गया है ताकि उस समय हाउस की डिबेट चलती रहेगी, इसीलिए बढ़ाया जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह : एक घण्टे के लिए समय बढ़ा दिया जाय, सात बजे तक के लिए बढ़ा दिया जावे।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के माननीय नेता महोदय को विश्वास दिलाना चाहता हूं....

श्री लक्ष्मणसिंह : आप कृपया प्रयास करें कि एक घण्टे में समाप्त हो जाय।

मन्त्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार

श्री सूर्यनारायण चौधरी : भाषण के बीच में लड़खड़ाने का प्रश्न नहीं है। हम लोग इतने कमजोर नहीं हैं कि जितना कि आप समझ रहे हैं।

सबसे पहले मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो अविश्वास प्रस्ताव रखा गया है उस अविश्वास प्रस्ताव के पीछे जो भावना थी, उस भावना के फलीभूत नहीं होने के कारण आज एक निराशा का वातावरण है उस खेमे के अन्दर और विपक्षी दल के माननीय नेता महोदय ने जो कल प्रथम भाषण दिया उस भाषण में मैं समझता हूं कि मेरे जैसा विधान सभा में पहली बार आने वाला व्यक्ति, विपक्षी दल के....

श्री मथुरादास माथुर : मुख्य मन्त्री जी बैठिये। एक घण्टा हमारे लिए है तो तुम्हारे लिए भी तो है।

श्री दुलीराम : आपने खेमा किसको कहा है....

(व्यवधान)

श्री रामेश्वरदयाल यादव : आपने खेमा किसको कहा है....

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी : खेमा मायने विपक्ष।

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि विपक्ष के माननीय नेता महोदय ने ...

(व्यवधान)

आपके हाथ बहुत देखे हुए हैं। हम भी जानते हैं कि कौन बोल रहा है, जैसे जयकृष्ण बोल रहे हों....

श्री दुलीराम : आप जैसे को बोलते हुए यदि राममनोहर लोहिया देख लें तो....

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह चर्चा इस प्रकार से चल रही है, जैसे माननीय उद्योग मन्त्री कोई स्पष्टीकरण दे रहे हों। वह पाइन्ट तो खतम हो गया है। आप डिबेट में इन्टरवीन कर सकते हैं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अब में यह निवेदन कर रहा हूं कि जनता शासन के ऊपर विपक्षी दल के माननीय नेता महोदय ने यह आरोप लगाया कि कोई उपलब्धियां नहीं हैं। विपक्षी दल के माननीय नेता महोदय ने एक सामान्य तौर पर जिस प्रकार से आरोप लगाए जा सकते हैं कि लॉ एण्ड आर्डर की व्यवस्था ठीक नहीं है, कोई इकानोमिक प्रोग्रेस नहीं है, पुलिस की हड़ताल हुई, इस तरह के जनरल अनेकानेक प्रकार के आरोप लगाए। मैं आपको कहता हूं कि उन आरोपों को सब्सटेनसियेट करने के लिए न कोई तथ्य इस प्रकार के सदन के सामने रखे कि जिससे उनके कथन को किसी प्रकार से बल मिले। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जनता पार्टी का पिछले ढाई वर्ष का शासन मेरे ख्याल से हिन्दुस्तान के जीते जागते इतिहास के अन्दर एक अचीवमेंट का शासन रहा है। एक अचीवमेंट की दिशा रही है और मैं........

(व्यवधान)

इस बात को तथ्यों के साथ, प्रमाण के साथ, आंकड़ों के साथ, राजस्थान सरकार के उन आंकड़ों के साथ पेश कर सिद्ध करना चाहता हूं और निवेदन करूंगा कि आप में हिम्मत होनी चाहिए, पुराने कांग्रेस शासन के कुकर्म और हमारे अचीवमेंट को सुनने की क्षमता आपमें होनी चाहिए। हो हल्ला करने से समाज नहीं बदल सकता। इससे कोई उपलब्धि नहीं हो सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं विनम्र शब्दों में यह निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान के आंकड़ों के आधार पर कि पिछले सौ वर्षों के अन्दर जो अचीवमेंट नहीं हुआ वह पिछले ढाई वर्षों में जनता सरकार ने किया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि महारावल साहब हमारे नेता रहे हैं, वे आज विपक्षी दल के नेता हैं...

श्री गुल मोहम्मद : यह आंकड़े प्रैक्टिकल भी हैं या केवल आंकड़े ही हैं ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आंकड़े में हैं।

(व्यवधान)

श्री नत्थीसिंह : आंकड़े भ्रष्टाचार के कितने हैं ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : सब से पहले मैं माननीय खेतसिंह जी, मदेरणा साहब से निवेदन करना चाहता हूं....

श्री नूरा : आपने सरकारी उद्योगों की क्या हालत कर दी ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : बैठ जाइये। मैं बता रहा हूं। सुनने की क्षमता रखो।

श्री नूरा : इन्होंने सरकारी उद्योगों को समाप्त कर दिया है।

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं हमारे कांग्रेस ग्राई के साथियों को....

श्री दाऊदयाल जोशी : चिल्लाने से काम नहीं चलेगा।

श्री नूरा : ग्रापको कहेंगे, सुनिएगा।

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी : ग्राप बैठ जाइये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं जनतन्त्र का यह तकाजा है, हम लोगों ने उधर से जो माननीय सदस्य बोलें हैं, उनको ध्यानपूर्वक सुना है, इसलिए माननीय खेतसिंह जी से यह प्रश्न करना चाहता हूं, यह निवेदन करना चाहता हूं....

(व्यवधान)

श्री नवरंग सिंह : यह राजनारायण जी की मेहरबानी समझो कि ग्राप ग्राज यहां पर बोल रहे हैं। ग्रापको कोई विधान सभा में घुसने नहीं देता। ग्रापको चैलेंज करता हूं नीम का थाना में ग्रापको 25 वोट से ज्यादा नहीं मिलेंगे।

एक माननीय सदस्य : ग्रापको कितने वोट मिले थे यह तो बताग्रो ?

श्री नवरंग सिंह : राजनारायणजी को यह नेता मानते रहे हैं। यह कहते थे। उनकी मेहरबानी से ही ये ग्राये हैं। वर्ना इनको 232 वोट मिले थे।

श्री सूर्य नारायण चौधरी : मैं राजनारायणजी का एहसान मान कर चलता हूं....

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : 232 वोट विधान सभा के चुनाव में मिले थे या किसी वार्ड के चुनाव में ?

श्री नवरंग सिंह : विधान सभा के चुनाव में 232 वोट मिले थे।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, ग्रगर विपक्ष ने यह तय कर लिया है कि सरकारी पक्ष को नहीं बोलने देना है तो ग्राज इस क्षण में यह बता देना चाहता हूं....

(व्यवधान)

इस तरह की स्थिति ग्रधिक नहीं चलने दी जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया बिराजें।

श्री गुल मोहम्मद : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से धमकी नहीं दी जानी चाहिए। यह जो शब्द कहे गये हैं, हमको चैलेंज किया गया है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गुल मोहम्मद कृपया बिराजें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, इतने बड़े पार्लियामेंट्री ग्रफेयर्स के

(श्री खेतसिंह राठौड़)

मिनिस्टर, हमारे उद्योग मन्त्री, मुख्य मन्त्री महोदय के मुंह के बाल, क्या 232 वोट उनको विधान सभा के चुनाव में मिले ?

श्री उपाध्यक्ष : राजनीति में सब संभव है।

श्री नवरंग सिंह : यह गलत है या सही है। 232 वोट मिले थे या नहीं यह बता दो।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आप गलत बोल रहे हैं, 232 वोट किसी वार्ड के चुनाव में मिले होंगे।

श्री सूर्य नारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमती इन्दिरा गांधी का इस देश में 11 वर्ष तक शासन रहा। उन दिनों हिन्दुस्तान में विलो पावर्टी...

श्री श्योपतसिंह मकासर : क्या आप जार्ज का भाषण पढ़ रहे हैं। Do not repeat it at all.

श्री नूरा : हम ने इन्दिरा जी का शासन देखा है। उससे काम नहीं चलेगा। आप जिस बात को कहना चाहते हो वह बात कहिए।

(व्यवधान)

श्री गोपालसिंह (खण्डेला) : क्या उद्योग मन्त्री बोल चुके हैं?

श्री उपाध्यक्ष : कृपया इन्ट्रप्शन न करें। उनको बोलने का अवसर दें।

श्री नवरंग सिंह : इन्होंने इन्दिरा गांधी की बात की है। इन्दिरा गांधी के जमाने में हरिदेव जोशी मुख्य मन्त्री थे...

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी : जानते हैं आप कितने तीस मार खां हो। मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमारे माननीय सदस्य श्री खेतसिंह जी को, परसराम जी को, इन्दिरा गांधी के शासन से तुलना करने में बुरा लगे परन्तु जनता-एस के लोगों को इन्दिरा गांधी से तुलनात्मक अध्ययन करने में क्यों बुरा लग रहा है ? आप तो कल तक हमारे साथी रहे हैं। हिन्दुस्तान की तस्वीर को आर्थिक स्तर पर आप देखें तो क्या आर्थिक स्थिति उस समय हिन्दुस्तान की थी। जिस समय इन्दिरा गांधी सत्ता में आई तो क्या आर्थिक स्थिति थी हिन्दुस्तान की और जिस समय उन्होंने सत्ता छोड़ी....

श्री माणकचन्द सुराणा : (वित्त मंत्री) उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत विनम्र शब्दों में निवेदन करूंगा कि व्यवस्था को बनाये और हमने जितनी शान्ति से उनके भाषण सुने, मैं निवेदन करूंगा कि उनको शान्ति से सुनने में दिक्कत क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, निवेदन करना चाहूंगा कि बीच में इन्ट्रप्शन न करें।

श्री माणक चन्द सुराणा : आप उद्योग मंत्री जी को सुनने का कष्ट करें।

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी (उद्योग मंत्री): आप रहने दीजिये। मैं जानता हूं एक एक की पोल।

श्री हरचन्दसिंह : मंत्री महोदय इन्वाल्ड हैं........

(व्यवधान)

मंत्री महोदय ने कमीशन मंजूर किया है....

श्री सर्यनारायण चौधरी : यह कमीशन सुखाड़िया के खिलाफ है। मैं खुद चाहता हूं जांच हो।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप इस भरोमे मत रहना।

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : मुख्य मन्त्री जी बैठे रहते हैं तब तो काम ठीक चलता है और....

(व्यवधान)

श्री राम नारायण चौधरी : माननीय उद्योग मंत्री जी से निवेदन है कि अपने भाषण को मधुर बनायें।

श्री नूरा : उपाध्यक्ष महोदय, आप बीच में बोलते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि बैठ जाइये, बड़े तीस मार खां हैं आप।

श्री राम नारायण चौधरी : सारा प्रवोकेशन उद्योग मन्त्री जी कर रहे हैं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं और उन आंकड़ों के आधार पर मैं यह साबित करना चाहता हूं कि 11 वर्ष के श्रीमती गांधी के शासन काल में....

श्री नूरा : उपाध्यक्ष महोदय, अब यह बात कह चुके हैं और कितनी दफा कहेंगे ?

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : आप राजस्थान की बात बताइये।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मेरा अपना तरीका है भाषण देने का।

श्री नूरा : हम नहीं सुनेंगे।

श्री रघुनन्दन व्यास : न सुनते हैं, न सुनने देना चाहते हैं, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अगर इस सदन में सुनने की प्रथा चलेगी तो उसके घातक परिणाम होंगे।

श्री माणकलाल ठाकौर : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजें।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पाइन्ट आफ आर्डर के जरिये....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस समय जो चल रहा है उसमें कोई पाइन्ट आफ आर्डर रेंज नहीं होता है।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आज्ञाकारी सदस्य हूं।

(व्यवधान)

(120)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया विराजें।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं यह निवेदन कर रहा था कि हिन्दुस्तान में····

श्री नवरंग सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सवाल पूछा था उसका जवाब नहीं आया।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, उद्योग मन्त्री जी के भाषण के बीच में इतने व्यवधान हैं कि महाभारत के दृश्य में भगवान् के सुदर्शन चक्र के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। इससे यह लगता है कि भैरोंसिह जी के अलावा यह सदन किसी को नहीं सुनना चाहता। इससे तो यह उपयुक्त होगा कि भैरोंसिह जी ही जवाब दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप यह कह कर मेरे ख्याल से सदन का महत्व कम करना चाहते हैं।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैं इस सदन की महत्ता के लिये एक इंच भी इधर-उधर नहीं कह सकता लेकिन इस मन्त्रिमण्डल के माननीय सदस्यों की जो स्थिति है उसमें....

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इससे घोर आपत्ति है। मैं निवेदन करना चाहता हूं····

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि विरोधी पक्ष मन्त्री जी के कथन को सुनें, एक बार नहीं सौ बार। अगर हम मन्त्री जी के कथन को नहीं सुनेंगे तो सरकार का पक्ष सामने नहीं आयेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, उद्योग मन्त्री जी के भाषण में इन्ट्रप्शन न करें। कृपया थोड़ी-सी शालीनता बरतें।

श्री बजरंगलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि थोड़ा भाषण को सरल करें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : उपाध्यक्ष महोदय, भाषण बासी नहीं होना चाहिये, ताजा होना चाहिये। ये बासी भाषण दे रहे हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उन्होंने साहब बहुत कुछ कह दिया, क्या बाकी रहा ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था, हिन्दुस्तान में पहली बार जनता पार्टी की सरकार बनी है।

(व्यवधान)

89 इण्डस्ट्रियल ग्रोथ हिन्दुस्तान के अन्दर रही। राजस्थान में भी उसी अनुपात में रही है।

श्री मूलचन्द डागा : राजस्थान में आज की तारीख में 19 उद्योग बन्द हैं।

(व्यवधान)

श्री रघुनन्दन व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, डागा जी को गड़बड़ करने से रोकिये। वर्ना इनको हाउस से निष्कासित कीजिए।

श्री दाऊदयाल जोशी : यह बीच में बार बार नहीं बोलेंगे, डागा साहब।

श्री श्योपतसिंह मकासर : उपाध्यक्ष महोदय, यह लाउड स्पीकर तो बन्द कीजिए।

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, डागा साहब लगातार एक घण्टा बोले हैं। यह सुनना नहीं चाहते हैं। यह चुप रहें नहीं तो हम हुड़दंग मचा देंगे। हम बोलने नहीं देंगे। यह सदन की मर्यादाओं पर कलंक का टीका लगाना चाहते हैं। इनके विभाग का सन्तुलन खो गया है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था····

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के महानुभावों से एक बात निवेदन करूंगा, मन्त्री महोदय का भाषण हो रहा है। उसको शांति से सुनें। मन्त्री महोदय से भी मैं एक विनम्र निवेदन करूंगा कि 20-25 मिनट में वह अपनी बात कह डालें।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था, आप राजस्थान के कृषि क्षेत्र में देखें, उद्योग के क्षेत्र में देखें, शिक्षा के क्षेत्र में देखें, सिंचाई के क्षेत्र में देखें। पिछले 30 वर्षों के शासन के दौरान में जो उपलब्धियां हुईं, उसकी अपेक्षा जनता पार्टी के दो वर्ष के शासन काल में जो उपलब्धियां हुई हैं, वह सराहनीय हैं।

(व्यवधान)

उसे तुलनात्मक अध्ययन करने की दृष्टि से देखें तो वह स्थिति जब जनता पार्टी ने शासन अपने हाथ में लिया है····

श्री श्योपतसिंह मकासर : आप भी जनता पार्टी शासन के हैं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अगर इस तरह करोगे तो हम खड़ा नहीं होने देंगे। आपने समझ क्या रखा है?

(व्यवधान)

श्री रघुनन्दन व्यास : ये विपक्ष के लोग सुनना नहीं चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि सदन में ऐसे सदस्यों के बारे में कुछ व्यवस्था करें।

(व्यवधान)

कई माननीय सदस्य : हम भी नहीं बोलने देंगे।

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी : बड़ी लज्जा की बात है। आप सुनना नहीं चाहते हैं। हम आपको सुनते हैं।

श्री माणकचंद सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़े शर्म की बात है।

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी : हमें मजबूत होना पड़ेगा।

(व्यवधान)

श्री ईश्वरचंद्र : आप बैठ जाइये । हम नहीं बोलने देंगे ।

(डा. हरिसिंह के खड़े होने पर)

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी : हम किसी भी सदस्य को बोलने नहीं देंगे ।

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल : यह सदन की गरिमा का हनन कर रहे हैं ।

(व्यवधान)
(व्यवस्था-सूचक घण्टी)

श्री माणकचन्द सुराणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 299 की ओर दिलाना चाहता हूं, जिसमें यह कहा है—

"The Speaker shall preserve order and shall have all powers necessary for the purpose of enforcing his decision."

श्री रामसिंह विश्नोई : यह सब जानते हैं ।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : तमीज सीखिये ।

(व्यवधान)

श्री माणकचन्द सुराणा : आप कृपा करके....

(व्यवधान)

(व्यवस्था-सूचक घण्टी)

श्री गोपाल पचेरवाल : यह अपने विरोधी दल के नेता की भी बात मानने को तैयार नहीं है ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपका कौन सा कण्ट्रोल है ।

श्री गोपाल पचेरवाल : ये उनकी बात नहीं मानते हैं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हरचन्दसिंह जी ।

(व्यवधान)

श्री रघुनन्दन व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, ये कहना नहीं मानते हैं तो इनको निष्कासित किया जाये ।

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी : बोल लीजिए, कैसे बोलने हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : मेरे लिए नियन्त्रण करने की एक सीमा हो जाती है । इस प्रकार की स्थिति शोभाजनक नहीं है । उचित भी नहीं है । मन्त्री महोदय कृपया भाषण जारी रखें । श्री रामनारायण जी, शायद वैसे ही प्रतिक्रिया उधर से भी हो सकती है ।

व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

1966 के दिसम्बर में 24 करोड़ लोग ऐसे हैं जो पावर्टी लाइन के नीचे थे। यह सही है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के गरीबी हटाओ के अभियान में जब उन्होंने उनके वोट प्राप्त किये और जब उन्होंने राजगद्दी छोड़ी तो वह संख्या 42 करोड़ हुई। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि गरीबी हटाने वाले नारे से वोट तो बटोर लिये मगर वह संख्या उन्होंने 24 करोड़ से 42 करोड़ कर दी। जो गरीबी की रेखा से नीचे थे। इस प्रकार से....

(व्यवधान)

कई माननीय सदस्य : मत ओलोनीच में।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : दाल एक अनिवार्य आवश्यक पदार्थ है। श्रीमती गांधी के जमाने में प्रति व्यक्ति औसत खपत हिन्दुस्तान में 60 ग्राम थी। लेकिन वह हटीं तो वह 42 ग्राम हो गई। इसी प्रकार से कपड़े के मामले में 15.5 प्रति मीटर पर कैपिटा थी, 11 मीटर गद्दी से जब वह हटी तो....

(व्यवधान)

अपनी कलई सुनो।

इसी प्रकार से शुगर कंजम्पशन 7 किलो प्रति व्यक्ति था। जब श्रीमती गांधी गद्दी से हटी हैं तो वह 6 किलो हो गया। मैं आपकी जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं जनता पार्टी के सवा दो वर्ष के शासन काल में बढ़कर दस किलो प्रति व्यक्ति हो गया। 7 से 6 किलो से सवा दो साल में 10 किलो।

इसी प्रकार मैं आपके सामने इस देश के अन्दर जो ग्रोथ रेट हुई है उसके कुछ आंकड़े देना चाहता हूं, ये आंकड़े श्रीमती इन्दिरा गांधी के शासन काल में पब्लिश्ड पुस्तकों में से लिए गए हैं और उसके शासन काल के समाप्त होने के बाद जो आंकड़े आए हैं वे भारत सरकार के आंकड़े हैं। मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि 1971–72 में ग्रोथ रेट नेगेटिव .9% थी, 1972–73 में माइनस, 35, 1973-74 में प्लस .29 1974–75 में माइनस 1, 1976–77 में 0.6 1977–78 में माइनस .01 थी। जनता शासन के पहले वर्ष में ग्रोथ रेट प्लस 5.2 थी जो आज तक के इतिहास में कभी नहीं रही। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, महारावल साहब, आप सुयोग्य व्यक्ति हैं, आप अध्ययनशील हैं, लेकिन आपके विचारों में राजनैतिक विद्वेष है, उसके कारण हिन्दुस्तान की आर्थिक स्थिति का अध्ययन नहीं किया। मैं आपसे यह उम्मीद लेकर चलता था कि जनता पार्टी शासन काल की कमियां बताते, फेलिंग बताते। कोई सन्तुलित क्रिटिक हो तो वह उपलब्धियां और अचीवमेन्ट्स के साथ-साथ फेल्योर की ओर भी ध्यान आकर्षित करेगा। महारावल साहब मैंने यह उम्मीद की थी कि आपको असेम्बली का तीस साल का एक्सपेरियेन्स है, उससे कुछ सीख पायेंगे, लेकिन मुझे निराशा हुई, सारे सदन को हुई, आपका भाषण जनरल भाषण था उसमें किसी प्रकार की कोई चीज नहीं मिलती।

(124)

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार ने जनता पार्टी के शासन काल में योजनाएं बनायीं, पंचवर्षीय योजनाएं बनाई, उस पंचवर्षीय योजना के अन्दर ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर खर्च करने के लिए 43 प्रतिशत रकम रखी जबकि इससे पहले पिछले 25 वर्षों के अन्दर जो योजनाएं बनीं उन योजनाओं के अन्दर ग्रामीण क्षेत्रों के ऊपर 18 से 22 प्रतिशत तक रहा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में 33 हजार करोड़ का प्रावधान छठी पंचवर्षीय योजनाओं में किया गया जो कुल 25 वर्षों में, पांचों पंचवर्षीय योजनाओं के प्रावधान से ड्योढ़ा है, यह बहुत बड़ा अचीवमेंट है। राजस्थान के बारे में निवेदन करना चाहता हूं....

श्री खेतसिंह राठौड़ : इन आंकड़ों से आपका राज गया है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : जो आंकड़े राजस्थान सरकार ने प्रकाशित किए हैं माननीय माथुर साहब, आप भी फाइनेन्स मिनिस्टर रह चुके हैं मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली पांच पंचवर्षीय योजनाओं में कुल मिलाकर आकार 1430 करोड़ का था। 25 सालों में। मदेरणा साहब आपके शासन काल में पांचों पंचवर्षीय योजनाओं में जितना प्रावधान रखा गया, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि जनता पार्टी के शासन काल में प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में जिसको छठी पंचवर्षीय योजना कहा जाता है प्रावधान 1730 करोड़ का रखा गया है जो जनता पार्टी के शासन काल की प्रथम योजना है। यह राशि पिछले 25 सालों से 300 करोड़ अधिक है।

इसी प्रकार से बिजली के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। सिंचाई और कृषि के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। मैं आपसे माथुर साहब और मदेरणा साहब यह अपेक्षा करके चलता था बुजुर्ग होने के नाते से—मैं यह उम्मीद लेकर नहीं चलता था कि आप शाबाशी देंगे क्योंकि आपकी आखिरी सत्ता छीनी गई है आपकी गद्दी छीनी गई है उसका दर्द हो सकता है टीस पहुंच सकती है....

श्री मथुरा दास माथुर : मेरा शासन तो नहीं छीना। मेरा शासन तो इन्दिरा गांधी के आने के पहले ही पांच वर्ष पहले ही छीन लिया गया था।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : विपक्षी दल के नेता होने के नाते महारावल साहब से मैं यह अपेक्षा करता था कि वे कम से कम आंकड़ों को तो देखते। जो उपलब्धि राजस्थान सरकार ने दी है जो पब्लिश्ड की है वह आथोरिटेटिव है और अथेन्टिक है। ये तो पढ़कर आते उसके बाद अपना मानस बनाते। इकानामिक प्रोग्रेस और सोर्सेज के सम्बन्ध में उनको थिन्किंग करके हर चीज का एक बैलेन्स्ड व्यूज लेकर चलना चाहिए।

पेयजल के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं हमने पूंजी का 1978 से 83 के लिए पांच वर्षों के लिये 150 करोड़ का

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

आयोजन किया जो पिछले 25 सालों के आयोजन से ढाई गुना के बराबर है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं इसी प्रकार से विद्युतीकरण के अन्दर 216 करोड़ का आयोजन किया गया जो कि 51 से 74 के कुल आयोजन के मुकाबले 132% है।

श्री मथुरा दास माथुर : एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं, इण्टरवेन्शन कर रहा हूं। आंकड़े पढ़ रहे हैं या पोथी पढ़ रहे हैं। 51 में रुपये की वेल्यू क्या थी और अब रुपये की वेल्यू क्या है ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : यह भी बता रहा हूं माथुर साहब। जब इन्दिरा गांधी ने शासन संभाला उस समय रुपये की वेल्यू 54 पैसे थी और जब वो गद्दी से हटीं उस समय 25 पैसे थी। 11 वर्षों के अन्दर रुपये की वेल्यू को आधा कर दिया।

श्री मथुरा दास माथुर : आपने 51 के आंकड़े दिये, रुपये की वेल्यू 51 में क्या थी उससे कम्पेअर करिये।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : यह आप भी जानते हैं माथुर साहब और मैं भी जानता हूं।

श्री मथुरा दास माथुर : वह तो कल जवाब दे दूंगा एक एक बात का।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आंकड़ों से पेट नहीं भरता।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : माननीय श्योपतसिंह जी आंकड़ों को पढ़ लीजिये।

ठीक है मैं इस बात को मानकर चलता हूं कि बहुत बड़े पैमाने पर जो काम होता है चीज की व्यवस्था होती है सरकार चलाती है तो यह आवश्यक नहीं है कि वह फुल प्रूफ सिस्टम बन जाये जिससे कोई खामी नहीं रहे लेकिन यह तो बोलते हैं कि 2 लाख 10 हजार परिवार ऐसे हैं जिनको रिहेबिलिटेट किया जा रहा है। यह बात सही है मैं इस बात से इन्कार नहीं करता कि हजार, दो हजार या दस हजार परिवार ऐसे हो सकते हैं जिनको वो साधन नहीं मिल पाए जो कि सरकार उनको अन्त्योदय कार्यक्रम के अन्तर्गत दिलाना चाहती है। लेकिन अपवाद किसी चीज के लिए यह मानकर जजमेन्ट के लिए आधार नहीं बना सकते। आपके अन्दर नैतिक साहस होना चाहिए जहां आप खामियों की बात करें वहां जो उपलब्धियां हुई हैं वह भी भूलनी नहीं चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं अविश्वास का प्रस्ताव दुर्भावनाओं से प्रेरित है, मेरिट के आधार पर नहीं है, राजनीतिक विद्वेष की भावना से लाया गया है। जनता पार्टी में विभाजन आया लेकिन मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को आगाह कर देना चाहता हूं जिस तरह से बातें आ रही हैं, जो देश के दो बड़े धर्म हैं देश के उनके बीच में डिवीजन नहीं हो जाय इसका बड़ा खतरा है। और मैं चाहूंगा कि आप इसका निराकरण करें। लेकिन निराकरण करने के लिए जो अच्छा रास्ता है, सुव्यवस्थित रास्ता है, उससे आपको करना चाहिए। कल रेडियो पर सुना है कि हिन्दुस्तान में

126

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

जो मुसलमानों की अलग अलग जमातें हैं उनकी तंजीम कायम की है और हिंदुस्तान में मजहब के आधार पर कूद कर वोट बटोरना चाहते हैं। हिंदुस्तान में दूसरी भी बहुत बड़ी जनसंख्या रहती है उसको हम बहुसंख्यक कहते हैं। हर एक्शन का रीएक्शन हुआ करता है। मैं उन लोगों में से हूं जो कभी आर. एस. एस. की शाखा में नहीं गया, जो धर्म निरपेक्षता में विश्वास रखते हैं। आपने स्वयं ने कबूल किया है। कुर्सी में विश्वास रखते हैं, राजनीति संन्यास के लिए नहीं है, जो राजनीति में आएगा वह कुर्सी के लिए आएगा, सत्ता के लिए आएगा, सत्ता के माध्यम से स्थिति में परिवर्तन होगा। अगर कुर्सी व सत्ता का मोह नहीं हो तो क्या जंगल का मोह है? आपकी तरह ढोंग नहीं करूंगा श्योपत सिंह जी। आप चुनाव जीत कर किस लिए आए हैं, हाथ में माला फेरने के लिए?

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : ईमान नहीं बेचा है, कुर्सी के लिए ईमान मत बेचो।

(व्यवधान)

हम कुर्सी के लिए ईमान नहीं बेचेंगे।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : 1977 में एक परिवर्तन आया। वह परिवर्तन आकस्मिक नहीं था। वह परिवर्तन एक नियति थी। मैं समझता हूं मदेरणा साहब जब मंत्री की हैसियत से यहां बिराजते थे लेकिन कभी कभी उनके भाषण और दूसरे उद्गार जेल में हम सुना करते थे और जब सदन की कार्यवाही एक घण्टे में खतम होती थी और सारे देश का दम घुटा हुआ था, प्रेस को स्वतन्त्रता नहीं थी, नागरिकों की स्वतन्त्रता का नामोनिशान नहीं था। उस समय विरोधी पक्ष के नेता महोदय जिन्हें कभी जेल में जाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ....

श्री श्योपतसिंह मकासर : आपने माफी लिखकर दी थी....

श्री सूर्यनारायण चौधरी : श्योपतसिंह जी आप झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने अगर अपने भाषण के दौरान जनता पार्टी को और शासन को कन्डेम करने की दृष्टि से इमर्जेन्सी के दौरान डिसिप्लिन की दुहाई दी, यह ऐसी बात नहीं है जो उनसे पूछी नहीं जा सकती। महारावल साहब, आपसे नम्र निवेदन है कि आप गद्दी पर बैठें, परसराम मदेरणा बैठें, भैरोसिंह जी बैठें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन समाज के लिए जो मूल्य निर्धारित किए हैं उन मूल्यों का ह्रास होता है, वे मूल्य समाप्त होते हैं, मूल्यों के बगैर इज्जत नहीं रहती। आपका और हमारा स्थान किसी प्रकार से अलग नहीं है। मैं अपेक्षा करके चलता था कि इमर्जेंसी में जो गुलामी का वातावरण बना था उसके सम्बन्ध में प्रशंसा का वाक्य आपके मुख से नहीं आना चाहिए था। आखिरकार आप हमारी जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं में से हैं, आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने 200 लोगों को राजस्थान में टिकट बांटा है, हमने आपको आदर और सम्मान दिया है। जनता पार्टी की त्रुटियां हो सकती हैं, कमियां हो सकती हैं, कोई

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

भी शासन राम राज के जमाने से लेकर आज तक इतिहास के पन्ने पलट कर देखिए कभी भी त्रुटिहीन नहीं रहा हो लेकिन जो शासन जनतन्त्र की पद्धति पर चल रहा है जिसको बदलने की आपको स्वतन्त्रता है, उसको कन्डेम करने लगेंगे तो निश्चित रूप से आप समाज और देश की सेवा नहीं कर रहे हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सेवा आपका ठेका है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : सेवा हमारा ठेका है, बिल्कुल निश्चित बात है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज इस देश में जो परिवर्तन आया और उस परिवर्तन के फलस्वरूप दिल्ली में और पूरे उत्तरी भारत में सत्ता का परिवर्तन हुआ। आप यह कहते हैं कि यह दल बदल नहीं है क्योंकि आपके अनुसार श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जो एक मसौदा बनाया था कानून का उस मसौदे में था कि अगर ग्रुप आफ पर्सन्स निकल कर किसी पार्टी में चला जाए तो उसको दल बदल नहीं माना गया। लेकिन विपक्षी दल के नेता महोदय, आप इस बात को मत भूलिए कि वर्तमान प्रधान मन्त्री की कोई परम्परा रही है तो वह है, He is first defector Chief Minister and he is first defector Prime Ministers. और इस परम्परा को आप दल बदल नहीं कहेंगे, केवल आज के दिन आपको सूट करता ....

(व्यवधान)

मेरा विनम्र शब्दों में निवेदन है कि देश के लिए यह घातक है....

श्री नवरंगसिंह : 1977-78 की हालत बता दो।

(व्यवधान)

श्री गुल मोहम्मद : उपाध्यक्ष जी, पाइन्ट आफ आर्डर। अभी अभी मन्त्री महोदय ने अपने भाषण में एक बात कही कि मुसलमानों ने एक तन्जीम बनाई है....

(व्यवधान)

श्री सूर्य नारायण चौधरी : This is no point of order.

श्री गुल मोहम्मद : No. This is a point of order.

(व्यवधान)

श्री रामेश्वर दयाल यादव : मुसलमानों के नाम पर क्यों इस तरह उतर गए हो ? आप हिंदू मुस्लिम दंगा कराना चाहते हैं ?

(व्यवधान)

श्री गुल मोहम्मद : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। उद्योग मन्त्री ने अपनी स्पीच में कहा था कि मुसलमानों ने एक तंजीम बनाई है, जो वोट बटोरना चाहती है। यह तन्जीम किनकी है ?

श्री उपाध्यक्ष : यह पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : This is point of clarification.

(व्यवधान)

श्री रामेश्वर दयाल यादव : मंत्रि-मण्डल के सदस्य जिस तरह से सदन में हल्ला कर रहे हैं....

श्री गुल मोहम्मद : मैं चुनौती देता हूं कि अगर इसी प्रकार हल्ला शुरू किया तो आप भी नहीं बोल सकेंगे।

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आप सुनये तो सही मुझे बोलने तो दीजिये।

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आप पहले मुझे इस पर बोलने तो दीजिये। मैं आपके विषय पर तो एक शब्द भी बोलना नहीं चाहता। जब उपाध्यक्ष महोदय ने रूलिंग दे दी है तब....

(व्यवधान)

श्री गुल मोहम्मद : आप इस पाइन्ट को क्लेरिफाई करें कि मुसलमानों ने तन्ज़ीम बनाई है वोट बटोरने के लिये, आप हिन्दू मुस्लिम की भावना को भड़काना चाहते हैं, नहीं तो इसको पहले क्लेरिफाई करें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अगर आप इसको क्लेरिफाई नहीं करेंगे तो हम यह समझेंगे कि इस मुसलमानों की तन्ज़ीम से हिन्दुओं को खतरा है और चूंकि मैं भी हिन्दू हूं इसलिये मुझे भी खतरा है आप पहले उसको क्लेरिफाई करें।

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं इसके बारे में वक्त आने पर जवाब दे दूंगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अभी क्यों नहीं ? जब आपने कहा कि मुसलमानों ने तन्ज़ीम बनायी है और मैं हिन्दू हूं मैं जानना चाहता हूं कि वह क्या है ?

(व्यवधान)

श्री नूरा : आप खुलासा बतावें क्या आप हिन्दू और मुसलमानों की भावनाओं को भड़काना चाहते हैं, आप स्पष्ट खुलासा से हमें बतावें ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : आपने कहा कि हिन्दुओं को खतरा है। तो मैं हिन्दू हूं, मुझे भी खतरा होगा इसलिए आप बतावें वह क्या है, कौन सा खतरा है ?

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : आप चाहे जो बनें हिन्दू बनें, सेठ बनें, ब्राह्मण बनें चाहे जो बनें पर खतरा क्या है यह बतावें ?

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सब जानते हैं कि बात क्या है पर यह जानकर मन्त्री महोदय को बोलने नहीं दे रहे हैं। यह बात तो अखबारों में स्पष्ट रूप से आ चुकी है सभी ने पढ़ा है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आप बिराजिये। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस तरह आप बोलते हैं जिससे आपका भाषण भी अच्छी तरह से नहीं लिखा जाता और जो सामान्य कार्यवाही चलनी चाहिये

(श्री उपाध्यक्ष)
वह भी ठीक तरह से नहीं चल सकती है। माननीय सदस्य जो जानकारी चाहते हैं वह सामान्य घटनाओं के बारे में और हर प्रश्न को क्लेरिफाई करने की आवश्यकता नहीं है। अगर प्रश्न को क्लेरिफाई करने लग गये तो मैं समझता हूं समय लगेगा और डिबेट पूरी न होगी।

श्री श्योपतसिंह मकासार : देश में हिन्दुओं को खतरा हो रहा है। क्या खतरा हो रहा है बतावें ?

श्री नूरा : आज जो यह भाई चारे की भावना हिन्दू और मुसलमानों में है उसको आप क्लेरिफाई नहीं करेंगे तो यह भाई चारे की भावना में विवाद पैदा करना चाहते हैं क्या ? झगड़ा पैदा करना चाहते हैं क्या ?

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : उद्योग मंत्री जी आप, उपाध्यक्ष महोदय, बेकार में हिन्दू और मुसलमानों की भावना को भड़का रहे हैं।

श्री माणकचन्द सुराणा : आॅन ए पाइन्ट आफ आर्डर, उपाध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य बार बार बोल कर आपने जो रूलिंग दी हैं उसकी अवहेलना कर रहे हैं।

श्री गुल मोहम्मद : उपाध्यक्ष महोदय मन्त्री महोदय ने सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है। इन्होंने हिन्दू मुसलमानों की एकता को खतरा पैदा होने वाली बात की है।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : आप तो दल-बदलू हैं।

सुश्री पुष्पा जैन : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, उपाध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य जो जौहरी बाजार क्षेत्र से आते हैं....

(व्यवधान)

श्री नूरा : उपाध्यक्ष महोदय, जो भी बात वह कह रहे हैं वह गलत कह रहे हैं।

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : आप बैठ जाइये। मैंने पाईन्ट आफ आर्डर उठाया है। आपने जो प्रश्न उठाया था उस पर पहले ही व्यवस्था दे दी गयी है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य विराजिये। महिला सदस्या कुछ कहना चाहती हैं उन्हें पहले बोलने दिया जाय।

सुश्री पुष्पा जैन : मैंने पाइन्ट आफ आर्डर उठाया है जब कि आसन से व्यवस्था की जा चुकी है।

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय केदारनाथ जी ने भी यही कहा है कि माननीय सदस्या को बोलने दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : यह माननीय सदस्य का अपमान है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : उपाध्यक्ष महोदय, सदन की मांग है कि बख्स दिया जाय।

सुश्री पुष्पा जैन : माननीय सदस्य, आप उत्तेजित नहीं हों, आप शान्त रहो। उपाध्यक्ष महोदय, जो व्यक्ति जिस स्तर का होता है उसी के मुताबिक बोलता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पाइन्ट आफ आर्डर रेज किया है फिर भी लगातार बोल रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब आपने उस प्रश्न पर अपनी व्यवस्था दे दी फिर यह कैसे बोल रहे हैं? आप इस पर व्यवस्था दें।

श्री मथुरादास माथुर : आप हमारे आखिर नेता हो गये।

श्री गुल मोहम्मद : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था मन्त्री महोदय ने जो भाषण के बीच में कहा कि मुसलमानों ने तन्जीम बनायी है वह क्या है? इसके बारे में क्लेरिफाई होना जरूरी है इसलिए मैं बीच में बोल रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, इस चर्चा को यही समाप्त कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या इस विषय को समाप्त कर दिया जाय।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : नहीं इसका मैं डे आफटर टूमारो जवाब दूंगा कि किस हरिजन को इन्होंने प्रधान मन्त्री नहीं बनने दिया।

श्री बंजरगलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, आन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री रघुनाथ विश्नोई : कोई पाईन्ट ऑफ आर्डर नहीं है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

सदन की कार्यवाही परसों दिनांक 28 सितम्बर के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक : 28 सितम्बर, 1979 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की गई)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न 40 का विवरण)

22 जून, 77 से 31-8-79 तक बन्धक मजदूरों के पुनर्वास पर खर्च की गई राशि का विवरण

राशि	स्रोत	
28,13,700/-	14 लाख भारत सरकार 14 लाख राज्य सरकार 13 हजार विभिन्न जिला प्राधिकरण द्वारा 700/- स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा	केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजना अन्तर्गत कोटा के 700 बन्धक श्रमिकों का पुनर्वास ।

परिशिष्ट 2

(समयाभाव के कारण विधान सभा में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

तहसील मावली के ढूंढिया गांव का विद्युतीकरण

41. **श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी** (मावली) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम ढूंढिया तहसील मावली कृषि प्रधान गांव है ? यदि हां, तो इस गांव को राज्य सरकार कब तक विद्युतीकृत कर देगी ?

(2) क्या यह सही है कि इस गांव के 3 किलोमीटर दूर कीर की चौकी से विद्युत् लाइन जा रही है ? यदि हां, तो इस लाइन से छोटी लाइन लेकर क्या इस ग्राम को विद्युतीकृत किया जा सकता है ?

(3) तहसील मावली के कितने गांवों में अभी तक बिजली पहुंचाई जा चुकी है तथा कौन कौन से गांव बिजली से वंचित हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां। विद्युतीकरण के बारे में अभी निश्चित रूप से कहना सम्भव नहीं है।

(2) जी हां। 132 एवं 220 के. वी. की लाइनें कीर की चौकी से गुजरती हैं। जी नहीं। इन उच्च प्रसारण लाइनों के बीच में टेप करके किसी गांव का विद्युतीकरण करना सम्भव नहीं है।

(3) तहसील मावली के 62 ग्राम वर्ष 1978-79 के अन्त तक विद्युतीकृत हो चुके हैं तथा 79 ग्राम विद्युतीकरण के लिए शेष हैं। इनमें से 7 गांव विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत किये जा चुके हैं। स्वीकृत गांवों तथा उसके बाद अवशिष्ट गांवों की सूची 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है।

सूची 'अ'

मावली तहसील के ग्रामों की सूची

विद्युतीकृत ग्राम

1. सिंद्
2. पलाना कलां
3. पलाना खुर्द
4. प्रकाशपुरा
5. रोडी
6. थामला
7. भरतड़ी
8. सालेरा खुर्द
9. बीड़यार
10. सांकरोदा
11. कुंचोली
12. पलीचड़ा
13. पलीचड़ा की खेड़ी
14. घनेरिया
15. जेवाणा
16. खरताणा
17. मानखण्ड
18. मोरठ
19. भूवलावास
20. खनवाड़
21. फतेहनगर
22. बांसनी माफी
23. लदानी
24. डांगीर खेड़ाऊ उर्फ फतेहपुरा
25. मावली
26. गडीरयावास
27. होली
28. बासीलया
29. बोर का कुंआ
30. घासा
31. चोलीमगरी
32. मांगथला
33. खखड़ों का गुढ़ा
34. मानीकया वास
35. रख्यावल
36. बीचोलिया
37. सागला
38. गन्दोली
39. नउवा
40. चंदेसरा
41. ओरवाडिया
42. गुडली
43. डबोक
44. मेड़ता
45. खेमली
46. आमना
47. नांदवेल
48. बहारमगरा
49. गणोली
50. सीयल चारणान
51. खलेरा कलां
52. सोंगरिया खेड़ी
53. पावटा
54. बोयणा
55. गादोली
56. खेमपुर
57. लदाना
58. चन्गेरी
59. बीका खेड़ा
60. वड़गाव
61. इन्टाली
62. बासनी कलां

अविद्युतीकृत ग्राम

63. भानसोल
64. जवाड़
65. छोटीखेडी
66. मोटीखेडी
67. मोड़ंथल
68. भानसोलखेड़ा
69. महुरा (स्वीकृत)
70. डिगरकिया
71. मंडप
72. भारोड़ी
73. वारणी
74. खेमा खेड़ा
75. मढ घोरोक्यान
76. जावदा
77. मोरदी
78. देवजी का खेड़ा
79. चेमरिया खेड़ा
80. सोपरिया खेड़ा
81. गिरधारीपुरा
82. शिवसिंह जी का खेड़ा
83. पिपलिया
84. भावली
85. रानीखेड़ा
86. सवाणिया
87. लोपड़ा
88. बांसनी खुर्द
89. बिशनपुरा
90. गन्दोलीखेड़ा
91. बीडघास
92. सरूपपुरा
93. नाई का ढाणा
94. जवान जी का खेड़ा
95. रठाना
96. पिपरोली
97. नूरडा
98. गणेशपुरा
99. खेड़ीघासा
100. खाम की मादड़ी (स्वीकृत)
101. बीठोली (स्वीकृत)
102. बीजनवास (स्वीकृत)
103. बोकरनी
104. मारुवास
105. रामजी का गुढ़ा
106. तुलसीदास जी की सराय
107. गाडवा
108. ओरड़ी (स्वीकृत)
109. ढाणा
110. देवाली
111. भोपतखेड़ी
111. सुतावतों का गुढ़ा
113. नामडी
114. सोबजी का खेड़ा
115. सुखबाड़ा
116. नागों का खेड़ा
117. पानवास कलां
118. पालवास खुर्द
119. मादड़ी सोलंकियान
120. भीमल
121. गडवाड़ा
122. रेडियाखेड़ी
123. बांगरोड़ा
124. गोलवाड़ा (स्वीकृत)
125. राहमी (स्वीकृत)
126. गोरधनपुरा
127. छीपीखेड़ा
128. बाड़ी

135

129. धारता
130. भ्रामली
131. बावरिया खेड़ा
132. भ्राकोडरा
133. दूदालिया
134. चुड़ावत खेड़ी
135. उदा खेड़ा
136. जोदाणा
137. भलाखेड़ा
138. रोयड़ा
139. दूधिया
140. नान्दोली खुर्द
141. बागरोड़ी

ग्राम सेवा सहकारी समिति-ईन्टाली द्वारा पंचायत समिति मावली से लाये फलदार पौधे

42. **श्री कमलेन्द्रसिंह श्रासीन्द** : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) ग्राम सेवा सहकारी समिति ईन्टाली तह. मावली जिला उदयपुर द्वारा वर्ष 1962 से 1978 तक किस-किस वर्ष कितने फलदार पौधे पंचायत समिति, मावली से लाये गये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इन पौधों को ग्राम सेवा सहकारी समिति, ईन्टाली की ओर से किस व्यक्ति ने प्राप्त किए तथा किस-किस व्यक्ति द्वारा, किन-किन व्यक्तियों को किस-किस दर से वितरित किया गया ? पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह भी सही है कि इन फलदार पौधों से प्राप्त राशि को तत्कालीन ग्राम सेवक श्री रामजस हेड़ा द्वारा पंचायत समिति मावली कार्यालय में जमा न कराकर स्वयं ने अपने उपयोग में ले ली ?

(4) क्या राज्य सरकार ऐसे भ्रष्ट ग्राम सेवक श्री रामजस हेड़ा के खिलाफ कोई कार्यवाही करने तथा उक्त राशि को वसूल करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(5) क्या यह सही है कि फलदार पौधों की कीमत को पंचायत समिति मावली ने ग्राम पंचायत ईन्टाली को मिलने वाली अनुदान राशि से काट लिया था ? यदि हां, तो क्यों और यह राशि ग्राम सेवक से क्यों नहीं वसूल की गई ?

(6) क्या यह भी सही है कि उक्त फलदार पौधों की राशि 268.76 पैसे (सरचार्ज की राशि सहित) रसीद नं० 20 दिनांक 14–7–79 के द्वारा वसूल की जा चुकी है ? यदि हां, तो किससे व क्यों ? क्या उक्त राशि सम्बन्धित व्यक्ति को लौटाने का इरादा राज्य सरकार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों नहीं।

उत्तर

1. वर्ष 1962 से 1978 तक ग्राम सेवा सहकारी समिति लि० ईन्टाली द्वारा पंचायत समिति मावली से कोई फलदार पौधे प्राप्त नहीं किए गए। वर्ष 1961 में 100 फलदार पौधे सहकारी समिति के नाम से खरीद किये गये हैं।

2. यह पौधे ग्राम सेवा सहकारी समिति के नाम से तत्कालीन उप सरपंच ग्राम पंचायत ईन्टाली श्री शंकरलाल के हस्ते कर पंचायत समिति मावली से लिये गये हैं बिल पर प्राप्ति के हस्ताक्षर श्री रामजस हेड़ा तत्कालीन ग्राम सेवक के हैं। इस सम्बन्ध में सहकारी समिति में कोई रिकार्ड नहीं है।

3. श्री रामजस हेड़ा तत्कालीन ग्राम सेवक के विरुद्ध जांच करने हेतु जिलाधीश एवं जिला विकास अधिकारी उदयपुर को पत्र लिख दिया गया है।

(सहकारिता मन्त्री)

4. यदि जांच में तत्कालीन ग्राम सेवक श्री रामजिस हेड़ा दोषी पाये जावेंगे तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

5. जी हां। जिलाधीश एवं जिलाधिकारी उदयपुर से रिपोर्ट प्राप्त होने पर कार्यवाही की जावेगी।

6. जी हां। इन फलदार पौधों की राशि स्पेशल ऑडिटर उदयपुर के निर्णय अनुसार श्री हीरालाल जगवा, भूतपूर्व अध्यक्ष समिति ने 268.76 पैसे दिनांक 14-7-79 को रसीद संख्या 1620 द्वारा जमा कराई है श्री हीरालाल भूतपूर्व अध्यक्ष ने समिति से दिनांक 31-3-69 को यह रकम ली थी इसलिए वसूली सही हुई है जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

एस. एम. एस. अस्पताल जयपुर का बजट

43. श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार): क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या मार्च, 1979 में, एस. एम. एस. अस्पताल. जयपुर का करीब 8 से 11 लाख रुपये का बजट लैप्स हो गया है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या एस. एम. एस. अस्पताल में 18 माह पूर्व एक एक्स-रे मशीन खरीदी गई थी? यदि हां, तो कितने में खरीदी गई?

(3) क्या यह एक्स-रे मशीन फिट करके चालू कर दी गई है? यदि हां, तो कब चालू की गई? और यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या एस. एम. एस. अस्पताल में रेडियोलोजी यूनिट के पास अत्यधिक भीड़ रहती है? क्या एक मशीन इस कार्य के लिए कम है?

उत्तर

1. जी नहीं।

2. जी हां। इस मशीन की सेल टैक्स सहित कीमत 2,43,984/- रुपये है।

3. मशीन फिट करदी गई है, परन्तु बिजली की पावर लाइन नहीं मिलने से चालू नहीं हो सकी है।

4. इस विभाग में आउटडोर के समय भीड़ रहती है। इस विभाग में कुल 11 मशीनें हैं इनमें दो मशीनें खराब होने से कार्यरत नहीं हैं।

ग्राम हाड़ेचा में डिस्पेंसरी

44. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम हाड़ेचा में अभी तक डिस्पेंसरी नहीं खोली गई है, जबकि यह ग्राम जिला जालौर में जनसंख्या को देखते हुए डिस्पेंसरी खोलने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है?

(2) क्या इस वर्ष राज्य सरकार उक्त ग्राम में डिस्पेंसरी खोलना उपयुक्त समझेगी? अगर हां? तो कब तक? अगर नहीं, तो क्यों नहीं?

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

(3) क्या यह भी सही है कि सांचौर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को 30 शैया रेफरल अस्पताल में बदलने का आश्वासन विधान सभा में पहले दिया था? अगर हां, तो कब? अब तक सांचौर में रेफरल अस्पताल नहीं खोलने के क्या कारण हैं? अब कब तक खोल दिया जावेगा?

उत्तर

1. जी हां।

2. इस वर्ष डिस्पेंसरी खोलने का लक्ष्य पूर्ण हो गया है।

3. जी हां। सन् 1974 में दिया गया था। परन्तु भवन की व्यवस्था न होने के कारण रेफरल अस्पताल नहीं खोला गया। जन सहयोग से भवन की व्यवस्था होने पर खोलना सम्भव हो सकेगा।

क्रय विक्रय संघ जयपुर द्वारा गैस वितरण कार्य में अव्यवस्था

45. श्री अयूब खां (तिजारा) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर में क्रय-विक्रय संघ द्वारा गैस वितरण कार्य सुचारु रूप से नहीं चल रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि विधायकों के नाम पर गैस अन्य लोगों को ब्लेक पर दी जाती है?

उत्तर

1. जी नहीं।

2. जी नहीं।

परिवार एवं कल्याण योजनायें

46. श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा): क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) समाज कल्याण विभाग तथा समाज कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत राज्य में कितनी परिवार एवं बाल कल्याण योजनायें चल रही हैं?

(2) इन सम्पूर्ण योजनाओं पर वर्ष 78-79 में केन्द्र तथा राज्य सरकार तथा केन्द्र तथा राज्य समाज कल्याण बोर्ड का कितना धन खर्च हुआ?

(3) कुल व्यय में से प्रशासनिक खर्च कितना तथा कुल व्यय का कितने प्रतिशत रहा?

(4) कल्याण कार्यों पर कितना खर्च हुआ तथा उससे क्या-क्या कल्याण कार्य हुए?

उत्तर

1. समाज कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत राज्य में कुल 12 परिवार एवं बाल कल्याण योजनायें चल रही हैं।

2. इन सम्पूर्ण योजनाओं पर वर्ष 78-79 में 9,91,223-71 पैसे खर्च हुए जो राज्य सरकार द्वारा राज्य समाज कल्याण बोर्ड के माध्यम से स्वीकृत किये गए थे।

3. कुल व्यय में से 9,16,465-06 रु० प्रशासन पर खर्च हुए जो कुल व्यय का 92.45 प्रतिशत रहा।

(समाज कल्याण मन्त्री)

4. वर्ष 78-79 में इन योजनाओं में जो व्यय प्रशासन व अन्य कार्यों पर हुआ वह समस्त कल्याण कार्यों के लक्ष्य की पूर्ति हेतु ही किया गया।'

निगम की बसों की हड़ताल

47. **श्री आलम अली खां (फतहपुर)** : क्याया तायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राज्य परिवहन निगम के किन-किन राष्ट्रीयकृत मार्गों पर गत वर्ष 1978-79 में व 1979 के माह अगस्त तक हड़तालें कब-कब व क्यों हुई ? राज्य सरकार ने हड़तालें न हों, इसके लिए क्या उपाय किये हैं ?

(2) क्या राज्य सरकार इस सेवा को अनिवार्य सेवा घोषित करेगी ताकि जनता को बिना वजह हड़तालों से प्रभावित न होना पड़े ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के विभिन्न आगारों में 1-1-78 से 31-8-79 की अवधि में हुई हड़तालों व हड़ताल के कारणों सम्बन्धी विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। हड़तालों को रोकने हेतु निम्न कदम उठाये गये हैं—

1) राज्य सरकार द्वारा निगम की सेवाओं को अत्यावयश्क सेवायें घोषित किया गया था।

2) ऐसी हड़तालें जो कर्मचारियों की सुरक्षा की मांग को लेकर की जाती थीं उनकी रोकथाम के लिए जिला एवं पुलिस अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए प्रयास किये गये इसी सन्दर्भ में नगर वाहन सेवा में दिल्ली परिवहन निगम में लागू निरीक्षण प्रणाली परीक्षण के तौर पर लागू की गई जिसमें टिकिट न लेने की स्थिति में यात्री को जुम्मेदार ठहराया गया है।

3) श्रमिकों एवं प्रबन्धकों के मधुर सम्बन्ध हो, इस दृष्टिकोण से यूनियन के चुनाव कराकर उन्हें मान्यता दी गई है एवं जब भी उसके द्वारा कोई मांग-पत्र प्रस्तुत किया जाता है, अविलम्ब उनसे वार्ता कर निराकरण कर लिया जाता है।

4) कर्मचारियों द्वारा बार-बार की जाने वाली लाइटनिग हड़तालों को निरुत्साहित करने के दृष्टिकोण से, काम नहीं, तो वेतन नहीं नीति का अनुसरण किया जाता है।

(2) राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या प० 20(23) गृह—7/78 दिनांक .0-1-1979 द्वारा परिवहन निगम की सेवाऐ अत्यावश्यक सेवायें घोषित की गई थीं।

जनवरी 78 से अगस्त 78 तक हुई हड़तालों का विवरण

क. सं. 1	आगार का नाम 2	हड़ताल की अवधि 3		हड़ताल होने का कारण 4
1.	नगर वाहन सेवा आगार, जयपुर	3-6-78 से 4-6-78	= 24 घन्टे	छात्रों द्वारा मारपीट
		26-8-78 से 27-8-78	= 24 घन्टे	
		29-9-78 से 30-9-78	= 18 घन्टे	
		17-10-78 से 18-10-78	= 24 घन्टे	मेडिकल कालेज के छात्रों द्वारा हड़ताल के कारण
		22-3-79	= 24 घन्टे	जिलाधीश के आदेश से संचालन बन्द रहा
		16-2-79	= 9 घन्टे	छात्रों के झगड़े के कारण
		7-7-79 से 15-7-79	= 8 दिन	राजपूत छात्रावास के छात्रों द्वारा झगड़ा
2.	अजमेर आगार	2-7-78 से 3-7-78	= 1 दिन	मकराना बस स्टेण्ड पर परिचालक की पिटाई
3.	जोधपुर आगार	11-6-78—8.00 से 11.00 बजे तक		परिचालक के साथ मारपीट (14 वाहनों के चालक/परिचालक)
4.	उदयपुर आगार	9-5-78 से 10-5-78	= 2 दिन	पुलिस द्वारा चालक के साथ मारपीट
5.	चित्तौड़गढ़ आगार	12-3-78, प्रातः से 14.30 तक		पुष्पेन्द्र शिल्पी की हत्या करने पर छात्रों द्वारा झगड़ा होने से वाहन रोकी
		17-1-79,	= 5 घन्टे	
6.	बांसवाड़ा आगार	9-5-78 को 15.15 से 10-5-78 को 21.30 तक		उदयपुर आगार से प्रारम्भ (समस्त कर्मचारी)

7.	डूंगरपुर आगार	8-5-78 से 10-5-78	= 3 दिन	चालक के साथ उदयपुर में पुलिस द्वारा पिटाई करने बाबत
8.	कोटा आगार	9-4-78 को शाम 4.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक	= 5 घन्टे	श्री मोहम्मद इस्माईल चालक की पिटाई
		12-6-79	= 6 घन्टे	परिचालक को पुलिस द्वारा नयापुरा थाना ले जाया गया ।
		27-2-79 से 28-2-79	= 38 घन्टे	छात्रों द्वारा बारां में हड़ताल, बसों का संचालन रोका गया ।
9.	बून्दी आगार	7-2-78	= 5 घन्टे	विद्यार्थियों द्वारा झगड़ा
		21-12-78	= 3 घन्टे संचालन बन्द	वाहन सं. 6718 व सम्भाग ऊड़न दस्ते के मध्य टक्कर से कर्मचारियों में रोष ।
10.	झालावाड़ आगार	14-8-78 से 15-8-78	= 28 घन्टे	चालक, परिचालक की पिटाई
		19 व 20 सितम्बर		छात्रों द्वारा हुए झगड़े के कारण जिला प्रशासन द्वारा 2 दिन संचालन बन्द रहा ।
11.	सरदारशहर आगार	28-2-78	= 1 दिन	परिचालक के सम्भाग प्रबन्धक द्वारा रिमार्क
		7-9-78	= 1 दिन	झुन्झुनूं आगार के चालक, परिचालक के साथ मारपीट
		9-9-78 से 15-9-78	= 7 दिन	परिचालक को मजिस्ट्रेट द्वारा सजा देने पर
12.	हनुमानगढ़ आगार	12-9-78 से 13-9-78	= 2 दिन	सरदारशहर के समर्थन में ।
13.	भरतपुर आगार	27-9-78 10.30 से 16.30 तक (5 वाहनों के दस कर्मचारी)		छात्रों द्वारा मारपीट

(141)

1	2	3	4
14.	हिण्डोन आगार	9-1-79 से 10-1-70 10.30 बजे = 2 दिन संचालन बन्द रहा	कार्यशाला कर्मचारियों द्वारा मारपीट
15.	सीकर आगार	16-8-78 से 18-8-78 = लगभग दो दिन 24-1-79 से 25-1-79 = दो दिन	झुन्झुनूं आगार के समर्थन में। परिचालक के साथ मारपीट
16.	झुन्झुनूं आगार	13-8-78 से 17-8-78 = पांच दिन	वाहन स्थिति एवं कर्मचारी के साथ मारपीट के समाधान हेतु। निजी वाहन संचालन समाप्त करने हेतु श्री मली राम चालक के साथ मारपीट।
17.	खेतड़ी आगार	1-4-79 से 7-4-79	चालक के साथ मारपीट।
18.	आबूरोड आगार	6-1-79 = 8.45 घंटे	परिचालकों द्वारा झगड़ा।

किशनगंज क्षेत्र में खोले गये आयुर्वेदिक औषधालय

48. श्रीमती नारंगी देवी (किशनगंज) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) किशनगंज क्षेत्र में 1977-78 तथा 1978-79 में कितनी आयुर्वेद डिस्पेंसरियां खोली गई है ?

(2) वर्ष 1979-80 में कितनी आयुर्वेद डिस्पेंसरियां खोलने का प्रावधान है ?

(3) क्या आयुर्वेद अस्पतालों की दशाएं सामान्य अस्पतालों के अनुरूप हैं ? यदि नहीं, तो इन अस्पतालों में सुधार के कौन से कदम उठाये गये हैं ?

(4) आयुर्वेद विश्वविद्यालय राजस्थान में कब तक खोलने की सम्भावना है ?

उत्तर

(1) किशनगंज विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1977-78 व 1978-79 में कोई आयुर्वेद औषधालय नहीं खोला गया।

(2) वर्ष 1979-80 में राज्य में कुल 67 नवीन औषधालय खोलने का प्रावधान है।

(3) जी हां। शेष प्रश्न ही नहीं उठता है।

(4) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

एस. पी. मेडिकल कालेज बीकानेर में भर्ती रहे मरीज को एम. एल. सी. देने सम्बन्धी मामला

49. श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि श्री शिवकुमार, मरीज रजि. नं. 9945 तारीख 26-6-77 से 3-7-77 को एस. पी. मेडिकल कालेज, बीकानेर के अन्तर्गत भर्ती हुआ था ? यदि हां, तो अब तक इन्हें एम. एल. सी. किन कारणों से नहीं दी गई ?

उत्तर

जी नहीं।

वैद्यों के वेतनमानों का मामला

50. श्री नवल राय बच्चाणी (अजमेर, पश्चिम) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वैद्यों का क्या वेतनमान है ? क्या राज्य सरकार इससे सन्तुष्ट है ?

(2) क्या राज्य सरकार का वैद्यों के वेतनमान बढ़ाने का विचार है ?

(3) राज्य सरकार वैद्यों को किस वेतनमान में रखना चाहती है ? तथा यह वेतनमान इन्हें कब से देने का विचार है ?

(144)

उत्तर

(1) वर्तमान में आयुर्वेद विभाग के वैद्यों के निम्न वेतनमान हैं :—

1. वैद्य ग्रेड प्रथम (भिषगाचार्य या समकक्ष योग्यताधारी) 620-1100 रुपये

नोन-भिषगाचार्य 550-1010 रुपये

2. वैद्य ग्रेड द्वितीय

भिषगाचार्य 470-830 रुपये

नोन-भिषगाचार्य 440-770 रुपये

चूंकि वेतनमान सम्बन्धी मामला नवगठित वेतन आयोग के समक्ष विचाराधीन है अतः ऐसी स्थिति में राज्य सरकार की ओर से कोई टिप्पणी देना उचित नहीं है।

(2) वेतन आयोग की रिपोर्ट आने पर विचार किया जायेगा।

(3) संख्या दो में इसका उत्तर दे दिया जा चुका है।

पंचायत समिति इटावा के गन्ना काण्ड की जांच

52. श्री हीरा लाल आर्य (पीपल्दा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति इटावा के गन्ना कांड की जांच पिछले कई वर्षों से चल रही है ? यदि हां, तो इस जांच के अभी तक पूर्ण नहीं होने के क्या कारण हैं तथा वर्तमान में इस जांच की क्या स्थिति है ?

(2) क्या यह भी सही है कि पंचायत समिति वाले इस गन्ने के फर्जी ऋण को वसूल करने हेतु किसानों को परेशान करते रहते हैं ?

(3) क्या सरकार इस जांच को शीघ्र पूरा कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध शीघ्र कार्यवाही कर किसानों को राहत प्रदान करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है। विभाग द्वारा इस गन्ना कांड की जांच कर पूर्ण रिपोर्ट भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को 13-1-79 को प्रेषित की गई थी। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने इस जांच रिपोर्ट के आधार पर गन्ना प्राप्तकर्ताओं के प्रत्येक व्यक्ति की रसीदों की विस्तृत जांच करने हेतु इस विभाग को 19-4-79 को लिखा है जिसकी विस्तृत जांच की कार्यवाही की जा रही है।

(2) जी नहीं। काश्तकारों से वसूली हेतु मांग तहसील को भेजी जाती है। पंचायत समिति एवं इस विभाग में इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है जिसमें वसूली के लिए किसी को परेशान किया जाता हो।

(3) जी हां। जांच में यदि कोई कर्मचारीगण दोषी पाये जावेंगे तो उनके विरुद्ध आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

कपासन विधान सभा क्षेत्र में खोले गये स्कूल

53. **श्रीमती श्यामा कुमारी संगर (कपासन)** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत दो वर्षों में कपासन विधान सभा क्षेत्र जिला चित्तौड़ में कितने-कितने हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल खोले हैं ? क्या सभी जगह अध्यापकों की पूर्ति हो गई है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि कपासन विधान सभा क्षेत्र में दूसरे विधान सभा क्षेत्रों से कम विद्यालय खुले हैं ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? अब सरकार दूसरे क्षेत्र के बराबर विद्यालय खुलवा कर कपासन की जनता की मांगें कब तक पूरा करेगी ?

उत्तर

(1) कपासन विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1977-78 में एक माध्यमिक, 3 उच्च प्राथमिक एवं 2 प्राथमिक तथा वर्ष 1978-79 में 4 प्राथमिक विद्यालय खोले गए हैं। इन सभी विद्यालयों में अध्यापकों की पूर्ति कर दी गई है।

(2) जी नहीं।

भारत-चीन के युद्ध के दौरान सुरक्षा कोष हेतु इकट्ठा किया गया धन

54. **श्री हरीश शर्मा** (रामगंज मण्डी) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सन् 1962 में भारत-चीन के युद्ध के समय सुरक्षा कोष हेतु धन संग्रह करने के लिए पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों को डायरियां दी गयी थीं ?

(2) पंचायत समिति चेचट में कितनी डायरियां दी गई थीं तथा कितना धन संग्रह हुआ था ? क्या जितनी डायरियां दी गई थीं उतना धन या रिक्त डायरियां सरकार को प्राप्त हो गई हैं ? यदि नहीं, तो इसके दोषी कौन-कौन हैं तथा सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए ?

उत्तर

(1) यह मामला वर्ष 1962 का है। ऐसे लेखा सम्बन्धी अभिलेख 10 वर्ष पश्चात् नष्ट कर दिए जाते हैं। अतः सूचना उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं है।

(2) यह मामला वर्ष 1962 का है। ऐसे लेखा सम्बन्धी अभिलेख 10 वर्ष पश्चात् नष्ट कर दिए जाते हैं। अतः सूचना उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं है।

जिला बांसवाड़ा के स्कूल

55. श्री बहादुर सिंह (दानपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बांसवाड़ा में वर्तमान समय में कुल कितनी सैकन्डरी और हायर सैकन्डरी

(श्री बहादुर सिंह)

स्कूल चल रहे हैं ? कृपया क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या, यह सही है कि पिछले तीस वर्षों से उपेक्षित क्षेत्रों को जनता सरकार ने भी उपेक्षित दृष्टि से ही देखा है ? यदि नहीं, तो पिछले दो वर्षों में किन-किन क्षेत्रों को सैकन्डरी और हायर सैकन्डरी स्कूल दिये हैं ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

सूची 1

बांसवाड़ा जिले के विधान सभा क्षेत्रवार माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सूची

(1) दानपुर क्षेत्र :

1. उ. मा. वि., समन्द
2. मा. वि., तलवाड़ा
3. मा. वि., दानपुर
4. मा. वि., छोछे
5. मा. वि., बड़ोदिया
6. मा. वि., कालिजरा
7. मा. वि., माहीडेम

(2) कुशलगढ़ क्षेत्र :

1. उ. मा. वि., कुशलगढ़
2. मा. वि., सज्जनगढ़
3. मा. वि., डूंगरछोटा
4. मा. वि., छोटीसरवा

(3) घाटोल क्षेत्र :

1. उ. मा. वि., घाटोल
2. मा. वि., नरबाली
3. मा. वि., मोटागांव
4. मा. वि., खोरा
5. मा. वि., मगडा
6. मा. वि., पडोली

(4) बागीदोरा

1. उ. मा. वि., बागीदारा
2. उ. मा. वि , खोलाना
3. मा. वि., अरधना
4. मा. वि., आनदेवरी
5. मा. वि. चान्दरवाड़ा
6. मा. वि , गागडतलाई
7. मा. वि., नामाना
8. मा. वि., गोपीनाथ का गुढ़ा

(5) बांसवाड़ा .

1. उ. मा. वि., बांसवाड़ा
2. उ. मा. वि., नगर, बांसवाड़ा
3. उ. मा. वि., लोहारिय
4. उ. मा. वि., गढ़ी
5. मा. वि., खोडन
6. मा. वि., परतापुर
7. मा. वि., पालोदी
8. मा. वि., खोरी
9. मा. वि., सोथी
10. मा. वि., आजना
11. मा. वि., डबला
12. मा. वि., भीमपुर
13. मा. वि., कूपड़ा

सूची 2

बांसवाड़ा जिले में पिछले दो वर्षों में खोले गये माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों की निर्वाचन क्षेत्रवार सूची

क. सं.	क्षेत्र का नाम	सत्र 77-78 में खोले गये मा. वि. का नाम	सत्र 78-79 में खोले गये मा. वि. का नाम
1.	दानपुर क्षेत्र	1. मा. वि., माहीडेम 2. मा. वि., कालिजरा	
2.	कुशलगढ क्षेत्र	1. मा. वि., छोटीसरवा	
3.	घाटोल क्षेत्र	1. मा. वि., खोरा	
4.	बागीदोरा क्षेत्र	1. मा. वि., गागडतलाई	1. मा. वि. गोपीनाथ का गुढा
5.	बांसवाड़ा क्षेत्र	1. मा. वि., आंजना 2. मा. वि., ललूका	1. मा. वि., भीमपुर 2. मा. वि., कंपडा

काम के बदले अनाज योजना में प्रति दिन प्रति व्यक्ति अनाज देने का प्रावधान

56. **श्री लालू दास** (फलासिया) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) काम के बदले अनाज योजना में प्रति व्यक्ति प्रति दिन कितना अनाज देने का प्रावधान है ?

(2) क्या प्रति दिन प्रति व्यक्ति को 1 किलो ग्राम अनाज देने की योजना है ? अगर नहीं, तो फलासियां क्षेत्र के कई ग्रामों में व्यक्तियों को मात्र प्रति व्यक्ति एक किलो अनाज क्यों वितरित किया गया ? इस बारे में राज्य सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ?

उत्तर

(1) काम के बदले अनाज योजना में प्रति व्यक्ति को पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा निर्धारित बी. एस. आर. दरों पर मजदूरी के रूप में गेहूं का भुगतान किये जाने का प्रावधान है।

(2) जी नहीं। फलासिया क्षेत्र में एक किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से गेहूं का वितरण नहीं किया गया है।

जोधपुर जिले में विद्युत् की खपत

58. **श्री माधोसिंह कछवाह** (सरदारपुरा): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर जिले में वर्तमान में कितनी बिजली की खपत है ?

(2) जोधपुर जिले में विद्युत् की आवश्यकता वर्ष 1980, 1982, 1984, 1986, 1988 और 1990 में कितनी अनुमानित होगी ?

(3) राज्य विद्युत् मंडल बढ़ती मांग के लिए किस प्रकार प्रबन्ध करना चाहेगा ? वर्तमान में कोई योजना हो तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जोधपुर जिले में वर्तमान में अनुमानतः औसतन बिजली की खपत प्रतिदिन 3·89 लाख यूनिट है।

(2) जोधपुर जिले में सन् 1980 से लेकर सन् 1990 तक अनुमानतः विद्युत् की वार्षिक खपत निम्नलिखित होगी:—

1980	1650 लाख यूनिट
1982	2150 लाख यूनिट
1984	2850 लाख यूनिट
1986	3800 लाख यूनिट
1988	5000 लाख यूनिट
1990	6600 लाख यूनिट

(3) जोधपुर जिले की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए जोधपुर को भीलवाड़ा से एक 220 के. वी. लाइन द्वारा जोड़ा जाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त कोटा से भीलवाड़ा तक एक और 220 के. वी. डबल सर्किट लाइन लगाने का प्रस्ताव है जिससे भीलवाड़ा पर मार्च, 80 की तुलना में लगभग

(विद्युत मन्त्री)

इससे दुगुनी विद्युत क्षमता उपलब्ध हो सकेगी। इसके अतिरिक्त फलाना में एक 2 × 60 मेगावाट की क्षमता का तापीय विद्युत गृह लगाने का प्रस्ताव है। यदि इस प्रस्ताव पर केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान हो जाती है तो इससे जोधपुर क्षेत्र में विद्युत की मांग को पूरा करने में सहायता मिल सकेगी। साथ ही विद्युत वोल्टेज में भी सुधार हो सकेगा। इसके अतिरिक्त 10 एम. वी. ए. आर. के कैपेसीटर्स लगा कर जोधपुर में वोल्टेज में सुधार लाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

निगम की बसों से हुई दुर्घटनाएँ

59. श्री शंकरलाल (जैतारण) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 1 अप्रेल, 1979 से 1 सितम्बर, 1979 तक राजस्थान पथ परिवहन निगम की यात्री बसों द्वारा कहां-कहां कितनी दुर्घटनाएं हुई और उनमें कितने व्यक्ति मारे गये और कितने घायल हुए ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि इस समयावधि में गत वर्षों की तुलना में सर्वाधिक दुर्घटनायें हुई हैं ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(3) क्या राज्य सरकार ने इन दुर्घटनाओं के प्रत्येक के कारण जानने का प्रयत्न किया है? यदि हां, तो इसके प्रति किसकी जिम्मेदारी तय की गई और राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

(4) भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने हेतु क्या प्रयास किये गये हैं ?

उत्तर

(1) भविष्य में दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए निम्न प्रयास किए गए हैं :—

1. निगम चालकों को सावधानीपूर्वक वाहन चलाने के लिए एक निर्देशिका जारी की गई है जिसमें सुरक्षा के सभी उपाय दर्शाये गये हैं।

2. चालकों को डयूटी पर मादक द्रव्यों का सेवन कर वाहन न चलाने के लिए कड़े निर्देश प्रसारित किये गए हैं जिसके अनुसार तत्परता से कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

3. निगम द्वारा दुर्घटनाओं को मद्दे नजर रखते हुए चालकों की भर्ती नीति में आवश्यक संशोधन किए गए हैं जिसके अनुसार चालकों को ट्रेड टेस्ट, नेत्रों व स्वास्थ्य की समय-समय पर जांच आदि का प्रावधान रखा गया है।

4. निगम द्वारा दुर्घटना नियमावली की संरचना कर विभिन्न प्रकार की दुर्घटना सम्बन्धित कार्य को व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया है तथा गफलत व लापरवाही से वाहन चलाने वाले चालकों के

(यातायात मन्त्री)

विरुद्ध कठोर कार्यवाही का प्रावधान है।

5. दुर्घटना के पश्चात् चालकों के नेत्रों की जांच आवश्यक कर दी गई है।

6. लम्बे मार्गों का डबल क्रू का प्रावधान।

7. रात्रि सेवाओं के संचालन में कार्यरत चालकों व परिचालकों के विश्राम हेतु विश्राम गृहों की स्थापना।

8. सामान्य सेवाओं एवं रात्रि सेवाओं की गति सीमा क्रमशः 50 एवं 60 किलोमीटर निर्धारित की गई।

(2) वांछित सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी हां। वर्ष 1978 में निगम की बसों से 162 दुर्घटनाएं हुई थी जबकि वर्ष 1979 में 196 दुर्घटनाएं हुई। दुर्घटनाओं में वृद्धि के सामान्य कारण निम्न रहे :—

1. वाहनों में यांत्रिक खराबी के कारण।

2. चालकों की लापरवाही एवं नशे के कारण।

3. अन्य वाहन चालकों की लापरवाही के कारण।

4. पद यात्रियों की गलती के कारण।

(4) जी हां। दुर्घटना के कारणों की निगम द्वारा जांच कराई जाती है तथा दोषी पाए जाने वाले निगम कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है।

माह अप्रेल, 1979 से 1 सितम्बर 1979 तक दुर्घटनाओं का मानचित्र

वाहन संख्या	आगार का नाम	दुर्घटना का स्थान	मृतकों की संख्या	घायलों की संख्या
1	2	3	4	5
5822	सरदारशहर	तारानगर	1	—
आर आर जी 7103	नागौर	नागौर सिटी	2	4
9281	केन्द्रीय कार्यशाला	कैलादेवी मेला	....	1
7702	द्रुतगामी आगार	शाहपुरा के पास	....	—
7001	जोधपुर	केसरपुरा	....	1
आर एस एल 7819	अलवर	मार्डन फैक्ट्री	....	....
आर आर एम 1460	अजमेर	नसीराबाद के पास	1	....
आर आर एम 1463	जोधपुर	शाला	2	....
8721	हनुमानगढ़	थेलडाका	....	1
7925	मुख्यालय (जीप)	एम. आई. रोड, जयपुर	....	....
7879	ब्यावर	दातिया बालाजी	1	1
7602	द्रुतगामी	कांकरोली के पास	....	3
6713	आबूरोड़	जोधपुर के पास	1	....
8243	कोटपूतली	गूती के पास	1	1
7710	बाड़मेर	रेलवे क्रासिंग	....	....
3749	सीकर	पारवा स्टेण्ड	1	....
8986	उदयपुर	नाथद्वारा के पास	....	1
आर एस जी 71	भरतपुर	इन्देली के पास	....	1
6028	कोटपूतली	जयपुर के पास	....	....
1470	सरदारशहर	छापर के पास	....	....
आर आर एम 272	टोंक	डिग्गी मोड़	....	....
6414	धौलपुर	मथुरा के पास	....	....

1	2	3	4	5
आर आर एम 6814	गंगानगर	पांच के एकड़	....	9
आर आर जी 2022	धौलपुर	मानुपुरा	....	....
6696	कोटपूतली	किशनगढ़	1	....
3948	सिरोही	गदसीवाना	1	....
आर आर जी 5546	हनुमानगढ़	अर्जनसर	....	2
7602	द्रुतगामी	डोली प्याऊ	....	1
आर आर एम 7304	चित्तोड़गढ़	भीलवाड़ा के पास	....	2
आर आर जी 7911	जोधपुर	खिवसर	....	8
आर एम एम 7737	अजमेर	माखुपुरा के पास	....	7
आर एस जी 3231	कोटा	उद्योग नगर	....	1
आर आर जी 6992	हिण्डौन	आगरा बाईपास	....	2
आर एस जी 6713	आबूरोड	भगतजी की कोठी	1	....
आर एस जी 6730	डूंगरपुर	कामदार	....	1
आर आर जी 7693	द्रुतगामी आगार	चौमूं के पास	....	1
आर एस जी 3936	सीकर	पावर हाउस के पास	....	1
आर एस जी 4114	बांसवाड़ा	कुशलगढ़	....	10
आर एस जी 74	हनुमानगढ़	राजस्थान नहर	35	....
आर एस जी 6018	जोधपुर	बिलाड़ा के पास	....	15
7362	बांसवाड़ा	उदयपुर के पास	....	....
आर आर एम 8113	भरतपुर	परमेडा के पास	2	....
आर एस जी 7793	द्रुतगामी	नौ नम्बर रोड	....	2
आर आर एम 850	बांसवाड़ा	डूंगरपुर	....	8
आर एस जी 7488	जोधपुर	सोफिया स्कूल	....	3.
आर एस एल 9528	भरतपुर	कंजौल लाइन	....	....
5788	झालावाड़	भोजापुरी के पास	1	....
आर आर जी 6362	न. वा. सेवा	मोटवाड़ा के पास	1	....
आर एस एम 95	उदयपुर	ब्यावर में	1	....
आर आर एम 4158	जोधपुर	बिनावास के पास	....	2
आर एस एल 2905	डूंगरपुर	गीता गांव	....	12

1	2	3	4	5
9510	गंगानगर	गंगानगर में	1	....
3878	सरदारशहर	झण्डे वाला स्टेण्ड	....	1
आर एस जी 4038	सीकर	माखेड़ा	1	2
आर एस जी 1330	गंगानगर	हिसार में	1	1
आर जे एल 3597	डूंगरपुर	हीराला के पास	1	1
आर आर एम 260	डूंगरपुर	भीलड़ी	....	2
आर आर जी 6944	न. वा. सेवा	चांदपोल फव्वारा	1	....
आर आर जी 6992	कोटपूतली	कोटपूतली के पास	....	1
आर आर एम 8288	जालौर	श्रमजीवी कालेज उदयपुर	....	1
आर एस जी 653	उदयपुर	कोनोड	....	1
9602	द्रुतगामी	कांकरोली	....	1
3005	गंगानगर	राज. केनाल स्टेण्ड	....	1
आर एम एम 8486	अलवर	बगरू	....	....
आर आर एम 6112				
आर एस जी 2783	गंगानगर	अबोहर के पास	....	1
आर आर जी 2991	हिण्डौन	मानपुर के पास	....	2
आर आर जी 9240	कोटा	भोपाल स्टेण्ड	....	1
आर आर एम 6214	भरतपुर	फरिदापुर फैक्टरी	1	....
7794	द्रुतगामी	प्रतापगढ़ के पास	....	1
9912	चित्तौड़गढ़	किशनगढ़ बस स्टेण्ड	....	1
आर आर एम 1476	अजमेर	अजमेर कार्यशाला	....	2
आर एस जी 9396	बीकानेर	बहु अकबरपुरा	....	....
आर आर जी 6075	ब्यावर	नासरोदा	....	1
6026	कोटपूतली	ततारपुर	....	1
आर आर जी 7042	चित्तौड़गढ़	घूघरा के निकट	1	....
आर एस एम 7710	कोटपूतली	नीमकाथाना के पास	....	2
आर आर जी 6742	नगर सेवा वाहन	मिल्क डेरी के पास	1	....
3005	गंगानगर	पदमपुरा	1	....
आर आर जी 8919	गंगानगर	गंगानगर के पास	1	....
आर आर जी 8701	भीलवाड़ा	बजातण मोड़	....	1
आर आर जी 8685	कोटपूतली	चांदपोल बाजार	2	....

1	2	3	4	5
आर आर जी 6027	सीकर	बनीपार्क के पास	....	....
आर.आर. एम. 7516	गंगानगर	गंगानगर के पास	....	1
आर आर जे 4475	अजमेर	माखुपुरा	....	....
आर आर जी 7867	द्रुतगामी	जयपुर के पास	....	....
आर एस जी 812	द्रुतगामी	रानोली	....	2
आर आर एम 5764 7546	गंगानगर	लाजूवास	....	2
आर एस एम 3142	बून्दी	कार्यशाला	....	3
आर आर एम 6548	धौलपुर	संसारचंद्र रोड जयपुर	....	1
आर जे वाई 6988	जालोर	देवरी माता के पास	....	15
आर एस जी 96	उदयपुर	मोहनपुर	1	....
आर आर जी 3188	भरतपुर	दौसा	....	....
आर आर जी 8129	द्रुतगामी	नोखा के पास	2	....
आर आर जी 7867	द्रुतगामी	अम्बाबाड़ी पैट्रोल पम्प	....	....
आर एस जी 2568	नगर वाहन सेवा	देशी शराब ठेका	....	....
आर आर जी 7701	बून्दी	जयपुर सिटी	....	....
आर आर एम 7329	बीकानेर	रायसर के पास	....	3
6212	धौलपुर	सईया रेलवे फाटक	....	....
आर जे आर 9104	सरदारशहर	गांधी विद्या मंत्री स. श.	....	....
आर एस जी 2540	नगर वाहन सेवा	सेन्टर मोड़	....	1
आर आर जी 8677	द्रुतगामी	बैरवा मोड़	....	....
आर एस जी 3078	सरदारशहर	झण्डावाली स्कूल	....	;
आर आर जी 4964	धौलपुर	वाछरेन	....	1
आर एस एल 9217	ब्यावर	मेढ़ के पास	....	....
आर आर जी 9060	अलवर	सोना	....	....
आर एस बी 7920	अलवर	सरगापुर	....	....
आर आर जी 7912	अलवर	विजय मंदिर अलवर	....	....
आर एस एम 46:3	अलवर	अजबगढ़	....	....
आर एस एम 5451	जालोर	थापन	....	4
आर एस जी 4292	फलौदी	खिदरत के पास	....	....
आर एस जी 608	बीकानेर	फलौदी के पास	....	....

1	2	3	4	5
आर आर जी 8716	द्रुतगामी	दिल्ली के पास		....
आर आर एम 2262	ब्यावर	भाटियों का बाड़ा		....
आर एस एम 7450				
आर आर जी 7014	उदयपुर	नरबंदखेड़ा		2
257	आबू रोड	नाथद्वारा के पास	3	9
आर आर जी 6802	बांसवाड़ा	गम्बाइपर		....
आर आर जी 610	हनुमानगढ़	पुरी की ढाणी	....	6
आर एस जी 7202	गंगानगर	लाखू वाली के पास	3	....
आर एस जी 1467	जालौर	अरदा		....
आर एस जी 5052	कोटा	किशनगंज		....
आर आर जी 5052	बाड़मेर	बाड़मेर के पास		2
आर एस जी 2783	गंगानगर	सूरतगढ के पास	1	....
3234	बीकानेर	चखखड़ी रोड		....
8604	अलवर	जलमहल आमेर		....
आर आर एम 7450	बीकानेर	जसूस गेट	1	....
आर आर जी 8242	भरतपुर	डलूसपुरा		....
2200	गंगानगर	टी. टी. आर.		....
आर आर जी 0068	अलवर	तिजारा के पास		....
			76	170

चौमूं में न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट की स्थापना

60. **श्री रामेश्वर दयाल यादव** (चौमूं) : क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि गत 8 वर्ष से चौमू (जयपुर) में न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोलने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है ? अगर हां, तो कब तक न्यायालय खोल दिया जावेगा ?

(2) क्या यह भी सही है कि न्यायालय एडी. ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट नम्बर 2 जिला जयपुर का क्षेत्राधिकार थाना चौमूं व गोविन्दगढ़ ही है ? अगर हां, तो क्या इस न्यायालय को चौमूं में स्थानांतरित करने का इरादा राज्य सरकार रखती है ?

(3) चौमूं व गोविन्दगढ़ थानों के दीवानी व फौजदारी मुकदमों की संख्या कितनी-कितनी हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) चौमूं में नया न्यायालय स्थापित करने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है। वित्त आयोग से नये न्यायालय खोलने की स्वीकृति प्राप्त होने पर चौमूं में भी न्यायालय स्थापित करने के सम्बन्ध में भी अन्तिम निर्णय लिया जावेगा।

(2) यह सही नहीं है न्यायालय अतिरिक्त ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट नं० 2 जिला जयपुर का क्षेत्राधिकार चौमूं व गोविन्दगढ़ में ही है। थानों का विभाजन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है। वर्तमान में स्थिति निम्न है—

मुन्सिफ एवं ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट— बगरू

एडी० मुन्सिफ एवं ज्यूडिशियल मजि० नं० 1
चाकसू व सांगानेर

एडी० मुन्सिफ एवं ज्यूडिशियल मजि० नं० 2
जमुवारामगढ़ व चंदवाजी

ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट नं० 1
चौमूं एवं गोविन्दगढ़

ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट नं० 2
कोई थाना नहीं।

केवल आबकारी आदि के मामले समय-समय पर स्थानांतरित किये जाते हैं।

इस समय चौमूं व गोविन्दगढ़ में 566 फौजदारी मुकदमे जयपुर के विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन हैं—जिनमें से ज्यू० मजिस्ट्रेट नं० 2 के न्यायालय में केवल 249 मुकदने ही हैं। अन्य मुकदमे दूसरे न्यायालयों में विचाराधीन हैं जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। इस क्षेत्र के दीवानी मुकदमे भी अलग-अलग न्यायालयों में हैं। जिले के 5 मजिस्ट्रेट न्यायालयों में केवल 5727 मुकदमे विचाराधीन हैं। इसलिए न्यायालय मजिस्ट्रेट नं० 2 जयपुर जिला के न्यायालय को चौमूं में स्थानांतरित करना सम्भव नहीं है।

(3) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

जयपुर जिला न्याय क्षेत्र के चौमू व गोविन्दगढ़ थाने में दिनांक 20–9–79 के लम्बित मुकदमात का विवरण

क्र०सं०	नाम न्यायालय	थाना चौमू क्षेत्र के दीवानी मुकदमात				थाना चौमू के फौजदारी मुकदमात	थाना गोविन्दगढ़ के दीवानी मुकदमात				थाना गोविन्दगढ़ के फौजदारी मुकदमात
		दीवानीदावे	डी. आर.	इजराय	मुत.	फौजदारी मुकदमात	दीवानीदावे	डी. आर.	इजराय	मुत.	फौजदारी मुकदमात
1.	अपर व्यवहार न्यायाधीश जयपुर जिला जयपुर	52	....	....	....	....	18	....	....	....	....
2.	मुन्सिफ एवं न्यायिक मजि. जयपुर जिला जयपुर	40	79	22	34	26	5	47	13	....	7
3.	अपर मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम–1, जयपुर जिला जयपुर	41	....	....	....	....	19	....	....	....	....
4.	अपर मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम–2, जयपुर जिला जयपुर	14	...	....	....	....	2	0	....		1
5.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम–1 जयपुर जिला जयपुर	....	....	....	....	199	....	....	....	....	83
6.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम–2 जयपुर जिला जयपुर	....	....	....	....	181	....	....	....	....	68
	योग	147	79	22	34	407	44	47	13	....	159
	कुल योग	282				407	104				159

परिवहन सेवाओं में सुधार की योजना

61. **श्री करतार सिंह (किशनगढ़)** : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या राज्य सरकार राज्य में वर्तमान में चल रही परिवहन सेवाओं से पूर्ण सन्तुष्ट है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या राज्य सरकार के सम्मुख परिवहन सेवाओं में सुधार बाबत कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है तथा उसकी क्रियान्विति कब तक सम्भव है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) राज्य सरकार परिवहन सेवाओं को सुचारु रूप से चलाने के वास्ते निकट भविष्य में क्या कदम उठाने जा रही है ? कृपया पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

1. राज्य में परिवहन सेवाओं में त्रुटियों को सुधारने के सतत् प्रयत्न किये जा रहे हैं । यह निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है ।

2. जी हां । राज्य के प्रत्येक जिले का सर्वे कराया जाकर जिलेवार परिवहन योजना बनाई जा रही है । इसके अनुसार राज्य में नये मार्ग खोलने व वर्तमान मार्गों पर बस सेवाओं का आवागमन बढ़ाया जावेगा । इस प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु मोटर वाहन अधिनियम नियमों में संशोधन का प्रश्न भी विचाराधीन है ।

आशा है इस योजना की क्रियान्वित के साथ-साथ राज्य की परिवहन सेवाओं में सुधार की प्रक्रिया को गति प्राप्त हो सकेगी ।

3. इसी प्रकार राष्ट्रीयकृत मार्गों पर भी वर्ष में दो बार मार्गों का सर्वेक्षण कराया जाकर विभिन्न मार्गों पर यात्री भार की उपलब्धता की दृष्टि से परिवहन सेवाओं में वृद्धि की जाती है । राष्ट्रीयकृत मार्गों पर 35 से 40 बसेज प्रतिमाह की रफ्तार से वृद्धि किये जाने की योजना है । निगम की कार्यशालाओं की क्षमता में सुधार किया जा रहा है ।

परिशिष्ट-3

(अतारांकित प्रश्न संख्या 12 की सूची)

विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा (झालावाड़) में संचालित आयुर्वेदिक औषधालय की सूची

1. पिड़ावा
2. कोटडी
3. धरोनियां
4. हिम्मतगढ़
5. उन्डेल सुन्डेल
6. दुबलिया
7. रायपुर
8. गांदिया
9. बनबाडी
10. काली तलाई
11. मायनिया
12. फतह गढ़

इसके अतिरिक्त ग्राम पिड़ावा में एक यूनानी औषधालय भी संचालित है।

परिशिष्ट—4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 13 की सूची)

अतारांकित प्रश्न संख्या 4/अ० रा० सम्बन्धित सूची

क्र० सं०	नाम विद्यालय	छात्र संख्या	क्र० सं०	नाम विद्यालय	छात्र संख्या
1	2	3	1	2	3
1.	देवली मछियान	42	28.	पदमपुरा	26
2.	बावड़ी खेड़ा	41	29.	मानपुरा	106
3	खेड़ा जनपुरा	56	30.	रामराजपुरा	71
4.	नोटाना	30	31.	गावड़ी	104
5.	बन्धा	33	32.	नया नोहरा	74
6.	गिश्वर पुरा II	20	33.	नोखा	95
7.	रोटोया	29	34.	धधटाना	99
8.	रथकाकरा	20	35.	आवली	61
9	लखावा	25	36.	गोरधनपुरा	68
10.	सम्भू पुरा	38	37.	झालीपुरा	75
11.	डाठरा	37	38.	राजपुरा	89
12.	राजनगर	35	39.	बोधल्या तेली	88
13.	धर्म पुरा	18	40.	जाकोड़ा	128
14.	किशनपुरा केथन	40	41.	बडौदिया	68
15.	किशनपुरा डोक्या	33	42.	लाड़पुरा	87
16.	भीमपुरा	40	43.	गलाना	74
17.	कातिर तेड़ा	23	44.	डोबना	64
18.	भगवान पुरा	45	45.	रावड़ा	67
19.	प्रहलाद पुरा	54	46.	उम्मेदपुरा	84
20.	शंकरपुरा डडवाड़ा	40	47.	कोलाना	79
21.	भोजपुरा	27	48.	भवरिया	61
22.	अभयपुर	15	49.	काल्याखेड़ी	66
23.	सोहनपुरा	55	50.	दीप पुरा	80
24.	सिंह पुरा	47	51.	गांचीतेड़ा	69
25.	कनौतिया	28	52.	गिरधपुरा I	110
26.	डोलिया	32	53.	चन्देशल	98
27.	बहुपुरा	51	54.	दमलाना	121

1	2	3	1	2	3
55.	रमपुर	111	62.	बोर खड़ी	126
56.	मवासा	174	63.	भरण्ड खेड़ा	245
57.	नगपुरा	134	64.	मंड़ाना	299
58.	हरलिया	165	65.	केयुन I	466
59.	मादलिया	141	66.	कैयून II	483
60.	कन्या खेड़ा रसुलपुर	160	67.	बोरावास	82
61.	धाकड़ खेली	163			
	योग				5915

पंचायत समिति चेचट

क्र०सं० नाम विद्यालय	छात्रो की संख्या	क्र०सं० नाम विद्यालय	छात्रों की संख्या
1 2	3	1 2	3
1. अमरपुरा	86	27. कवर पुरा	62
2. अरनिया कला	28	28. कूकड़ा खुर्द	43
3. अरलाई	65	29. उदायला	127
4. बढ़न खेड़ी	142	30. कन्या खोदावाद	299
5. बीडमण्डी	78	31. खनि मोती पुरा	23
6. बोरीना	133	32. लखारिया	98
7. बडोदिया	80	33. मण्ड़ा	148
8. बुदखान	91	34. मूडिया	33
9. भावपुरा	90	35. मवासा	35
10. भोलू	76	36. मानपुरा	34
11. भटवाड़ा	47	37. नालोदिया	88
12. चैंचट	541	38. न्यामत खेड़ी	36
13. देवलीमण्डी	142	39. निमाना	128
14. दुर्जन पुरा	101	40. सोहन खेड़ा	88
15. धायपुरा	108	41. सुकेत	117
16. ढाकिया	114	42. सालेड़ा कला	78
17. फाणदा	38	43. सालेड़ा खुर्द	40
18. गूंदी	80	44. साड़ीया खेड़ी	86
19. गादिया	70	45. सोहनपुरा	26
20. घाटोली	71	46. सहरावदा	39
21. हरी पुरा	31	47. तौलिया खेड़ी	205
22. हयोना	42	48. रावली	80
23. हिरिया खेड़ी	82	49. रिछी	123
24. जगपुरा	95	50. उदयपुरिया	
25. जामून्या	29	51. राम खेड़ा	39
26. कटकिया	40	52. पामा खेड़ी	59

1	2	3	1	2	3
53.	पीपाखेड़ी	83	58.	निमोदा	41
54.	कोटड़ी	37	59.	अलावद	54
55.	स्टेशन मोड़क	347	60.	खेड़ा रूद्धा	189
56.	असकली (गुजरिया खेड़ी)	31	61.	कन्या चैंचट	192
57.	रघुनाथपुरा	40	62.	ईश्वरपुरा	36

परिशिष्ट 5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 16 की सूची)

1	2	3
	माध्यमिक विद्यालय	**(77-78)**
1.	नमाना	वाणिज्य वर्ग
2.	वलवाड़ा	कला वर्ग
3.	बेटोंदा	कला वर्ग
4.	खेड़ारूदा	कला वर्ग
5.	सोरथल	वाणिज्य वर्ग
6.	थलेट	वाणिज्य वर्ग
7.	वैरण्डखेड़ा	कला वर्ग
8.	रायथल	कला वर्ग
9.	भंवरगढ़	कला वर्ग
10.	बुड़ादीत	कला वर्ग
11.	मैलपुर	कला वर्ग
12.	बड़वां	कला वर्ग
13.	मोममंडी	वाणिज्य वर्ग
14.	पाटनपोल	कला वर्ग
15.	सुनाड़ी	कला वर्ग
16.	नयापुराबाट	वाणिज्य वर्ग
17.	कैंस	कला वर्ग
18.	सांगोद	"
19.	मांगरोल	"
20.	खन्ता	"
21.	सुमेरगंजमंडी	"
22.	खागबाली	"
23.	चैचट	"
	माध्यमिक विद्यालय	**(78-79)**
1.	गेंता	कला वर्ग
2.	सुकेत	"

1 2	3
3. खातलोड़ी	कला वर्ग
4. खैराबाद	वाणिज्य वर्ग
5. स्टेशन रोड, बारां	,,
6. केवलनगर	,,
7. बडोरा	कला वर्ग
8. टिपटा (बालिका)	,,
9. गुमानपुरा	,,
उ. प्रा. विद्यालय	(77-78)
1. मंडोता	
2. हिंगोनिया	
3. खजूरी	
4. गरडाना	
5. सामली	
6. झाड़गांव	
7. अमरपुरा	
8. भाण्डाहेड़ा	
9. इटावा	
10. जोरावरपुरा	
11. बागली	
12. गणेशगंज	
13. घट्टी	
14. परानिया	
15. बड़ा	
16. उदपुरिया	
17. पोज्याखेड़ी	
18. बन्जारी	
19. देवरी जोध	
20. छीपाबड़ोद	
21. पीलोद हाथी	
22. चिमोली मूण्डला	
23. रोंछड़िया	
24. घरनावंद	
25. बनियानी	

1	2	3
		26. बरुनी
		27. हन्सियां
		28. बसराजपुरा
		29. डालोता
		30. रंगतालाब
		31. कुमाकोट (राज्य सरकार द्वारा निरस्त)
		32. वल्लभनगर बालिका
		33. कोयला ,,
		34. मोड़क स्टेशन ,,
		35. किशनगंज ,,
		36. केलवाड़ा ,,

उच्च प्रा. विद्यालय (1978-79)

1. कुम्पकोट
2. अंगारा
3. देगप्या
4. पाड़लिया
5. मोममंडी
6. कार्तोली बालिका
7. पलायथा ,,
8. नाहरगढ़ ,,
9. मण्डानां ,,
10. शाहवाद ,,

प्राथमिक विद्यालय (77-78)

1. जोंरा	अटरू
2. हरनावदा	,,
3. लोमाहेड़ी	,,
4. केसुकिया	,,
5. कांचली	,,
6. लेडली महराजा	इटावा
7. कांकरा	,,
8. कसोद	,,
9. रामपुराधाकियान	,,

1	2	3
10.	सुमेरपुरा	छबड़वा
11.	पावड़ा	,,
12.	जिलेपुरा डालिया	लाडपुरा
13.	सोहनपुरा	,,
14.	परमपुरा	,,
15.	प्रह्लादपुरा	
16.	रामपुरा	,,
17.	राजनगर	,,
18.	डाकरा	,,
19.	रतकांकरा	,,
20.	नगपुरा	,,
21.	नौवाउवाड़	सुल्तानपुर
22.	करोडिया	,,
23.	डाबर	,,
24.	बबूली	,,
25.	विजयपुर	सांगोद
26.	सोडाना	शाहबाद
27.	मोगवा	,,
28.	नयागांव	,,
29.	चोराखाडी	,,
30.	सादड़ी	,,
31.	गोविन्दपुरा	छीपाबड़ौद
32.	रूपपुरा	,,
33.	केमड़ा	अन्ता
34.	भांड़ाखेड़ी	,,
35.	चहेडया	,,
36.	भावगढ़	,,
37.	सेगला	छबड़ा
38.	बामला	,,
39.	पट्टा	,,
40.	उरपी	बारां
41.	उमरखेड़ी	सांगोद
42.	नोमोदा	चैंचट
43.	रघुनाथपुरा	,,
44.	कालूखेड़ा	छीपाबड़ौद

1	2	3
45.	कुम्पकोट	
46.	गोविन्दनगर	लाडपुरा
47.	वितान नगर	,,
48.	केशोपुरा	,,
49.	बाली वस्ती	,,
50.	दादाबाड़ी न्यू कालोनी	,,
51.	साबरमती कालोनी	,,
52.	महावीर नगर	,,
53.	चन्दघटा	,,
54.	बारां तेल फैक्ट्री	बालिका
55.	नोमांदा हरी जी	,,
56.	निम्बाहेड़ा	रामगंज मण्डी
57.	शेरगढ़ डडवाना	कोटा
58.	उमरहेड़ा	,,
59.	कालूखेड़ा	छीपाबडौद
60.	गोगलपुरा	,,

प्रा. विद्यालय (1978-79)

1.	बून्दी	अन्ता
2.	रामपुरा मनतान	,,
3.	दसारी	,,
4.	रकसपुरा	,,
5.	सोमत्या	बारां
6.	पबेलखुर्द	,,
7.	आमापुरा	,,
8.	सलावद कलां	चैचट
9.	खेरु	शाहवाद
10.	ख्यावदा	,,
11.	चपड़ास्या	,,
12.	मिवन	,,
13.	खेरन्दा	इटावा
14.	विजयपुरा	,,
15.	नलावता	,,
16.	कजलिया	,,
17.	घनवा	,,

1	2	3
	18. मोरडी	अटरू
	19. लिसाडिया खुर्द	सांगोद
	20. बंजलियां	,,
	21. पानाहेडा	,,
	22. कोलानी	,,
	23. कोटंडापुरा	सुल्तानपुर
	24. भीमपुरा	,,
	25. जालिमपुरा	,,
	26. झाटोली	,,
	27. राजपुरा	छबड़ा
	28. बड़ावला ऊंचा	,,
	29. कमालपुरा	,,
	30. वडाय	छीपाबड़ौद
	31. फूंटीबड़ौद	,,
	32. गण्डारी	,,
	33. मानपुरा	,,
	34. कुमोड़ी	,,
	35. औद्योगिक बस्ती	लाडपुरा।
	36. शंकरपुरा	डडवाड़ा

(71)

कोटा जिले में 79-80 में खोले गये विद्यालयों की सूची :—

प्राथमिक विद्यालयों की सूची

1. बालखेड़ा (लाडपुरा)
2. अरनिया (लाडपुरा)
3 पीपलदा समेल (सुलतानपुर)
4. घाटोली (सांगोद)
5. चापडवेरी (सांगोद)
6. लालाखेड़ा (सांगोद)
7. हरिपुरा (दीगोद)
8. संदेगी (दीगोद)
9. नयागांव (दीगोद)
10 उरना (दीगोद)
11. ओडाकदा (पीपलदा)
12. शेरगंज (पीपलदा)
13. परेरा (पीपलदा)
14. दलोदनयागांव
15. लक्ष्मीपुरा (पीपलदा)
16. लोकरदा (6,,)
17. गुवाडी ,,
18. दूदली (पीपलदा)
19. हनुमतखेडा (बारां)
20. बावलीखेडा (बारां)
21. भजरावता (बारां)
22. लीलवाली (बारां)
23. गुलाबपुरा (बारां)
24. कृष्णा कालोनी (बारां)
25. उन्ता (बारां)
26. श्रीरामकालोनी (बारां)
27. उम्मेदगंज (बारां)
28. टिकोनिया (शाहबाद)
29. बीचो (किशनगंज)
30. बेरल (किशनगंज)
31. इसरटोरो ,,
32. बासथुनी (किशनगंज)

172

33. रामपुरा (किशनगंज)
34. रजनगर (किशनगंज)
35. आखोनी (शाहबाद)
36. बोरीना (बांरा,अटरु)
37. कोटडा (बारां,अटरु)
38. मोस्खुर्द (सांगोद,अटरु)
39. धाकडलोडी (अन्ता,अटरु)
40. धिनोद (अन्ता,अटरु)
41. गोवर्धनपुरा (अन्ता,अटरु)
42. गजनपुरा (बारां ,,)
43. नयागांव (बारां,अटरु)
44. बिवानिया (छीपाबडौदा)
45. मण्डोला (छीपाबडौद)
46. करथूरिया (छीपाबडौदा)
47. देवरीमुण्ड (छीपाबडौदा)
48. भंवरा (छबड़ा)
49. पोलूखेडा (छीपाबडौदा)
50. नवलपुरा ,,
51. रामपुरा (छीपाबडौदा)
52. अतरालिया (रामगंजमण्डी)
53. मंदली (चेंचट)
54. कालाअधिरों का (चेंचट)
55. मंढा (चेवट) (राम.मं.)
56. हनमंतखेडा (नगरपालिका रामगंजमण्डी)
57. बड़ोदिया (चेंचट रामगंजमण्डी)
58. निमोदा (रामगंजमण्डी)
59. गोविन्दपुरा (छबड़ा)
60. नवापुरा (छबड़ा)

उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सूची :—

1. ठिपटा कन्या
2. विज्ञान नगर (लाडपुरा)
3. छोटी (सागोद)

4. अचानी
5. भिबाडा
6. फतेहपुर
7. भूलोन
8. देवली मण्डी
9. भीममण्डी कोटा जंक्शन
10. प्रा.वि. स्टेशनरोड (बांरा)
11. केसूरा (दूसरा)
12. काकडदा

माध्यमिक विद्यालयों की सूची

1. सिंधी स्कूल वल्लभनगर (कन्या)
2. रसुलपुर (जेठा)
3. नीमौदा
4. अम्बोरी कलां
5. सीमली
6. समरानिया
7. कोटडी
8. रानपुर
9. दादाबाडी (कन्या)
10. बामला
11. जेपमला
12. लुहावद
13. मोईकलां

इस वर्ष खोले गये माध्यमिक विद्यालयों में वाणिज्य वर्ग अथवा कला वर्ग में से कोई एक वर्ग रहेगा ।

परिशिष्ट 6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 18 की सूची)

दिनांक 1-1-78 से 31-8-79 राजस्थान आवासन मण्डल की ओर से विभिन्न वादों की पैरवी करने हेतु नियुक्त किये गये वकीलों की सूची

क्र.सं.	वकील का नाम	पारिश्रमिक के रूप में दिये गये वेतन की राशि	विशेष विवरण
1	2	3	4
1.	श्री गिरधर गोपाल शर्मा, जयपुर	1,500/- रु.	—
2.	श्री गोपीचन्द गर्ग, जयपुर	5,250/- रु.	—
3.	श्री एन. एल. टिवड़ीवाल, जयपुर	2,785/- रु.	—
4.	श्री हजारीलाल बैराठी, जयपुर	500/- रु.	—
5.	श्री अशोक कुमार माथुर, जोधपुर	1,100/- रु.	—
6.	श्री बरजीनाथ चौहान, बांसवाड़ा	200/- रु.	—
7.	श्री नारायण सिंह शक्तावत, उदयपुर	200/- रु.	—
8.	श्री रामराज्य, जोधपुर	—	इन्हें सिविल रूल्स के अनुसार भुगतान किया जाना है–अभी किसी केश में भुगतान नहीं किया है।
9.	श्री कैलाश व्यास, कोटा	—	भुगतान ही किया गया। फीस तय करनी बाकी है।
10.	श्री लीलाधर अग्रवाल, कोटा	—	इन्हें 550/- रु. मेहनताने पर नियुक्त किया गया है। भुगतान अभी नहीं हुआ है।

1	2	3	4
11.	श्री धर्मवीर गुप्ता, अलवर	—	—
12.	श्री एस.एन. पुरोहित, बीकानेर	—	—
13.	श्री रमेश चन्द्र सक्सेना, कोटा	723.50	भुगतान कर दिया गया है।
14.	श्री गोपीचन्द जी गर्ग, विधि सलाहकार	—	इन्हें 1-8-78 को 600/- रु. प्रतिमाह मेहनताने पर नियुक्त किया गया था। इसके बाद 1-4-79 को नवीन संशोधन शर्तों के अनुसार 750/- रु. प्रतिमाह दिया जाता है।
15.	श्री गिरिराज कुमार राणा श्रम सलाहकार	—	श्री राणा की नियुक्ति दिनांक 1-4-79 को 400/- रु. प्रतिमाह पारिश्रमिक पर की गई है।

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 21 की सूची)

राजस्थान राज्य विद्युत मंडल

वर्ष 1979-80 में विद्युतीकृत कृषि कुओं की जिलेवार माहवार सूचना

क्र. सं.	जिला	अप्रेल	मई	जून	जुलाई	माह जुलाई तक योग
1.	अजमेर	48	79	54	50	231
2.	अलवर	9	28	22	27	86
3.	बांसवाड़ा	3	1	6	14	24
4.	बाड़मेर	—	—	—	—	—
5.	भरतपुर	6	5	32	24	67
6.	भीलवाड़ा	31	88	73	46	238
7.	बीकानेर	—	—	—	—	—
8.	बूंदी	9	5	11	—	25
9.	चित्तौड़गढ़	18	31	47	59	155
10.	चुरू	—	—	—	3	3
11.	डूंगरपुर	5	1	5	5	16
12.	जयपुर	171	146	200	228	745
13.	जैसलमेर	1	—	—	—	1
14.	जालौर	7	39	25	—	71
15.	झुन्झुनू	14	36	62	71	183
16.	झालावाड़	29	6	35	17	87
17.	जोधपुर	5	17	37	—	59
18.	कोटा	5	29	11	14	59
19.	नागौर	—	10	56	66	132
20.	पाली	46	83	93	—	222
21.	सवाईमाधोपुर	9	14	6	25	54
22.	सीकर	32	45	117	130	324
23.	सिरोही	10	44	34	—	88
24.	श्रीगंगानगर	6	12	11	44	73
25.	टोंक	10	5	6	9	30
26.	उदयपुर	10	30	28	80	148
	योग :—	484	754	971	911	3121

परिशिष्ट 8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 23 की सूची)

पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र में निम्नलिखित मार्गों का अब तक विद्युतिकरण नहीं किया गया है।

तहसील पिड़ावा

1. खेजरिया काल
2. गोविन्द पुरा
3. वेरूगरी
4. गुराड़िया
5. ताल
6. मानवरी
7. बून्दी
8. रामपुर
9. बोरडवी
10. पेटवरा
11. गडार
12. ढ़ावला
13. सेमला
14. कलोतिया
15. लालगांव
16. शरयाकला
17. छोछेरी
18. छोछेला
19. खाढ़ाखेड़ी
20. करोड़िया
21. डाबलिया
22. हनौतिया
23. सरूमगेड़ा
24. वोरखेड़ी
25. गाढ़िया
26. हिरनिया
27. राजपुरा खुर्द
28. सियाली
29. पालखण्डा
30. सोलरी
31. सवोली
32. सेमईयला
33. कावल
34. रामपुरिया
35. राजत
36. रायपुर
37. कीवलखेड़ा
38. मूडला
39. डीजल
40. डीवरा
41. आजमपुर
42. परासली
43. कुटकी
44. बजरंगपुरा
45. कल्याणपुरा
46. दामनिया
47. सेमली मवानी
48. बोरबन्द
49. गरवाडा
50. रूपाखेड़ी
51. लनवास
52. मन्दादार
53. कालीतलाई
54. चावली
55. अवारिल
56. किकरी

57. कोटरी खुर्द
58. सीकरिया
59. भाटखेड़ा
60. चावण्डिया
61. फायनिया
62. नकलग
63. मोडी
64. मोहम्मदपुर
65. सिरपोई
66. कोटराजोतमल
67. यशवन्तपुरा
68. चन्दुपुरा
69. वोलीयाबुजर्ग
70. हनोतिया हिन्दुसिंह
71. हनोतिया रायमल
72. सिरपोई खुर्द
73. तेलियाखेड़ा
74. सनोरिया
75. बौल्ड़ा
76. छोड़ी
77. सेवदखेड़ी
78. लीलानगर
79. श्यामपुरा
80. वीसन
81. थरमाचखेड़ा
82. बनोड़
83. खारेला
84. फतेगढ़
85. जीथरपुर
86. हिम्मतगढ़
87. कराडियाग्रोसाव
88. निम्बाहेड़ा
89. कांचरखेड़ी
90. चारूखेड़ी
91. हनोतिया वरोनिया
92. बन्जारी
93. गुराड़िया
94. दौलतपुरा
95. भोरपुरा
96. अजीजपुरा
97. ग्रोडियाखेड़ी
98. परासपुरा
99. कीढ़ाखेड़ा
100. खदकर
101. डिकटिकिया
102. खोटी
103. खेमलीजनार
104. खेराना
105. नियानिया
106. डभरियाखेड़ी
107. डोला
108. पीताकेडी
109. गरयानडेरी
110. कुण्डलखेलरान
111. रवेरनिया
112. कोलखेरा
113. खिलोरो कोलणी
114. किलोखेरी खिलोरी
115. उधखुर्द
116. सांगरिया
117. गैलना
118. पुरा
119. सुनारी
120. राजाखेड़ी
121. स्वासरा
122. चतुरियाकला
123. गोविन्दपुरा
124. अमीरपुरा
125. मुमाना
126. अल्लाफनगर

127. घतुरियाखुर्द
128. घटाखेडी
129. ग्रन्याखेडी
130. उदलियाखेडी
131. बरखेडी
132. रूपाखेडी
133. झुरखेडी
133. ग्रजूरी
135. नगरि
136. घाराखेडी
137. मायाखेड़ी
138. जैताखेडी
139. राजपुरा खुर्द
140. रूपपुरा
141. बिसमिल्लापुरा
142. जबलेना
143. बीड सरकारी
144. इल्लाईपुरा
145. बासुखेडी
146. सारंगाखेडा
147. धनघेरा
148. हुनोतिया कोटडी
149. रामेदलपत
150. रानेमड
151. डाबलभोडा
152. हरनावदागजा
153. चाकसेमली
154. सेमली चौहान
155. हरनावदागीथा
156 फतेहपुर
157. ग्रल्हीपुर
158. दाता
159. पिपलियामई
160. खेरी
161. बिजनियाखेडी
162. सावतखेडा
163. खडगपुरा
164. भगवानपुरा
165. बोलियावाडी
166. शेरपुर
167. ग्रजखेडी
168. घोची
169. कल्यानपुरा
170. रामपुरिया
171. रामटेली
172. रसूलपुरा
173 सारखेडी
174. कराडिया सेरपुर
175. सरवन
176 लक्ष्मीपुरा
177. भटखेडाखुर्द
178. बटापुरपुरा
179. मोतगीनगज
180. माइराखेडा

पचपहाड़ तहसील

181. ग्ररोलिया
182. ग्रमलियाखेरी
183. घटोद
184. नुलियाखेरी
185. ग्रनावलीखुर्द
186. गंगपुरा
187. ऐटाखेडा
188. सीमनी बोखला
189. वकानीखुर्द
190. गणेशपुरा
191. गोपालपुरा
192. किशनपुरा
193. खेरिया
194. मोरडियाखेडी
195. ग्रानन्दपुरा
196. खेरलियाठेरी
197. चांदखेडी

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 24 की सूची)

जिला झालावाड़ में तहसील पचपड़ाव व पिड़ावा के उन ग्रामों की सूची
जिनमें से 11 के. वी. विद्युत लाईन निकल रही है—पर
विद्युतीकृत नहीं हैं।

क्रम सं.	कोड नं.	नाम	तहसील
1.	26/4/3	आमयी खेड़ी	पचपडाव
2.	26/4/49	पडासली	,,
3.	26/4/67	आनन्दपुरा	,,
4.	26/4/79	भारमतिया	,,
5.	26/4/95	चन्द्रपुरा	,,
6.	26/4/128	शेथपुरा	,,
7.	26/4/135	डादयागौर	,,
8.	26/4/136	जजनी	,,
9.	26/5/1973	रुपाखेडी	पिडावा